लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

4th
LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र
Tenth Session]





[खण्ड 37 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XXXVII contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 18, सोमवार, 16 मार्च, 1970/25 फाल्गुन, 1891 (शक)]
No.—18, Monday, March 16, 1970/Phalguna 25, 1891 (Saka)

	विषय / Subject	पृष्ठ / Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**	
तो प्र० संख्या S. Q. N.		
*451	अमरीका को चोरी छिपे भेजे जाने वाले चरस (हशीश) का पकड़ा जाना / Seizures of Hashish Meant for Smuggling into USA	1—10
452.	मकान देने के लिये लाटरी योजना / Lottery Scheme for Providing Houses	10—16
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तो प्र० संख्या Q. Nos.		
453.	केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों का एक औषधालय से दूसरे औषधालय में स्थानान्तरण / Transfer of CGHS Doctors from One Dispensary to Another	16—17
454.	राष्ट्रीय ऋण परिषद् के निष्कर्ष / Finding of National Credit Council	17
455.	विदेशनिवासी भारतीयों द्वारा धन प्रेषण / Remittances by Indians Living Abroad	17—18

*किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
456. परीक्षात्मक तटदूर ड्रिलिंग तथा बम्बई हाई के विकास के लिये प्रस्ताव	Proposal of Exploratory Offshore Drilling and Development of Bombay High	18
457. योजना से भिन्न व्यय की फालतू राशि का वितरण	Distribution of Surplus Non-Plan Expenditure	18—19
458. मोदी उद्योग तथा मोहन नगर उद्योगों की ओर केन्द्रीय करों की बकाया राशि	Outstanding Amount of Central Taxes from Modi Industries and Mohan Nagar Industries	19
459. लोक सभा सामान्य भविष्य निधि के लेखों के लिये व्याज की दर में समानता	Uniformity in Rates of Interest on Public and General Provident Fund Accounts	20
460. बम्बई के एक दण्डाधीश द्वारा राजस्व आसूचना निदेशक के विरुद्ध निन्दात्मक टिप्पणी	Structures Passed by Magistrate Against the Director of Bombay Revenue Intelligence	20
461. मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में तांबा अयस्क पट्टी के अग्रेतर खोज तथा खुदाई के लिये योजना	Scheme for Further Exploitation and Exploration of Copper Ore Belt in Balghat District, Madhya Pradesh	21
462. उच्चतम न्यायालय में बैंक राष्ट्रीयकरण संबंधी मुकदमे पर व्यय	Expenditure on Bank Nationalisation Case in Supreme Court	21
463. दिल्ली में भूमि विकास की योजना	Scheme for Development of Land in Delhi	22—23
464. भारत के रिजर्व बैंक का मुद्रा तथा वित्त संबंधी प्रतिवेदन	Report of Reserve Bank of India on Currency and Finance	23—25
465. जीवन बीमा निगम के मुअतिल कर्मचारी	Suspension of LIC Employees	25
466. कोयले पर आधारित तीन उर्वरक कारखानों की स्थापना	Setting up of Three Coal-Based Fertilizer Plants	25—26

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
467. भारत में विदेशी तेल शोधक कारखानों की कुछ मंजूरशुदा क्षमता तथा वास्तविक उत्पादन	Total Sanctioned Capacity and Actual Production of Foreign Oil Refineries in India	27
468. महात्मा गांधी की प्रतिमा के मॉडल	Models of Mahatma Gandhi Statue	27—28
469. खानों पर हुई हानि की प्रतिपूर्ति करने के लिये राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को सहायता	Relief to National Mineral Development Corporation to Offset Losses Incurred over Mines	28
470. केन्द्रीय सरकार के पेंशन भोगियों के संघ की ओर से ज्ञापन	Memorandum from Central Government Pensioners' Association	28—29
471. स्टेट बैंक आफ इण्डिया की नई शाखाओं को हानि की पूर्ति करना	Subsidisation of Losses of the New Branches of the State Bank of India	29—30
472. केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा धन कर संबंधी विवरण का भेजा जाना	Filing of Wealth Tax Returns by Union Ministers	30
473. भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अयस्क परिष्करण परीक्षणों के लिये सुवाह्य प्लवन चलते फिरते पायलट संयंत्र की स्थापना	Setting up of Portable Floation Mobile Pilot Plan for Ore Benefication Tests by Indian Bureau of Mines	30—31
474. सब की वित्त संबंधी शिकायतें दूर करने की एक-मात्र व्यवस्था	Single Machinery for Redressing Financial Complaints of All	31
475. तेल की खोज के क्षेत्र में भारत और श्रीलंका का संयुक्त प्रयास	Joint Ventures between India and Ceylon in the Field of Oil Exploration	31- 32
476. देश में पोलियो महामारी	Polio Epidemic in the Country	32 33
477. लीड बैंक योजना	Lead Bank Scheme	33

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
478. भारतीय तेल निगम के साथ सौदों में हिन्द गालवेनाईजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी द्वारा की गई अनियमितताओं की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच	C. I. B. Inquiry into Irregularities Committed by Hind Galvanising and Engineering Company in dealing with Indian Oil Corporation	33—34
479. मिट्टी के तेल की कम सप्लाई तथा इसमें मिलावट	Short Supply and Adulteration of Kerosene Oil	34
480. चिकित्सा सेवाओं का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Medical Services	34—35

अतारांकित प्रश्न संख्या

U. S. Q. No.

2995. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ओवरसियर संघ का मांग पत्र	Memorandum of Demands Submitted, by C. P. W. D. Sectional Officers Association	35—36
2996. मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा के वितरण के सम्बन्ध में मांगी गई शक्तियां	Additional Powers Sought by Madhya Pradesh Government for Distribution of Foreign Exchange	36
2997. मध्य प्रदेश में तम्बाकू के कारखानों द्वारा उत्पादन शुल्क का अपवंचन	Evasion of Excise Duty by Tobacco Factories in Madhya Pradesh	37
2998. मध्य प्रदेश में फर्मों और व्यक्तियों पर 10 लाख रुपये से अधिक की आय कर की बकाया राशि	Outstanding Amount of Income Tax above Rs. 10 Lakhs against Firms and Individuals in M. P.	37
2999. एन्टीबायोटिक फैक्टरी, ऋषिकेश में उत्पादित एन्टीबायोटिक (प्रति जीवाणु) दवाओं की मात्रा और उनका मूल्य	Quantity and value of Antibiotics Produced at Antibiotics Factory, Rishikesh	37—39
3000. भारत में कोढ़ का रोग	Leprosy in India	

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
3001. विशिष्ट प्रशिक्षण के लिये विदेश जाने वाले डाक्टरों द्वारा भरे जाने वाले बांड की राशि	Bond Money from Doctors Proceeding for Specialised Training abroad	41—42
3002. पोलिस्टर फिलेमेंट धागे का उत्पादन करने की क्षमता	Production Capacity of Polyster Filament yarn	42—43
3003. आयात की मात्रा को कम करने के लिये नायलन धागे के एककों का उपांतिक विस्तार	Marginal Expansion of Nylon Yarn Units to Minimise Imports	43—44
3004. चोरी छिपे लाये गये माल की बिक्री	Disposal of Smuggled Goods	44—45
3005. शिक्षा मंत्रालय में पुस्तकालय तथा संग्रहालय सलाहकारों की नियुक्ति	Appointment of Library and Museum Advisers in Education Ministry	45
3006. राष्ट्रीयकृत बैंकों से टैक्सी अथवा स्कूटर के लिये ऋण के लिये जमानत	Sureties for Loan for Taxi or Scooter from Nationalised Banks	45 - 46
3007. गुजरात में आवास योजना के लिये नियत राशि	Allocation for Housing Scheme in Gujarat	46
3008. आयकर निर्धारण	Assessment of Income Tax	46—47
3009. संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सहायक अभियंता तथा सहायक कार्यकारी अभियंताओं की भर्ती	Recruitment of Assistant Engineer and Assistant Executive Engineers through UPSC	47—48
3010. केन्द्रीय-लोक निर्माण विभाग में सहायक कार्यकारी अभियंताओं के लिये पृथक संवर्ग	Separate Cadre of Assistant Executive Engineers in C. P. W. D.	48
3011. पश्चिमी जर्मनी के शिष्टमंडल की भारत यात्रा	West German Delegation's Visit to India	48 -49

ता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
3012. कलकत्ता के श्री के० ए० लक्षमण प्रभु का नाम काली सूची में रखा जाना	Blacklisting of Shri K. A. Laxman Prabhu on Calcutta	49
3013. उर्वरकों की कीमतों में कमी	Fall in Price of Fertilizers	50—51
3014. नागपुर से डाक तार लेखा परीक्षा तथा लेखा निदेशक कार्यालय के विभाजन की योजना	Scheme of Splitting of the Office of Audit and Account, Posts and Telegraph at Nagpur	51
3015. दिल्ली विकास प्राधिकार की भाग्यदा (लाटरी) योजना	DDA Lottery Scheme	51—52
3016. बेरोजगार इंजीनियरी और डिप्लोमा होल्डरों को वितरण बिक्री अभिकरणों का दिया जाना	Grant of Distribution/Sales Agencies to Unemployed Engineers and Diploma Holders	52
3017. निर्माण आवास तथा नगरीय विकास विभाग के वातानुकुलन तथा विद्युत डिवीजन के मालियों तथा खलासियों को वर्दी देना	Supply of Uniforms to Gardners and Khalasis in Air Conditioning and Electrical Division of Department of Works Housing and Urban Development	53
3018. पूर्ति तथा निपटान महानिदेशक द्वारा छोटे एककों को दिये गये क्रयादेशों का मूल्य	Value of Orders Placed with Small Units by D. G. S. and D.	53—54
3019. अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा प्रकाशित स्मारिका में सरकारी क्षेत्र के उद्योगों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के विज्ञापन	Advertisement Space for Public Sector Undertakings and Nationalised Banks in Souvenir Published by AICC	54
3020. भारत में उर्वरक संयंत्रों में प्रयोग के लिये कच्चे माल के रूप में एमोनिया की उपलब्धता	Availability of Ammonia as Raw Material for Fertilizer Plants in India	54—55

तारा० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
3021. भारत तथा विदेशों में परियोजनाओं कें निर्माण के लिये सार्थसंघों की स्थापना	Setting up Consortia to Undertake Construction Projects in India and Abroad	55
3022. उड़ीसा में केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में प्रतिनियुक्त व्यक्ति	Deputationists in Central Government Undertaking in Orissa	55—56
3023. उत्तर प्रदेश में रायबरेली में फाइबर प्लांट तथा आजमगढ़ जिले में माओ में कपड़ा मिल लगाने के लिये कानपुर के श्री जयपुरिया को लाइसेंस दिया जाना	Licence to Jaipuria of Kanpur for Setting up of Fibre Plant in Rai Bareilly and Textile Mill at Mau in Azamgarh	56—57
3024. चौथी पंचवर्षीय योजना में तेल की खोज के लिये अधिक राशि का रखा जाना	Demand for Revision of Allocation for Oil Exploration in Fourth Plan	57
3025. सरकारी उपक्रमों के प्रतिनिधियों की बैठक	Meeting of Representatives of Public Undertakings	57—58
3026. हीरों का आयात/निर्यात	Import/Export of Diamons	58
3027. साउथ ब्लाक, नई दिल्ली में सेना मुख्यालय में आग लगने की घटना	Fire in Army Headquarters in South Block, New Delhi	58—59
3028. गाजियाबाद में पैट्रोल साफ करने का कारखाना	Petroleum Refinery in Ghaziabad	59
3029. सरकारी उपक्रमों द्वारा उत्पादन लागत में कमी किया जाना	Reduction in Production Costs by Public Undertakings	59—60
3030. ईरान से अमोनिया की खरीद	Purchase of Ammonia from Iran	60
3031. डाक व तार विभाग में लेखापरीक्षा तथा लेखा का विकेन्द्रीयकरण	Decentralisation of Audit and Accounts in the P and T Department	61

तारां० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
3032. मूलभूत नियमों तथा अनुपूरक नियमों में गवर्नर जनरल का उल्लेख	Mention of Governor General in Fundamental Rules and Supplementary Rules	61—62
3033. चीन द्वारा अपने एजेंटों को भारत में विभिन्न प्रकार का सामान भेजा जाना	Supply of different Kinds of Goods by China to her Agents in India	62
3034. जामा मस्जिद क्षेत्र, दिल्ली में टूटी फूटी हालत में मकान	Houses in Dilapidated Condition in Jama Masjid Area, Delhi	62—63
3035. विमान सेवाओं को दोहरे आय करारोपण से मुक्त करने के लिये भारत और इटली के बीच करार	Agreement between India and Italy for Exempting their Air Services from Payment of Double Income Tax	63
3036. उर्वरक कारखानों की उत्पादन क्षमता	Production Capacity of Fertilizer Factories	64—65
3037. सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में कस्टम स्मैल्टर तथा कस्टम मिल्स	Custom Smeltors and Customs Mills under Public and Private Sectors	65—66
3038. केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग, कानपुर के कलैक्टर द्वारा निरीक्षकों का स्थानान्तरण	Transfer of Excise Inspectors by Collector, Central Excise, Kanpur	66—67
3039. केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग, कानपुर के कार्य कर रहे उत्पादन शुल्क निरीक्षकों का स्थानान्तरण	Transfer of Excise Inspectors Working in the Central Excise Collectorate, Kanpur	67—68
3041. भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग में मस्टर रोल के कर्मचारियों को नियमित कर्मचारी बनाया जाना	Regularisation of Muster Roll Employees in Geological Survey of India	68
3042. जनरल अस्पताल, मनीपुर में कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ	ENT Specialist in the General Hospital Manipur	69

तारा० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
3043. मनीपुर सरकार के चिकित्सा विभाग के प्रयोगशाला तकनीशन	Laboratory Technicians of Medical Department, Government of Manipur	69
3044. तुलिहाल हवाई अड्डे पर नियुक्त केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अनुभागीय अधिकारी	C. P. W. D. Sectional Officers Posted at Tulihal Airport	70
3045. जीवन बीमा निगम, दिल्ली के अन्तर्गत चल रहे ब्रांच यूनिट	Branch Units Functioning under LIC Delhi	70
3046. जीवन बीमा निगम द्वारा विकास अधिकारियों पर कारोबार गारन्टी का लागू किया जाना	Enforcing of Business Guarantee on the Development Officers by LIC	70—71
3047. दिल्ली में केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा के औषधालयों में घावों पर टांके लगाने की सुविधायें	Provision of Facilities for Stitching of Wounds in CGHS Dispensaries in Delhi	71—72
3048. भारतीय भू विज्ञान सर्वेक्षण संस्था के क्षेत्र में काम करने वाले चतुर्थ श्रेणी में कर्मचारियों को क्षेत्रीय भत्ते का दिया जाना	Grant of Field Establishment Allowance to Class IV Employees of Geological Survey of India	72—73
3049. मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों के लिये बहुमंजिला फ्लेटों का निर्माण	Construction of Multi Storey Flats for Ministers and Government Officials	73
3050. ग्रामीण क्षेत्रों के लिये आवास निगम	Housing Corporation for Rural Areas	73—74
3051. दिल्ली में सरकार की खाली पड़ी भूमि पर अनधिकृत कब्जा	Unauthorised Occupation of Vacant Government Land in Delhi	74

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
3052. भारत के पश्चिम तट पर अरब सागर में तेल मिलने की सम्भावनायें	Oil Prospects in Arabian Sea on Western Coast of India	74—75
3054. खम्बात की खाड़ी में गहरे समुद्र में तेल के लिये ड्रिलिंग	Deep Sea Drilling in Gulf of Cambay	75—76
3055. अंकलेश्वर तेल क्षेत्र से बड़ौदा नगर निगम को तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा प्राकृतिक गैस की सप्लाई	Supply of Natural Gas from Ankleshwar Oil Fields by ONGC to Baroda Municipal Corporation	76—77
3056. छोटी नगरपालिकाओं और नगर निगमों के लिये साधन जुटाने के लिये आदर्श योजनायें	Model Blue Print for Mobilisation of Resources for small Municipalities and Corporations	77
3057. बेहतर पदों के लिये सरकारी कर्मचारियों के आवेदन पत्र आगे भेजना	Forwarding of Applications of Government Employees for Better Appointment	77—78
3058. तीसरे वेतन आयोग के निदेश पदों के बारे में सुझावों के पाठ	Texts of Suggestions for Terms of Reference of Third Pay Commission	78
3059. कृत्रिम एंजीम का उत्पादन	Production of Artificial Enzyme	78—79
3060. संसद् सदस्यों के वेतन से आयकर की कटौती	Deduction of Income Tax from the Salaries of Members of Parliament	79
3061. गोहाटी तेल शोधक कारखाने में स्थानीय लोगों की नियुक्ति	Employment of Local People in Gauhati Refinery	79 – 80
3062. देश में विशेषकर आसाम में नये तेल क्षेत्रों का पता लगना	Discovery of New Oil Fields in the Country Particulary Assam	80
3063. कृषि भूमि पर कर	Tax on Agricultural Land	80—81
3065. केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक को सेवा निवृत्ति के बाद पेंशन	Pension to an Assistant of CSS after Retirement	81—82

तारां० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
3066. दिल्ली/नई दिल्ली में मकान बनाने तथा अन्य प्रयोजनों के लिये सहकारी समितियों को अलाट की गई भूमि	Land allotted to Cooperative Societies for Houses and other Purposes in Delhi/ New Delhi	82
3067. अनुवादकों के वेतनमान	Pay Scales of Translators	82—83
3068. आसाम के चाय बागान मालिकों द्वारा आयकर का अपवंचन	Evasion of Income Tax by the Owners of Tea Gardens of Assam	83
3069. पौढ़ी गढ़वाल जिले में खोलाचौनरी में स्थित कैलाश औषधालय को सहायता	Aid to Kailash Dispensary, Kholachaunri District, Pauri Garhwal	83
3070. सफाई अभियान	Sanitation Campaign	84
3071. दिल्ली विकास प्राधिकरण के एक मंजिले मकानों के आवंटन सम्बन्धी लाटरी में भाग लेने के लिये कम आय वाले सरकारी कर्मचारियों के अभ्यावेदन	Representation from the Low Income Group Government Employees to Participate in the Draw of Allotment of Single Storeyed Houses by DDA	84—85
3072. दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पंखा रोड पर अर्जित भूमि	Land Acquired by the Delhi Development Authority at Pankha Road	85—86
3073. कम आय वाले लोगों के लिये एक मंजिला मकानों की मांग	Demand for Single Storeyed House for Low Income Group Persons	86
3074. डाक्टरों तथा महिला डाक्टरों की कमी	Shortage of Doctors and Lady Docotrs	86—87
3075. राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण देने के नियम	Rules for Grant of Loans from Nationalised Banks	87
3076. बम्बई में सोने का पकड़ा जाना	Seizure of Gold in Bombay	88
3077. ब्रिटेन से ऋण	Loans from U. K.	88—89

ता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
3079. राष्ट्रीय कोयला निगम के अधीन सुराकचार कोयला खानों के कर्मचारियों के लिये पीने के जल की कमी	Shortage of drinking Water for Workers of Surakachar Collieries under N. C. D. C.	8
3080. भारतीय भू तत्वीय सर्वेक्षण विभाग में मोल्डर का वेतन क्रम	Pay Scale of Moulders in Geological Survey of India	89—90
3081. भारतीय भू विज्ञान सर्वेक्षण संस्था के मस्टर रोल कर्मचारियों को अवकाश प्रदान करना	Grant of Leave to Muster Roll Employees of Geological Survey of India	90
3082. चिकित्सा कालिजों में प्रवेश	Admission to Medical Colleges	90—91
3083. बम्बई हाई में तट दूर छिद्रण परियोजना के लिये सहयोग प्रस्ताव	Collaboration Offers for Offshore Drilling Project in Bombay High	91
3084. श्रेष्ठिचत्वर (स्टाक एक्सचेंस) के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग का सुझाव	Administrative Reforms Commission's Suggestion Regarding Stock Exchanges	91—92
3085. रामकृष्णपुरम (नई दिल्ली) में सैक्टर 8 में दुकानों का आवंटन	Allotment of Shops in Sector VIII of R. K. Puram Market, New Delhi	92
3086. राज्यों द्वारा अतिरिक्त संसाधनों का उपयोग	Utilisation of Additional Resources by States	93
3087. वित्त मंत्रालय में एक नया बैंकिंग विभाग खोलना	Creation of New Department of Banking in the Ministry of Finance	93—94
3088. गैर सरकारी क्षेत्र में उर्वरक समवायों द्वारा दिया गया आयकर	Income Tax Paid by Fertilizer Companies in the Private Sector	94
3090. विदेशी सहायता बन्द करने की अन्तिम तिथि	Deadline for Stoppage of Foreign Aid	94—95
3091. वित्त मंत्रालय के प्रथम श्रेणी अधिकारियों का आचरण	Conduct of Class I Officers in Ministry of Finance	95

तारांकित प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
3092. रिर्जव बैंक के गवर्नर तथा स्टेट बैंक आफ इंडिया के अध्यक्ष आदि का वेतन, परिलब्धि तथा सुविधाएं	Salary and perquisities amenities of the Governor Reserve Bank of India and Chairman of State Bank of India, etc.	95
3093. वर्ष 1969 के लाभ तथा हानि के लेखों के बारे में राष्ट्रीयकृत बैंकों को भारतीय रिर्जव बैंक का परिपत्र	Reserve Bank of India Circular to Nationalised Banks Re: Profit and Loss Accounts for 1969	96
3094. बैंक राष्ट्रीयकरण की नीति के सम्बन्ध में संसद् को आश्वासन	Assurance to Parliament regarding Policy of Bank Nationalisation	96—97
3095. नई दिल्ली में निर्माणों (स्ट्रक्चर्स) को नियमित करने के बारे में पंचकुइयां वासियों का अभ्यावेदन	Representation from the Residents of Punchkuian Road Regarding Regularisation of Structures in New Delhi	97—98
3096. आय कर का भुगतान न करने पर अभियोग के मामले	Prosecution Cases for Non-Payment of Income Tax	98
3097. खाद्यान्नों तथा आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि	Rise in Prices of Foodgrains and Essential Commodities	98—99
3098. खनन क्षेत्रों में खनिजों से लाभ उठाने तथा उनके संरक्षण और वहां के निवासियों की सुरक्षा के लिए समन्वय समिति	Co-ordination Committee for Exploitation and Conservation of Minerals and Safety of residents in Mining Areas	99
3099. जीवन बीमा निगम में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in LIC	99—100
3100. वित्त मंत्रालय में हिन्दी में काम कर सकने वाले व्यक्ति	Persons having Working Knowledge of Hindi in the Ministry of Finance	100
3101. वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किये गये आदेश, परिपत्र तथा सूचनायें आदि	Orders, Circulars and Notices etc. Issued by the Ministry of Finance	100- 101

तारां० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
3102. दिल्ली/नई दिल्ली में सड़क के किनारे गन्दी बस्तियों तथा मामूली झोपड़ियों के वासी	Road Side Slums and Shack-Dwellers in Delhi/New Delhi	101
3103. आसाम में गालेकी क्षेत्र में अशोधित तेल के उत्पादन के लिये तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को लाइसेंस देने से इन्कार करना	Refusal of Licence to ONGC for Production of Crude Oil in the Galeki Area in Assam	102
3104. नसबन्दी से हानि उठा चुके परिवारों को राहत	Relief to Families of Vicitims of Sterilisation	102
3105. आय निर्धारण के प्रयोजन के लिये ह्रास दरों का पुनरीक्षण	Revision of Depreciation Rates for Income Assessment	102—104
3106. महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों का देशव्यापी सर्वेक्षण	Country wide Survey for Vital Mineral Resources	104
3107. कम्पनियों को हथियाने के लिये बैंकों से लिये जाने वाले ऋण का प्रयोग	Use of Bank Credit for taken over Bids	104—105
3108. अहमदाबाद बिजली सप्लाई, बम्बई उपनगरीय बिजली सप्लाई आदि का प्रबन्ध	Management of Ahmedabad Electric Supply, Bombay Subarban Electric Supply etc.	105—106
3109. पेंशन अधिनियम, 1871 में संशोधन	Amendement to Pensions Act, 1871	106
3110. मध्य प्रदेश के लिये विश्व बैंक ऋण	World Bank Loan for Madhya Pradesh	106—107
3111. भारतीय खान ब्यूरो पुनर्गठन सम्बम्धी मुकर्जी समिति की सिफारिश के अनुसार खनन बोर्ड का गठन	Constitution of Mining Board as Recommended by Mukerjee Committee on Reorganisation of Indian Bureau of Mines	107
3112. स्त्रियों के बीमें पर प्रतिबन्ध	Restrictions on Insurance of Women	107—108
3113. कानपुर उर्वरक कारखाने में उत्पादन में प्रगति	Production Progress at Kanpur Fertilizer Factors	10

तारा० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
3114. स्वर्ण नियंत्रण आदेश को पूर्णतः वापस लेने की मांग	Demand for Complete Withdrawal of Gold Control	108—109
3115. विभिन्न आय वर्गों के व्यक्तियों के लिये दिल्ली में रिहायशी भूखण्डों का आवंटन	Allotment of Residential Plots in Delhi for Various Income Group People	109
3116. इंडियन आयल कारपोरेशन के पैट्रोल बैंकों को आवंटित करने की प्रक्रिया और बेरोजगार इंजीनियरों के आवेदन	Procedure for Allotment of IOC Petro Bunks vis a visApplications from Unemployed Engineers	109—110
3117. चुंगी का समाप्त किया जाना	Abolition of Octroi Duty	110—111
3118. मैसूर में ट्यूबेक्टामी आपरेशनों के लिये केन्द्र	Centres for Tubectomy Operations in Mysore	111
3119. नई दिल्ली में हृदय रोग चिकित्सालय और पुनर्वास केन्द्र की स्थापना	Setting up a Cardiac Clinic and Rehabilitation Centre in New Delhi	111
3120. संसद् सदस्यों के वेतनों से आय कर काटना	Deduction of Income Tax from the Salaries of Members of Parliament	111—112
3121. दरभंगा जिले के संसद् सदस्यों द्वारा आय कर विवरणी फाइल करना	Filing of Income Tax Returns by Members of Parliament or Darbhanga District	112—113
3122. उत्तर बिहार में मिट्टी के तेल की चोर बाजारी	Blackmarketing in Kerosene Oil in North Bihar	113
3123. कोयले के मूल्यों में वृद्धि	Increase in Coal Prices	114
3124. कलेक्टर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कानपुर के कार्यालय में सोने की तस्करी के मामले के बारे में जांच	Enquiry into Gold Smuggling Case in the Office of the Collector, Central Excise, Kanpur	114
3125. फिलौर में नोटों का पकड़ा जाना	Seizure of Currency Notes in Philaur	115

तारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Page
3127.	महात्मा गांधी सम्बन्धी पुस्तक का जब्त किया जाना / Impounding of Book on Mahatma Gandhi	
3128.	हल्दिया तेल शोधक कारखाने के लिये अशोधित तेल का आयात / Import of Crude for Haldia Refinery	115—1
3129.	पेंशन के शीघ्र भुगतान को सुनिश्चित करने के नियम / Rules to Ensure Quick Payment of Pensions	11
3130.	छोटे मकानों के संबंध में एक योजना तैयार करने के लिये समिति स्थापित करना / Setting up of Committee to Evolve a Scheme on Small Houses	116—11
3131.	सैल्फ जेनेरेटिंग हाउसिंग स्कीम / Self Generating Housing Schemes	117
3132.	विदेशों में दूतावासों और उच्चयोगों के माध्यम से उचित मूल्य पर अपेक्षित किस्म के सामान की खरीद / Purchase of Merchandise through Embassies and High Commissions Abroad	118
3133.	ऋण के लिये व्याज की नई प्रणाली / New Interest System for Credit	118
3135.	औषध तथा औषध निर्माण विकास परिषद् द्वारा औषधियों के मूल्यों के निर्धारण सम्बन्धी मानदण्ड / Norms for Fixation of Prices of Drugs by Development Council for Drugs and Pharmaceuticals	118—119
3136.	औषध मूल्य (प्रदर्शन तथा नियंत्रण) आदेश 1966 के अधीन आवेदन पत्रों की जाँच / Examination of Applications under Drug Prices (Display and Control) Order, 1966	119—120
3137.	भारत में औषधि निर्माताओं द्वारा अपने उत्पादों का अधिक मूल्य लेना / High Prices Charged by Drug Manufactures in India for their Products	120
3138.	भारत में विदेशी औषध कम्पनियों द्वारा कच्चे माल का आयात / Import of Raw Materials by Foreign Drug Companies in India	120—121

तारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
3139.	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये नागपुर में भूमि का विकास / Development of Land at Nagpur for the Central Government Employees	121
3140.	विभिन्न मंत्रालयों के लिये परामर्शदात्री समितियां / Advisory Committees on Various Ministries	121—122
3141.	मध्य प्रदेश के सागर और दमोह जिलों में खनिज निक्षेपों का सर्वेक्षण / Survey of Mineral Deposits in Sagar and Damoh Districts of Madhya Pradesh	122
3142.	डी०डी०टी० तथा उर्वरकों को मिलाकर नये मिश्रित उत्पादन का प्रायोगिक उत्पादन / Experimental Production of Mixed formation of DDT and Fertilizers	122
3143.	राजस्थान में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम / Malaria Eradication Programme in Rajasthan	122—123
3144.	विदेशी सहायता का इस्तेमाल न किया जाना / Non-Utilisation of Foreign Aid	123—124
3146.	नई दिल्ली में लक्ष्मीबाई नगर के एच ब्लाक में अनधिकृत कब्जे में क्वार्टर / Unauthorised Occupation of Quarter in 'H' Block of Laxmibainagar, New Delhi	124—125
3147.	आर्थिक तथा अनुसंधान प्रतिष्ठान द्वारा किया गया अध्ययन / Study made by Economic and Research Foundation	125
3148.	गंगा नदी जल दूषण जांच आयोग का प्रतिवेदन / Ganga Water Pollution Enquiry Commission Report	125—126
3149.	प्रतिकर भत्ते की सीमा का हटाया जाना / Removal of Ceiling on Compensatory Allowance	126—127
3150.	संसद् सदस्यों से मकान किराया भत्ते के बारे में प्राप्त अनुरोध / Requests Received from M. Ps. in respect of House Rent Allowance	127
3151.	उत्पादन शुल्क निरीक्षकों का तबादला / Transfer of Excise Inspectors	127—128

तारांकित प्र० संख्या / U. S. Q. Nos.	विषय / Subject	पृष्ठ / Pages
3152.	मैसर्स नरुला फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के विरुद्ध जांच / Investigations against M/s. Nirula Finance Private Ltd., New Delhi	128—129
3153.	देश में फ्लू रोग के खतरे के बारे में सावधान करना / Advance Warning of Flu in the Country	129
3154.	जिला चम्पारन बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखाएं खोलना / Opening of Branches of Nationalised Banks in District Chaparan Bihar	130
3155.	तेल शोधक कारखानों के कर्मचारियों में क्षय रोग / Incidence of T. B. Among Employees Working in Oil Refineries	130—131
3156.	मध्य प्रदेश के सागर जिले से आय कर और उत्पादन शुल्क की वसूली / Collection of Income Tax and Excise duty from Sagar District in Madhya Pradesh	131
3157.	एन्टीवायोटिक्स फैक्टरी, पिम्परी (पूना) के गोदामों में पड़ी कृषि संबंधी प्रति जीवाणु औषधियाँ खराब होना / Agricultural Antibiotics Rotting at Godowns of Antibiotics Factory, Pimpri (Poona)	131—132
3158.	वाणिज्य, निर्माण तथा विधि महालेखा पाल के कार्यालय को भेजे गये विभिन्न मंत्रालयों के कर्मचारियों के बिल / Bills Pertaining to the Staff of Various Ministries presented to A. G. C. W. and M.	132
3159.	भारत सरकार के प्रपत्र भंडार, कलकत्ता में दफतरी / Daftries in Government of India forms Store, Calcutta	132—133
3160.	आम बीमा के राष्ट्रीयकरण के बारे में समाचार पत्रों में विज्ञापन / Advertisements in Press regarding Nationalisation of General Insurance	133
3162.	उड़ीसा में पोलिएस्टर कारखाने की स्थापना के लिये लाइसेंस देने से इन्कार / Refusal of Licence for Setting up Polyster Plant in Orissa	133—134
3163.	उड़ीसा में लौह/अलौह तथा अन्य धातुओं का पता लगाने के प्रयास / Efforts for Location of Ferrous/Non-Ferrous and other Metals in Orissa	134

ता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
3164. संसद् सदस्यों को मकान बनाने के लिये भूमि का आवंटन	Allotment of Housing Plots to M. Ps. in Delhi	134—135
3165. जनांकिकीय प्रशिक्षण तथा अनुसंधान केन्द्र बम्बई के कर्मचारियों को परेशान करने के कथित मामलों के बारे में शिकायतें	Complaints regarding Alleged Harassment of Staff of the Demographic Training and Research Centre, Bombay	135—136
3166. महाराजा दरभंगा की सम्पत्ति पर मृत्यु शुल्क लगना	Imposition of Delhi Duty on the Property of Maharaja of Darbhanga	136
3167. जीवन बीमा निगम का पुनर्गठन	Reorganisation of LIC	136—137
3168. दिल्ली में रोगी वाहन सेवा	Ambulance Service in Delhi	137
3169. खेतड़ी तांबा परियोजना में आयातित उपकरणों को उपयोग में न लाया जाना	Non-utilisation of Imported Equipment at Khetri Copper Project	137—138
3170. दिल्ली में सहकारी गृह निर्माण समितियों का वर्गीकरण	Classification of Co-operative House Building Societies in Delhi	138
3171. सहकारी गृह निर्माण समितियों को दिल्ली के शाहदरा क्षेत्र में भूमि का आवंटन	Allotment of Land to Co-operative House Building Societies in Sahahdara Area, Delhi	139
3172. प्रीतनगर तथा सरकारी अध्यापक सहकारी गृह निर्माण समितियां, दिल्ली	Preet Nagar and Government Teachers' Cooperative House Building Societies, Delhi	139—140
3173. बैंक आफ बिहार लिमिटेड पर अधिकार किया जाना	Taking Over of Bank of Bihar Ltd.	140—141
3174. साराभाई मेरक्स लिमिटेड, बड़ौदा	Sarabhai Mercks Ltd. Baroda	141 - 142

तारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject
3175. भारत में विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा भारत और बैल्जियम की फर्म पैट्रोफिना के बीच कच्चे तेल का आयात करने के लिये हुए करार को विफल करने का कथित प्रयास	Alleged Sabotaging of Crude Oil Import Agreement between India and Belgium Concern Petrofina by Foreign Oil Companies in India
3176. नरायना आवास योजना, दिल्ली का विकास	Development of Narayana Residential Scheme, Delhi
3177. हिमाचल प्रदेश और पंजाब में विभिन्न बैंकों द्वारा छोटे व्यापारियों तथा किसानों को दिया गया ऋण	Loans given to small Business Men and Agriculturists by different Banks in Himachal Pradesh and Punjab
3178. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नियुक्तियां	Appointment in Public Sector Enterprises
3179. जीवन बीमा निगम को गैर सरकारी क्षेत्र में लगी पूंजी से लाभ	Return on the Private Sector Investments of LIC
3180. न्यूनतम नकदी अनुपात का बढ़ाया जाना	Raising of the Minimum Liquidity Ratio
3181. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा के लिये भर्ती	Recruitment for Central Engineering Service in C. P. W. D.
3182. रामकृष्णपुरम में क्वार्टरों के आगे किराये पर देने के बारे में शिकायतें	Complaints regarding Sub-letting of Quarters in R. K. Puram, New Delhi
3183. नई दिल्ली, रामकृष्णपुरम के पार्क के विकास सम्बन्धी कार्य को दिल्ली नगर निगम को सौंपना	Transfer of Work Regarding Development of Park in R. K. Puram, New Delhi to Delhi Municipal Corporation
3184. अनिच्छुक व्यक्तियों की नसबन्दी किये जाने के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Unwanted Sterilisation

तारा० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
3185. दिल्ली में भवन निर्माण सामग्री की चोर बाजारी	Blackmarketing in Building Material in Delhi	151—152
3186. ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन कार्य	Family Planning Work in Rural Areas	152
3187. भारतीय तथा विदेशी स्वामित्व तथा नियन्त्रण वाले बैंक	Indian and Foreign Owned and Controlled Banks	152—153
3188. संसद् भवन में कार्य करने वाले फायरमैनों को वर्दियां	Uniforms to Firemen working in Parliament House	153
3189. मनीपुर सरकार के अधीन कार्य करने वाले चिकित्सा स्नातकों को सुविधाएं	Facilities to Medical Graduates Working under Government of Manipur	153—154
3190. मनीपुर में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं	Branches of Nationalised Banks in Manipur	154
3191. दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा निम्न तथा मध्यम आय के वर्ग के लिये विकसित भूमि का नियतन	Allotment of Development Land to Low and Middle Income Groups by Delhi Development Authority	154—156
3192. निषिद्ध वस्तुओं की देश में ढुलाई को रोकने के उपाय	Measures to Check Transport of Banned Articles through the Country	156
3193. लंकाद्वीप और भारत के पूर्वी तट के आस पास तेल की खोज के लिये सर्वेक्षण करने के लिये इकाफे द्वारा सिफारिशें	Recommendations of ECAFE for Oil Exploration Survey Around Island of Ceylon and Eastern Coast of India	156—157
3194. भारतीय चलचित्रों का चोरी छिपे दक्षिण अफ्रीका में ले जाये जाना	Smuggling of Indian Films to South Africa	157—158
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाया जाना (प्रश्न)	Re. Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance (Query)	158—159

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
बंगला कांग्रेम के नेताओं की प्रधान मंत्री और गृह-कार्य मंत्री के साथ भेंट	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance Meeting of Bangla Congress Leaders with Prime Minister and Home Minister	159— 64
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	165—166
वर्ष 1969-70 के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगे (सामान्य)	Demands for Supplementary Grants (General), 1969-70	166—168
विवरण पेश किया गया	Statement Presented	166
सदस्य द्वारा त्याग पत्र	Resignation of Member	166
(श्री बी० भगवती)	(Shri B. Bhagavati)	166
नियम 377 के अन्तर्गत मामला	Matter under Rule 377	166
सदन में जगह की व्यवस्था	Seating Arrangement in the House	166
मणिपुर बजट, 1970—71 पेश किया गया	Manipur Budget, 1970-71—Presented	169—170
श्री प्रकाश चन्द सेठी	Shri P. C. Sethi	169—170
जम्मू एवं काश्मीर विधान मंडल का सत्रावसान	Re. Prorogation of Jammu and Kgshmir Legislature	170—174
वर्ष 1970-71 के बजट (सामान्य) पर सामान्य (चर्चा)	General Budget, 1970-71—General Discussion	174—195
श्री शिवपूजन शास्त्री	Shri Sheopujan Shastri	174
श्री देविन्दर सिंह गार्चा	Shri Devinder Singh Garcha	175
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha	176
श्री मुद्रिका सिंह	Shri Mudria Sinha	178
श्री एन० के० सोमानी	Shri N. K. Somani	179
श्री गजराज सिंह राव	Shri Gajraj Singh Rao	182
श्री पी० राममूर्ति	Shri P. Ramamurti	183
श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा	Shrimati Lakshmikanthamma	186
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	187
डा० ए० जी० सोनार	Dr. A. G. Sonar	189
श्री अरंगित श्रीधरन	Shri A. Sreedharan	189

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
डा० संकता प्रसाद	Dr. Sankata Prasad	191
श्री एन० पी० सी० नायडू	Shri Chengalraya Naidu	191
श्री नरेन्द्र रामचन्द्र जी देवघरे	Shri N. R. Deoghare	193
डा० (श्रीमती) मैत्रेयी बसु	Dr. Maitreyee Basu	193
श्री गंगाचरण दीक्षित	Shri G. C. Dixit	194
श्री आर० के० अमीन	Shri R. K. Amin	195
आधे घण्टे की चर्चा	Half an hour Discussion	195
केन्या में भारतीय व्यापार का बन्द होना	Closure of Indian Business in Kenya	195—201
श्री रा० की० अमीन	Shri R. K. Amin	195
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह	Shri Surendra Pal Singh	198

लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण

16 मार्च, 1970 । 25 फाल्गुन, 1891 (शक) का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
XXII	नीचे से पंक्ति 8, 'Mudria' के स्थान पर 'Mudrika' पढ़िये ।
XXIII	ऊपर से पंक्ति 1, 'संक्ता' के स्थान पर 'संकटा' पढ़िये ।

लोक-सभा
LOK-SABHA

सोमवार, 16 मार्च, 1970/25 फाल्गुन, 1891 (शक)
Monday, March 16, 1970/Phalguna 25, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Shri Ram Charan : I rise on the point of order. My question No. 460 may also be taken up with this. Both the questions are alike.

वित्त मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : महोदय, प्रश्न संख्या 460 बिल्कुल अलग प्रश्न हैं ।

Shri George Fernandes : Both the questions are alike and may be taken up together.

Shri Rabi Ray : Both questions relate to smuggling and may be taken up together.

अध्यक्ष महोदय : वह किन्हीं आक्षेपों के बारे में है । वह बिल्कुल अलग प्रश्न है ।

Shri George Fernandes : Hon. Speaker, please read parts (d) and (e) of each question. The meaning of both is the same.

अध्यक्ष महोदय : ये दो अलग-अलग प्रश्न हैं ।

अमरीका को चोरी छिपे भेजे जाने वाला चरस (हशीश) का पकड़ा जाना

*451. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री मयाबन :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 17 फरवरी 1970 को प्रातःकाल सीमा शुल्क अधिकारियों ने

नई दिल्ली में कालकाजी के एक मकान से लगभग 750 पौंड चरस (हशीश) जिसे चोरी छिपे अमरीका भेजने का प्रयास किया जा रहा था और जिसका मूल्य वहां लगभग 20 लाख डालर मिलता, पकड़ी थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इतना अधिक निषिद्ध फल पकड़े जाने के सम्बन्ध में एक अमरीकी तथा तीन भारतीय पकड़े गये थे ;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पकड़े गये लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) जो लोग इस मामले से सम्बद्ध पाये गये हैं, उनका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां । अनुमान है कि अमेरिका के अवैध बाजार में उसका मूल्य 1·35 करोड़ रुपये है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) अपराधी व्यक्ति सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के अधीन गिरफ्तार किये गये थे । उनको मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नई दिल्ली, के सामने पेश किया गया था और अमेरिकन राष्ट्रिक के अलावा अन्य सब को जमानत पर छोड़ दिया गया है । अमेरिकन राष्ट्रिक के लिए कोई जमानत पेश नहीं हुई । जांच अभी भी चल रही है और अभियुक्तों के विरुद्ध आगे कार्यवाही सीमाशुल्क अधिनियम 1962, खतरनाक औषधि अधिनियम और अन्य सम्बन्धित अधिनियमों के अधीन की आयगी ।

(घ) उसके बाद सात अन्य व्यक्तियों को भी सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था । उनको भी जमानत पर छोड़ दिया गया है ।

Sbri Yajna Datt Sharma : Hon. Speaker, Is the hon. Member aware of the fact that smuggling in narcotics like hashish etc. is going on, on a large scale, in Nepal and Pakistan which are our neighbouring countries. This narcotic is being taken by American smugglers through India. Hon. Minister must also be knowing the reasons for this. Punishment provided for in our penal laws for smuggling is not so strict as compared to those neighbouring countries. For example, there is a provision of only two year's imprisonment and a penalty of five thousand rupees for a smuggler. That is why India has become a carridor for smugglers. In such a situation, I would like to know whether the hon. Minister would look into the problem of smuggling and make suitable amendments in Penal laws and make them stricter, so that smugglers may be prevented from using India for unsocial activities.

श्री प्र० चं० सेठी : उहां तक माननीय सदस्य के कथन का सम्बन्ध है, यह ठीक है कि भारत नेपाल सीमा एवं भारत-पाकिस्तान सीमा पर तस्कर-व्यापार चल रहा है । हम जांच-कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने और उन्हें अत्याधिक आधुनिक उपकरण देने का उपाय कर रहे हैं । भारत-नेपाल सीमा पर चल रहे तस्कर-व्यापार से सम्बन्धित सन् 1964 से सन् 1968 तक के आंकड़े मेरे पास हैं । नशीले पदार्थों की तस्करी का एक कारण यह भी है कि नेपाल में चरस का भाव 300 रु० है जबकि पाकिस्तान में 500 रु० तथा भारत में 1000 रु० है और जब यह बाहर भेजी जाती है तो इसका भाव और भी बढ़ जाता है । दूसरी बात जो माननीय सदस्यों ने पूछी है, उसका शासकीय ब्यौरा मेरे पास नहीं है कि अपराधी को कितने वर्ष की सजा दी जाती है, फिर भी

हम पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और देख रहे हैं कि विशेषकर नशीले पदार्थों के लिए तथा अन्य अपराधों जैसे सोने की तस्करी आदि के लिए नियमानुसार नियत की गई 2 या 3 वर्ष की सजा की अवधि को बढ़ाया जाए ।

Shrj Yajna Datt Sharma : Hon. Speaker, my question has not been answered. My submission is that if exact and straight answer is given, it will not be necessary to take much time of the House. I had asked that our Penal laws are not so strict. His reply is that that he has not got full information regarding penal provisions. I think it is a relevant question and Hon. Minister do not have information which he should have had. I want that rules should be stricter. This was my question which has not been answered. Will Hon. Speaker try to get the question replied to by the Minister about taking steps to make strict rules.

Shri P. C. Sethi : I think the Hon. Member did not follow what I stated. I had told that I had got no official information regarding the duration of imprisonment in other countries. There is a provision of 7 years' and 14 years' imprisonment for spurious drugs in some countries. I had also stated that we were considering to revise the duration of two or three years. imprisonment regarding as punishment for smuggling gold and other such things.

Shri Yajna Datt Sharma : My second question is like this. The problem of smuggling is not confi ed to India. It is a problem with a number of countries. Will the Government try to evolve a machinery, with the co-operation of the Customs Officers of other countries to bring the international gang, which has become a headache for all the countries, into the grip of law. Will the Minister take any initiative in this matter ?

The Part b' of my question is that recently a question was put to the Minister in Punjab Legislative Assembly regarding the use of Boarder Police's truck by smugglers. So when vigilance department is also involved in this activity, what steps do the Government purpose to take to tackle the problem ?

Shri P. C. Sethi : In this connection we have established contact with the international agency named Interpol, at their headquarters in Paris, so that we may be able to detect the international gang in which certain Americans are also involved.

Shri Yajna Datt Sharma : The part 'b' of my question has not been answered.

श्री कंवरलाल गुप्त : माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या पंजाब सरकार का ट्रक पकडा गया है ?

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है, तस्करी के मामले में एक अंबेसेडर कार तथा एक जीप पकड़ी गई है । मन्त्री महोदय ने जो ट्रक की बात कही है, मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है ।

Shri Arjun Singh Bhadoria : Correct details have not been supplied of the persons involved in this case. Is it not a fact that sons of high officials are involved in the international gang which indulges in smuggling through Indo-Pakistan and Indo-Nepal boarder with China, Mr. Surinder Singh Kairon, the son of the former Chief Minister of Punjab, and the son of Mr. Baldev Singh Defence Minister, other high officials and sons of high officials are also involved in this trade. Their headquarters are in Bombay.

Mr. Speaker : You may ask any specific question. The question you are asking is not at all connected with this question.

Shri Arjun Singh Bhadoria : This question is regarding narcotics including Chara and Ganja and Gold is also there. I was telling that high officials and sons of big officials are involved in this case. When they were arrested, it had appeared in the new papers that army officials are also involved in the case of smuggling.

It should be made clear which were the high officials involved in this case and wha action do they propose to take against them ? It has been the practice that smuggle goods used to be auctioned in the names of V I.P.'s. May I know whether there is an proposed to evolve any new procedure. So that few people could not avail of the chanc of getting profit and these narcotics may be destroyed.

What rules they have made for this purpose, Please try to clarify.

Shri P. C. Sethi : The allegation of the Hon. Member that the Senior Army Officers are associated with this racket is very much Vague and irresponsible, because no army officer has been bound involved in it. It is true that Ravi Rakhi—the son of an retired officer has been arrested but the matter is confined to him only, his father has got no connection with it. Besides this the people arrested are, Charanjit Kalra, Balbir Singh and some people from Rajasthan border, namely Surjit Singh of Ganga Nagar, Sukhdeo Singh and Gopi Ram and others.

The other question he has asked is whether the goods captured will be destroyed. It is true that this cannot be utilized here and there is no way out but to destroy the seized Hashish.

Thirdly, he has enquired, whether the smuggled goods are given to some of the people through auction. I want to inform that the seized smuggled—goods are sold through National Cooperative market and the process of auction has now been discontinued. Besides, we have formed a committee to consider as to what should be the ways and means to sell such smuggled goods. The matter will be considered on receipt of its report.

Shri Arjun Singh Bhadoria : The hon. Minister has just now stated that this question is quite irresponsible. I think the hon. Minister has replied in a more irresponsible way. We had enquired specific names which had not been given. I think Mr. Speaker when any Minister makes such an irresponsible statement it will be necessary for any of the members to reply.

Shri George Fernandes : Mr. Speaker, we expressed a desire that the question refferred to by us should be clubbed with it.

Mr. Speaker : I have re-examined that. That cannot been taken up with it.

Shri George Fernandes : I have got no objection and I concede what you say. I had asked a question on 23rd of February 1970 in this House regarding smuggling, in which I had enquired :

> "Whether the Government have in their possesion any information involving the association of any member of Parliament with smugglers, and if so, the action taken thereon".

In reply to Parts (d) and (e) it was stated :

> "(d) and (e) Apart from some Vague allegations the Government have no such information".

Mr. Speaker This has got no connection with it.

Shri George Fernandes : Mr. Speaker. this is related to it. The payment is made in Gold for the hashish carried from here. Fetching Gold from abroad and sending hashish from here is going on, therefore it can not be cosidered separate from this.

The Prime Minister is here, I would like to know as to who are. Those members about whom the allegations of smuggling have been received by her ?

अध्यक्ष महोदय : यह मुख्य प्रश्न से, जो एक विशेष प्रकार का हैं, किस प्रकार सम्बन्धित है।

Shri George Fernandes : Mr. Speaker, I have got 'Navshakati' newspaper of Bombay, it has been stated therein—*Gambhir Prakarin—Pati.-Morarji...*

अध्यक्ष महोदय : यह मुख्य प्रश्न से किस प्रकार सम्बन्धित है ?

Shri George Fernandes : Mr. Speaker, it is related to the main question. An advocate has complained regarding smuggling in the court of Bombay that the biggest Bombay smuggler is—*Kooli Mastan*

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि मुख्य प्रश्न से भिन्न वह कोई प्रश्न नहीं करेंगे। किसी अन्य समय वह ऐसा कर सकते हैं।

Shri George Fernandes : Mr. Speaker, I would show as to how does it relate to the main question. I have brought all the proofs regarding the members involved in this racket. Listen to me, I want to present all the evidences before the House. I have brought all the pictures.

अध्यक्ष महोदय : उचित समय आने पर आप अपने सबूत प्रस्तुत कर सकते हैं। मुख्य प्रश्न विशेषतया 17 फरवरी, 1970 को सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़े गये माल से सम्बन्धित है।

Shri George Fernandes : This is related to the main question. Smuggling is not confined to the setting of hashish only. Hashish is sent from here in place of Gold smuggled from abroad. The Gold smugglers have not been arrested here but in Bombay. A statement of whatever they have said in Bombay court has been received and the Prime Minister herself has stated in reply to my question :

"there are some Vague allegations against a member of Parliament".

In case I produce positive evidences with pictures, would you reveal the name of the Member of Parliament who has been alleged to be associated with smugglers ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : If you will submit the proof we would certainly look into it.

अध्यक्ष महोदय : यह एक प्रक्रिया है कि जब वह किसी के विरुद्ध आरोप लगाते हैं। .. she says if you submit the proof she would look into it.

Snri George Fernandes : Through you, I submit the proof of how Shri S. K. Patil, M.P., is connected with the smugglers, to the Prime Minister.

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य श्री जार्ज फरनान्डीज ने, चित्रों में श्री एस० के० पाटिल के एक तस्कर-व्यापारी के साथ दिखाई पड़ने के आधार पर उन पर कुछ गंभीर आरोप लगाये हैं।

उसके आधार पर उन्होंने निश्चित आरोप लगाया है और उन्होंने श्री स० क० पाटिल के नाम का उल्लेख किया है। मैंने भी वे चित्र देखे हैं। यहां मैं एक चित्र प्रस्तुत करता हूँ जिसमें श्री यूसफ पटेल जो बम्बई के चौर्य व्यापारियों का राजा है, बानसकंठा निर्वाचन के उपरान्त श्री स० क० पाटिल का स्वागत करते हुए दिखाई पड़ता है।

Shri George Fernandes : The whole election of Banaskantha was won by the money of smugglers. Honourable Prime Minister, I have put for the evidence.

श्री स० मो० बनर्जी : मुझे व्यवस्था के प्रश्न को पूर्ण करने दीजिये। उन्होंने सदन में निश्चित आरोप लगाये हैं। निश्चित प्रमाण के बल पर मैं यह कहना चाहूँगा कि जो भी लेखा उपलब्ध हैं, वे सभा पटल पर रखे जायें। वह चित्र यहां मेरे पास है, जिस में चौर्य व्यापारी श्री स० क० पाटिल का स्वागत करते दिखाई पड़ता है। आप इसमें उनका चेहरा पहचान सकते हैं।

Shri George Fernandes : Honourable Speaker, I have put for the all these documents.

श्री स० मो० बनर्जी : सारे दस्तावेज और चित्र यहां हैं, मैं ये सब आप के समक्ष रखता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इन दस्तावेजों को सभापटल पर रखने की अनुमति नहीं दी है। माननीय सदस्य वापस जायें और अपने-अपने स्थान ग्रहण करें।

Shri Madhu Limaye : Here serious allegations have been made. Honourable Speaker, I rise on a point of order. No body can interfere in this.

श्री रंगा : आप इन सारी चीजों के सभापटल पर रखने की अनुमति कैसे दे सकते हैं जब कि ये मुख्य प्रश्न से सम्बन्धित नहीं हैं ?

Shri Madhu Limaye : Honourable Speaker, here serious allegations have been made against a member who till recently was a colleague of the Prime Minister and a member of her cabinet. **Hence my point of order is that this is a very serious matter and I would request you that a Parliamentary Committee be appointed immediately to investigate it.**

Therefore I demand that disscussion on this matter may be dispensed with immediately and announcement may be made for the setting up of a Parliamentary Committee before which we are prepared to give evidence.

श्री चेंगल राया नायडू : नियम 353 के अन्तर्गत मेरा व्यवस्था का प्रश्न है जिसमें यह व्यवस्था है : किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधारोपक स्वरूप आरोप नहीं लगाया जाएगा जबतक कि सदस्य ने अध्यक्ष तथा सम्बन्धित मन्त्री को भी पूर्व सूचना न दे दी हो जिससे कि मन्त्री उत्तर के प्रयोजन के लिए विषय की जांच कर सके।

परन्तु अध्यक्ष किसी भी समय किसी सदस्य को ऐसा आरोप लगाने से प्रतिषिद्ध कर

***अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

**Expunged as ordered by the Chair.

सकेगा यदि उसकी राय हो कि ऐसा आरोप सभा की गरिमा के विरुद्ध हैं या ऐसा आरोप लगांने से कोई लोक हित सिद्ध नहीं होता।"

इस मामले में आपको इन आरोपों को कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल देना पड़ेगा। प्रधान मन्त्री के जनता से मिलने के समय हमने समाचार पत्रों में पढ़ा था कि ऐसे भी कई लोग प्रधान मन्त्री के साथ थे जिनका नाम पुलिस के अभिलेखों में हैं। इससे क्या हम प्रधान मंत्री को किसी से सम्बद्ध कर सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि, "क्या यह सच है कि 17 फरवरी को प्रातःकाल सीमा शुल्क अधिकारियों ने नई दिल्ली में कालकाजी के एक मकान से लगभग 750 पौंड चरस (हशीश) जिसे चोरी छिपे अमरीका भेजने का प्रयास किया जा रहा था जिसका मूल्य वहां लगभग 20 लाख डालर मिलता, पकड़ी गई है। इस अनुपूरक प्रश्न द्वारा आप बिलकुल भिन्न प्रश्न उठा रहे हैं।

श्री मधु लिमये : **

Shri Rabi Ray : You should announce the appointment of a Parliamentary Committee.

Shri Madhu Limaye : The House must refer the case to a Parliamentary Committee. Then the whole matter will come to light. This is not related to Shri Patil only.

We challenge you. If we fail to submit the evidence, you can remove as from the House...we want to reveal the whole Chain of Smuggling. Hashish and silver is smuggled out and Gold is smuggled from abroad....(*Interruptians*)

अध्यक्ष महोदय : किसी सदस्य के विरुद्ध आरोप लगाने से पूर्व इसकी पूर्व सूचना देनी चाहिए और प्रश्न काल का अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए।

Shri George Fernandes : The entire life is with me. It contains all the correspondence held between the Prime Minister and me...

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। आपको अलग से प्रश्न पूछना चाहिए था। यदि किसी सदस्य को किसी अन्य सदस्य के विरुद्ध विशेष आरोप लगाने हों तो इसकी पूर्व सूचना देनी चाहिए।

Shri George Fernandes : Do not protect the smugglers. It will not do.

श्री रंगा : इसको कार्यवाही-वृत्तान्त में न लाया जाए।

श्री स० मो० बनर्जी : माननीय सदस्य श्री नायडू ने आपसे उस प्रश्न का उल्लेख किया है जिसमें श्री स० क० पाटिल पर आरोप लगाया गया है।

श्री चेंगलराया नायडू : इसमें उनका हाथ नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है। यदि किसी सदस्य के नाम का प्रश्न-

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

**Expunged as ordered by the Chair.

काल में उल्लेख किया जाता है तो प्रश्न काल में समयाभाव के कारण उस पर अधिक वाद-विव नहीं हो सकता और फिर श्री पाटिल से भी वक्तव्य की आशा की जा सकती है। अतः कि विशेष वाद-विवाद के समय हम केवल सम्बन्धित मंत्री या सदस्य के नाम का उल्लेख कर अध्य महोदय को सूचना देते हैं। मूल प्रश्न तस्करी से सम्बन्धित है। कृपया इसे पढ़ने की मुझे आज्ञ दीजिये "अमरीका को तस्तर की जाने वाली चरस का पकड़ा जाना" यहाँ पर 'तस्कर' शब्द व प्रयोग किया गया है·····

श्री चेंगलराया नायडू : इसे कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न संगत नहीं है। आप इसे सम्बन्धित मंत्री महोदय के पास भेजें।

Shri George Fernandes : I rise on a point of order. I want that Mr. Patil should make a personal explanation in the House.

Shri Rabi Ray : Mr. Speaker, Shri Madhu Limaye has just now raised a point of order and has mentioned names of three big persons which are connected with Hazi Mastan Coolie. * *

It should be probed by the Parliament. You may withold your rulling now, but assure us that you will consider it afterwards.

अध्यक्ष महोदय : मेरे लिये तत्कालीन विचारणीय विषय यह है कि पूछा गया प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बन्धित है अथवा नहीं। मैंने अपने विनिर्णय में इसको असंगत ठहराया है।

नियम के अनुसार इस सूचना को या तो सम्बन्धित मंत्री के पास भेजना चाहिए था या फिर नियमित प्रस्ताव का रूप देना चाहिए था। इस प्रश्न में इसे थोंपने का प्रयत्न क्यों किया जा रहा है।

श्री चेंगलराया नायडू : इसे कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया जाना चाहिए। यदि ऐसा करने का इन्हें अवसर दिया गया तो हम भी भविष्य में इस प्रकार के प्रश्न उठायेंगे।

Shri Rabi Ray : Indicate people should be exposed.

Shri George Fernandes : Set up a Parliamentary Committee for this.

Shri Rabi Ray : We are ready, you should also demand for it.

Shri Sharda Nand : Mr. Speaker, I want to know through you how many times the persons have been abroad who are arrested in this connection.

The other question is whether Government has a mind to release the sons of the retired army officers as approvers. How many time, those who have been arrested, have been abroad and from where do they get the money ?

श्री प्र० चं० सेठी : इस सम्बन्ध में पकड़े गये एक व्यक्ति ने अपना अपराध स्वीकार किया है और देहली हवाई अड्डे पर मार्च 1968, 20 पौंड, अगस्त 1968 अक्तूबर 1968, मई 1969

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

**Expunged as ordered by the Chair.

अगस्त 1969, नवम्बर 1969, दिसम्बर 1969 और जनवरी 1970 में पकड़ी गई चरस लाने में अपना हाथ माना है।

डा० राम सुभग सिंह : महोदय, श्री जार्ज फरनेन्डीज और श्री स० मो० बनर्जी ने एक प्रश्न उठाया है·····

अध्यक्ष महोदय : मैंने उस पर अपना विनिर्णय दे दिया हैं।

Shri Rabi Ray : It cannot happen yours is only one while these are two persons of Indicate.* *

डा० राम सुभग सिंह : उन्होंने हमारे दल के एक सदस्य पर यह कहकर आरोप लगाया गया है कि यह झूठा द्वेषपूर्ण तथा राजनीतिक था। इसे कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया जाना चाहिए।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या मैं जान सकता हूँ कि सरकार को इस बात का ज्ञान है कि उसके जो अधिकारी तस्करी को रोकने के लिए नियुक्त किए गए हैं वे ही इस कार्य में सहयोग दे रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैं सरकार का ध्यान वी० ओ० ए० सी० के वायुयान में पकड़े गए सोने की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ हमारे एक अधिकारी मूल प्रतिवेदन को बदल दिया और प्रतिवेदन के चौथाई भाग का प्रतिस्थापन कर दिया गया। मैं इस प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह सब क्या है। मुझे बात समझ में नहीं आई।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : यह 32 पृष्ठ का प्रतिवेदन है।

श्री स० मो० बनर्जी : कम से कम एक पंक्ति तो पढ़िये।

अध्यक्ष महोदय : इसे सभा-पटल पर रखने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रश्न पूछिए। हमने एक प्रश्न पर चर्चा करने में 35 मिनट लगा दिए हैं।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या यह सच है कि हमारे अपने अधिकारी तस्करी में सहयोग दे रहे हैं और क्या यह भी सच है कि राजस्व सूचना निदेशक ने 30-11-1967 को अपने मूल प्रतिवेदन तथा एक छोटे प्रतिवेदन में परिवर्तन कर दिया है और मूल प्रतिवेदन के चौथाई भाग का प्रतिस्थापन कर दिया गया है। मैं प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे सभा-पटल पर रखने की अनुमति नहीं देता।

श्री प्र० चं० सेठी : अधिकारियों पर लगाए गए इस आरोप को मैं स्वीकार नहीं करता कि वे 'तस्करी' में सहयोग देते हैं।

श्री जार्ज फर्नेन्डीज : ये प्रमुख कार्यकर्ताओं में से हैं।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

**Expunged ordered by the Chair.

श्री प्र० चं० सेठी : अधिकारियों पर आरोप लगाने का यह बड़ा सरल मार्ग है। पूर्व सूचना न होने के कारण अधिकारी अपनी रक्षा के लिए सदन में उपस्थित नहीं होता। पहले भी इसी प्रकार बिना कोई पूर्व सूचना दिए दो माननीय सदस्यों का नामोल्लेख कर दिया गया था। जहां तक प्रतिवेदन में परिवर्तन का सम्बन्ध है सम्भवत: माननीय सदस्य बी० ओ० ए० सी० के मामले की ओर संकेत कर रहे हैं। इससे यह प्रश्न सम्बन्धित नहीं है।

श्रीमती सुचेता कृपलानी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 352 (2) के अनुसार एक सदस्य दूसरे सदस्य के विरुद्ध आरोप नहीं लगा सकता।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न पहले उठाया गया था और इसका निपटारा हो गया है।

श्रीमती सुचेता कृपलानी : दोनों नियमों का अतिक्रमण हुआ है अत: मैं चाहती हूँ आप इस पर अपना निर्णय दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न पहले उठाया गया था और इस पर मैंने अपना विनिर्णय दे दिया है।

श्रीमती सुचेता कृपलानी : पर वह विनिर्णय पर्याप्त नहीं है।

श्री वीरेन्द्रकुमार शाह : इस सदन में हम अधिकारियों को उनके नाम द्वारा निर्दिष्ट नहीं कर सकते और न ही उनकी निन्दा कर सकते हैं।

अत: ऐसी अभ्युक्तियों को कार्यवाही-वृत्तान्त से निकालना होगा।

अध्यक्ष महोदय : दुर्भाग्यवश यह अवांछनीय स्थिति की पुनरावृति हो रही हैं अत: प्रश्न को अब समाप्त किया जाता है। श्री रघुवीर सिंह शास्त्री अगला प्रश्न पूछिये।

Lottery Scheme for Providing Houses

\+

*452. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** **Shri J. Mohamed Imam :**
Shri Yashpal Singh : **Shri R. R. Singh Deo :**
Shri K. P. Singh Deo :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government propose to introduce a Lottery Scheme to provide houses to the people ; and

(b) if so, the details thereof ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). विचार-विमर्श द्वारा कोई अन्तिम निर्णय नहीं निकल पाया है। तथापि, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा चलाई गई लाटरी में, अन्य बातों के साथ-साथ इनामों के एक भाग के रूप में मकान/मकान-स्थानों का आवंटन, परिकल्पित है।

Shri Raghuvir Singh Shastri : May I know whether government have even estimated the requirements of houses in the country in villages and cities separately. May I also to know from the hon. Minister the progress made during the last three Five Years Plans in respect of the construction of houses in cities and villages and the proportion thereof ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : The hon. Member might be aware that it has been discussed in this House and all the required information had been given in this regard. It was stated that 1,17,00,000 house are required in cities and 7,20,00,000 or 7,22,00,000 houses in villages.

Shri Raghuvir Singh Shastri : What has been the ratio of progress regarding construction of houses in cities and villages separately during the last three Five Year Plans ?

Shri K. K. Shah : This information has already been given.

Shri Raghuvir Singh Shastri : The hon. Minister may kindly again give that information.

Shri K. K. Shah : I have not brought all that information here at this moment. If the hon. Member will ask for that I will make that available of him.

डा० राम सुभग सिंह : श्रीमती कृपालानी द्वारा उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न के बारे में आपका निर्णय क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना निर्णय दे चुका हूं ।

Shri George Fernandes : Mr. Speaker, what is your opinion ?

अध्यक्ष महोदय : मैं नियमों का अध्ययन कर रहा हूं । यदि किसी भी ऐसी बात से किसी नियम का उल्लंघन होगा तो मुझे उनको हटाना पड़ेगा । मुझे तो नियमों का पालन करना है । आप योंही बार-बार इस बात को क्यों उठा रहे हैं ?

श्री स० मो० बनर्जी : आप अपने विनिर्णय में क्यों परिवर्तन करना चाहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने नियमों का अध्ययन किया है और मेरा विचार यह है कि जहां तक राज्यपालों तथा उच्च अधिकारियों का सम्बन्ध है, उनके बारे में कोई आरोप नहीं लगाये जा सकते । इसलिये जहां तक उसका सम्बन्ध है वह कार्यवाही में शामिल नहीं होगा ।

Shri George Fernandes : There is no such rule.

अध्यक्ष महोदय : जहां तक किसी माननीय सदस्य का सम्बन्ध है, मैं अपना विनिर्णय दे चुका हूँ । उस मामले में, यदि कोई बात उठानी है तो वह नियमों में की गई व्यवस्था के अनुसार समुचित प्रस्ताव के द्वारा उठाई जानी चाहिये न कि प्रश्न पूछ कर ।

Shri George Fernandes : I raise on a point of order.

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना विनिर्णय दे चुका हूं ।

श्री स० मो० बनर्जी : आप को अपना विनिर्णय केवल एक पक्ष की बात सुनकर नहीं देना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सभी पक्षों की बात सुन ली है ।

Shri George Fernandes : I raise on a point of order.

Shri Hukam Chand Kachwai : I also raise a point of order.

Shri George Fernandes : What we say in this House, we say with full responsibility.

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : माननीय सदस्यों ने बहुत औचित्यपूर्ण व्यवस्था का प्रश्न उठाया है और हम इसका समर्थन करते हैं। कई अवसरों पर मैंने कहा है कि हम किसी के दोष को छिपाना नहीं चाहते। लेकिन इन बातों को सदन के सामने लाने के तरीके हैं। माननीय सदस्य श्री जार्ज फरनेन्डीज ने अस्पष्ट आरोपों का निर्देश करते हुए पिछले एक प्रश्न का उल्लेख किया था। अब वह कहते हैं कि उनके पास कुछ स्पष्ट प्रमाण हैं। उन्हें उनको सभा के सामने रखने दिया जाय।

श्री जार्ज फरनेन्डीज : मैं उनको यहां प्रस्तुत करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न-काल के दौरान नहीं।

Shri George Fernandes : Where is the rules in this regard ?

Shrimati Indira Gandhi : Mr. Speaker will consult the rules.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न-काल के दौरान नहीं। आप उसे मेरे पास भेज सकते हैं। मैं उस पर विचार करूंगा।

Shri George Fernandes : What about my point of order ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : आपने यह कह कर बड़ी सहृदयता दिखाई है कि राज्यपाल का नाम हटा दिया जायेगा। लेकिन मैं यह सुझाव देना चाहूंगी कि किसी के विरुद्ध ऐसे आरोप लगाना उचित नहीं है। इसलिये सभी नामों को हटा दिया जाय।

Shri George Fernandes : I raise on a point of order.

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं चाहता कि इस पर और चर्चा की जाए। अब मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं।

Shri Rabi Ray : You have heard the hon. Prime Minister, so you should hear others also.

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं।

श्री कार्तिक उरांव : माननीय सदस्यों को सभा का सारा समय ले लेने का कोई अधिकार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना विनिर्णय दे चुका हूं।

Shri Madhu Limaye : Not a single word should be expunged from the proceedings. I appeal with to the leader of the House and the speaker that every thing has been said with full responsibility. Therefore it would not be proper to remove them from the proceeding. So far its validity is concerned, I challenge the hon. Prime Minister. Why this is being expunged ? Not a single word should be removed from the proceedings of the House.

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना विनिर्णय दे चुका हूं।

Shri George Fernandes : You will have to act according to the rule.

Shri Madhu Limaye : It is our privilege to speak here.

Shri Rabi Ray : You are expunging the words without giving ear to us.

Shri Madhu Limaye : You took right decision earlier. Nothing will be expunged.

Shri Rabi Ray : My request is that you did not expunge earlier. You did it when you were asked again and again.

अध्यक्ष महोदय : विना मौलिक प्रस्ताव के कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता । मुझे पूर्व सूचना मिलनी चाहिये थी । इस सम्बन्ध में नियम बिल्कुल स्पष्ट हैं ।

Shri Madhu Limaye : You should not do like this. No word should be expunged from the proceedings of the House.

Mr. Speaker : These rules have been framed by you.

Shri Madhu Limaye : Where it is given in the rules ?

Shri S. M. Banerjee : Kindly go through the rule.

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा ।

Shri George Fernandes : It is right. We are ready for discussion, but what we have said in the House, does not contravene any rule. These things cannot be expunged.

Mr. Speaker : Now Shri Shastri should put his question.

Shri Madhu Limaye : Regarding point of order under rule 380.

Mr. Speaker : You indulge in discussions on every point. Not a single question has been completed in one hour. Similarly, sometimes two questions are completed and sometimes there.

Shri Madhu Limaye : The Leader of the House does not know the rules. You should go through the rules. Why are you speaking on behalf of the Prime Minister ?

Shri Sheo Narain : Shri Madhu Limaye has no right to speak like this. Is he alone the Master of this House ?

अध्यक्ष महोदय : मैं अगले प्रश्न पर पहुंच चुका हूँ । माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा था और मंत्री महोदय ने उसका उत्तर दे दिया है ।

Shri Madhu Limaye : Such things have happened a number of times during the last five years.

एक माननीय सदस्य : उन्हें निलम्बित कर दीजिये ।

Shri Madhu Limaye : Yes, get me suspended. If we have not to work, not to save the democracy, and not to save the country from smuggling, it is of no use to be here in the Parliament. I am raising a point of order under rule 380.

श्री हेम बरुआ : कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाये जाते हैं। मेरा अनुरोध है कि उनकी जांच के बारे में एक संसदीय समिति होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे मामलों को सभा के सामने लाने के कुछ तरीके हैं। 17 फरवरी को मांग (हशिश) पकड़े जाने के बारे में यह एक सामान्य प्रश्न था और उससे सम्बन्धित अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते थे। लेकिन इसके अन्तर्गत एक नितांत भिन्न प्रश्न पूछा गया और कई आरोप लगाये गये।

श्री स० मो० बनर्जी : आप इसे असंगत घोषित कर सकते है लेकिन आप इसे निकाल नहीं सकते।

अध्यक्ष महोदय : ये आरोप नियमित प्रस्ताव के माध्यम से लगाये जाने चाहिए। आप अनुपूरक प्रश्न, जिनकी कि अनुमति नहीं है, पूछकर अपने विशेषाधिकार का अनुचित प्रयोग न करें।

Shri George Fernandes : I rise on a point of order under rule 380.

Shri Madhu Limaye : You kindly listen and then start the proceeding.

Shri S. K. Tapuriah : How can a discussion can be made on your ruling.

श्री शिव नारायण : वे आपके विनिर्णय को चुनौती नहीं दे सकते।

Shri Raghuvir Singh Shastri : I rise on a point of order. You have called me for supplementary questions. No Member can intervene. He has taken the whole time of the House.

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम अगले प्रश्न पर चले गये हैं। माननीय सदस्य प्रश्न कर चुके हैं और मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है। आप पिछले प्रश्न पर क्यों जा रहे हैं ? सभी व्यवस्था के प्रश्न निपटा दिये गये थे। अब और अधिक व्यवस्था के प्रश्न न करें।

Shri Madhu Limaye : Why have you expunged ?

Shri Prakash Vir Shastri : Mr. Speaker, you have introduced a new practice. Previously, it was not allowed to raise points of order during the Question Hours. The thing is that the hon. Member has put the Qustion and the Minister has answered it. The Concerned Member has again put a supplementary question and after that points of order were raised about the previous question. May I know whether any practice will be followed in the House. So long the other question is not completed, points of order cannot be raised about the previous question. Let the other question first finish and then raise the points if you want so.

Mr. Speaker : The Second question has already been answered. अध्यक्ष के किसी अनुपूरक प्रश्न को असंगत बताने पर भी माननीय सदस्य तर्क-वितर्क आरम्भ कर देते हैं। ऐसी स्थिति में मैं क्या कर सकता हूं। व्यवस्था के प्रश्न उठाने की यह अनुचित प्रथा है। अतः मैं व्यवस्था के किसी प्रश्न की अनुमति नहीं दूंगा।

Shri Madhu Limaye : You are yourself violating the rules.

Shri S. M. Joshi : Shri Shastri has raised a question to the effect that once he has put a question in the House there should be no discussion on the previous one. I think he is perfectly right in this regard. If you agree to this points, you shall have to expunge all the proceedings after he put his question.

अध्यक्ष महोदय : नियम 353 के अन्तर्गत किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध तब तक मानहानि या अभियोगात्मक किस्म का आरोप नहीं लगाया जायेगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को पूर्व सूचना न दे दी हो ।

Shri Madhu Limaye : If you go strictly according to the rules, in rule 376 is written "at any time". Any thing can be done by mutual arrangement and agreement, but not against the rules as in this manner. The rule says :

"औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के जिनसे सभा का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के सम्बन्ध में होगा और उसके द्वारा ऐसा प्रश्न उठाया जायेगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो ।

औचित्य का प्रश्न उस समय हो रही सभा के कार्य के सम्बन्ध में उठाया जायेगा ।"

श्री सु० कु० तापड़िया : यह औचित्य का प्रश्न सभा के कार्य के सम्बन्ध में ही उठाया जाना चाहिए । सभा के सामने इस समय प्रश्न 452 है न कि प्रश्न 451 ।

Shri Madhu Limaye : When was it expunged ? After the question was over it was expunged on somebody's advice. This is wrong and irrelevant.

अध्यक्ष महोदय : यह समाप्त हो गया है । कृपया सभा के कार्य में बाधा न डालें ।

Shri Raghuvir Singh Shastri : Government have taken a decision to set up a Central Housing Corporation. When it will start functioning. Have Government decided to have a revolving fund for this purpose ? If so, what will amount and there of what will be the proportion of the same separately between the cities and in the rural areas ?

श्री ब० सू० मूर्ति : सरकार ने आवर्तक निधि आरम्भ करने का निश्चत किया है और उसका ब्यौरा तैयार किया जा रहा है तथा इसकी जानकारी बाद में दी जायेगी ।

Shri Raghuvir Singh Shastri : I also wanted to know when it will start functioning and the ratio of the amount for the cities and rural areas separately ?

श्री ब० सू० मूर्ति : इस आवास निगम द्वारा अगले महीने की 15 तारीख तक कार्य आरम्भ कर लिए जाने की सम्भावना है ।

Shri Raghuvir Singh Shastri : I had also asked the ratio of the amount for the cities and rural areas separately :

श्री ब० सू० मूर्ति : ये सब बातें विचाराधीन हैं ।

Shri Yashpal Singh : When the scheme of constructing 7.5 crores houses will be completed, and what is the criteria for the allotment of these houses ? There no sense to allot these house by ballot. Have the Government ever considered the matter of giving priority in the matter of allotment of these houses to the families of those soldiers who gave their lives for the country ?

Shri B. S. Murthy : This will be taken into consideration.

Shri Hukam Chand Kachwai : The houses have been constricted by the Central Government in various parts of the country for the industrial workers, each house costing between rupees 2000 and 3000. An assurance was given to the workers that the houses would be given to them at cost price and the same would be recovered from them by way of rent. I want to know from the hon. Minister when the houses will be transferred in their named.

Shri K. K. Shah : No such assurance was given to them.

Shri Nath Pai : The assurance was given.

Shri K. K. Shah : It was not given.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों का एक औषधालय से दूसरे औषधालय में स्थानान्तरण

*453. **श्री तुलसीदास जाधव :** क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कुछ ऐसे नियम बनाये हैं जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों को एक औषधालय से दूसरे औषधालय में स्थानान्तरित किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो कितने डाक्टरों को उनकी निश्चित अवधि पूरी होने से पूर्व ही स्थानान्तरित कर दिया गया है और उसके क्या कारण हैं ;

(ग) ऐसे डाक्टर कितने हैं जिनको एक ही औषधालय में काम करने की अनुमति दी गई है तथा उनको काफी समय से स्थानान्तरित नहीं किया गया है और ऐसे प्रत्येक मामले में इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार डाक्टरों के स्थानान्तरण के बारे में समान नियम बनायेगी क्योंकि उनका बार बार स्थानान्तरण होने से पुराने रोगियों को कठिनाई होती है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) क्या इस सम्बन्ध में कोई नियम नहीं है, किन्तु केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के डाक्टरों को साधारणतः पांच वर्ष के बाद स्थानान्तरित कर दिया जाता है ।

(ख) 1968 और 1969 में दिल्ली में 74 ऐसे डाक्टरों को एक औषधालय से दूसरे औषधालय में पांच वर्ष की अवधि पूरी होने के पूर्व ही स्थानान्तरित किया गया था ।

(ग) दिल्ली में 27 डाक्टरों को पांच वर्ष के बाद भी ठहरने की अनुमति दे दी गई है क्योंकि जिन औषधालयों में वे काम करते हैं उन औषधालयों के समीप ही उनके निवास स्थान

हैं। कुछ डाक्टरों के मामलों में क्षेत्र विशेष के हितग्राहियों की इच्छाओं का सम्मान करते हुए उनके स्थानान्तरण आदेशों को रद्द करना पड़ा।

(घ) केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के डाक्टरों के स्थानान्तरण के मामले को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों के लिए स्थानान्तरण पैटर्न तैयार करने के हेतु गठित समिति के निदेश पदों में से एक पद के रूप में सम्मिलित करने का विचार है।

राष्ट्रीय ऋण परिषद के निष्कर्ष

*454. **श्री के० एम० अब्राहम :** **श्री नम्बियार :**
श्री गणेश घोष :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ऋण परिषद् द्वारा श्री वी० टी० दहेजिया की अध्यक्षता में नियुक्त अध्ययन दल ने यह पता लगाया है कि उद्योगपति बैंकों से अधिकृत ऋण राशि से अधिक ऋण ले लेते हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उद्योगपतियों की ऐसी प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) अध्ययन दल ने मुख्य रूप से इस बात पर प्रकाश डाला है कि उद्योगों में, अन्य स्रोतों पर निर्भर रहने की अपेक्षा बैंक-ऋणों पर अधिक निर्भर रहने की प्रवृत्ति है।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 2865/70]

Remittances by Indians Living Abroad

*455. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Mininister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the fact that the Indian citizens living abroad remit their money to India through unauthorised channels on higher rates instead of remitting it through the channels provided by Government ;

(b) whether Government are also aware of the fact that Government of Pakistan have succeeded in checking their citizens living abroad from remitting their money in this manner and thus they are getting a large quantity of foreign exchange ; and

(c) if so, whether Government propope to adopt certain measures to put an end to such type of practices so that the Indian citizens could be permitted upon to remit their money to India through the Channels provided by Government ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) Yes. Sir, Government have come across certain instances of remittances received otherwise than through normal channels.

(b) Government have no information of the experience of Pakistan in this behalf.

(c) Apart from pursuing individual cases which come to notice, Government have also taken certain legislative and administrative measures to check remittances through unauthorised channels.

परीक्षात्मक तटदूर ड्रिलिंग तथा "बम्बई हाई" के विकास के लिए प्रस्ताव

*456. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो वर्ष पूर्व अमरीकन आयल कम्पनी, टेन्नेको द्वारा परीक्षात्मक तटदूर ड्रिलिंग तथा "बम्बई-हाई" के विकास के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था ;

(ख) क्या इस प्रस्ताव में सारा जोसिम टेन्नेको के ऊपर डाला गया था और भारत सरकार के पक्ष में 80-20 की दर से लाभ बांटने की बात कही गई थी ;

(ग) क्या प्रस्ताव रद्द कर दिया गया था और तेल की खोज के लिए अब तक कोई वैकल्पिक प्रबन्ध नहीं किये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो टेन्नेको के प्रस्ताव को रद्द किये जाने के क्या कारण हैं और वैकल्पिक प्रबन्ध के बारे में कब तक निर्णय कर लिया जायेगा ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) टेन्नोकों को, चार कुओं के व्यधन कार्यक्रम के अन्वेषण जोखम को उठाना था और अगर एक व्यापारिक खोज हो जाती तो प्रस्ताव के अनुसार, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और टेन्नोकों एक कम्पनी बनाते, जिसमें तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के 51 प्रतिशत और टेन्नोकों के 49 प्रतिशत शेयर होते तथा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग व्यापारिक खोज से पहले हुए व्यधन व्यय का 51 प्रतिशत टेन्नोको को प्रतिपूर्ति करता। संयुक्त उद्यम के सकल लाभ में टेन्नोकों का हिस्सा 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होता।

(ग) और (घ). देश में लम्बी अवधि के तट-दूर अन्वेषण कार्यक्रम की उन्नति के लिए उपयुक्त तरीके को अपनाने की दृष्टि से, जो कि देश के हित में सर्वोतम है, सरकार ने यह फैसला किया है कि "बम्बई हाई" की तरह गहरे पानी का ड्रिलिंग 'असिस्टिड ओनर आपरेशन' के आधार पर होगा। अधिकांश रूप में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग कार्यक्रम का प्रबन्ध करेगा और ड्रिलिंग प्लेटफार्म तथा उपकरण सरकार के होंगे। तकनीकी और वित्तीय सहायता विदेशी सहयोगियों से उपयुक्त शर्तों और आवश्यकता अनुसार कम से कम ली जायेगी। इस प्रकार हमारे निजी तकनीकी व्यक्तियों में आत्म निर्भरता का विकास होगा और देशीय जानकारी में उन्नति होगी। इस नीति के अनुसार कुछ विदेशी ग्रुपों के साथ बातचीत हो रही है और 'बम्बई हाई' में व्यधन के लिए शीघ्र ही निर्णय लिया जायेगा।

योजना से भिन्न व्यय की फालतू राशि का वितरण

*457. **श्री स० कुण्डू :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में कुछ राज्यों में योजना से भिन्न व्यय की फालतू राशि 1300 करोड़ रुपये हो आयेगी ;

(ख) क्या अन्य पिछड़े राज्यों में इस सम्बन्ध में कमी रहेगी ;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार की फालतू राशि पिछड़े राज्यों में वितरित करने के लिए कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य का संकेत पांचवें वित्त आयोग द्वारा बताये गये, इतनी ही रकम के आयोजना भिन्न अधिशेषों की ओर है, जो आयोग द्वारा सुझाये गये अन्तरण के आधार पर चौथी पंचवर्षीय आयोजना की अवधि में आठ राज्यों को उपलब्ध होंगे ।

(ख) से (घ). वित्त आयोग द्वारा अनुमानित अधिशेष उन राज्यों के राजस्व का भाग होंगे, इसलिए इन्हें दूसरे राज्यों में बांटने का सवाल पैदा ही नहीं होता । योजना आयोग ने राज्यों की आयोजनाओं का आकार निर्धारित करते समय इन अधिशेष को ध्यान में रखा है ।

वित्त आयोग ने अन्य राज्यों के आयोजना भिन्न राजस्व खाते में जितनी रकम की कमी का अनुमान लगाया है, वह आयोग की सिफारिशों के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 275 के अन्तर्गत उन्हें सहायक अनुदान देकर पूरी की जायेगी । मैसूर राज्य को छोड़कर, जिसका अधिशेष अनुमानतः बहुत कम है, वित्त आयोग ने अन्य किसी भी राज्य को, जिसे आयोजना भिन्न अधिशेष उपलब्ध है, सहायक अनुदान देने की सिफारिश नहीं की है ।

Outstanding Amount of Central Taxes from Modi Industries and Mohan Nagar Industries

*458. **Shri Molahu Prashad :**
Shri Ramji Ram :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of Central Taxes due from the Modi Industries and Mohan Nagar Industries (Meerut District) ;

(b) the time by which this amount of taxes is likely to be recovered ; and

(c) the total amount of tax in respect of which exemption has been given in the last three years along with the names of the industrial concerns ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b). There is no assessee of income-tax or licensee of Central Excise under the name and style of "Mohan Nagar Industries". The expression 'Modi Industries' is presumably intended to refer to the Companies/Factories in which the members of the family of Shri Gujarmal Modi have a controlling interest. The members of the Modi family have a varying degree of interest in various Companies/Factories at a particular point of time and this interest may fluctuate from year to year. The information will be collected and supplied if the names of the concerns, in respect of which it is required, are specified.

(c) No special exemptions have been granted exclusively to "Modi Industries" or in the name of "Mohan Nagar Industries".

लोक तथा सामान्य भविष्य निधि के लेखों के लिये ब्याज की दर में समानता

*459. **श्री सेझियान :**

श्री अंबाजागन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक भविष्य निधि तथा सामान्य भविष्य निधि के लेखों पर ब्याज की दर कितनी है ;

(ख) क्या सरकार का विचार दोनों प्रकार की भविष्य निधियों के लेखों के लिए ब्याज की समान दर लागू करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) लोक-भविष्य-निधि पर, ब्याज की दर चालू वर्ष में 4.80 प्रतिशत है और अगले वर्ष 5 प्रतिशत होगी । बढ़ने वाली मीयादी जमा के इसी प्रकार के 15-वर्षीय खातों के लिए भी ब्याज की यही दरें हैं ।

सामान्य भविष्य निधि में जमा राशि के पहले 10,000 रुपये की रकम पर चालू वर्ष में ब्याज की दर 5.25 प्रतिशत है और बाकी रकम पर ब्याज की दर 4.80 प्रतिशत है । अगले वर्ष पहले 10,000 रुपये की रकम पर ब्याज की दर 5.50 प्रतिशत होगी और बाकी रकम पर 4.80 प्रतिशत ही होगी ।

(ख) सामान्य भविष्य निधि के लिए ब्याज की दरें इस प्रकार निर्धारित की गई हैं कि जिन सरकारी कर्मचारियों के खाते में 10,000 रुपये तक की रकम जमा है, उनको ब्याज अधिक दर पर मिले । 10,000 रुपये से ऊपर की जमा रकमों पर औसत ब्याज की दर लोक भविष्य निधि पर मिलने वाले ब्याज की दर के लगभग बराबर बैठती है । चूंकि ये योजनाएं एक दूसरे से भिन्न हैं, इसलिए, ब्याज की दरों में एक दम समानता लाना व्यवहार्य नहीं होगा ।

Strictures passed by Bombay Magistrate Against the Director of Revenue Intelligence

460. **Shri Ram Charan :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news item published in the 'Blitz' weekly dated the 31st January, 1970 to the effect that strictures have been passed by a Bombay Magistrate against the Director of Revenue Intelligence ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) the grounds for passing the structures ;

(d) whether it is a fact that the said type of officers help the big smugglers and Government have received many complaints in this regard ; and

(a) if so, whether a statement giving full details would be laid on the Table ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). Extracts from the judgement are enclosed. [*Placed in Library. See* No. LT 2866/70].

(d) and (e). Government do sometimes receive complaints alleging collusion between officers and smugglers and these are always looked into.

मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में तांबा अयस्क पट्टी की अग्रेतर खोज तथा खुदाई के लिए योजना

*461. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में तांबा अयस्क पट्टी की अग्रेतर खोज तथा खुदाई के लिए सरकार द्वारा कोई योजनायें बनाई गई हैं और यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या इन निक्षेपों के आधार पर इस क्षेत्र में कोई ताँबा अयस्क प्रद्रावक एकक (स्पेल्टर) लगाया जायेगा और यदि हां, तो इसकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख). भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में मलंज खण्ड तांबा निक्षेपों का व्यधन द्वारा प्रारंभिक अधः स्थल समन्वेषण प्रगति पर है। पांच बरमाछिद्र किये गये हैं और उनमें उत्साहवर्धक तांबा खनिजायन प्रकट हुआ है। कार्य प्रारम्भिक अवस्था में है अतः इस समय निक्षेपों की श्रेणी तथा उपलब्ध राशियों के संबंध में कोई मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। अन्वेषणों को पूरा करने के पश्चात् ही समुपयोजन तथा तांबा प्रद्रावक की स्थापना का प्रश्न उठेगा।

उच्चतम न्यायालय में बैंक राष्ट्रीयकरण संबंधी मुकदमे पर व्यय

*462. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी अध्यादेश की तथा अधिनियम की वैधता के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय में रिट याचिकाओं के मामले में सरकार ने कुल कितनी राशि खर्च की है ; और

(ख) क्या 12 फरवरी, 1970 को प्रख्यापित किये गये अध्यादेश के सम्बन्ध में किसी विशेषज्ञ की अग्रेतर राय प्राप्त की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा कुल 4.54 लाख रुपया खर्च किये जाने का अनुमान है।

(ख) बैंककारी समवाय (उपक्रमों का अभिग्रहण और हस्तान्तरण अध्यादेश 1970, 14 फरवरी 1970 को जारी किया गया था न कि 12 फरवरी 1970 को। इस अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए, 27 फरवरी 1970 को, इस सदन में एक विधेयक रखा गया है। जब कभी आवश्यक समझा गया, सरकार ने इस विषय में अपने कानूनी सलाहकारों के साथ परामर्श किया था।

दिल्ली में भूमि विकास की योजना

*463. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने दिल्ली प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में कितनी भूमि अर्जित की है, उनके कब्जे में कितना क्षेत्र है और कितने क्षेत्र के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी की गई है ;

(ख) कितनी भूमि का विकास किया जा रहा है और अलाट करने अथवा बिक्री के लिए कितनी भूमि तैयार है ;

(ग) शेष भूमि का कब तक विकास हो जायेगा ;

(घ) ऐसी भूमि कितनी है जिसके वर्ष 1972 तक विकास के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई है ; और

(ङ) क्या सरकार ऐसी भूमि का खेती के लिए उपयोग करने की किसी योजना पर विचार कर रही है जिसका वर्ष 1972 तक विकास किये जाने की कोई सम्भावना नहीं है; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क)

	एकड़
(i) अर्जित की गई भूमि का क्षेत्रफल	31,000
(ii) क्षेत्रफल जो कब्जे में है	28,282
(iii) जिस क्षेत्रफल की अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत अब तक जारी की जा चुकी है।	66,504

(ख) वांछित सूचना का एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

(ग) वह क्षेत्र जो फिलहाल विकास के लिए तुरन्त नहीं चाहिए, लगभग 6,682 एकड़ है, जिसमें से 3,150 एकड़, वृहत योजना के अनुसार 'हरा' है, 'हरे' क्षेत्र को भूमि-संरक्षण/उद्यान कार्य के प्रयोग में लाया जायेगा और शेष लगभग 3,532 एकड़ क्षेत्र को चरणों में विकासित किया जायेगा।

(घ) तथा (ङ). विकास एक निरन्तर प्रक्रिया है। सभी उपलब्ध भूमि के 1981 तक विकासित किये जाने की आशा है। जब उपलब्ध क्षेत्र का विकास आरम्भ किया जाना है, तब तक इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त पाये गये क्षेत्र में खेती के लिए अस्थाई लाइसेन्स देना उचित समझा गया। लगभग 2,800 एकड़ ऐसी भूमि खेती के लिए अस्थाई वार्षिक लाइसेंसों पर दे दी गई है।

विवरण

(i) आवंटन/बिक्री के लिए विकासित/विकासित किया जा रहा क्षेत्र	9,600 एकड़
इस क्षेत्र में से 3,700 एकड़ का विकास किया जा रहा है, और	

वह 1872 तक बिक्री/आवंटन के लिए तैयार हो जायेगा।

विकासित क्षेत्र का शेष क्षेत्र, अर्थात् 5,900 एकड़ का निपटान कर दिया गया है। निपटान किया जा रहा है।

(ii) सहकारी आवास निर्माण समितियों द्वारा विकासित/विकासित किया जाने वाला क्षेत्र। 4,000 एकड़

(iii) सरकारी/अर्द्ध-सरकारी संगठनों (निर्माण आवास मंत्रालय) को स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए; एस० टी० सी०, आदि सांविधिक निकायों के लिए आवंटित किया गया क्षेत्र। 4,000 एकड़

(iv) नेहरू विश्वविद्यालय के लिये आवंटित क्षेत्र। 1,000 एकड़

(v) झुग्गी-झोंपड़ी योजनाओं के लिए विकासित क्षेत्र। 3,000 एकड़

(vi) मास्टर प्लान 'ग्रीन' सहित बकाया क्षेत्र। 6,682 एकड़

भारत में रिजर्व बैंक का मुद्रा तथा वित्त सम्बन्धी प्रतिवेदन

*464. **श्री नि० रं० लास्कर :** **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री दन्डपाणि : **श्री सामिनाथन :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक के 1968-69 के मुद्रा तथा वित्त सम्बन्धी प्रतिवेदन में कहा गया है कि 1968-69 में भारतीय अर्थ-व्यवस्था की मुख्य उपलब्धियां खाद्यान्नों के उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन तथा विदेशी मुद्रा में पर्याप्त वृद्धि होना है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन में अन्य क्या बातें उल्लिखित हैं ;

(ग) क्या इस वर्ष इस प्रतिवेदन के प्रकाशन में तीन महीने का विलम्ब हो गया था ;

(घ) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण थे ; और

(ङ) क्या पिछले वर्ष की तुलना में मूल्य-वृद्धि बहुत अधिक दिखायी गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है।

(ग) और (घ). जी, हाँ। रिपोर्ट में इस वर्ष इसके प्रकाशन में कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण हुये विलम्ब पर खेद प्रकट किया गया है। कुछ बुनियादी आंकड़ों की प्राप्ति अथवा पुनरीक्षण में विलम्ब होने के अलावा, मुद्रण सम्बन्धी कुछ अप्रप्याशित समस्याएं भी पैदा हो गयी थीं।

(ङ) रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 1968-69 के अन्त में सामान्य मूल्यों का स्तर, वर्ष के शुरू के स्तर की अपेक्षा 5.2 प्रतिशत ऊंचा था और यह 1967-68 के शुरू और अन्त के बीच की अवधि में मूल्यों में हुई कमी के विपरीत था, हालांकि यह कमी बिल्कुल मामूली अर्थात् 0.9 प्रतिशत ही हुई थी। रिपोर्ट में आगे चलकर कहा गया है कि "वह एक समूह" जिसके मूल्यों

में कमी हुई थी, "खाद्य पदार्थों" का था । इस समूह के मूल्यों में चाहे थोड़ी सी ही अर्थात् 1.9 प्रतिशत की कमी हुई लेकिन इस समूह के मूल्यों की यह प्रवृत्ति, 1967-68, 1966-67 और 1965-66 में हुई क्रमशः 3.9 प्रतिशत, 24.3 प्रतिशत और 14.1 प्रतिशत की वृद्धि की प्रवृत्ति के विपरीत थी । बारह वर्षों में पहली बार, "खाद्य-पदार्थों" के मूल्यों का, सामान्य मूल्यों के स्तर पर, संयतकारी प्रभाव पड़ा ।

विवरण

मुख्य आर्थिक गतिविधियों की समीक्षा करते हुए, रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष के दौरान, भारतीय अर्थ-व्यवस्था की घटनाओं की विशेषताएं ये थीं कि खाद्य उत्पादन का ऊंचा स्तर बना रहा, औद्योगिक उत्पादन में पर्याप्त सुधार हुआ और विदेशी मुद्रा राशियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई । रिपोर्ट में उल्लिखित अन्य मुख्य बातें, नीचे के पैराग्राफों में प्रस्तुत की गयी हैं :

1. 1968-69 के अधिकांश भाग में कीमतें, आमतौर पर स्थिर रहीं किन्तु वर्ष के अन्त में स्थिति के बिगड़ने के कुछ संकेत मिले । फिर भी, खाद्य-पदार्थों की कीमतों में, 12 वर्षों की अवधि में, इस वर्ष पहली बार गिरावट आई और इससे सामान्य मूल्य स्तर को स्थिर रखने में सहायता मिली ।

2. आर्थिक और राजस्व सम्बन्धी नीतियों का मुख्य और पहले की तरह औद्योगिक स्थिति को सुधारने तथा आर्थिक विकास की प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए, प्रोत्साहन देने पर था । इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, रिजर्व बैंक की मुद्रा तथा ऋण सम्बन्धी सुविधाओं को इनके अनुरूप बनाया गया ।

3. हालांकि, कुछ बुनियादी उद्योगों और पूंजीगत सामान तैयार करने वाले उद्योगों में निर्धारित क्षमता से काफी कम क्षमता का उपयोग होता रहा फिर भी, पहले की अपेक्षा अधिक क्षमता का उपयोग किये जाने के कारण, औद्योगिक उत्पादन में कुल मिला कर सुधार हुआ है । इस्पात और इंजीनियरी जैसे कुछ बुनियादी उद्योगों में क्षमता के उपयोग की गति पर, कुछ तो मांग घट जाने और कुछ औद्योगिक विवादों के कारण प्रभाव पड़ा । ये औद्योगिक विवाद विशेष रूप से देश के पूर्वी भाग में हुये ।

4. मुद्रा उपलब्धि की वृद्धि की दर में, लगातार चौथे वर्ष में भी कमी हुई और 1968-69 में यह दर 8 प्रतिशत थी ।

5. सरकारी प्रतिभूति बाजार में 1967-68 में जो मजबूत प्रवृत्ति रही थी, वह 1968-69 में भी बराबर बनी रही । औद्योगिक शिथिलता की प्रवृत्तियों में कमी हो, निगम क्षेत्र की कार्यकुशलता में सुधार होने और 1968-69 तथा 1969-70 के बजटों में दी गयी कर-सम्बन्धी रियायतों के परिणामस्वरूप शेयरों के मूल्यों में लगातार सुधार हुआ और वर्ष के अधिकांश भाग में वे स्थिर रहे । किन्तु पिछले वर्ष में हुई थोड़ी सी वृद्धि के मुकाबले, 1968-69 में नये शेयर जारी करने के काम की गति धीमी रही ।

6. अर्थ-व्यवस्था के पुनरुत्थान के परिणामस्वरूप, सरकारी राजस्व की वृद्धि के अनुपात में जो कमी हो रही थी, वह 1968-'9 में रुक गयी। किन्तु आयोजना परिव्यय के बढ़ते हुए स्तर, ऋण परिशोधन की लागत में वृद्धि, सरकारी कर्मचारियों की परिलब्धियों में संशोधन के कारण हुई वृद्धि तथा बाढ़ और सूखे से प्रभावित राज्यों में राहत-कार्यों के खर्च में वृद्धि के कारण, खर्च सम्बन्धी दायित्व, साधनों में होने वाली वृद्धि से लगातार अधिक बने रहे।

जीवन बीमा निगम के मुअत्तिल कर्मचारी

*465. **श्री प० गोपालन :** **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री मुहम्मद इस्माइल : **श्री क० अनिरुद्धन :**
श्री सी० के० चक्रपाणि :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में जीवन बीमा निगम के कुल कितने कर्मचारी मुअत्तिल हैं ;

(ख) मुअत्तिल कर्मचारियों में से कितने कर्मचारी मजदूर संघ के पदाधिकारी हैं ;

(ग) क्या सरकार इन मामलों में उदार दृष्टिकोण अपनाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) 117।

(ख) 21।

(ग) तथा (घ). इस मामले को जीवन बीमा निगम तथा उसके कर्मचारियों पर छोड़ना ही श्रेष्ठ होगा।

कोयले पर आधारित तीन उर्वरक कारखानों की स्थापना

*466. **श्री भगवान दास :**
श्री के० रमानी :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने कोयले पर आधारित तीन उर्वरक कारखानों के लिये स्वीकृति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ये स्वतन्त्र देश में निर्मित किये जायेंगे अथवा सरकार का विचार विदेशों का सहयोग प्राप्त करने का है ;

(ग) यदि कोई तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग प्राप्त किया जाना है, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या इन कारखानों के लिये मशीनरी आयात की जायेगी अथवा देश में निर्मित की जायेगी ; और

(ङ) इन कारखानों के लिये कुल कितनी पूंजी लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, उनके कब तक तैयार होने की सम्भावना है और उनका निर्माण कार्यक्रम क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) सरकार ने कोयले पर आधारित तीन उर्वरक कारखानों को सरकारी क्षेत्र में लगाने का सिद्धांत रूप में अनुमोदन किया है ।

(ख) से (घ). भारतीय उर्वरक आयोग परियोजनाओं को कार्यान्वित करेगा । आयोग प्रक्रियाओं के लिये भारत में उपलब्ध न होने वाली प्रक्रिया जानकारी खरीदेगा । यह देश के ही उतने अधिक उपकरण खरीदेगा जितने कि देश में बन सकते हैं । आयात केवल तभी किया जायेगा जब देशीय मद उपलब्ध नहीं होंगे । किसी विदेशी के साथ कोई वित्तीय सहयोग निहित नहीं है ।

परियोजनाओं के कार्यान्विति के लिये भारतीय उर्वरक निगम ने निम्न करार किये हैं :

(1) कोयले के गैसीयकरण प्रक्रिया और तकनीकी जानकारी को प्राप्त करने के लिये पश्चिम जर्मनी की एक फर्म के साथ करार ;

(2) कच्ची कृत्रिम गैस से हाइड्रोजन सल्फाइड, आरगैनिक सल्फर कम्पाउडस् और कार्बन डाई-आक्साईड के निष्काशन के लिये पश्चिम जर्मनी की एक फर्म के साथ करार ;

(3) अमोनियम उत्पादन लाइसेंस और तकनीकी जानकारी की सप्लाई के लिये एक इटली की फर्म के साथ दो अनुपूरक करार ।

(4) यूरिया के उत्पादन लाइसेंस और तकनीकी जानकारी की सप्लाई के लिये इटली की एक फर्म के साथ दो अनुपूरक करार ।

(ङ) भारतीय उर्वरक परियोजनाओं की अनुमानित पूंजी लागत निम्न प्रकार है :

1. तालचर	70.5 करोड़ रुपया
2. रामागुण्डम	71.2 ,,
3. कोरबा	72-1 ,,

इन परियोजनाओं के लिये अपेक्षित विदेशी मुद्रा के सम्भाव्य साधनों की खोज की जा रही है । विदेशी मुद्रा के प्रबन्ध हो जाने के बाद निर्माण-कार्य को पूरा करने में लगभग 4 वर्ष लगेंगे ।

भारत में विदेशी तेल शोधक कारखानों की कुल मंजूरशुदा क्षमता तथा वास्तविक उत्पादन

*467. **श्री योगेन्द्र शर्मा :** **श्री शिव कुमार शास्त्री :**
श्री देवेन सेन : **श्री आत्म दास :**

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विदेशी तेल-शोधक कारखानों की कुल मंजूरशुदा क्षमता कितनी है ;

(ख) उनमें इस समय कुल कितना उत्पादन होता है ;

(ग) क्या कोई विदेशी शोधक कारखाना इस समय अपनी मंजूरशुदा क्षमता से अधिक तेल का उत्पादन कर रहा है ;

(घ) यदि हां, तो उन तेल-शोधक कारखानों के नाम क्या हैं तथा इन तेल-शोधक कारखानों में से प्रत्येक तेल-शोधक कारखाने में मंजूरशुदा क्षमता से कितना अधिक उत्पादन होता है ; और

(ङ) किन परिस्थितियों में तेल-शोधक कारखानों की अधिक उत्पादन की अनुमति दी गई थी ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) विदेशी स्वामित्व के तेल शोधक कारखानों की स्वीकृत (लाइसैंसकृत) वार्षिक क्षमता 5.095 मिलियन मीटरी टन है।

(ख) 1969 में उत्पादन 7.49 मिलियन मीटरी टन था।

(ग) जी, हां।

(घ) बर्मा-शैल द्वारा 1.75 मिलियन मीटरी टन तक,

ऐस्सो द्वारा 0.60 मिलियन मीटरी टन तक,

कालटैक्स द्वारा 0.575 मिलियन मीटरी टन तक।

(ङ) उपलब्ध क्षमताओं का इस्तेमाल करने तथा शोधित पैट्रोलियम उत्पादनों में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए, अधिक उत्पादन की अनुमति दी गई है।

महात्मा गांधी की प्रतिमा के माडल

*468. **श्री वि० नरसिम्हा राव : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में इण्डिया गेट के निकट लगाई जाने वाली महात्मा गाँधी की प्रतिमा का माडल प्रस्तुत करने वाले प्रत्येक शिल्पी को कितनी राशि का भुगतान किया जायेगा तथा अनुमोदित माडल के लिये कितनी राशि का भुगतात किया जायेगा ; और

(ख) माडल का चयन करने वाली मूल्यांकन समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) 3,000 रुपये ।

मूर्ति तैयार करने के लिये, सफल मूर्तिकार को दी जाने वाली रकम का अन्तिम निर्णय नहीं किया गया ।

(ख)

1. श्री पी० बी० गजेन्द्रगडकर	अध्यक्ष
2. श्री पी० वी० राजमनार	सदस्य
3. कुमारी पद्मजा नायडू	,,
4. श्री सत्यजीत राय	,,
5. श्री कार्ल जे० खण्डालवाला	,,
6. श्री जे० आर० भल्ला	,,
7. श्री ए० पी० कनविन्डे	,,
8. श्री एच० रहमान	,,

खानों पर हुई हानि की प्रतिपूर्ति करने के लिए राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को सहायता

*469. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खानों पर हुई क्षति की प्रतिपूर्ति करने के लिये सरकार का विचार राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को कुछ सहायता देने का है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता दी जायेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख). सरकार ने 1968-69 वर्ष के अन्त तक किरिबुरु खान लोह अयस्क के निर्यातों पर राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड को होने वाली 138.42 लाख रुपये की नकद हानि की प्रतिपूर्ति करने का निर्णय किया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगियों के संघ की ओर से ज्ञापन

*470. **श्री ई० के० नायनार :**
श्री राममूर्ति :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगियों के मद्रास संघ की ओर से हाल में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य मांगे क्या हैं ;

(ग) उनपर क्या निर्णय किया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो कोई निर्णय न किये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). एक विवरण-पत्र सभा की मेज पर रखा जाता है, जिसमें मांगें और उन पर किये गए निर्णय दिये गए हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—2867/70]

स्टेट बैंक आफ इंडिया की नई शाखाओं को हानि की पूर्ति करना

*471. **श्री मधु लिमये** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक की नई शाखाओं तथा उसकी सहायक बैंकों को हुई हानि की राजसहायता देकर पूर्ति की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) राजसहायता दिये जाने की इस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए स्टेट बैंक आफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू तथा कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में कितनी शखायें खोली गई हैं ; और

(घ) क्या अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों को भी ऐसी ही राजसहायता उपलब्ध करायी जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) स्टेट बैंक और रिजर्व बैंक के बीच हुए समझौते के आधार पर, स्टेट बैंक द्वारा अनुरक्षित सांविधिक एकीकरण और विकास निधि से केवल उन्हीं शाखा को हुई हानि, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से पूरी की जाती है जो स्टेट बैंक और उसके सहायक बैंकों द्वारा अपने स्वीकृत शाखा विस्तार कार्यक्रमों के अन्तर्गत खो गई है। इस निधि का निर्माण, मुख्य रूप से स्टेट बैंक में रिजर्व बैंक के उन शेयरों पर देय लाभांश की रकमों से किया गया है जिनकी रकम स्टेट बैंक की कुल जारी पूंजी के 55 प्रतिशत से अधिक नहीं होती।

(ख) स्टेट बैंक और इसके सहायक बैंकों ने, अपने विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत सामान्यत: देहातों और अर्ध-शहरी केन्द्रों में ही शाखायें खोली हैं। चूंकि इन शाखाओं को शाखायें खोलते समय केवल वाणिज्यिक उद्देश्यों को ही सामने नहीं रखा गया था या रखा जाता है इसलिए यह आवश्यक समझा गया कि ऐसी शाखाओं को होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति की जाय ताकि अलाभ-कारी केन्द्रों पर शाखायें खोलने से होने वाली हानि का इन बैंकों के कुल लाभ पर अधिक बुरा असर न पड़े। भारतीय राज्य बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच यह समझौता हो चुका है कि राज्य बैंक 30 जून, 1970 के बाद खोली जाने वाली शाखाओं के संबंध में किसी सहायता का दावा नहीं करेगा।

(ग) भारतीय राज्य बैंक और इसके सहायक बैंकों द्वारा सम्बद्ध राज्यों में खोली गई

शाखाओं का ब्यौरा इस प्रकार है :—

राज्य	विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत		विस्तार कार्यक्रम से बाहर		जोड़
	भारतीय राज्य बैंक	सहायक बैंक	भारतीय राज्य बैंक	सहायक बैंक	
उत्तर प्रदेश	138	—	32	—	170
बिहार	52	—	3	—	55
जम्मू और कश्मीर	1	—	—	—	1
राजस्थान	2	147	2	10	161
मध्य प्रदेश	61	41	9	1	112
उड़ीसा	39	—	—	—	39

(घ) इस समय, राष्ट्रीयकृत बैंकों को उनके शाखा विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत होने वाली हानि के सम्बन्ध में सहायता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा धन कर सम्बन्धी विवरण का भेजा जाना

*472. **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :

क्या वित्त मंत्री केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा धन कर सम्बन्धी विवरण देने के बारे में 24 नवम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1140 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच जानकारी एकत्र कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). मांगी गई सूचना इकट्ठी की जा रही है और शीघ्र ही सदन के सामने पेश की जायेगी।

भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अयस्क परिष्करण परीक्षणों के लिये सुवाह्य प्लवन चलते फिरते पायलट संयंत्र की स्थापना

*473. **डा० सुशीला नैयर :** **श्रीमती सावित्री श्याम :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खान ब्यूरो के लिए स्थल पर ही अयस्क परिष्करण परीक्षण करने

के लिए एक सुवाह्य प्लवन चलते फिरते पायलट संयंत्र की स्थापना के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस प्रस्ताव की इस समय क्या स्थिति है ;

(ग) क्या एक संयंत्र स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष निधि से सहायता प्राप्ति के लिये संयुक्त राष्ट्र से प्रार्थना की गई थी ; और

(घ) यदि हां, ता इस के क्या परिणाम निकले हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख). भारतीय खान ब्यूरो में चौथी योजनावधि के दौरान एक सुवाह्य प्लवन चलते फिरते प्रायोगिक संयंत्र की स्थापना करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Single Machinery for redressing Financial Complaints of All

*474. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether his attention has been invited to the statement made by the Chairman of the Administrative Reforms Commission, which was published at page 5 of daily "Hindustan" dated the 16th December, 1968, that there should be only one machinery for redressing the financial complaints of all right from the Prime Minister to a peon ; and

(b) if so, the type of machinery Government propose to set up in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) According to the daily "Hindustan" of 16.12.1968, Chairman, Administrative Reforms Commission was reported to have stated, in the context of setting up a machinery for redressing the grievances of Government servants, that such a machinery should go into financial complaints and its decisions should be respected by all.

(b) The Administrative Reforms Commission in their Report on "Machinery of the Government of India and its procedures of work" have recommended the setting up of a Department of Personnel which among other things, should be charged with the responsibility for discipline and welfare of staff and providing machinery for redress of their grievances. This recommendation is under Government's consideration.

तेल की खोज के क्षेत्र में भारत सरकार और श्री लंका का संयुक्त प्रयास

*475. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत तथा श्रीलंका के बीच तेल की खोज के लिये संयुक्त प्रयास करने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

देश में पोलियो महामारी

*476. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार निजोयन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने प्रतिशत ऐसे बच्चे हैं जिन्हें पोलियो रोग है ;

(ख) क्या सरकार का कोई प्रस्ताव इसको रोकने के लिए राष्ट्रीय नीति के रूप में पोलियो के टीके लगाने का है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई विदेशी सहायता मिलने की सम्भावना है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) देश में पोलियो रोग होने के बारे में पता लगाने के लिए कोई अखिल भारतीय सर्वेक्षण नहीं किया गया है । कुछ चुने हुए चिकित्सा संस्थानों से एकत्रित की गई सूचना के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि यह रोग कम होता है ।

(ख) देश में पोलियो रोग को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर टीके लगाने आदि की योजना प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है पेस्ट्यूर संस्थान, कुनूर में बाल पक्षघात के कारगर टीके का निर्माण करने के लिए सरकार ने एक प्रायोजना आरम्भ की है ।

(ग) और (घ). टीके की औषधि बनाने के लिये अमरीका की अन्तर्राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी एजेन्सी ने उपकरण और रसायन आदि पेस्ट्यूर संस्थान, कुनूर को मुफ्त दिये हैं । विश्व स्वास्थ्य संगंठन ने, नवीनतम तकनीकों का अध्ययन करने और विदेश में टीके का परीक्षण करने के लिये भारतीय विशेषज्ञों को कुछ अधिछात्रवृतियों की व्यवस्था की है और संस्थान में निर्मित टीके का विदेश में पुनः परीक्षण करने की भी व्यवस्था की है ।

Polio Epidemic in the Country

*476. **Shri Ram Avtar Sharma** : Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) the percentage of children attacked by polio in the country ;

(b) whether Government have any proposal for polio-vaccination as a national policy to prevent it ;

(c) whether any foreign assistance is expected in this behalf ; and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) No all India survey has been conducted to assess the incidence of Polio in the country. On the basis of the information collected from certain selected medical institutions in the country it is estimated that the incidence is low.

(b) There is no proposal to undertake mass immunization programme for Polio in the country. Government have initiated a project for the preparation of live poliomyelitis vaccine at the Pasteur Institute, Coonoor.

(c) and (d). The USAID have made available, free of cost, equipment, chemicals, etc. to the Pasteur Institute, Coonoor for preparation of vaccine. The W.H O have made available some fellowships for the Indian experts to study the latest techniques and testing of vaccine abroad and have also arranged for the re-testing abroad of the vaccine manufactured at the Institute.

'लीड बैंक' योजना

*477. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री शिव चन्द्र झा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'इक्नामिक टाइम्स' के 11 जनवरी 1970 के अंक में प्रकाशित हुआ यह समाचार सही है कि रिजर्व बैंक द्वारा अन्तिम रूपेण तैयार 'लीड बैंक' योजना की वास्तविक कार्यान्विति में अनेक विषमताओं का पता चला है ; और

(ख) यदि हां, तो रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा आरम्भ की गई 'लीड बैंक' योजना के मुख्य उद्देश्य और ब्यौरा क्या है और इसकी वास्तविक कार्यान्वित में किन विषमताओं का पता चला है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं । अब तक 'बैंक नेतृत्व' (लीड बैंक) योजना के कार्यान्वयन में न तो कोई विषमता पायी गयी है और न ही दिसम्बर, 1969 में रिज़र्व बैंक द्वारा तैयार की गई इस योजना में परिकल्पित नेता बैंकों के योगदान के बारे में रिजर्व बैंक को किसी प्रकार की विषमता की सूचना मिली है ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

भारतीय तेल निगम के साथ सौदों में हिन्द गालवेनाईजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी द्वारा की गई अनियमितताओं की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

*478. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम के साथ सौदों और 1966-67 में टैंडर न० ओ० पी०/टेन-7/65 के अन्तर्गत तेल के ढोल सप्लाई करने के मामले में हिन्द गालवेनाईजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (पी०) लिमिटेड द्वारा की गई अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने केन्द्रीय जांच विभाग को इसकी जांच करने का आदेश दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). प्राक्कलन समिति द्वारा इसकी 86वीं रिपोर्ट में उल्लिखित विभिन्न अनियमितताओं में केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा विस्तृत जांच करवाने का निर्णय किया गया है। केन्द्रीय जांच विभाग के निरीक्षण दृष्टि में रखते हुए, सरकार मामले में भली-भांति आगामी कार्यवाही करने पर विचार कर रही है।

मिट्टी के तेल की कम सप्लाई तथा इसमें मिलावट

*479. **श्रीमती इलापाल चौधरी** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में समय-समय पर प्रकाशित होने वाले इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि नगरों में बन्द पीपों में बिकने वाला मिट्टी का तेल खालिस नहीं होता है और उसमें बड़ी मात्रा में पानी मिला होता है ;

(ख) क्या मिट्टी के तेल के बन्द पीपे (जिन्हें सम्भरण के मूल स्थान पर बन्द किया जाता है) जन साधारण को सुगमता से उपलब्ध नहीं होते ; और

(ग) यदि हां, तो खालिस मिट्टी का तेल उपलब्ध कराने और इसके बन्द पीपों की कमी को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) सरकार को ऐसी रिपोर्टों की कोई सूचना नहीं है। परन्तु राज्य सरकारों/संघीय क्षेत्रों और तेल बेचने वाली कम्पनियों को यह सूचित करने के लिए कहा गया है कि क्या उनके पास कोई रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं ?

(ख) उन क्षेत्रों को छोड़कर जहां आवागमन के साधन आदि कम हैं, बन्द टिनों में मिट्टी के तेल की बिक्री को साधारणतया हतोत्साहित किया जाता है।

(ग) राज्य सरकारों/संघीय क्षेत्रों को कहा जा रहा है कि जहां पर व्यापारियों द्वारा पानी मिलाकर मिट्टी के तेल बेचने का पता चलें, उन मामलों में सख्त कार्यवाही की जाए। जहां तक बन्द टिनों में साधारणतया मिट्टी के तेल बेचने का सवाल है, इसे उत्साहित करने का प्रस्ताव नहीं है।

Nationalisation of Medical Services

*480. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in his Presidential address during the 30th All India eye Specialists Conference held in Patna on the 5th February, Dr. C. B. Dhurendhar has emphasised the need of nationalizing the services ;

(b) if so, the arguments put forth by him in support of his contention ;

(c) whether Government have considered this issue ; and

(d) if so, their reaction in this regard ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) Yer, Sir.

(b) The relevant extracts from Dr. Dhurendhar's Presidential Address are laid on the Table of the Sabha.

(c) and (d). It is not considerd feasible to introduce a national health scheme on a country-wide basis.

STATEMENT

In 1946, in the United Kingdom, the National Health Service Act established comprehensive health and welfare services free of charge to all the residents in Britain, designed to secure improvement in physical and mental health and the prevention, diagnosis and treatment of illness. The scheme, though not welcomed at first, has today, on its roll great majority of specialists, 98% of general practitioners, almost all dentists and retail pharmacists and opticians and 950 ophthalmic medical practitioners.

The Employees State Insurance Scheme has been introduced in the Maharashtra State for fifteen years now, which caters for 830,000 industrial workers, served by Government dispensaries fifteen diagnostic and two casualty centres and 1,647 insurance doctors.

The Central Government has also a similar scheme for their employees which is intended to be extended to their families.

Capitalism encouraged competition and private sector has so for contributed towards civilisation and progress. Two world wars have made quite clear the necessity of humanistic attitude, and endeavour for human peace and happiness based on co-operative and corporate effort ! Much that was dependent on individual and institution's philanthropy, is now being taken by Government in public interest.

Socialism in all spheres of human activity is more an make practised in the advancing countries. All this points to heading for National Health Service which is the panacea for all our social ills.

It is no doubt a difficult task to establish National Health Service for there is no other alternative. Vast country with exploding population, incidence of blidness on increase, paucity of medical practitioners, reluctance on the part of the doctors to migrate to rural areas and scarcity of efficient personnel for full-time medical services—under these circumstances what else could be suggested ?

My suggestion that the medical service be Nationalised is not a quack remedy for achieving our objectives. True, it is easily said than done. It is difficult. It is difficult but not impossible. In the most conservative U.K. Medical Service has been successfully nationalised and though partially applied in some places in Bharat, as priviously mentioned. Nationalisation has proved a working proposition. It does make a heavy demand on courage, integrity and vigilance.

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ओवरसीयर संघ का मांग पत्र

2995. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री केन्द्रीय लोक निर्माण के विभाग ओवरसियर अधिकारी संघ द्वारा प्रस्तुत किये गये मांग-पत्र के बारे में 25 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4824 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीधी भर्ती की नीति के बारे में अन्तिम निर्णय करने के लिए गृह-कार्य मन्त्रालय, विधि मन्त्रालय तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने में कितना समय लगने की सम्भावना है और इस दिशा में अब तक कितनी सफलता मिली है ;

(ख) क्या अन्य मन्त्रालयों और केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग, रेलवे, यातायात आदि कार्यालयों में भर्ती के ऐसे नियम विद्यमान हैं जो विभागीय अधिकारियों के पक्ष में है ;

(ग) क्या उन सब-डिवीजनल क्लर्कों के लिए, जिन्हें ओवरसियरों द्वारा रखे जाने वाले हिसाब-किताब की जांच करनी पड़ती है लेखा की किसी परीक्षा को पास करना अनिवार्य नही होता और यदि हां, तो ओवरसियरों के लिए ऐसी परीक्षा पास करना अनिवार्य क्यों हैं ; और

(घ) इंजीनियर-इन-चीफ ने ओवरसियरों के जो कर्तव्य और उत्तरदायित्व निर्धारित किये हैं, उनका ब्यौरा और सार क्या हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) इंजीनियरिंग सेवा श्रेणी II में सीधी भर्ती कें बंद करने के बारे में और पदोन्नति कोटा में परिणामत: परिवर्तन के मामले अभी सरकार के विचाराधीन हैं और इस समय यह कहना सम्भव नहीं है कि इनको अन्तिम रूप देने में कितना और अधिक समय लगने की सम्भावना है ।

(ख) विभिन्न पदों के भर्ती नियम प्रत्येक मन्त्रालय में पृथक-पृथक हैं । भर्ती-नियमों के कुछ उपबन्ध विभागीय अधिकारियों के हक में हो सकते हैं और उनके हक में नहीं । इसलिए यह निश्चित रूप से नही कहा जा सकता कि अन्य मन्त्रालयों में भर्ती के नियम विभागीय अधिकारियों के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की तुलना में सामूहिक तौर पर उनके हित में हैं ।

(ग) सैक्शनल अधिकारियों द्वारा रखे जा रहे और तैयार किये गये हिसाब-किताब की जांच सब-डिविजनल क्लर्क नहीं करते । सेक्शनल आफीसरों और सहायक इंजीनियरों द्वारा बनाये गये हिसाब-किताब डिवीज़नल आफिस में लेखा-अनुभाग द्वारा रखे और जांचे जाते हैं, जो एक डिवीजनल एकाउंटेंट की देख-रेख में काम करता है । अतएव सब-डिवीज़नल क्लर्क के लिए एकाउन्ट्स में विभागीय परीक्षा पास करने की कोई जरूरत नहीं है । इसके विपरीत क्योंकि सैक्शनल आफीसर उनकी निगरानी में आरम्भ किये कार्यों का आरम्भिक हिसाब देने के लिए उत्तरदायी हैं, यह आवश्यक है कि उनको एकाउन्ट्स का आधारभूत ज्ञान भी हो और इसलिए उनके लिए एक सरल लेखा की एक परीक्षा निर्धारित है ।

(घ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सैक्शनल आफीसरों की ड्यूटी और उत्तरदायित्व की एक प्रति संलग्न है । [**ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये** संख्या एल० टी०—2864/70]

Additional Powers Sought by Madhya Pradesh Government for Distribution of Foreign Exchange

2996. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government of Madhya Pradesh have sought certtain additional powers from Government in connection with dtstribution of foreign exchange ; and

(b) if so, the details therefore ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Evasion of Excise Duty by Tobacco Factories in Madhya Pradesh

2297. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the number of cases in which Government took action against tobacco factories in Madhya Pradesh during the last two years for evading Central excise duty ;

(b) the names and other details of the firms involved ; and

(c) the amount of duty evaded by each firm ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) During the last two years action was taken against two tobacco factories in Madhya Pradesh for evading Central Excise duty.

(b) and (c). The names and addresses of the two factories with the amount of duty evaded in each care are furnished below :

S. No.	Name and Address of the the factory	Amount involved Rs.
1.	M/s. Gujarat Tobacco Company, L5 No. 4. of Karsia, District Raigarh.	876.74
2.	M/s. Prabhulal Bihari Lal, L5 No. 8/49 of Baradwar, District Raigarh.	1583.09

Outstanding Amount of Income-tax above Rs. 10 lakhs against Firms and Individuals in M.P.

2298. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the names of the individuals, firms and companies in Madhya Pradesh from whom Income-tax more than ten lakhs of rupees is to be recovered ;

(b) the amount to be recovered from each of them ;

(c) the time from which these amounts are due in case of each ;

(d) the action taken against each ; and

(e) the steps proposed to be taken to recover the amount of Income-tax which is in arrear since very long ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) to (e). The reguisite information is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

एन्टीबायोटिक फैक्टरी, ऋषिकेश में उत्पादित एन्टीबायोटिक (प्रति जीवाणु) दवाओं की मात्रा और उनका मूल्य

2999. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एन्टीबायोटिक्स फैक्टरी, ऋषिकेश के गत दो वर्षों में प्रतिवर्ष मार्च में कितने मूल्य की कितनी प्रति जीवाणु (एन्टीबायोटिक्स) दवाओं का उत्पादन हुआ, वास्तव में कुल कितने मूल्य की कितनी दवाओं का उपयोग किया गया तथा कितने मूल्य की कितनी दवाइयां अभी बिना बिक्री पड़ी हैं और माल के इतनी अधिक मात्रा में एकत्र हो जाने के क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या यह सच है कि इस द्वारा मशीनें भेजने में देरी के कारण उसमें अभी तक निस्टेटिन तथा क्लोरोटेटरा साइक्लिन का उत्पादन नहीं हो पाया है यदि हां, तो उक्त मशीनरी के कब तक आ जाने की सम्भावना है और इससे सरकार को कितनी हानि हुई है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० कह्हाण) : (क) आवश्यक जानकारी निम्न प्रकार है :

	1968-69		अप्रैल 1969 से जनवरी, 1970 तक	
	मात्रा	मूल्य लाख रुपयों में	मात्रा	मूल्य लाखों रुपयों में
थोक प्रतिजीवाणु (किलोग्राम)	13,290	40.15	43,648	209.56
कैपसूलस (लाखों में)	17.89	8.94	71.82	32.02
शीशी भरना (")	1-01	0.53	80.62	41.51
		49.62		283.09

इसमें से मूल्यों सहित नीचे लिखी मात्राएं निरुपणों में इस्तेमाल हुई।

1968-69	अप्रैल 1969 से जनवरी 1970 तक
851 किलोग्राम—5.14 (लाख रुपये)	24974 किलोग्राम—117.82 (लाख रुपये)

31 मार्च, 1969 और 31 जनवरी, 1970 को कारखाने के पास नीचे लिखे भंडार थे :

	31 मार्च 1969		31 जनवरी, 1970	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
थोक औषधियां	5910	28.34 लाख रुपये	9889 किलोग्राम	61.39 लाख रुपये
निरुपित औषधियां	—			
(1) शीशी भरना (लाखों में)	—	—	5.98	2.94
(2) कैपसूल्ज (लाखों में)	1.62	0.36 लाख रुपये	2.00	0.12

31 मार्च, 1969 को कोई असामान्य भण्डारों का संचय नहीं था जो कि अगले महीनों के इस्ट्राइल एण्टीबायोटिक्स और निरुपणों के उत्पादों की जरूरत के लिए काफी समझा गया था। 31 जनवरी, 1970 के भण्डार फरवरी और मार्च, 1970 के शीशे भरने और कैपसूल बनाने की जरूरतों के लिए काफी था। कारखाने के पास इन उत्पादों के लिए आर्डर हैं और इस साल के अन्त तक भण्डारों के खत्म हो जाने की आशा है।

(ख) निस्टेटिन के 1971 के पहली तिमाही में चालू होने होने का कार्यक्रम है। निस्टेटिन संयंत्र के निर्माण-कार्य को पूरा करने के लिए 1970 के अन्त तक कुछ शेष उपकरण प्राप्त होने की आशा है। समव-समय पर इसी सहयोगियों के साथ सहमत हुए निर्माण और परिचालन कार्य-क्रम के अनुसार इससे उपकरण आये थे।

क्लोरो टेट्रासाइकलीन की सुविधाओं को चालू करने के बारे में कम्पनी से अभी अन्तिम निर्णय लेना है।

क्योंकि प्रतिजीवाणु कारखाने, ऋषिकेष के विभिन्न उत्पादों के परिचालन कार्यक्रम कम्पनी द्वारा विदेशी सहयोगियों की राय से तय किये गये थे। इस कारण से किसी प्रकार की हानि की गणना करने का प्रश्न नही उठता।

भारत में कोढ़ का रोग

3000. **श्री बाबू राव पटेल :**
श्री जगेश्वर यादव :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में राज्यवार तथा उम्रवार कोढ़ ग्रस्त रोगियों की संख्या क्या है;

(ख) ये रोगी समाज के किस वर्ग के हैं और प्रत्येक वर्ग में रोगियों का प्रतिशत कितना है;

(ग) उक्त रोग किन कारणों से फैला और इस समय इस रोग के उपचार से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है;

(घ) गत पांच वर्षों में केन्द्रीय सरकार ने कुष्ट रोग से राहत के लिए किए गए कार्यों पर प्रतिवर्ष कितनी राशि खर्च की है; और

(ङ) इस घातक रोग को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) भारत में अनुमानत: 250 लाख कोढ़ ग्रस्त रोगी हैं। रोगियों की राज्यवार और उम्रवार संख्या इस प्रकार है :

	राज्य का नाम	रोगियों की अनुमानित संख्या (लाखों में)
1.	तमिल नाडु	6.4
2.	आन्ध्र प्रदेश	5.2
3.	बिहार	2.8
4.	महाराष्ट्र	2.2
5.	मैसूर	1.4
5.	उड़ीसा	1.9
7.	उत्तर प्रदेश	1.4
8.	पश्चिम बंगाल	2.4
9.	शेष राज्य	1.3
		कुल 25.0 लाख

उम्रवार

0-14 वर्ष	3.75 लाख अनुमानित
14 से ऊपर	21.25 लाख ,,
	कुल 25.0 लाख

(ख) कोढ़ का रोग अधिकतर निम्न वर्ग में पाया जाता है, परन्तु यह कभी-कभी उच्च वर्ग में भी पाया जाता है। निम्न और उच्च वर्ग में इस रोग के रोगियों का प्रतिशत उपलब्ध नहीं है।

(ग) इस रोग का मुख्य कारण माइकोबेक्टेरियम लेपरिया है, जिसे आमतौर पर लेप्रोसी बैकिलस कहा जाता है। अब इस रोग का दवाइयों और शल्य क्रिया द्वारा पूरी तरह इलाज किया जा सकता है। कोढ़ के इलाज की मुख्य दवाई डी० डी० एस० हैं। डी० डी० एस० के अतिरिक्त अन्य डी० डी० टी०, डी० डी० एस० ओ० तथा बी 663 आदि औषधियों को भी कोढ़ का इलाज करने में इस्तेमाल किया जाता है पर इन सबमें डी० डी० एस० सबसे अधिक कारगर औषधि है

(घ) पिछले पांच वर्षों में कुष्ठ रोग निवारण कार्यक्रम के लिए राज्यवार केन्द्र को दी गई सहायता इस प्रकार है :

वर्ष	दी गई सहायता (लाखों रुपये में)
1965-66	62.264
1966-67	20.926
1967-68	27.365
1968-69	23.813
1969-70	38.580 (अब तक)
	योग 172.948 लाख रुपये

(ङ) भारत सरकार ने राष्ट्रीय कुष्ठ-निवारण कार्यक्रम 1955 से चालू किया है। इसका इलाज गृहोपचार और चलोपचार के ढंग पर किया जाता है जनसंख्या का सर्वेक्षण किया जाता है, लोगों को जांच की जाती है, रोग ग्रस्त लोगों का पता लगाया जाता है और उनका इलाज किया जाता है तथा समय-समय पर रोगियों से सम्बन्ध बनाए रखा जाता है।

जहां तक निवारण का सम्बन्ध है भारत सरकार ने आरम्भ में कुछ चुने हुए क्षेत्रों में डी० डी० एस० निवारण कार्यक्रम चालू किया है

विशिष्ट प्रशिक्षण के लिए विदेश जाने वाले डाक्टरों द्वारा भरे जाने वाले बांड की राशि

3001. **श्री बाबूराव पटेल :** **श्री सामीनाथन :**
श्री सेझियान : **श्री अम्बाजागन :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार निवोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा वृत्ति तथा शोध अनुदानों के आधार पर प्रशिक्षण के लिये विदेश जाने वाले डाक्टरों द्वारा भरे जाने वाले बांड की राशि को 30,000 रुपये से बढ़ा कर 50,000 रुपये कर देने के क्या कारण हैं ;

(ख) गत दो वर्षों में कुल कितने डाक्टर आर्थिक दृष्टि से अच्छे भविष्य की आशा से विदेशों में ही बस गये हैं ;

(ग) भारत में इस व्यवसाय की स्थिति सुधारने के लिये क्या ठोस कार्यवाही की गई है ; और

(घ) अस्पताल अध्ययन दल ने क्या मुख्य सिफारिशें की हैं और उन्हें कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) बांड की राशि का परिकलन शिक्षा वृत्ति पर जा रहे सरकारी

कर्मचारी को दी गई समस्त राशि के आधार पर किया जाता है अथवा उस पर हुए खर्चों यथा वेतन और भत्ते, अवकाश वेतन, फीस, यातायात और अन्य व्यय, अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा व्यय तथा विदेशी सरकार सम्बद्ध एजेन्सी द्वारा विदेशों में प्रशिक्षण पर किया गया व्यय, के आधार पर किया जाता है। इसलिए बाण्ड की राशि प्रत्येक मामले में अलग-अलग होती है और उसके लिए कोई निश्चित राशि निर्धारित नहीं है। अतः जैसा कि प्रश्न के इस भाग में सुझाव दिया गया है, बाण्ड की राशि को 30,000 रु० से बढ़ाकर 50,000 रु० करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) गत दो वर्षों के दौरान विदेशों में बसने वाले डाक्टरों की संख्या के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं हैं। मगर उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1964 से 1968 की अवधि के दौरान 256 भारतीय डा० विदेशों में बस गये हैं।

(ग) सरकार के अधीन चिकित्सा अधिकारियों की परिलब्धियों में काफी सुधार हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले अधिकारियों को विशेष प्रोत्साहन दिये जाते हैं।

(घ) 25 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5019 के उत्तर में लोक सभा-पटल पर अस्पताल अध्ययन दल की मुख्य सिफारिशें रखी गई थीं। जहां तक इन सिफारिशों के कार्यान्वयन का सम्बन्ध है, अस्पताल अध्ययन दल के प्रतिवेदन की प्रतियाँ सभी राज्य सरकारों को जैसा भी वे उचित समझें, कार्यवाही के लिए भेजी गई थी। उनके कार्यान्वयन के बारे में केन्द्रीय सरकार को कोई विशेष कार्यवाही नहीं करनी थी।

पोलिएस्टर फिलेमेंट धागे का उत्पादन करने की क्षमता

3002. **श्री स० मो० बनर्जी : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पोलिएस्टर फिलेमेंट धागे बनाने की वर्तमान क्षमता कितनी है ;

(ख) यदि वर्तमान उत्पादन देशी प्रौद्योगिकी पर आधारित है तो उस देशी प्रौद्योगिकी को सरकार क्या प्रोत्साहन दे रही है ;

(ग) क्या यह सच है कि देशी प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार पोलिएस्टर फिलेमेंट धागे को व्यापारियों ने पसन्द किया है और उन्होंने देशी पोलिएस्टर फिलेमेंट की सप्लाई में शीघ्र वृद्धि करने के लिये सरकार से आग्रह किया है, यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) क्या पोलिएस्टर फ़िलेमेंट धागे बनाने की वर्तमान उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिये कोई आवेदन-पत्र सरकार के विचाराधीन है, यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) 700 मीटरी टन प्रतिवर्ष।

(ख), (ग) और (घ). दो वर्तमान नायलन फिलेमेंट धागा बनाने वाले एककों के इस दावे के आधार पर, कि उनके द्वारा विकसित देशीय जानकारी पर उत्पादन स्थापित होगा, प्रत्येक

को प्रतिदिन एक मीटरी टन पोलिएस्टर फिलेमेंट धागे का अनेकता के रूप में बनाने की अनुमति दी गई। देशीय उत्पादकों द्वारा उत्पादित पोलिएस्टिर धागे की तकनीकी उपयुक्ता के बारे में पिछले वर्ष एक विस्तृत अध्ययन किया गया था और आयातित धागे की मानक किस्म के संदर्भ में कुछ विभिन्नताएं पाई गई।

हाल ही में घरेलू निर्माताओं द्वारा उत्पादित धागे के बारे में फैबरिक निर्माताओं से कुछ रिपोर्टें मिली हैं। और फैबरिक निर्माताओं से देशीय सम्भरण के बढ़ाने के लिए भी प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे। दो एककों की, जिनको पहले से ही पोलिएस्टिर फिलेमेंट धागा बनाने की अनुमति दी गई थी उनके और अधिक विस्तार के लिए प्रार्थना पत्र सरकार के विचारा धीन हैं। आगामी चार वर्षों में अनुमानित मांग को उचित कीमतों पर पूरा करने के लिए पोलिएस्टिर फिलेमेंट धागे की निर्माण क्षमता को बढ़ाने के लिए अन्य प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

आयात की मात्रा को कम करने के लिये नायलन धागे के एककों का उपांतिक विस्तार

3003. **श्री० स० मो० बनर्जी** : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नायलन धागे के आयात को जिस पर मूल्यवान विदेशी मुद्रा व्यय होती है, कम करने के लिये और देश भी मांग को अत्यल्प समय में पूरा करने के लिये, कम विदेशी मुद्रा की लागत पर नायलन धागे के एककों में उपांतिक विस्तार करने के लिये अगुमति देने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न एककों में उपांतिक विस्तार करने के कार्य को स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या नायलन के धागे का निर्माण करने वाले नये कारखानों में उत्पादन शुरू करने के लिये औसतन 5-6 वर्ष लग जाते हैं जब कि वर्तमान एककों में 600-700 टन प्रतिवर्ष तक का उपांतिक विस्तार करने के लिये केवल 12 मास लगेंगे और इस पर 50 लाख रुपये की अत्यल्प विदेशी मुद्रा की लागत आयेगी ;

(घ) उपांतिक विस्तार द्वारा अतिरिक्त क्षमता पैदा हो जाने के कारण प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होगी ; और

(ङ) क्या सरकार चौथी पंच वर्षीय योजना में और नये एककों के लाइसेंस देने के सम्बन्ध में विचार कर रही है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) उत्पादन लागत और कारखाने के आकार से सम्मिलित अर्थ-व्यवस्था का अध्ययन करने के बाद, सरकार इस निष्कर्ष पर पहुची है कि नायलन धागे के लिए पहले चरण में 6 मीटरी टन प्रतिदिन की क्षमता और अन्तिम चरण में 12 मीटरी टन प्रतिदिन की क्षमता का एकक लाभप्रद आकार होगा। वर्तमान दो एककों को प्रतिदिन 6 मीटरी टन तक बढ़ाने की

अनुमति दी गई है और वे इस समय पूरी क्षमता से उत्पादन कर रहे हैं। दो और एककों को इस स्तर तक विस्तार के लिए आशय-पत्र जारी किये गये हैं। तीसरे एकक के बारे में, जो प्रतिवर्ष 700 मीटरी टन उत्पादन कर रहा है, उसकी प्रतिवर्ष 2300 मीटरी टन तक क्षमता का विस्तार विचाराधीन है। अन्य 5 एककों ने, जिन्हें लाइसैन्स या आशय-पत्र दिये गये हैं अपनी मूल योजनाएं अभी कार्यान्वित नहीं की हैं।

(ग) जी हां। उपान्तिक विस्तार, नये एककों की अपेक्षा निश्चित रूप में अति अल्प समय में और काफी कम विदेशी मुद्रा की लागत पर प्राप्त किया जा सकता है।

(घ) और (ङ). यह नये एककों के आकार और उपान्तिक विस्तार से प्राप्त अतिरिक्त क्षमता की सीमा पर निर्भर करेगा। इन परिस्थितियों में क्या नये एककों का चौथी योजना में लाइसैन्स दिये जायें, यह प्रश्न विचाराधीन है।

चोरी छिपे लाये गये माल की बिक्री

3004. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969 में पकड़े गये, चोरी छिपे लाये गये विभिन्त प्रकार के माल का मूल्य क्या है ;

(ख) उस माल की बिक्री किस प्रकार से की गई ; और

(ग) उससे सरकार को कुल कितना लाभ हुआ ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) चोरी छिपे रूप में लाई गई जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं 1969 में पकड़ी गयी उनका मूल्य निम्नलिखित था :

(लाखों में)

अन्तर्राष्ट्रीय दर पर सोने का मूल्य	चांदी मूल्य	घड़ियां मूल्य	सेश्लिष्ट कपड़े और सूत	अन्य वस्तुएं	जोड़
530	94	415	644	818	2501

(ख) जब्त की गयी वस्तुओं का निपटान निम्नानुसार किया गया :

(i) सोने, सोने के आभूषण, चांदी और चांदी के आभूषण टकसाल में जमा कर दिये गये।

(ii) तराशे हुए हीरों और कीमती नगों को, हथकरघा तथा हस्तकला निर्यात निगम के मार्फत निर्यात किया गया।

(iii) लौंग, तेजपात और दालचीनी तथा जायफल आदि को राज्य व्यापार निगम के मार्फत बेचा गया।

(iv) बिना तराशे हुए हीरों तथा कीमती नगों को सीमाशुल्क विभाग ने, सार्वजनिक नीलाम द्वारा लाइसेंसधारकों को बेचा गया।

(v) अन्य उपभोक्ता वस्तुएं, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड सैनिक कैन्टीन स्टोर्स और गृह मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सहकारी संस्थाओं को बेची गयीं।

(vi) अन्य व्यापारिक वस्तुएं, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा नीलामी के जरिये बेची गयीं।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायगी।

शिक्षा मंत्रालय में पुस्तकालय तथा संग्रहालय सलाहकारों की नियुक्ति

3005. **डा० प० मंडल :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय से पुस्तकालय तथा संग्रहालय सलाहकारों की नियुक्तियां और पुनर्नियुक्तियाँ किये जाने की अनुमति दे दी है ; और

(ख) इन पदों पर पहले हुए खर्च तथा उनको भेजे गए मामलों को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्रालय ने इन पदों का पुनः औचित्य ठहराया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल नहीं उठता।

राष्ट्रीयकृत बैंकों से टैक्सी अथवा स्कूटर के लिये ऋण के लिये जमानत

3006. **श्री विक्रम चन्द महाजन :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टैक्सी और स्कूटर के लिए जब भी ऋण मांगा जाता है तब राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबन्धक आयकर छूट के प्रमाण पत्र और ऐसे लोगों की जमानत अनिवार्य रूप से मांगते हैं जो किसी सम्पत्ति के मालिक हों ; और

(ख) यदि हां, तो इन रुकावटों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). जो राष्ट्रीकृत बैंक टैक्सी/स्कूटर/आटोरिक्शा चालकों को ऋण देते हैं वे, गाड़ियों पर बैंक के प्रभार के अतिरिक्त आम तौर पर एक या दो जमानतों या गारंटियों या एक सह-हस्ताक्षरकर्ता के लिए जोर देते हैं। यद्यपि जमानती/गारंटीकर्ता/सह-हस्ताक्षरकर्ता बैंकों को मान्य होने चाहिये परन्तु इनकी सम्पत्ति का मालिक होना कोई शर्त नहीं है। उन छोटे उधारकर्ताओं के सम्बन्ध में आय-कर के भुगतान के प्रमाण-पत्र का सवाल पैदा ही नहीं होगा जो आयकर निर्धारित नहीं है। फिर भी इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिये कि एक छोटा आदमी जिसके पास कोई उपयोगी योजना हो पर्याप्त जमानत के अभाव में या व्यक्तिगत गारंटी न देने की सूरत में, ऋण प्राप्त करने से वंचित न रह जाय, सरकारी क्षेत्र के बैंकों की समन्वय समिति से यह अनुरोध किया

गया है कि वह वर्तमान स्थिति की समीक्षा करे और देखे कि किस हद तक उपयुक्त वैकल्पिक पद्धतियां तैयार की जा सकती हैं।

गुजरात में आवास योजना के लिये नियत राशि

3007. **श्री सोमचन्द सोलंकी :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार की आवास योजनाओं के अन्तर्गत मकान बनाने के लिये गुजरात सरकार के लिये 1968-69 और 1970 में कुल कितनी राशि नियत की गई है ;

(ख) राज्य सरकार ने इस प्रायोजना के लिये कितनी राशि मांगी थी ; और

(ग) अब तक कुल कितनी राशि दी गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय सहायता, 1967-68 तथा 1968-69 में ऋणों तथा अनुदानों के रूप में उन द्वारा बताये गए व्यय के आधार पर ली गई, जिसका नियतन किया गया और, जो प्लान-आऊट ले में सम्बन्धित वर्षों के लिये अनुमोदित थी। दो वर्षों का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

	1967-68	1968-69
	(लाख रुपयों में)	
गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तावित व्यय	228.00	137.00
नियत की गई केन्द्रीय सहायता	67.70	100.62
ली गई केन्द्रीय सहायता	47.78	85.16

1969-70 से आरम्भ होने वाली चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए, राज्य क्षेत्र की सभी योजनाओं (जिसमें आवास योजनायें शामिल हैं) के लिए केन्द्रीय सहायता राज्य सरकारों को ब्लाक ऋणों तथा ब्लाक अनुदानों के रूप में नियत तथा दी जा रही है। राज्य सरकारें अपनी प्राथमिकताओं तथा आवश्यकताओं के अनुसार राज्य क्षेत्र के विभिन्न कार्यक्रमों के लिये उपयोग में लाई जाने वाली रकम का विनिश्चय करने में पूरी तरह स्वतंत्र हैं। राज्य क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के लिए 1969-70 के दौरान गुजरात सरकार को कुल नियत की गई ब्लाक केन्द्रीय सहायता 2,820.00 लाख रुपये की है। इस ब्लाक सहायता में से आवास योजनाओं के अन्तर्गत उपयोग में लाई गई रकम की सूचना अभी राज्य सरकार द्वारा नहीं दी गई है।

आयकर निर्धारण

3008. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर-दाता जिस मूल चलान के अन्तर्गत आयकर का

भुगतान करता है, उसकी एक मूल प्रति रिजर्व बैंक या खजाने द्वारा, यथा स्थिति, सम्बद्ध आयकर कार्यालय को एक निश्चित समय के अन्तर्गत भेजी जाती है परन्तु अनेक मामलों में वह प्रति अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचती ;

(ख) यदि हां, तो क्या आयकर-दाता से सम्बद्धित फाइलों में ये रसीदें निश्चित समय के अन्दर ही लगानी होती है ;

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसी व्यवस्था के बावजूद आयकर कार्यालय, नई दिल्ली के वसूली भाग ने इन रसीदों को या उनकी प्रमाणित प्रतियों को प्रस्तुत करने के लिए प्रत्येक करदाता को बड़ी संख्या में प्रत्याशित पत्र भेजे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस गलती को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ताकि करदाताओं की कठिनाई दूर हो ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) चालानों की मूल प्रतियां, स्थिति अनुसार रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, खजाने द्वारा आयकर विभाग की यथा संभव शीघ्र ही वापिस की जानी होती हैं। यह कहना सही नहीं है कि चालान कभी भी गन्तव्य स्थान तक नहीं पहुँचते।

(ख) रिजर्व बैंक/स्टेट बैंक/खजाने से प्राप्त हुए चालानों को सम्बद्ध फाइलों में रख दिया जाता है। चालानों को फाइलों में रखने के बारे में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है लेकिन चालानों के प्राप्त होते ही उन्हें तत्काल फाइलों में रखे जाने की अपेक्षा की जाती है।

(ग) जिन मामलों में फाइलों में चालान उपलब्ध नहीं होते हैं उन मामलों में, रिकार्ड की शुद्धता की तस्दीक करने और कर वसूली अधिकारियों को गलत प्रमाण-पत्र जारी किये जाने से, निर्धारितियों को होने वाली परेशानियों को दूर करने के उद्देश्य से, आयकर विभाग नई दिल्ली द्वारा पूर्वानुमानित पत्र जारी कर दिये गये हैं। जिन मामलों में पूर्वानुमानित पत्रों के उत्तर में निर्धारितियों द्वारा यह सूचना दी जाती है कि अदायगी पहले ही की जा चुकी है, केवल उन्हीं मामलों में, की गई अदायगी की तस्दीक करने के उद्देश्य से निर्धारितियों को चालानों के अधपन्ने पेश करने के लिए कहा जाता है। चालान का अधपन्ना प्राप्त होने पर आयकर अधिकारी अपने द्वारा की गई तस्दीक के एवज़ में सत्यप्रतिलिपि पर प्रति हस्ताक्षर कर देता है और उसे रिकार्ड में रख लेता है।

(घ) इस बात का इतमीनान करने के लिये कि चलानों को उपर्युक्त ढंग से तथा तत्काल ही निर्धारितियों की अलग अलग फाइलों में रखा जाय, चालानों को फाइलों में रखने की प्रणाली कठोर बना दी गई है और पर्यवेक्षण कर्मचारीवर्ग को, चालानों को उपर्युक्त ढंग से फाइल में रखने के कार्य की नमूना-जांच करने का निदेश दिया गया है।

संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सहायक अभियंता तथा सहायक कार्यकारी अभियंताओं की भर्ती

3009. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि

संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने सहायक अभियंता तथा सहायक कार्यकारी अभियंताओं की भर्ती को रोकने का निर्णय किया है ताकि विभागीय अभियंताओं की शिकायत दूर की जा सके और उनका मनोबल कायम रखा जाये ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय म राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : जी, नहीं। संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सहायक कार्यपालक इंजीनियरों की भर्ती बन्द करने का निर्णय किया गया है। जहां तक सहायक इंजीनियरों का सम्बन्ध है, इस ग्रेड में सीधी भर्ती बन्द करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सहायक कार्यकारी अभियंताओं के लिए पृथक संवर्ग

3010. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास** तथा नगरीय विकास मन्त्री 22 दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4765 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जब स्नातकों के लिए कनिष्ठ अभियंता संवर्ग बनाता है, जैसा कि दक्षिण भारत के राज्यों में बनाया गया है, 'युक्तिसंगत' नहीं हैं, उन सहायक कार्यकारी अभियंताओं के लिए पृथक वेतन-मान तथा पदोन्नति के अवसरों सहित एक पृथक संवर्ग बनाना कहां तक युक्तियुक्त है, जब कि वह लोग वही कार्य करते हैं जिसकी अपेक्षा सब-डिवीजनल अधिकारियों, अर्थात् सहायक अभियंताओं से की जाती है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : यह कहना ठीक नहीं हे कि सहायक इंजीनियरों की वांछित ड्युटी करने के लिए सहायक कार्यपालक इंजीनियरों का एक केडर बनाया गया था। जूनियर क्लास I काडर में सहायक कार्यपालक इंजीनियर के पद के बनाने का मुख्य उद्देश्य यह था कि देश के सर्वश्रेष्ठ योग्य इंजीनियरों को आकृष्ट किया जाये जो अन्ततः विभाग के उच्च पदों को संभाल सकें। ये उप-विभाजन इस उद्देश्य से किया गया था कि कार्यपालक इंजीनियरों के पदों पर आने से पहले, सहायक कार्यपालक इंजीनियरों के लिए यह प्रशिक्षण क्षेत्र बने।

पश्चिमी जर्मनी के शिष्ट मण्डल की भारत यात्रा

3011. **श्री नदरुद्दुजा** :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री कं० हाल्दर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी जर्मनी के जिस शिष्ट मण्डल ने जनवरी, 1970 में भारत की यात्रा की थी क्या उसके प्रधान श्री हरमन जोसेफ एव्स थे, जो कभी हिटलर के वित्तीय सलाहकार रहे थे ; और

(ख) शिष्टमण्डल के अन्य सदस्यों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) पश्चिमी जर्मनी के शिष्ट-

मंडल के प्रधान ड्यूश बैंक के पर्यवेक्षी बोर्ड के अध्यक्ष डा० हरमन जे० एब्स थे। जहां तक भारत सरकार को पता है, डा० एब्स कभी हिल्टर के वित्तीय परामर्शदाता नहीं रहे।

(ख) एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—2869/70]

कलकत्ता के श्री के० ए० लक्ष्मण प्रभु का नाम काली सूची में रखा जाना

3012. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री क० मि० मधुकर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता के श्री के० ए० लक्ष्मन प्रभु का नाम, जो सरकार को करों की चोरी के मामलों के बारे में सूचना दिया करते थे, प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड ने काली सूची में रख दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या श्री प्रभु ने अपने विरुद्ध की गई बोर्ड की कार्यवाही के विरोध में राष्ट्रपति तथा प्रधान मन्त्री को एक ज्ञापन दिया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). मुखबिरों की कोई काली-सूची नहीं रखी जाती है। परन्तु अवांछित मुखबिरों को नजर-अन्दाज कर दिया जाता है और उनके द्वारा दी गई सूचना पर, जब तक आवश्यक नहीं समझा जाय, कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। आयकर विभाग के जांच-पड़ताल करने वाले अभिकरण, मुखबिरों द्वारा दी गई सूचना पर कार्यवाही करते हैं बशर्ते कि ऐसी सूचना सही और उपयोगी हो, और इसके अलावा मुखबिर के पूर्ववृत्त को देखते हुए उसे विश्वसनीय समझा जाय। यदि यह पाया जाय कि पूर्ववृत्त, व्यवहार तथा पूर्ववर्ती मामलों में दी गई सूचना से विश्वास का कोई औचित्य नहीं मिलता है तो इस आशय की हिदायतें जारी की जाती हैं कि ऐसे मुखबिरों पर ध्यान नहीं दिया जाय। गोपनीयता के आश्वासन को देखते हुये, अलग-अलग मुखबिरों के सम्बन्ध में ब्यौरे देना सम्भव नहीं है परन्तु ऊपर बतायी गई कार्यविधि के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

(ग) और (घ). पुरस्कार नियमों में यह उपबन्धित है कि उक्त नियमों के अन्तर्गत दिये गये निर्णय के खिलाफ कोई अभ्यावेदन नहीं किया जा सकता। फिर भी, मुखबिरों से प्राप्त शिकायतों की जांच की जाती है और यदि आवश्यक हो तो उन्हें दूर किया जाता है। यदि कोई मुखबिर सार-रहित पाई गयी शिकायतों को दोहराता रहता है तो आगे ऐसी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जाता।

उर्वरकों की कीमतों में कमी

3013. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री जे० के० चौधरी :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री आत्म दास :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई में 10 जनवरी, 1970 को भारतीय रसायन निर्माता संघ की उन्नीसवीं वार्षिक बैठक का उद्घाटन करते समय उन्होंने उर्वरकों की कीमतों को "निर्धारित अवधि में उचित स्तर पर लाने" तथा उन्हें कम करने के लिए गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्रों द्वारा संयुक्त प्रयत्न किये जाने का अनुरोध किया था ;

(ख) यदि हां, तो सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के संयंत्रों में उत्पादित होने वाले प्रत्येक किस्म के उर्वरकों का औसत बिक्री मूल्य प्रति टन, वर्ष 1966-67 से 1969-70 तक वर्षवार क्या है, और विभिन्न प्रकार के आषातित उर्वरकों का औसत बिक्री मूल्य वर्ष 1966-67 से 1969-70 तक वर्षवार क्या है ;

(ग) "उचित स्तर" कितना होगा और निर्धारित अवधि से किस तिथि का अभिप्रेय है ; और

(घ) उर्वरकों के मूल्य को कम करने के लिए सरकार ने क्या ठोस कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हःण) : (क) जी हां। लेकिन यह 19 सवीं वार्षिक बैठक में नहीं, अपितु भारतीय रसायन निर्माता संघ की 29 सवीं वार्षिक बैठक का उद्घाटन करते समय कहा था। दूसरे भाषण में आम तौर से रसायनों की कीमतों के बारे में कहा था और विशेष रूप से उर्वरकों के बारे में नहीं।

(ख) उर्वरक सांख्यिकी 1968-69 के अध्याय सात में विभिन्न किस्म के उर्वरकों के विक्रय मूल्य की जानकारी उपलब्ध है। वर्ष 1969-70 की कीमतों के बारे में सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

(ग) यद्यपि विचार यह है कि आन्तरिक कीमतें, यथासम्भव, आयातित किस्मों के शुल्क सहित कीमतों (लिण्डड प्राइसिज) के तुलनात्मक हों, कोई निश्चित कीमत बनाना सम्भव नहीं है। प्रत्येक रसायन में भिन्नता-युक्त निर्धारित अवधि से हमारा तात्पर्य साधारणतया 5 से 10 वर्ष का है।

(घ) देश में उत्पादित उर्वरकों के मूल्यों में कमी लाने के लिए सरकार बराबर कदम उठाती है। उर्वरक मूल्यों में कमी लाने के लिये निम्न कदम उठाये गये हैं :—

(1) उच्चतर क्षमता वाले सन्यन्त्रों की स्थापना से मूल्य ह्रस/निष्पादन में सुधार

(2) कच्चे माल में खपत मानकों पर नियन्त्रण

(3) सस्ते वैकल्पिक माल द्वारा प्रतिस्थापन

(4) उपयोग की अनुकूलतम क्षमता प्राप्त करना ; और

(5) नई और सुधारित तकनीकी का प्रयोग ।

यह आशा है कि इन तरीकों को अपनाने के फलस्वरूप तथा नये सन्यन्त्रों की स्थापना से भी, आगामी कुछ वर्षों में उर्वरकों के उपभोक्ता-मूल्यों में पर्याप्त कमी लाना सम्भव होगा ।

नागपुर से डाक तार लेखा परीक्षा तथा लेखा निदेशक कार्यालय के विभाजन की योजना

3014. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संसद् सदस्यों से एक ज्ञापन पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें, नागपुर स्थित डाक तार लेखा परीक्षा तथा लेखा निदेशक के कार्यालय के विभाजन की योजना को वापस लेने के लिये सरकार से अनुरोध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों को अपरिहार्य कठिनाइयों से बचाने के लिये तथा नागपुर नगर के महत्व को कायम रखने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं । किन्तु, इस विषय पर अलग-अलग संसद सदस्यों से कुछ पत्र प्राप्त हुए हैं।

(ख) इससे अधिक कर्मचारियों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है । तथापि, कर्मचारियों को परेशानी से बचाने के उद्देश्य से, नियंत्रक महा-लेखा-परीक्षक ने निर्णय किया है कि किसी भी कर्मचारी को उसकी इच्छा के विरुद्ध नये एकक में स्थानान्तरित नहीं किया जायगा । नागपुर कार्यालय में कर्मचारियों की न तो छंटनी की जायगी और न ही स्थानापन्न तौर पर पदोन्नत किये गये मौजूदा कर्मचारियों की पदावनति ही की जायगी । नियंत्रक-महा-लेखा-परीक्षक ने इस बात का संकेत दिया है कि विकेन्द्रीकरण के बाद भी, महाराष्ट्र परिमंडल के डाक तथा तार सम्बन्धी लेन देन का काम देखने के लिये, इस कार्यालय का एक बड़ा भाग नागपुर में कार्य करता रहेगा ।

दिल्ली विकास प्राधिकार की भाग्यदा (लाटरी) योजना

3015. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकार को लाटरी के पहले और दूसरे ड्रा में अनुमानतः कितना मुनाफा हुआ ;

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकार ने इस व्यवस्था से कमाये गये मुनाफे में से लोगों को कुछ सुविधायें देने के लिये जो योजना तैयार की है उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या लाटरी जारी रहने देने के विरोध में सरकार को कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) क्रमशः 12.50 लाख रुपये तथा 8.50 लाख रुपये।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण को हुए लाभ को निम्नलिखित योजनाओं के लिये उपयोग में लाए जाने का प्रस्ताव है :—

(1) निम्न आय सेवा कर्मचारियों के लिए सस्ते टेनमेन्ट्स में का निर्माण।

(2) झुग्गी-झोंपड़ी कालोनियों की सुविधाओं में सुधार।

(3) जिन ग्रामीणों की भूमि का अर्जन किया गया है और जिन के गांव दिल्ली की वृहत् योजना की नगरीय सीमाओं के अन्तर्गत आते हैं, उनके हित के लिए पुनर्वास योजनाएं।

(4) सामुदायिक तथा समाज-कल्याण केन्द्रों की स्थापना।

(ग) जी नहीं।

बेरोजगार इंजीनियरों और डिप्लोमा होल्डरों को वितरण/बिक्री अभिकरणों का दिया जाना

3016. **श्री देवेन सेन** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या उनके मंत्रालय के अन्तर्गत काम कर रहे उपक्रमों के, इण्डियन आयल कारपोरेशन के उत्पादों को छोड़कर, उत्पादों के वितरण बिक्री के लिए इन्जीनियरिंग के बेरोजगार स्नातकों तथा डिप्लोमा होल्डरों को अभिकरण देने का सरकार ने निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय का ब्योरा क्या है और इसकी क्रियान्विति में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). जहां तक पैट्रोलियम तथा रसायन विभाग का सम्बन्ध है, कृषि सामग्री के विपणन के सारे पहलुओं में, बेरोजगार स्नातकों, विशेष रूप से विज्ञान-विषयों और कृषि-विज्ञान के स्नातकों को, प्रशिक्षण देने के लिये, भारतीय उर्वरक निगम ने एक योजना तैयार की है। चुने हुये उम्मीदवारों के प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में निगम के उत्पादों की एजन्सी पेश की जायेगी। इस योजना को शुरू करने के लिये इस वर्ष 300 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है। निगम द्वारा प्राप्त हुए प्रार्थनापत्रों की जांच कर रहा है और मई तथा जून, 1970 के बीच, चुने गये उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देने की आशा है।

खान तथा धातु विभाग के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रखी जायगी।

Supply of Uniforms of Gardeners and Khalasis in Air-Conditioning and Electrical Division of Department of Works, Housing and Urban Development

3017. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) whether it is a fact that gardeners and Khalasis in the Air-conditioning and Electrical Division in the Department of Works, Housing and Urban Development are not supplied uniforms ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Gardeners in C. P. W. D. (called Malis) are not provided with uniforms. However, such of the Khallasis, as were previously designated as Cleaners and Pump Attendants are provided with uniforms.

(b) Uniforms are supplied only to those work-charged staff whose duties involve damage to clothing or abnormal wear and tear of clothing, or to those workers who have to work near moving machinery, or those who come in contact with public men or high dignitaries. As gardners, and Khallasis in C. P. W. D. other than those mentioned in (a) above, do not fulfil any of these criteria, they are not entitled to the supply of uniforms.

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशक द्वारा छोटे एककों को दिये गये क्रयादेशों का मूल्य

3018. **श्री बदरुद्दुजा** :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री कं० हाल्दर :

क्या **पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 में पूर्ति तथा निपटान के महानिदेशक द्वारा प्रत्येक राज्य में छोटे एक्कों को कितने रुपये के माल के क्रयादेश दिये गये हैं ; और

(ख) अगले पांच वर्षों में प्रत्येक राज्य में लघु उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए पूर्ति तथा निपटान महानिदेशक ने क्या योजना बनाई है ?

पूर्ति मन्त्री और वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) पूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा 1968-69 में छोटे यूनिटों को दिये गए आर्डरों के मूल्य का एक विवरण संलग्न है, जो पूर्तिकर्ताओं की राज्यवार स्थिति के आधार पर वर्गीकृत है। [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल०टी० 2870/70]

(ख) लघु-उद्योग-क्षेत्र के विकास का कार्य विशेष रूप से पूर्ति और निपटान महानिदेशालय को सौंपा नहीं गया है। यह जिम्मेवारी अधिकतर राज्य सरकारों की है, जिसे वे, जहां आवश्यक हो, औद्योगिक विकास विभाग की सलाह से पूरी करती हैं। फिर भी, पूर्ति और निपटान महानिदेशालय, अपनी क्रय-नीति के अंग के रूप में, मुख्य रूप से लघु उद्योगों से ही अधिक से अधिक मदों की खरीद करने के लिए आरक्षण करके तथा जहां भी आवश्यक हो वहां मूल्य-तरजीह देकर लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करता है। पूर्ति और निपटान महानिदेशालय अनिवार्यत: एक क्रय-संगठन है, जिसके कार्यों का निर्धारण, मुख्यत: सामान की खरीद के लिए

विभिन्न मांगकर्ताओं से प्राप्त होने वाले आर्डरों के आधार पर किया जाता है। इसलिए यह किफायत के विभिन्न क्षेत्रों से खरीद के बारे में विशेष पंचवर्षीय योजनाएं बनाने की स्थिति में नहीं है।

अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा प्रकाशित स्मारिका में सरकारी क्षेत्र के उद्योगों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के विज्ञापन

3019. **श्री वीरेन्द्रकुमार शाह** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के कुछ सदस्यों की 22 और 23 नवम्बर, 1969 को दिल्ली में हुए अधिवेशन के समय जो स्मारिका प्रकाशित की गई थी उसमें सरकारी क्षेत्र के किस-किस उपक्रम ने विज्ञापन दिया था ;

(ख) उक्त स्मारिका में जिन बैंकों ने विज्ञापन दिये थे, उनके नाम क्या हैं ;

(ग) विज्ञापनों के लिए निर्धारित दर-तालिका क्या थी ;

(घ) उपरोक्त में से प्रत्येक ने ऐसे विज्ञापनों पर अलग-अलग कितनी-कितनी राशि खर्च की ; और

(ङ) इन एककों ने उस स्मारिका में किन कारणों से विज्ञापन दिया था ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ङ). सरकारी क्षेत्र के उपक्रम और राष्ट्रीयकृत बैंक विभिन्न प्रयोजनों के लिये, जिनमें जनता के मन में साख बनाना आदि शामिल है, पत्रिकाओं और स्मारिकाओं आदि जैसे विभिन्न साधनों के जरिये विज्ञापन करते हैं। विज्ञापन के एक विशेष साधन का चुनाव करते समय, इन संगठनों के प्रबन्ध अधिकारी, विज्ञापन के विभिन्न उपलब्ध साधनों की उपयोगिता का निश्चित ही ध्यान रखते हैं। सरकार का ऐसे मामलों में दखल देने का कोई विचार नहीं है जो इन संगठनों के दिन-प्रति-दिन के प्रशासन के अन्तर्गत आते हैं। इन ब्यौरों को इकट्ठे करने पर जितना परिश्रम करना पड़ेगा वह इससे होने वाले सम्भाव्य परिणामों की तुलना में बहुत अधिक होगा।

Availability of Ammonia as Raw Material for Fertilizer Plants in India

3020. **Shri Ram Swarup Vidyarthi** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether any proposal is under consideration of Government to set up a fertilizer plant in India by Importing ammonia from Iran ;

(b) if so, whether Government propose to take steps to ensure the availability of raw material within India in three to four years ;

(c) whether fertilizer prepared from ammonia is cheaper than the fertilizer prepared from Naphtha and other raw materials available in India ; and

(d) whether after some alterations in the machines of the said plant, fertilizer could be produced from Naphtha, if Iran is unable to supply ammonia for some reasons after five or ten years or whether the price of the plant would be realised from the sale proceeds of fertilizer produced there within 5 to 10 years ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) Government are at present considering the expansion of the Trombay unit of the Fertilizer Corporation of India based on ammonia imported from Iran.

(b) The Trombay Expansion will be using ammonia imported from Iran for about seven years beginning from 1972-73.

(c) As ammonia is the first step in the production of nitrogenous fertilizers, a plant based on naphtha or other feedstock will involve a larger capital investment than a plant based on imported ammonia. The cost of production of fertilizer will on either case depend on the relative prices of the main feedstock materials and the types of end products.

(d) A new plant for production of ammonia from naphtha or other feedstocks will have to be set up for production of fertilizers if imported ammonia is not available.

भारत या विदेशों में परियोजनाओं के निर्माण के लिए सार्थसंघों की स्थापना

3021. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने भारत तथा विदेशों में परियोजनाओं के निर्माण का काम करने वाले दो सार्थसंघों की स्थापना करने का निर्णय किया है ताकि सरकारी क्षेत्र के बड़े संयन्त्रों में अप्रयुक्त क्षमता की समस्या को हल किया जा सके :

(ख) यदि हां, तो उक्त सार्थसंघों के कार्य क्या होंगे ?

(ग) इन सार्थसंघों की स्थापना कब तक की जायगी ; और

(घ) सरकार ने उक्त सार्थसंघों को स्थापित करने का निर्णय किन परिस्थितियों में लिया ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ग). जी, हां। सरकार ने इंडियन कंसार्शियम फार पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की पहले ही स्थापना कर दी है जो 25 जून, 1969 को पंजीकृत किया गया था। एक दूसरे संघ का भी, जिसे इंडियन कंसार्शियम फार इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स कहा जायगा, शीघ्र ही पंजीकरण किये जाने की सम्भावना है।

(ख) और (घ). इन दो संघों (कंसार्शियम) की स्थापना करने का निर्णय इस उद्देश्य से किया गया था कि इस्पात कारखानों तथा बिजली घरों आदि के लिए 'टर्न की' आधार पर उपकरण उपलब्ध करने का काम हाथ में लेकर बिजली संयन्त्र निर्माण करने वाले तथा मशीनें बनाने वाले सरकारी उपक्रमों की क्षमता का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके।

उड़ीसा में केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में प्रति नियुक्त व्यक्ति

3022. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों ने उनमें प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे राज्य सरकार के कर्मचारियों को इस आशय के नोटिस दिये हैं कि वे इन उपक्रमों में स्थायी रूप से काम करने का विकल्प दें अथवा राज्य सरकार में वापिस चले जायं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि राज्य सरकार ने सरकार के इस प्रस्ताव के बारे में चिन्ता व्यक्त की है,

(ग) यहां हां, तो इसका कितने और किस वर्ग के अधिकारियों पर प्रभाव पड़ा है, और

(घ) इसके क्या कारण हैं और राज्य सरकार द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) उड़ीसा में केन्द्रीय सरकार के 3 मुख्य उपक्रम हैं अर्थात हिन्दुस्तान स्टील का राऊरकेला इस्पात कारखाना, हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स का कोरापुट एकक और राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की कोयले की कुछ खानें। हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स और राष्ट्रीय कोयला विकास निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार इन उपक्रमों में से किसी भी उपक्रम ने उड़ीसा सरकार के प्रतिनियुक्त किसी भी अधिकारी से, कम्पनी में स्थायी रूप से नियुक्त होने तथा राज्य सरकार में वापस जाने के विकल्पों में से एक विकल्प चुनने के लिए नहीं कहा है।

(ख), (ग) और (घ). प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को देखते हुए ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

उपर्युक्त प्रश्न के बारे में हिन्दुस्तान स्टील से सम्बन्धित सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे यथाशीघ्र सभा की मेज पर रख दिया जायगा।

उत्तर प्रदेश में रायबरेली में फाइबर प्लांट तथा आजमगढ़ जिले में माओ में कपड़ा मिल लगाने के लिए कानपुर के श्री जयपुरिया को लाइसेंस दिया जाना

3023. **श्री मधु लिमये** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में रायबरेली में फाइबर प्लांट तथा आजमगढ़ जिले में माओ में कपड़ा मिल लगाने के लिए सीता-राम जयपुरिया को दो लाइसेंस दिये हैं ;

(ख) क्या सरकारी दल के समर्थक होने के नाते जयपुरिया को ये लाइसेंस दिये गये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो कानपुर के जयपुरिया को लाइसेंस देने के लिए क्या कसौटी अपनाई गई है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) सूती तन्तु के निर्माण के लिये 20,368 स्पिंडलों से एक नया औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए 6 दिसम्बर, 1968 को एक लाइसेस मंजूर किया गया था। प्रतिवर्ष 6,100 मीटरी टन की क्षमता से गाजियाबाद में पोलिस्टर स्टेपल फाइबर के निर्माण के लिये 24 जुलाई, 1969 को मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्लज कं० लि० कानपुर को केवल एक आशय पत्र की मंजूरी दी गई थी।

(ख) और (ग). जी नहीं। कपड़ा मिल के लिए औद्योगिक लाइसेंस इसलिए दिया गया था क्योंकि इस केस में कानपुर यूनिट की कुछ क्षमता का आजमगढ़ जिले में केवल अन्तरण किया जाना था और किसी अतिरिक्त क्षमता का सृजन नहीं करना था।

पौलिस्टर फाइबर के लिये और क्षमता का लाइसेंस देने की जरूरत को ध्यान में रखते हुये तथा निम्नलिखित कसौटी के आधार पर पोलिस्टर फाइबर के निर्माण लिये आशय पत्र दिया गया था :

(i) विभिन्न क्षेत्रों के लिये मार्किट विश्लेषण तथा मांग आंकड़े इससे उत्तरी क्षेत्र में एक यूनिट की जरूरत महसूस हुई ।

(ii) पोलिस्टर फाइबर तथा कताई सूत के लिये स्पिंडलेज की खपत गत वास्तविक आंकड़ों के आधारों पर उत्तरी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में यह सबसे अधिक था ।

(iii) उन व्यापार घरानों तथा ग्रुपों, जिनके पास ना-सैल्युलौसिक सिन्थैटिक फाइबर की किसी एक किस्म के निर्माण के लिए पहले से ही लाइसेंस आशय पत्र है, के आवेदन-पत्रों पर विचार न करने की सरकार की नीति है ।

(iv) उत्तर प्रदेश से आवेदकों में से मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्ज सबसे पहले आवेदक थे, और उपयुक्त साधन जुटा पाने में उनकी स्थिति को अच्छा समझा गया ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में तेल की खोज के लिए अधिक राशि का रखा जाना

3024. **श्री गाडिलिंगन गौड :** **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री सामिनाथन : **श्री दण्डपाणि :**
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय में चौथी पंचवर्षीय योजना में तेल की खोज के लिये 341.60 करोड़ रुपये की धनराशि को बढ़ाकर 375.02 करोड़ रुपये करने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) मौलिक रूप में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के लिये 341.60 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय का प्रस्ताव था । बाद में इसे संशोधित कर 375.02 करोड़ रुपये किया गया, किन्तु अन्ततः 355.90 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय का प्रस्ताव किया गया था ।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिये जाने के संदर्भ में इन प्रस्तावों पर इस समय विचार किया जा रहा है ।

सरकारी उपक्रमों के प्रतिनिधियों की बैठक

3025. **श्री सामिनाथन :** **श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री नि० रं० लास्कर : **श्री मयावन :**
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारी इंजीनियरिंग हैवी इलैक्ट्रीकल, मशीनी औजार उपकरण,

केबिल उपक्रमों और दूर मुद्रक से सम्बद्ध सरकारी उपक्रमों के प्रतितिधियों की एक बैठक जनवरी, 1970 में हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन-किन बातों पर चर्चा हुई, और

(ग) उक्त बैठक में क्या निर्णय किये गये ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). सरकारी उद्यमों द्वारा निर्यात का जोरदार कार्यक्रम प्रारम्भ किये जाने से सम्बन्धित मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए, विदेश व्यापार मन्त्री की अध्यक्षता में 8 जनवरी, 1970 को एक बैठक हुई थी, जिसमें 12 उद्यमों के प्रतिनिधि शामिल हुये थे ।

(ग) सरकारी उद्यमों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये किये जाने वाले प्रस्तावित उपाय ये हैं : निर्यात विपणन योजनाएं तैयार करना, विदेशों के लिए साहित्य आदि जैसी एक ही प्रकार की सामग्री तैयार करना, ओसाका-1970 प्रदर्शनी में फिल्मों/सलाइडों के जरिये उपयुक्त ढंग से विज्ञापन करना, निर्यात के प्रयोजनों के लिये विदेशी मुद्रा के निर्धारण के प्रबन्धों को सरल बनाना, घुने हुये मामलों में नकद सहायता देना, जहां आवश्यक हो वहां परामर्शदाताओं की सहायता लेना आदि ।

Import/Export of Diamonds

3026. **Shri Hukam Chand Kachwai : Shri Ramchandra Veerappa : Shri Bansh Narain Singh :**

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the National Mineral Development Corporation propose to import diamonds worth 5 lakhs of rupees from East Germany ;

(b) if so, the number of diamonds imported from the foreign countries during the last two years by the National Mineral Development Corporation ; and

(c) the number of diamonds exported to foreign countries during the said period and the value of diamonds exported to each of the countries ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Jaganath Rao) : (a) The National Mineral Development Corporation Limited, have entered into an agreement for the import of rough diamonds of a value of Rs. 4,63,657/- from the Carman Democratic Republic.

(b) There has so for been no other import of diamonds by the National Mineral Development Corporation from any other source.

(c) A statement showing the destination-wise export of diamonds from India during 1967-68 and 1968-69 is enclosed. Information about the number of diamonds exported is not available. [*Placed in Library. See* No LT—2871/70].

Fire in Army Headquarters in South Block, New Delhi

3027. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in January, 1970, fire broke out in one of the rooms of the Army Headquarters in South Block New Delhi ;

(b) whether Government have enquired into the causes of the fire ; and

(c) if so, the causes thereof and the extent of loss suffered on this account ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes, Sir. A fire broke out on the 17th January, 1970 in a room in the basement of the Courtyard of South Block used by the Central Public Works Department as their store.

(b) Yes, Sir.

(c) The exact cause of the fire could not be ascertained. It may have occurred due to smouldering cigarette/bidi or match stick by somebody. The amount of loss is Rs. 129/- only, being the loss of 12 dismantled shutters which got charred.

गाजियाबाद में पैट्रोल साफ करने का कारखाना

3028. **श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों के लिए स्थान चयन समिति ने यह सिफारिश की है कि पैट्रोल साफ करने का कारखाना लगाने के लिए गाजियाबाद एक आदर्श स्थान है ; यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ;

(ख) पहले से ही औद्योगिक दृष्टि से भरमार वाले क्षेत्र में इस परियोजना को स्थापित करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) पटेल तथा वाचूं समितियों की सिफारिशों के अनुसार इस परियोजना को उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में स्थापित न करने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी उपक्रमों द्वारा उत्पादन लागत में कमी किया जाना

3029. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सरकारी उपक्रमों के प्रबन्धकों की उत्पादन लागत में कमी करने को कहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी सरकारी उपक्रम ने उक्त परामर्श के अनुशरण में उत्पादन लागत में कमी करने के लिए कोई ठोस कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि हां, तो उस उपक्रम का नाम क्या है और उत्पादन लागत के किस हद तक कम हो जाने की सम्भावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां । सरकार, सरकारी

उपक्रमों पर लगातार जोर डाल रही है कि उत्पादन-लागत को कम करने की आवश्यकता है और इस सम्बन्ध में सरकार ने विशेष रूप से इन उपायों का उल्लेख किया है :—

(1) लागत का हिसाब रखना ;

(2) लागत-लेखों का वित्तीय लेखों से सम्बन्ध ;

(3) लागत सम्बन्धी आंकड़ों को निदेशक मण्डलों के सामने समय पर प्रस्तुत करना ;

(4) सूचीबद्ध माल पर नियन्त्रण ;

(5) प्रामाणिक लागत पद्धति को चालू करना ;

(6) उत्पादकता में वृद्धि के लिए उपाय करना ; और

(7) अनावश्यक व्यय को घटाकर, कम से कम करना ।

(ख) और (ग). उपलब्ध सूचना के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के लगभग 45 उपक्रमों ने अपनी संचालन-लागत को घटाने के लिए, लागत लेखापालन निरीक्षण की यथोचित प्रणाली अपना ली है । कई उपक्रमों में लागत को घटाया भी गया है ; उदाहरण के रूप में मुख्य उपकरण ये हैं :—नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, हिन्दुस्तान टेलीप्रिण्टर्स आदि । चूंकि लागत पर, विभिन्न प्रकार की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बातों का प्रभाव पड़ता है इस-लिए इन उपायों को अपनाने के परिणाम-स्वरूप प्रत्यक्ष रूप से लागत में हुई वास्तविक कमियों की मात्रा बताना मुश्किल होगा ।

ईरान से अमोनिया की खरीद

3030. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 20,0000 मीटरी टन अमोनिया की खरीद के सम्बन्ध में ईरान सरकार के साथ कोई अन्तिम रूप से करार किया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त करार का विवरण क्या है ; और

(ग) यदि कोई करार नहीं किया गया तो यह मामला इस समय किस अवस्था में है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). ईरान की नेशनल पैट्रो-कैमीकल कम्पनी और भारतीय उर्वरक निगम के बीच एक समझौता हुआ है ; जिसके अनुसार उक्त कम्पनी, भारतीय उर्वरक निगम को 1972-73 से सात साल की अवधि में लगभग एक मिलियन मीटरी टन एनीहायडरस अमोनिया का विक्रय करेगा ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

डाक व तार विभाग में लेखापरीक्षा तथा लेखा का विकेन्द्रीयकरण

3031. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक व तार विभाग में लेखापरीक्षा तथा लेखा का सर्किल-वार विकेन्द्रीकरण करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या विकेन्द्रीकरण की नीति के आधार पर सरकार ने पूर्वी क्षेत्र के लिए कलकत्ता में केन्द्रीयकृत वर्तमान कार्य के विभाजन के पश्चात् उड़ीसा सर्किल में लेखापरीक्षा तथा लेखा निदेशक का कार्यालय खोलने का निर्णय किया है ; और

(ग) क्या कर्मचारियों के दावों के तेजी से निपटान तथा डाक व तार कार्यालयों की दक्षतापूर्ण लेखापरीक्षा के लिए डाक और तार विभाग, बिहार सर्किल में लेखापरीक्षा तथा लेखा निदेशक का कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) डाक-तार लेखा-परीक्षा तथा लेखा कार्यालयों को डाक-तार, परिमंडल-वार आधार पर पुनर्गठित किया जा रहा है ।

(ख) निदेशक, लेखा-परीक्षा तथा लेखा, डाक-तार, कलकत्ता के कार्यालय के विभाजन के बाद, 1 दिसम्बर, 1969 से डाक-तार परिमंडल, उड़ीसा के लेखा-परीक्षा तथा लेखा कार्यालय ने पहले ही कार्य करना आरम्भ कर दिया है ।

(ग) डाक-तार लेखा-परीक्षा तथा लेखा कार्यालयों का विकेन्द्रीकरण किया जा रहा है तथा डाक-तार सम्बन्धी लेन-देनों के उचिय तथा कुशल लेखांकन तथा लेखा परीक्षा के लिए उन्हें प्रशासनिक कार्यालयों के निकट रखा जा रहा है । पटना में बिहार परिमंडल के लिए एक शाखा-कार्यालय की स्थापना करने के मामले पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

मूलभूत नियमों तथा अनुपूरक नियमों में गवर्नर-जनरल का उल्लेख

3032. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 8 दिसम्बर, 1969 को दैनिक समाचार पत्र "**स्टेट्स मैन**" में "स्वतन्त्रता प्राप्ति के 22 वर्षों बाद भी हमारे यहां अभी गवर्नर जनरल है" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित हुए समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि मूलभूत नियमों तथा अनुपूरक नियमों के नवीनतम संस्करण में, जो गृह-कार्य मन्त्रालय द्वारा संकलित किया गया है और जिसमें 15 अक्टूबर, 1963 तक की गई शुद्धियां भी शामिल हैं, "गवर्नर-जनरल इन काउंसिल" और "सेक्रेटरी आफ स्टेट-इन काउंसिल" का अनेक जगह उल्लेख है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि मूलभूत नियमों के पृष्ठ 267, के खण्ड 1, धारा 3 में कहा गया है कि "मद्रास सरकार अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों को छोड़कर किसी भी सरकारी कर्मचारी का श्रीलंका में सेवा के लिए तबादला कर सकती है" ;

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) से (ग) तक के उत्तर "हां" हों, तो ऐसे काल-दोषों को

कायम रखने के क्या कारण हैं, विशेषकर जब कि गृह-कार्य मंत्रालय में एक पूरा विभाग ही इन मूलभूत नियमों के संकलन में लगा है ; और

(ङ) इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां। किन्तु यह लेख 7 दिसम्बर, 1969 के "स्टेट्समैन" में छपा था।

(ख) से (घ). लेख में प्रसंग, महालेखाकार, डाक तथा तार द्वारा प्रकाशित "मूल तथा अनुपूरक नियमावली" के संकलन के सम्बन्ध में था। गृह-मन्त्रालय में, इस कार्य को करने वाला कोई विभाग नहीं है। यह सही है कि उक्त खण्ड में उल्लिखित काल-दोष अवश्य आ गये हैं, किंतु यह इसलिए है कि यह अनिवार्यतः एक पुराने (स्वतन्त्र्य-पूर्व) संस्करण का पुनर्मुद्रण है, कि इन नियमों में संशोधन किये जाने तक प्रकाशित किया गया है ;

(ङ) यह महसूस किया गया था कि इन नियमों की पूरी कायापलट होना जरूरी है, जिससे न केवल उनका आधुनिकीकरण हो बल्कि उनको युक्तियुक्त तथा सरल भी बनाया जा सके। इस दिशा में पहले ही काफी कार्य किया जा चुका है। इसी बीच, वित्तीय नियमों के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी कुछ सिफारिशें की हैं। इन सभी मामलों पर सरकार अब सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

Supply of Different Kinds of Goods by China to Her Agents in India

3033. **Shri Narayan Swaroop Sharma** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether Government are aware that China is supplying different kinds of goods instead of money to her agents in India so that it may have adverse effect on the trade and economy of India ; and

(b) if so, the steps taken by Government to defeat the said designs of China ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) The Government have no such information.

(b) Does not arise.

Houses in dilapidated condition in Jama Masjid Area, Delhi

3034. **Shri Narayan Swaroop Sharma** : Will the Minister of **Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some houses in Jama Masjid area, Delhi are in a dilapidated condition and orders for their demolition have been issued ;

(b) if so, the number of such houses ; and

(c) the action taken to demolish the said houses soon ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (c). A survey of ward Nos. IX and XI adjoining Jama Masjid revealed that there were 43 houses in a dilapidated and dangerous condition. Of these 41 houses have been demolished, and action for

demolition is being taken in respect of another. In one case, stay orders have been received.

विमान सेवाओं को दोहरे आय-करारोपण से मुक्त करने के लिए भारत और इटली के बीच करार

3035. **श्रीमती इला पाल चौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और इटली के बीच हाल में एक करार हुआ है जिसके अनुसार दोनों देशों की विमान सेवाओं को दोहरा आय-कर नहीं देना पड़ेगा ;

(ख) यदि हां, तो इस करार के होने से पहले की स्थिति की तुलना में भारत को प्रति-वर्ष होने वाले लाभ सहित करार का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) भारत ने किन अन्य देशों के साथ ऐसे करार किये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं सेठी) : (क) जी, हां । जिस करार पर 3-2-70 को हस्ताक्षर किये गये थे वह अनुसमर्थन दस्तावेजों के आदान-प्रदान किये जाने की तारीख से लागू होगा । इन दस्तावेजों का आदान-प्रदान अभी होना बाकी है ।

(ख) उक्त करार के अधीन प्रत्येक संविदाकारी राज्य अपने यहां दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम को अन्तर्राष्ट्रीय यातातात में वायुयान संचालन से होने वाली आय पर पीछे से अर्थात 1960 से, कर की छूट देगी । करार पर हस्ताक्षर करने वाले दो राज्यों के बीच आदान-प्रदान की गई 'टिप्पणियों' में, जो करार का ही एक भाग है, आगे यह व्यवस्था भी है कि एयर इंडिया द्वारा इटली में तथा एलिटालिया द्वारा भारत में, किसी ऐसे कर-निर्धारण वर्ष की आय के सम्बन्ध में अदा किया गया आयकर, जिसके लिये करार के उपबन्धों के अधीन उन्हें छूट मिली हुई है, प्रत्येक को, दरख्वास्त पेश करने पर वापस कर दिया जायगा । ऐसी दरख्वास्त करार के लागू होने की तारीख से छः महीने के भीतर दी जानी होगी । उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार छूट सम्बन्धी खण्ड के अन्तर्गत आने वाले कर निर्धारण वर्ष 1962-63 से 1966-67 के सम्बन्ध में एयर इण्डिया द्वारा अदा किये गये देय कर की रकम 95,448 रुपये होती है ।

(ग) भारत के दोहरे कराधान से बचने के लिए, जो केवल अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में वायुयान संचालन से होने वाली आय पर ही लागू होता है, स्विटजरलैंड तथा लेबनान के साथ इसी प्रकार के करारों पर हस्ताक्षर किये हैं तथा उनका अनुसमर्थन किया है । भारत ने रूमानिया के साथ भी एक करार किया है जिसके अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय यातायात के क्षेत्र में वायुयान तथा जलयान चलाने वाले उद्यमों की आय आती है । भारत के दोहरे कराधान से बचने के लिए विभिन्न देशों के साथ ऐसे व्यापक करार किये हैं जिनके अन्तर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में वायुयान संचालन से होने वाली आय आ जाती है । ये देश आस्ट्रेलिया, श्रीलंका, डेन्मार्क, जर्मन संघीय गणराज्य, फिन्लैंड, फ्रांस, यूनान, जापान, नार्वे, पाकिस्तान, स्वीडन तथा संयुक्त अरब गणराज्य हैं ।

उर्वरक कारखानों की उत्पादन क्षमता

3036. **श्री न० रा० देवघरे :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन तथा खान और धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विद्यमान सभी उर्वरक कारखानों की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता कितनी है और उनमें वास्तव में कितना उत्पादन होता है ;

(ख) क्या लक्ष्य से कम उत्पादन हो रहा है, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) 1968-69 में देश में उर्वरकों की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता और वास्तविक उत्पादन इस प्रकार था :—

	1969 के अन्त में प्रतिष्ठापित क्षमता	1969 में उत्पादन
(1) नाइट्रोजनी एन० उर्वरक	11,44,000 मीटरी टन	6,60,000 मीटरी टन
(2) फास्फोटिक उर्वरक $पी_2$ $ओ_5$	4,21,000 मीटरी टन	2,20,000 मीटरी टन

(ख) **कम उत्पादन के कारण**

नाइट्रोजनी उर्वरक

(1) सिन्दरी, ट्राम्बे, फैक्ट और रोरकेला कारखानों में तकनीकी कठिनाइयों के कारण प्रतिष्ठापित क्षमता की अपेक्षा प्राप्य क्षमता कम है ।

(2) कोटा और नामरूप कारखाने, पहले/दूसरे वर्ष के उत्पादन में हैं । इसलिए प्रारम्भिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं ।

(3) रोरकेला कारखाने में कोक-ओवन मैस की कमी से, नंगल कारखाने में भाखड़ा प्रबन्धक बोर्ड द्वारा बिजली की कटौती से और सिन्करी कारखाने में घटिया किस्म के जिप्सम से, उत्पादन प्रभावित हुआ ।

(4) विभिन्न कारखानों में तरह-तरह की यान्त्रिक/विद्युत, उपकरणीय और प्रक्रिया की कठिनाइयों से भी कम उत्पादन हुआ ।

फास्फोटिक उर्वरक

(1) सिंगल सुपर फास्फेट की माँग में कमी

(2) सम्मिश्र कारखानों में यान्त्रिक कठिनाइयां

(ग) कुछ वर्तमान उर्वरक कारखानों के उत्पादन को अनुकूलतम स्तर पर लाने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(1) **सिन्दरी** : अमोनिया और अन्य सर्जित उत्पादों के उत्पादन के लिए उपलब्ध सुविधाओं का पूरा उपयोग करने के लिए, सन्यंत्र में कृतिम गैस की उपलब्धता में वृद्धि करने के बारे में एक नेफ्था गैसीकरण एकक लगाया जा रहा है। नेफ्था गैसीकरण योजना के शीघ्र ही पूरे होने की आशा है।

(2) **रोरकेला** : अमोनिया और कैलशियम अमोनियम निट्रेट के उत्पादन के लिए पहले से स्थापित सुविधाओं का अनुकूलतम प्रयोग के बारे में, सन्यंत्र में हाइड्रोजन की सप्लाई को बढ़ाने के लिए एक नेफ्था गैसीकरण एकक कार्यान्वित किया जा रहा है। परीक्षण परिचालन किये जा रहे हैं।

(3) **फैज्ट** (अल्वाय) : सन्यंत्र के कार्यकरण का अध्ययन करने के लिए स्थापित एक तकनीकी दल ने कई सुझाव दिये हैं, इन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है।

(4) **नयवेली** : एक तकनीकी समिति ने कारखाने के कार्यकरण का अध्ययन किया था और कई सिफारिशों का सुझाव दिया था। इन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है।

(5) ट्राम्बे प्लांट के कार्यकरण का, एक से अधिक समितियों ने निरीक्षण किया था और उन क्षेत्रों में, जहां कई विदेशी विशेषज्ञों को लाभदायक समझा गया था, यू० एस० ए० आई० डी० के तत्वावधान में टी० ए० वी० से एक विशेषज्ञ दल को आमन्त्रित किया गया था। समिति/दल ने, ट्राम्बे में परिचालन परिस्थितियों में सुधार के लिए कई सुझाव दिये। इन जांचों के परिणामस्वरूप, कई उपायों का निर्णय लिया गया, जो कार्यान्वित किये जा रहे हैं।

उपर्युक्त सारी पद्धतियों के पूर्णतया कार्यान्वन के बाद, यह आशा है कि सन्यंत्र लगभग पूर्ण क्षमता प्राप्त कर लेंगे।

सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में कस्टम स्मेल्टर तथा कस्टम मिल्स

3037. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में काम कर रही कस्टम मिलों तथा कस्टम स्मेल्टरों की संख्या कितनी है और उनमें से अलग-अलग कितनी मिलें तथा स्मेल्टर गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र में है ;

(ख) क्या इस बारे में खनन उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई दीर्घ-कालीन अनुमान लगाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) यह अनुमान है कि कस्टम स्मेल्टर/मिल शब्द से माननीय सदस्य के आधार पर संकेन्द्रकों/अयस्कों का परिष्करण करने वाले एककों की ओर निर्देश कर रहे हैं।

भारतीय खान ब्यूरो की सूचना के अनुसार देश में कोई 'कस्टम मिल' या 'कस्टम स्मैल्टर' नहीं चल रहा। तथापि, देश में एक जस्ता प्रद्रावक सथा एक एन्टीमोनी शोधनशाला है, जो दोनों गैर-सरकारी क्षेत्र में हैं और आयातित संकेन्द्रकों/अयस्क से आन्तरिक खपत के लिए क्रमशः जस्ते तथा एन्टीमोनी धातु का उत्पादन कर रहे हैं।

(ख) तथा (ग). चौथी योजना के लिए विकास योजनाओं को निश्चित करने के सम्बन्ध में गठित खनिजों (कोयले से भिन्न) विषयक आयोजना दल द्वारा चार क्रसिंग एवं स्क्रीनिग संयंत्रों की स्थापना संबंधी सुझाव के संदर्भ में लोह अयस्क के विषय में कस्टम मिलों की आवश्यकताओं के निर्धारण में प्रयास किया गया है। आयोजना दल की सिफारिश की एक अध्ययन दल द्वारा जांच की जा रही है।

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग, कानपुर के कलक्टर द्वारा निरीक्षकों का स्थानान्तरण

3038. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**

श्री जय सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग, कानपुर के कलैक्टर ने जून-जुलाई, 1969 में अनेक निरीक्षकों को सामान्य (रोटीन) कारणों से स्थानान्तरण के आदेश दिये थे क्योंकि उन्होंने उस स्थान विशेष पर पांच वर्ष पूरे कर लिये थे ;

(ख) क्या यह सच है कि स्थानान्तरणों सम्बन्धी वित्त मंत्रालय के स्थाई आदेशों के अनुसार अप्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड ने उक्त स्थानान्तरणों को रोक लिया है और इसके लिए कानपुर के कलक्टर से स्पष्टीकरण मांगा है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि जब 1968 में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग, इलाहाबाद के कलक्टर ने सामान्य कारणों से बड़े पैमाने पर हस्तान्तरण के आदेश दिये थे तो बोर्ड ने उनको रद्द कर दिया था ; और

(घ) यदि हां, तो कुछ संसद सदस्यों द्वारा मामले को उठाये जाने के पश्चात् बोर्ड द्वारा इन हस्तान्तरणों की अनुमति दिये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, कानपुर द्वारा जून-जुलाई 1969 में निरीक्षकों के कुछ तबादलों का आदेश दिया गया था परन्तु उनमें से कोई भी तबादला सामान्य अथवा इस कारण नहीं किया गया था कि सम्बन्धित निरीक्षकों ने एक स्थान विशेष पर 5 वर्ष पूरे कर लिये थे।

(ख) तबादलों के खिलाफ कुछ दरख्वास्तें प्राप्त होने पर केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा

सीमाशुल्क बोर्ड ने समाहर्ता से उसके लिए कारण बताने के लिए कहा था। समाहर्ता से स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) कुछ संसद सदस्यों द्वारा जब ऊपर (ख) में उल्लिखित मामला उठाया गया था तो बोर्ड ने समाहर्ता की रिपोर्ट की विस्तार से जांच की और तबादले सम्बन्धी उक्त आदेशों की पुष्टि की क्योंकि जिन कारणों से वे जारी किये गये थे, उनसे स्थानान्तरण का औचित्य सिद्ध होता था।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग, कानपुर में कार्य कर रहे उत्पादन शुल्क निरीक्षकों का स्थानान्तरण

3039. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**

श्री जय सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्त मंत्रालय ने अपने नियंत्रण में काम कर रहे विभागों में प्रशासनिक आधारों को छोड़कर शेष सभी प्रकार के स्थानान्तरणों पर अगस्त, 1969 के अन्त तक के लिए रोक लगा दी थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, विभाग, कानपुर के कलक्टर ने जुलाई, 1969 में 72 निरीक्षकों का स्थानान्तरण कर दिया था ;

(ग) यदि हां, तो उनमें से कितने निरीक्षकों को प्रशासनिक कारणों से स्थानान्तरित केया गया था और कितने निरीक्षकों को अन्य सामान्य कारणों से ; और

(घ) रोक के बावजूद निरीक्षकों का सामान्यतः स्थानान्तरण के क्या कारण हैं और इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं। वित्त मंत्रालय ने अपने 11 अगस्त 1967 के आदेश में निम्नलिखित आधारों को छोड़ कर, सभी नेमी स्थानान्तरण एक वर्ष तक रोक देने का निदेश दिया था।

(i) देश की रक्षा अथवा सुरक्षा के हित में आवश्यक स्थानान्तरण ;

(ii) स्वास्थ्य सम्बन्धी कारण से स्थानान्तरण।

(iii) विशिष्ट पद अथवा स्थान पर निश्चित कार्य-काल पूरा हो जाने के कारण आवश्यक स्थानान्तरण।

(iv) पदोन्नति अथवा जरूरत से ज्यादा कर्मचारियों को जरूरत की जगह तैनात करने जैसे प्रशासनिक कारणों से आवश्यक स्थानान्तरण ; तथा

(v) अन्य ऐसे स्थानान्तरण जो जनहित की दृष्टि से अपरिहार्य हों।

बाद में वित्त मंत्रालय के 6 अगस्त 1968 के आदेशों द्वारा इस रोक को 10 अगस्त 1969 तक बढ़ा दिया गया था।

(ख) जी, हां। समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, कानपुर ने अपने 30 जून 1969 के आदेश द्वारा 72 निरीक्षकों के स्थानान्तरण किये।

(ग) इन 72 स्थानान्तरणों में से 37 स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से अथवा जनहित में किये गये थे। 34 स्थानान्तरण में 37 स्थानान्तरणों के परिणाम में हुए थे और एक स्थानान्तरण रद्द कर दिया गया था।

(घ) यह सवाल नहीं उठता।

भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग में मस्टर रोल के कर्मचारियों को नियमित कर्मचारी बनाया जाना

3041. **श्री वि० कु० मोडक :**
श्री प० गोपालन :
श्री के० रमानी :
श्री सी० के० चक्रपाणि :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग में मस्टर रोल पर कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ;

(ख) मस्टर रोल के कितने कर्मचारियों को अभी नियमित कर्मचारी नहीं बनाया गया है और इनको नियमित न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार मस्टर रोल के सभी कर्मचारियों को नियमित करने पर विचार करेगी ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था में काम कर रहे उपस्थिति नामावलि कर्मचारियों की कुल संख्या लगभग 4500 है। व्यधन, खनन तथा पूर्वेक्षण कार्यों के लिए स्थानीय निवासियों में से आकस्मिक कर्मचारियों की भरती की दृष्टि से, जिन्हें कार्यवाहियों के समापन/स्थानान्तरण के परिणाम स्वरूप सेवा मुक्त कर दिया जाता है, यह संख्या घटती-बढ़ती रहती है।

(ख) 1965 से पूर्व लगभग 900 उपस्थिति नामावलि कर्मचारी भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था में विभिन्न कैडरों में (श्रेणी तीन तथा चार पदों में) समाविष्ट किये गये थे। सरकार द्वारा 1966 में भरती पर प्रतिबन्ध लगा दिये जाने तथा पदों की अनुपलब्धता के परिणाम स्वरूप लगभग 4500 शेष आकस्मिक कर्मचारियों को नियमित न किया जा सका।

(ग) जब भी पद उपलब्ध हों तभी उन वांछनीय उपस्थिति नामावलि कर्मचारियों को, जो भरती नियमों की अपेक्षाओं को पूरा करते हों, नौकरी में उनकी वरीयता के आधार पर, नियमित रूप से समाविष्ट करने पर विचार किया जाता है।

जनरल अस्पताल, मनीपुर में कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ

3042. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनरल अस्पताल, मनीपुर में कान, नाक, गला रोग विशेषज्ञ का एक पद बनाया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पद पर विशेषज्ञ की कब नियुक्ति की जा रही है ; और

(ग) क्या सरकार महिला सरकारी अस्पताल, मनीपुर में एक प्रसूति विशेषज्ञ नियुक्त कर रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). मनीपुर सरकार के चिकित्सा विभाग में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के विशेषज्ञ ग्रेड में कान-नाक-गला रोग विशेषज्ञ के पद का निर्माण करने की स्वीकृति केन्द्रीय सरकार द्वारा सितम्बर, 1969 में दी गई थी। जब तक उस पद पर केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के विशेषज्ञ ग्रेड के किसी अधिकारी को नियुक्त न किया जाय, तब तक डा० वी० कृष्ण को, सामान्य ड्यूटी अधिकारी, ग्रेड I के पद पर रहते हुए, इस पद पर कार्य करने की अनुमति दे दी गई है।

(ग) नियुक्ति के लिए उपयुक्त अधिकारी के नाम की सिफारिश करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग को एक मांग पत्र भेजा गया है। तब तक डा० जतीश्वर सिंह को इस पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया है।

मनीपुर सरकार के चिकित्सा विभाग के प्रयोगशाला तकनीशन

3043. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री मनीपुर सरकार के चिकित्सा विभाग के प्रयोगशाला तकनीशनों के बारे में 28 जुलाई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1125 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार ने प्रयोगशाला तकनीशनों के वेतनक्रमों का पुनरीक्षण करने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर सकारात्मक है, तो मनीपुर सरकार के चिकित्सा विभाग के प्रयोगशाला तकनीशनों के वेतनमान क्या हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). मनीपुर की सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रयोगशाला तकनीशनों के वेतनमान 60 रुपये 2-80 द० रो० $2\frac{1}{2}$ 100 रुपये से 140-6-170-द० रो० 7-205 रुपये द० रो० 7-275 रुपये कर दिया जाये। मामले पर अभी तक विचार किया जा रहा है।

तुलिहाल हवाई अड्डे पर नियुक्त केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अनुभागीय अधिकारी

3044. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री तुलिहाल हवाई अड्डे पर नियुक्त केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अनुभागीय अधिकारियों के सम्बन्ध में 4 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2122 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर केन्द्रीय डिवीजन के अधीन मनीपुर में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अनुभागीय कर्मचारियों समेत कर्मचारियों की प्रतिकारात्मक भत्ता देने के प्रश्न पर अंतिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

जीवन बीमा निगम, दिल्ली के अन्तर्गत चल रहे ब्रांच यूनिट

3045. **श्री तुलशीदास जाधव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम के अन्तर्गत दिल्ली और नई दिल्ली में ऐसी कितनी ब्रांच यूनिट कार्य कर रहे हैं जिनमें असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर (डिवैलपमेंट) की नियुक्ति नहीं की गई है ; और

(ख) इस के क्या कारण है और विभिन्न ब्रांचों में असिस्टेंट ब्राँच मैनेजर (डिवलपमेंट) की मंजूरी देने तथा नियुक्ति के लिए जीवन बीमा द्वारा क्या कसौटी अपनाई जाती है ?

पूर्ति मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) तीन अर्थात् (i) निजामुद्दीन (ii) शाहदरा तथा (iii) सिटी यूनिट 117 ।

(ख) जीवन बीमा निगम द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार, इन शाखाओं में सहायक शाखा प्रबन्धक (विकास) नियुक्त नहीं किये जा सकते हैं । इन शाखाओं द्वारा वर्ष 1968-69 में पूरा किया गया नव बीमा-कार्य निम्नानुसार था :

(i) निजामुद्दीन	91 लाख रुपये
(ii) शाहदरा	101 लाख रुपये
(iii) यूनिट 117	139 लाख रुपये

जीवन बीमा निगम के उस परिपत्र की एक प्रतिलिपि संलग्न है जिसमें सहायक शाखा प्रबन्धक (विकास) के संवर्ग में पदों की संख्या नियत करने का फार्मूला निर्धारित किया गया है । **[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—2872/70]**

जीवन बीमा निगम द्वारा विकास अधिकारियों पर "कारोबार गारंटी" का लागू किया जाना

3046. **श्री तुलशीदास जाधव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के जीवन बीमा निगम द्वारा विकास अधिकारियों पर

कोई "कारोबार गारन्टी" लागू नहीं की जा रही है जब कि उन एजेन्टों की एजेंसी, जो किसी वर्ष में अपेक्षित कारोबार नहीं जुटा पाते हैं, रद्द कर दी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त भेद-भाव के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या जीवन बीमा निगम ने इस तथ्य की ओर ध्यान दिया है कि एजेंटों द्वारा, अपेक्षित राशि का कारोबार न जुटा सकने का कारण यह है कि विकास अधिकारी उनके पास जाने और उनमें स्फूर्ति लाने में लापरवाही करते हैं ;

(घ) ऐसे विकास अधिकारियों की संख्या कितनी है जो गत लगातार तीन वर्षों से अपेक्षित धन का कारोबार जुटा पाने में असफल रहे हैं ; और

(ङ) अधिक कारोबार प्राप्त करने और खर्च में कमी करने के उद्देश्य से उक्त विकास अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पूर्ति मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) विकास अधिकारी को कार्यकुशलता की कसौटी, अन्य बातों के साथ-साथ, यह तथ्य भी है कि उसका "लागत अनुपात" क्या है, अर्थात् उसकी समस्त परिलब्धियों का, उसकी कार्य-व्यवस्था की मार्फत हुई कुल प्रथम-वर्षीय किस्त-आय के प्रति अनुपात क्या है । एजेन्ट के मामले में "लागन अनुपात" सिद्धांत को लागू करना निरर्थक है क्योंकि उसका पारिश्रमिक तो केवल कमीशन ही होता है, और इसलिए उसकी कार्यकुशलता की कसौटी उसके द्वारा लाया गया कारोबार है ।

(ख) विकास अधिकारी, कर्मचारी हैं, एजेन्ट कर्मचारी नहीं हैं । अतः दोनों की कसौटी अलग-अलग है ।

(ग) यद्यपि कुछ मामलों में ऐसा हो सकता है कि किसी किसी एजेन्ट के अपने बीमा कार्य की निर्धारित मात्रा पूरी नहीं कर सकने का एक कारण अपने विकास अधिकारी से पर्याप्त मार्ग-दर्शन का अभाव भी हो, परन्तु एजेन्ट अपनी असफलता के मामले में इस बात को अपने बचाव की दलील नहीं बना सकता ।

(घ) ब्यौरेवार सूचना उपलब्ध नहीं है । लेकिन ऐसा अनुमान है कि लगभग 74 प्रतिशत विकास अधिकारी 1967-68 में प्रथम वर्षीय प्रीमियम की निर्दिष्ट आय नहीं दे सके ।

(ङ) जीवन बीमा निगम, प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर आवश्यक कार्यवाही करता है । निगम ने 1-4-1969 से, विकास अधिकारियों के लिए कार्य प्रतिमानों की एक नई योजना लागू की है ।

दिल्ली में केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा के औषधालयों में घावों पर टांके लगाने की सुविधायें

3047. **श्री तुलशीदास जाधव** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा के औषधालयों में घावों पर टांके लगाने तथा सात दिन के निर्धारित समय के पश्चात टांके खुलवाने की कोई व्यवस्था नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा के उन औषधालयों की संख्या और नाम क्या हैं जिनमें ऐसे प्रबन्ध नहीं हैं और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि ऐसी सुविधाओं के अभाव के कारण हिताधिकारियों को बहुत कठिनाई होती है क्योंकि टांके खुलवाने के लिए उनको सफदर जंग अथवा विलिंगडन अस्पताल जाना पड़ता है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा के सभी औषधालयों में इन सुविधाओं की व्यवस्था करने का है और इन सुविधाओं की व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (घ). केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के हिताधिकारियों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा के 27 औषधालयों में जो आपातकाल केन्द्र के रूप में अहर्निश कार्य करते हैं, छोटे घावों पर टांके लगाने और/अथवा टांके हटाने की व्यवस्था कर दी गई है ।

जिन औषधालयों में ऐसी व्यवस्था नहीं है उनके नामों का विवरण इसके साथ संलग्न है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी०—2873/70] घावों पर टांके लगाना तथा टांके हटाने का कार्य पूर्णतया अपूतिदूषित—अवस्थाओं में ही किया जाता है अतः उन सभी स्थानों में जहां पर केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा औषधालय कार्य कर रहे हैं, ऐसी व्यवस्था करना कठिन है ।

भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था के क्षेत्र में काम करने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को क्षेत्रीय भत्ते का दिया जाना

3048. **श्री के० एम० अब्राहम :**
श्री ई० के० नायनार :
श्री उमानाथ :
विश्वनाथ मेनन :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था के क्षेत्र में काम करने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को क्षेत्रीय भत्ता अभी तक नहीं दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार सभी वर्गों के कर्मचारियों को यह भत्ता देने का विचार करेगी ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, हां ।

(ख) क्षेत्रीय स्थापना भत्ता में कार्य करने वाले कर्मचारियों को उनके क्षेत्रीय कार्य में सहायता देने के लिए एक प्रशिक्षित भृत्य को नौकर रखने के लिए दिया जाता है । क्योंकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के मामले में यह बात पूरी नहीं बैठती अतः उन्हें यह भत्ता देना संभव नहीं समझा गया ।

(ग) प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को, जब वह क्षेत्र में कार्य कर रहे हो, कुछ शर्तों तथा अनुबन्धों के साथ यह भत्ता पहिले ही से दिया जा रहा है।

मन्त्रियों और सरकारी अधिकारियों के लिए बहुमन्जिला फ्लैटों का निर्माण

3049. **श्री के० एम० अब्राहम :** **श्री ई० के० नायनार :**
श्री ज्योतिर्मय बसु : **श्री पी० पी० एस्थोस :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों के लिए नई दिल्ली में बहुमंजिला फ्लैटों का निर्माण करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो परियोजना पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी तथा योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन फ्लैटों का निर्माण करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) सरकारी अधिकारियों के लिए कुछ बहुमंजिले भवन पहले ही बनाये जा चुके हैं। अधिकारियों तथा मंत्रियों के लिए और अधिक बहुमंजिले भवनों के निर्माण का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ख) मामले पर विचार हो रहा जो (अभी) प्रारंभिक अवस्था में है। अतएव परियोजना की अनुमानित लागत और योजना के ब्यौरे के सम्बन्ध में फिलहाल सूचना नहीं दी जा सकती।

(ग) दिल्ली वृहत योजना की उपबन्धों के अनुसार नई दिल्ली में रिहायशी वास के उद्देश्य के लिए उपलब्ध भूमि पर कतिपय निर्धारित घनत्व को प्राप्त करना है जिससे जन-हित में भूमि का सर्वश्रेष्ठ उपयोग हो सके।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवास निगम

3050. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रस्तावित आवास निगम केवल नगरीय क्षेत्रों में कार्य करेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के लिये भी इसी प्रकार का निगम बनाने का निर्णय करेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). आवर्तन निधि के संचालन के लिए स्थापित की जाने वाली आवास और नगर-विकास वित्त निगम के कार्यों में प्रारम्भिक तौर पर, अन्य बातों के

साथ-साथ, उपयुक्त मामलों में ग्रामीण आवास तथा ग्राम-आयोजना कार्यक्रमों के वित्त-प्रबंध की व्यवस्था की परिकल्पना की गई है ।

Unauthorised Occupation of Vacant Government Land in Delhi

3051. **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri Bal Raj Madhok :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that some persons are daily occupying the vacant Government land in Delhi and are also constructing their houses on this land ;

(b) if so, the steps taken by Government to check these persons from occupying Government land unauthorisedly in this manner ;

(c) whether Government are satisfied with the results of the said steps ;

(d) if not, the steps proposed to be taken by Government in future in this regard ; and

(e) if no steps are proposed to be taken, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Government land is occupied unauthorisedly from time to time.

(b) Apart from general vigilence, there are no effective means of preventing squatting on Government land in all cases. However, steps are taken according to a prescribed procedure for the removal of squatters. Under the Jhuggis and Jhopries Removal Scheme, squatters are removed to Jhuggies and Jhopries Colonies/camping sites on the periphery of the city. Damages are also recovered from them for the period of their squatting.

(c) Yes.

(d) and (e) Do not arise.

Oil Prospects in Arabian Sea on Western Coast of India

3052. **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(b) whether it is a fact that Oil prospects exist in the Arabian Sea on the Western Coast of India ;

(a) if so, the places and area thereof where oil is likely to be found as per the explorations made by Government and also the estimated quantity of oil likely to be found there ;

(c) the steps so far taken by Government to extract the oil ;

(d) the time by which oil is likely to be extracted ; and

(e) whether foreign technical know-how has also been obtained on this regard ; and if so, the name of the country ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) Yes.

(b) Seismic surveys have picked up several structures/structural indications *e.g.* 'Bombay High', 'Dahanu', 'Tarapur', 'Bassein', 'South Tapti', 'Tapti' etc. It is, however, not possible to indicate at this stage, the extent of the area of the oil pools or the reserves in

these structures. It is not possible even to say definitely at this stage whether or not oil exists in these structures. This can be known only after drilling is undertaken.

(c) Drilling of an exploration well on an offshore structure in the northern part of the Gulf of Cambay with the help of a fixed platform is expected to start very shortly.

The possibility of drilling an exploration well on the 'Tapti' structure with the help of a fixed platform is also being explored.

For undertaking drilling on the 'Bombay High' and other structures in the deeper waters in the southern part of the Gulf of Cambay and the adjoining area of the Arabian Sea, a m bile offshore drilling platform will be required. The possibility of procuring such a platform and meeting its foreign exchange cost and getting necessary foreign technical assistance are being explored.

(d) This cannot be indicated at this stage.

(e) The services of a fully equipped and fully manned Soviet seismic survey ship were utilised for conducting the seismic surveys in the southern part of the Gulf of Cambay and the adjoining area of the Arabian Sea. Soviet assistance has also been obtained for drilling on Aliabet structure. The possibility of getting the mobile offshore drilling platform built in Japan or France is being explored.

खम्बात की खाड़ी में गहरे समुद्र में तेल के लिए ड्रिलिंग

3054. **श्री धीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खम्बात की खाड़ी में गहरे समुद्र में तेल के भंडार, जिनका व्यापारिक दृष्टि से लाभ उठाया जा सकता है, काफी मात्रा में प्राप्त होने का अनुमान है और उक्त क्षेत्र में गहरे समुद्र में तेल के लिए ड्रिलिंग करने का प्रस्ताव गत पाँच वर्षों से सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) क्या अशोधित तेल के आयात में तेजी से वृद्धि हो रही है और आगामी पांच वर्षों में 200 करोड़ रुपये के अशोधित तेल का प्रति वर्ष आयात करने का अनुमान है और देश में अधिक मात्रा में तेल प्राप्त करने की आवश्यकता है ;

(ग) क्या यह सच है कि इस परियोजना को कार्यान्वित करने में वित्त का अभाव और तकनीकी जानकारी बाधक नहीं हैं क्योंकि एक प्रसिद्ध जापानी कम्पनी ने परियोजना में सहयोग देने और काफी मात्रा में वित्तीय सहायता देने का आकर्षक प्रस्ताव रखा है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में विलम्ब के क्या कारण हैं और यह परियोजना कब तक मंजूर हो जायेगी ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जब तक कुछ अन्वेषी कुओं का व्यधन न हो जाय, तेल या गैस के व्यापारिक समुपयोजनीय भंडारों के बारे में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता । पिछले 5 वर्षों में गहरे समुद्र में तेल के ड्रिलिंग के लिए कुछ प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुए है ।

(ख) जी हां ।

(ग) दो जापानी फर्मों ने, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को एक चल अतटीय ड्रिलिंग

प्लेट फार्म को बनाने एवं बेचने और उसकी देख-रेख तथा परिचालन के लिए तकनीकी सहायता देने में रुचि प्रकट की है। अन्य पार्टियों से भी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों में इस बात की सम्भावना दीखती है कि उन से सन्बन्धित देशों से सहायता भी मिले।

(घ) इन प्रस्तावों पर कार्यवाही करने में कोई विलम्ब नहीं हुआ है। उनके निरीक्षण में विस्तृत तकनीकी जांच की आवश्यकता है और सलाहाकारों की एक ब्रिटिश फर्म की स्वतन्त्र सलाह लेनी पड़ी है। विदेशी फर्मों के प्रस्तावों पर उनसे बातचीत हो रही है और बहुत से ब्यौरे लेने बाकी है। जल्दी से जल्दी फैसला करने के लिए यथासम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं।

अंकलेश्वर तेल क्षेत्र से बड़ौदा नगर निगम को तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा प्राकृतिक गैस की सप्लाई

3055. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :**
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने बड़ौदा में घरेलू प्रयोग के लिए अंकलेश्वर तेल क्षेत्रों से प्राकृतिक गैस की सप्लाई हेतु बड़ौदा नगर निगम से कोई समझौता किया है ;

(ख) क्या नगर निगम अंकलेश्वर से बड़ौदा तक पाइप लाईन बिछाने में असफल रहा है और इस कारण तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा दी जाने वाली गैस का प्रयोग करने में असमर्थ है ;

(ग) क्या नगर निगम से हुए इस समझौते को देखते हुए तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग किसी अन्य पार्टी को गैस सप्लाई करने में असमर्थ है जिसके परिणामस्वरूप पिछले लगभग एक वर्ष से प्रतिदिन 1500 क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस व्यर्थ जा रही है ; और

(घ) यदि उपरोक्त (क) और (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक है गैस को इस प्रकार नष्ट होने से रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाई की है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) 1966 में इस मंत्रालय में हुई बैठक में जिसमें अन्य प्रतिनिधियो के अलावा तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और गुजरात सरकार के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, अंकलेश्वर से बड़ौदा नगर निगम को प्रतिदिन 50,000 एम 3 गैस सप्लाई करने की सहमति प्रकट की गई थी।

(ख) बड़ौदा नगर निगम ने अंकलेश्वर से बड़ौदा तक कोई पाइप लाइन नहीं बिछानी है। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग निगम को बड़ौदा में किसी केन्द्रीय स्थान पर गैस सप्लाई करेगा। लेकिन बड़ौदा नगर निगम ने गैस के वितरण के लिए अभी सहायक सुविधाओं तथा पोषक पाइपलाइनों का निर्माण करना है।

(ग) हाई प्रैशर गैस के नष्ट होने से रोकने के लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने

31 दिसम्बर, 1970 तक बड़ौदा के कुछ उद्योगों की गैस की करार बद्ध मात्राओं में वृद्धि कर दी है। आशा है कि बड़ौदा नगर निगम 1971 के प्रारम्भ में गैस लेगा।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

छोटी नगरपालिकाओं और नगर निगमों के लिए साधन जुटाने के लिए आदर्श योजनाएं

3056. **श्री स० कुन्दू** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विभिन्न राज्यों की छोटी नगरपालिकाओं या नगर निगमों को सीधे ही सहायता देने की कोई योजना बनायी है ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार ने छोटी नगरपालिकाओं तथा नगर निगमों के लिये साधन जुटाने के सम्बन्ध में कोई आदर्श योजना तैयार की है ;

(ग) क्या सरकार को इन निकायों की विषय वित्तीय स्थिति की जानकारी है और क्या उसे दूर करने के लिए कोई उपाय किये गये हैं ; और

(घ) क्या सरकार का इन छोटी नगर पालिकाओं तथा नगर निगमों की, समस्याओं को समझने, साधन जुटाने और अच्छे सामुदायिक जीवन के सम्बन्ध में जानकारी देने के लिए कोई कार्यवाही करने का विचार है ; और यदि हां, उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बेहतर पदों के लिये सरकारी कर्मचारियों के आवेदन-पत्र आगे भेजना

3057. **श्री स० कुन्दू** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेहतर पदों के लिए सरकारी कर्मचारियों के आवेदन पत्र अन्य विभागों को भेजने के बारे में सरकार के आदेश भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग भी लागू होते हैं ;

(ख) क्या इस आशय की कोई स्थानीय प्रशासनिक हिदायतें हैं कि एस० ए० एस० (कर्मशियल) के लेखापालों के आवेदन-पत्र अन्य विभागों को नहीं भेजे जाने चाहिये ; और

(ग) यदि हां, तो आवेदन पत्र भेजने पर इस प्रकार पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जाना इस सम्बन्ध में सरकार की सामान्य नीति से कहां तक संगत है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां। ये आदेश नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के साथ परामर्श करने के बाद भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में लागू किये गये हैं।

(ख) जी, नहीं। लेकिन इस प्रकार के योग्यता प्राप्त कर्मचारियों की अत्यधिक कमी

होने के कारण इस आशय के आदेश जारी किये गये हैं कि आवेदन-पत्र वाणिज्यिक लेखा परीक्षा निदेशक की पूर्व अनुमति से ही आगे भेजे जाने चाहिये ।

(ग) चूंकि ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है, इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता ।

Texts of Suggestions for Terms of Reference of Third Pay Commission

3058. **Shri Molahu Prashad :**
Shri S. M. Banerjee :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in accordance with the news item published in the Hindustan dated the Ist January, 1970, the Ministry had asked those Central Government Employees Union and Federations which are represented in the National Council of Joint Consultative Machinery to send their suggestions on the terms of reference of the Third Pay Commission before the 9th January, 1970.

(b) whether it is also a fact that the terms of reference of the said Commission would be finalised on receipt of suggestions from the above organisations ; and

(c) the details of suggestions so far sent by the representatives of various Unions/Federations and also of those which have been accepted ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) to (c). All recognised federations of Central Government employees as well as all recognized unions and associations of Central Government employees not included in the above federations, which were represented on the National Council of Joint Consultative Machinery as on 1-12-1969, were invited to send their suggestions by 9th January, 1970, regarding the terms of reference of the proposed Pay Commission. An analysis of the suggestions received has revealed that the various unions/federations have, *inter alia*, suggested inclusion in the terms of reference of questions like need-based minimum wage, interim relief, disparities in emoluments, fixation of wages by bilateral negotiations with provision for arbitration and examination of conditions of service like retirement benefits, social security and welfare measures, aacommodation facility, allowances, promotional prospects, leave rules, etc. The terms of reference of the proposed Pay Commission are under finalisation.

Production of Artificial Enzyme

3059. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether the news item published in the daily "Hindustan" dated the 31st December, 1969 to the effect that the American Scientists have invented artificial enzyme for the first time in the world is correct ;

(b) if so, the time by which the said medicine, would be made available in India ; and

(c) the name of the place where it would be made available, the production, cost thereof and the sale price of the said medicine ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes, Sir. The news item relates to the synthesis of Ribonuclease.

(b) and (c). Ribonuclease is not used for medicinal purposes but is used only for research. This is an enzyme that digests Ribonucleic Acid which mainly occurs in cells of the various tissues of plants and animals. The scientists who have synthesised this

enzyme probaly feel that avenues have now been opened for the synthesis of new enzymes which may find a place in medicine.

Deduction of Income Tax from the Salaries of Members of Parliament

3060. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that disbursement of salaries to Members of the Fourth Lok Sabha after deducting income-tax has been stopped since April, 1968 on the letters received from some Members of Parliament ;

(b) if so, whether a copy each of the letters written by the Members and a copy of the decision of Government in this connection would be laid on the Table of the House ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) The salary of Members of Parliament was earlier being assessed under section 15 of Income-tax Act, 1961 as 'salary'. Instructions were, however, issued in May, 1967, on the basis of legal advice received, that the salary of Members of Parliament was properly assessable under section 56 of the Income tax Act, 1961 under the head "income from other sources". Shri C. C. Desai, M. P. addressed a letter dated the 7th October, 1967, to the Pay and Accounts Officer, Lok Sabha pointing out that as the salary of Members of Parliament was not assessable under the head 'salary', tax was not deductible at source. The Department of Parliamentary Affairs forwarded this letter to the Central Board of Direct Taxes for comments and the Department of Parliamentary Affairs was thereupon informed with Memorandum dated the 26th March, 1968, that as a consequence of the salary of Members of Parliament being assessable under the head 'income from other sources', no deduction of tax at source under section 192 of Income-tax Act, 1961, was attracted. The deduction of tax at source from salaries of Members of Parliament was accordingly stopped from 1-4-1968.

(b) Relevant extracts from the following papers mentioned in the foregoing paragraph are attached here with as Annexure :--

(i) Instructions issued by the Central Board of Direct Taxes on the 22nd May, 1967.

(ii) Letter dated the 7th October, 1967 addressed by Shri C. C. Desai, M. P. to the Pay and Accounts Officer, Lok Sabha.

(iii) Memorandum dated the 26th March, 1968 from the Central Board of Direct Taxes to the Department of Parliamentary Affairs, elucidating the position with regard to (ii) above. [*Placed in Library. See* No. LT-2874/70].

(c) Does not arise.

गोहाटी तेल शोधक कारखाने में स्थानीय लोगों की नियुक्ति

3061. **श्री हेम बरुआ** : क्या पैट्रोलियम और रसायन तथा खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोहाटी तेल शोधक कारखाने में श्रेणी-वार कुल कितने लोग काम करते हैं ; और

(ख) इन में से कितने कर्मचारी आसाम के हैं और तेल शोधक कारखाना जिस राज्य में है क्या वहाँ के लोगों के लिए नौकरी का कोई अभांश निर्धारित किया है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). गोहाटी शोधन-शाला में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या तथा

उन कर्मचारियों की संख्या जो आसाम के हैं, निम्न प्रकार हैं :—

I. अफसर	कुल	उन कर्मचारियों की संख्या जो आसाम के हैं
तकनीकी	100	29
अतकनीकी	19	14
II. कर्मचारी वर्ग		
तकनीकी	794	517
अतकनीकी	363	213
जोड़ :	1276 (100 प्रतिशत)	773 (60.58 प्रतिशत)

शोधनशाला जिस राज्य में है वहां के लोगों के लिये कोई कोटा निर्धारित नहीं है ।

देश में विशेषकर आसाम में नये तेल क्षेत्रों का पता लगना

3062. **श्री हेम बरुआ** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सारे देश में विशेषकर आसाम में संशोधित तेल के नये क्षेत्रों का हाल में पता लगा है ; और

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों के नाम क्या हैं और इस नये अशोधित तेल को साफ करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ।

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). 1968 में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने 6 संरचनाओं अर्थात् गुजरात में उत्तर काडी, दक्षिण काडी. सोभासन, महसाना और बकरौल और आसाम में गालेकी में और 1969 में आयल इंडिया, लिमिटेड ने आसाम में कुसीजन नामक स्थान पर कच्चे तेल का पता लगाया था । इन संरचनाओं में तेल के भंडारों की प्रमात्रा तथा उत्पादन संभाव्यता का पता अभी और ड्रिलिंग से लगाया जाना है ।

कृषि भूमि पर कर

3063. **श्री ए० श्रीधरन** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृषि भूमि के मूल्यांकन के लिये मूल्य-निर्धारक नियुक्त करने जा रही है जैसा कि संपदा-शुल्क अधिनियम में दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 1970-71 में कृषि भूमि से अनुमानत: कितना धन-कर प्राप्त होगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) कृषि-भूमि के मूल्य निर्धारण के लिए, सरकार ने पहले ही 47 मूल्यांककों की नियुक्ति कर दी है। कृषि भूमि के लिए और अधिक मूल्यांककों की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में, सरकार आवश्यक कार्यवाही कर रही है। इस प्रयोजन के लिये नियुक्ति किये गये मूल्यांककों से भूमियों पर देय कर का नहीं बल्कि केवल उसका बाजार मूल्य निर्धारित करने की अपेक्षा की जाती है।

(ख) वित्तीय वर्ष 1970-71 के दौरान कृषि भूमि से प्राप्त होने वाला अनुमानित धन कर 4.75 करोड़ रुपये है।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन

3065. **श्री राम चरण** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 अगस्त, 1947 से पहले केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक को सेवा-निवृत्ति के पश्चात् प्रति मास कितनी पेंशन मिलती थी ;

(ख) उपदान की राशि काट कर भी केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सेवानिवृत्त सहायक को अब प्रतिमास कितनी पेंशन दी जाती है ;

(ग) क्या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन की दर बढ़ाने का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) तथा (ख). माननीय सदस्य का संकेत स्पष्टतया सचिवालय में सहायक के पदों पर काम करने वाले उन कर्मचारियों की ओर है जिन्हें नवम्बर 1951 से केन्द्रीय सचिवालय सेवा के संवर्ग में शामिल कर लिया गया था, यदि ऐसा है तो यह उल्लेखनीय है कि सिविल पेन्शन सरकारी कर्मचारी के उस पद के संदर्भ में निर्धारित नहीं की जाती है जिस पर वह सेवानिवृत्ति से पूर्व नियुक्त था अपितु उसके द्वारा प्राप्त की गई परिलब्धियों अथवा औसत परिलब्धियों, योग्यता प्रदायी सेवा की अवधि तथा उस पर लागू होने वाले पेन्शन नियमों के आधार पर निर्धारित की जाती है। चूंकि किसी पेन्शन पाने वाले को, जिसमें सेवानिवृत्त सहायक भी शामिल है, देय पेन्शन तथा उपदान उक्त पहलुओं पर निर्भर है, इसलिये दी जाने वाली रकम विशिष्ट मामलों के ब्यौरों के संदर्भ में ही निर्धारित की जा सकती है। मोटे तौर पर, 17-4-1950 से उदारीकृत पेन्शन नियमों के लागू किये जाने से पूर्व केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर असैनिक सेवा विनियमों में उल्लिखित पेन्शन नियम लागू होते थे जिनके अन्तर्गत, कुछ अधिकतम सीमाओं के अधीन रहते हुए, पेन्शन का हिसाब पूरी योग्यता प्रदायी सेवा से सम्बन्धित औसत परिलब्धियों 30/60 वें भाग के आधार पर लगाया जाता था लेकिन उनमें मृत्यु-तथा सेवानिवृत्ति उपदान अथवा परिवार पेन्शन लाभों की कोई व्यवस्था नहीं थी। जिन व्यक्तियों पर उदारीकृत पेन्शन नियम लागू होते हैं, वे कुछ अधिकतम सीमाओं के अधीन रहते हुए, पूरी योग्यता प्रदायी सेवा से सम्बन्धित औसत परिलब्धियों के 30/80 वें भाग की दर पर पेन्शन पाने के हकदार हैं तथा इसके अतिरिक्त पेन्शन पाने वाले को अथवा यदि उसकी मृत्यु हो जाती है

तो उसके परिवार को सेवा की पूरी की गई प्रत्येक छः महीने की अवधि से सम्बन्धित परिलब्धियों के 1/4 के बराबर मृत्यु-तथा-सेवानिवृत्ति उपदान भी देय होता है लेकिन यह रकम अधिक से अधिक 15 महीने की परिलब्धियों तक होगी अथवा 24,000 रुपये, इनमें से जो भी अधिक हो। मृत्यु हो जाने की स्थिति में, उसका परिवार इस सम्बन्ध में लागू होने वाले नियमों के अधीन परिवार पेन्शन पाने का हकदार है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) सरकार नया वेतन आयोग नियुक्त करने के सम्बन्ध में अपने निर्णय की पहले ही घोषणा कर चुकी है ?

Land Allotted to Cooperative Societies for Houses and Other Purposes in Delhi/New Delhi

3066. **Shri Ram Charan :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the names of Cooperative Societies to which land was allotted in Delhi and New Delhi during the last two years for the construction of houses or for commercial purposes and the area of land so allotted as also the rates thereof ; and

(b) the number, out of the above societies, of those which belong to Harijans ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) A statement is attached. No land was allotted to any society for commercial purposes. [*Placed in Library. See* No. LT-2875/70].

(b) None.

अनुवादकों के वेतनमान

3067. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ सरकारी और स्वतन्त्र कार्यालयों के अनुवादकों के वेतन-मान बढ़ा दिये गये हैं और संशोधित कर दिये गये हैं **और** यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) अनुवादकों के वेतनमानों में वृद्धि करने का क्या कारण हैं जबकि प्रशासनिक सेवा में उनके समान वेतनमानों पर कार्य कर रहे अन्य कर्मचारियों के वेतनमानों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया और तीसरे वेतन आयोग की स्थापना अभी की जानी है ; **और**

(ग) क्या यह भी सच है कि इसी प्रकार के बढ़े हुए वेतन-वृद्धि का लाभ अभी हाल में आशुलिपिकों को भी दिया गया था और सामान्य सरकारी कर्मचारियों के साथ भेद-भाव के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जायेगी और यथा सम्भव शीघ्र ही सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

(ग) जी, हां। केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के कुछ ग्रेडों के वेतनमानों में संशोधन करने के आधारभूत निर्णय, वेतनमानों में वृद्धिकारी संशोधन करने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने से

पूर्व ही, 1966 के आरम्भ में किये गये थे। लेकिन इन निर्णयों के कार्यान्वयन को, इस बीच उत्पन्न हुए कुछ प्रश्नों पर विचार होने तक, स्थगित रखा गया। इस प्रकार, आशुलिपिकों के वेतनमानों में संशोधन के सम्बन्ध में जुलाई 1969 में जारी की गई अधिसूचना द्वारा, इस सम्बन्ध में पहले ही किये गये निर्णयों को ही कुछ परिवर्तनों के साथ लागू किया गया। चूंकि अलग-अलग मामलों के वेतनमानों में संशोधन के निर्णय उनके गुण दोष के आधार पर किये जाते हैं इसलिये इस सम्बन्ध में भेदभाव का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतनमानों में किसी प्रकार का संशोधन करना तीसरे वेतन आयोग का विचारार्थ विषय होगा, जिसकी नियुक्ति की जा रही है।

आसाम के चाय बागान मालिकों द्वारा आयकर का अपवंचन

3068. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में कचार जिले के चाय बागान मालिकों द्वारा आयकर का अपवंचन किये जाने के किसी मामले का पता लगा है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है, उनकी ओर आयकर की कितनी राशि बकाया है और उसे वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) तथा (ख). असम में कछार जिले के चाय बागानों के मालिकों द्वारा कर-अपवंचन के दो मामलों का पता चला है। जिस आय पर, कर-अपवंचन किया गया था उस पर, कर लगाया जा चुका है। इस समय इन दो मामलों में बकाया कर 4,61,386 रुपये है। वसूली के उद्देश्य से वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये जा चुके हैं।

Aid to Kailash Dispensary, Kholachauri District Pauri, Garhwal

3069. **Shri Arjun Singh Bhadoria :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Vaidya of the Kailash Dispensary, Kholachauri, District Pauri Garhwal had submitted an application supported with all his certificates to the Government on the 8th February, 1970 for some grant ;

(b) whether it is also a fact that the said Dispensary provides free treatment to the people in that area ;

(c) if so, the decision taken by Government in this regard ; and

(d) the amount proposed to be given by Government to the said dispensary in view of its free service to the public ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes, Sir.

(b) It was stated in the application that the patients are treated free of charge.

(c) and (d). The responsibility to provide assistance for medical care facilities is that of the State Government or Local body concerned. A grant of Rupees one thousand, has however, been approved from the Health Minister's Discretionary Fund on *ad hoc* basis.

सफाई अभियान

3070. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्दगी आदि को प्रभावी ढंग से हटा कर अधिक स्वच्छ वातावरण पैदा करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के प्रश्न पर विचार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या देश भर में इसका युद्धस्तर पर मुकाबला करने के लिये कोई योजना तैयार की गई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां ।

(ख) राष्ट्रीय जल-सम्भरण और सफाई कार्यक्रम के अन्तर्गत, राज्य सरकारों से, मल-निर्गम योजनाओं का कार्य प्रारम्भ करने के अलावा जमीन के अन्दर मल-निकासी नालियों वाले और जमीन के अन्दर बिना मल-निकासी नालियों, वाले—दोनों ही प्रकार के क्षेत्रों में शुष्क-शौचालयों के स्थान पर फ्लश-शौचालयों की व्यवस्था करने के लिये कार्यवाही करने को कहा गया है । चूंकि यह कार्यक्रम राज्य-क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, इसलिये इस मामले में राज्य सरकारों को आवश्यक कार्यवाही करनी है । स्थानीय प्राधिकरणों और राज्य सरकारों से गांधी शताब्दी समारोहों के एक कार्यक्रम के रूप में नगरीय क्षेत्रों में शुष्क शौचालयों के बदलने के लिये एक विशेष अभियान प्रारम्भ अनुरोध किया गया है ।

पानी में गन्दगी रोकने के लिये 22 दिसम्बर, 1969 को राज्य सभा में एक विधेयक पेश किया गया है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के एक मन्जिले मकानों के आवंटन सम्बन्धी लाटरी में भाग लेने के लिये कम आय वाले सरकारी कर्मचारियों के अभ्यावेदन

3071. **श्री प० मु० सईद :**
श्री म० ला० सोंधी :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 जनवरी, 1970 तक पंजीकरण की तिथि बढ़ाये जाने के बाद कम आय वाले सरकारी कर्मचारियों से पंखा रोड़ पर बने एक मंजिला मकानों की आवंटन सम्बन्धी पहली लाटरी में भाग लेने की अनुमति के लिए जनवरी, 1970 में दिल्ली विकास प्राधिकरण को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था क्योंकि वे मूलत: इन्हीं मकानों के इच्छुक थे परन्तु वे पंजीकरण की बढ़ी हुई तिथि के भीतर अपने नाम पंजीकृत करवा सके थे ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है और इस निर्णय के कारण क्या हैं ;

(ग) पंखा रोड़ पर एक मंजिला कितने मकान बाद की लाटरी में और कब दिये जायेंगे ; और

(घ) क्या कम आय वाले उन व्यक्तियों को उचित दर पर एक मंजिले मकान देने की कोई योजना दिल्ली विकास प्राधिकरण के विचाराधीन है जिन्होंने बढ़ायी गई अवधि में अपने नाम पंजीकृत करवाये थे परन्तु जिन्हें इन मकानों के आवंटन के लिए आवेदन-पत्र भेजने की अनुमति नहीं दी गई थी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां ।

(ख) पंजीकरण दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए जाने वाले मकान/फ्लैट के क्रय के लिए है । जब बेचने के लिए मकानों का एक ग्रुप तैयार हो जाता है, तो अखबारों में एक विज्ञापन जारी किया जाता है । पंजीकृत आवेदकों की निर्धारित समय के अन्दर ऐसे मकानों के लिए आवेदन देना होता है । पंखा रोड़ रिहायशी योजना के लिये आवेदन प्राप्त होने की अन्तिम तारीख 31 दिसम्बर, 1969 थी । पंजीकरण सभी योजनाओं में मकानों के लिए है, जब कभी वे तैयार हो जाते हैं, और पंजीकरण के लिए एक अन्तिम तारीख निश्चित करनी पड़ी । बेचने के लिए पेश किये गये मकानों के ग्रुप के बारे में, समय-समय पर एक अन्तिम तारीख निर्धारित करनी पड़ती है और इसका उस तारीख से सम्बन्ध नहीं है, खब तक कि पंजीकरण किया जा सकता है । एक योजना में आवेदनों की प्राप्ति की एक तारीख निश्चित करने के बाद, इसे प्रायः बदला नहीं जा सकता ।

(ग) लगभग 200 पूरे होने पर ।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण कुछ योजनाओं में कुछ एक-मंजिला मकान बनाने के प्रश्न पर विचार कर रहा है । जब कभी मकानों का एक ग्रुप पूरा हो जाता है, सम्बन्धित आय ग्रुप के पंजीकृत आवेदक उनके लिए आवेदन देने के पात्र होंगे ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पंखा रोड़ पर अर्जित भूमि

3072. **श्री प० मु० सईद** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** क्या मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पंखा रोड़ पर भूमि किस दर पर अर्जित की गई है और उसके विकास पर कुल कितना व्यय हुआ है ;

(ख) इस भूमि को किस दर पर जनता को बेचा जा रहा है ;

(ग) जिस भूमि पर कम आय वाले व्यक्तियों के लिए 80 वर्ग गज पर एक मंजिल वाले और 40 वर्ग गज पर दो मंजिले मकान बनाये जा रहे हैं, उसकी अलग-अलग कितनी कीमत आंकी गई है ; और

(घ) क्या उपर्युक्त भाग (ख) और (ग) में उल्लिखित भूमि के मूल्य को कम करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) अर्जन एक लम्बी प्रक्रिया है। जब तक मुआवजे को अंतिम रूप दिया जाता है, तब तक सामान्य पद्धति एक पूल-दर निकालने की है। पंखा रोड़ के लिये कुल क्षेत्र का पूल-दर 6 रुपये प्रति वर्ग गज निश्चित किया गया है। कुल क्षेत्र की विकास लागत 10 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से निर्धारित की गई है।

(ख) इस योजना में, मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों को भूमि के आवंटन के पूर्व-निर्धारित दर 46 रुपये प्रति वर्ग गज है। नीलाम की आरक्षित दर 50 रुपये प्रति वर्ग गज है।

(ग) 80 वर्ग गज के प्लाटों के लिये 2,400 रुपये तथा 40 वर्ग गज के प्लाटों के लिये 1,200 रुपये।

(घ) जी, नहीं।

कम आय वाले लोगों के लिए एक मंजिला मकानों की मांग

3073. **श्री प० मु० सईद** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण की तैयार मकान/फ्लैट योजना के अन्तर्गत कम आय वाले लोगों की 40 वर्ग गज भूमि पर दो मंजिले मकानों की अपेक्षा 80 वर्ग गज पर एक मंजिले मकानों की मांग अधिक है ; और

(ख) यदि हां, तो एक मंजिल वाले कितने मकान बनाये जा चुके हैं और 1970 तथा 1971 में, अलग-अलग, ऐसे कितने मकान बनाने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) केवल एक रिहायशी योजना में ही एक मंजिले मकान बनाये गए और बेचने के लिये दिये गये। आवेदनों की संख्या से यह जान पड़ा है कि वे इस मामले में उतने अधिक नहीं आए जितने कि वे पहले बेचे गये दुमंजिले मकानों के समय थे।

(ख) 749 एक मंजिले मकान पहले से ही बन चुके हैं तथा ऐसे ही लगभग 200 और मकानों के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया गया है।

डाक्टरों तथा महिला डाक्टरों की कमी

3074. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न अस्पतालों में डाक्टरों तथा महीला डाक्टरों की कमी है ;

(ख) डाक्टरों की कमी को पूरा करने के लिये की गई प्रभावशाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार देश में चिकित्सा कालेजों में विद्यार्थियों के स्थानों को बढ़ाने की सम्भावनाओं पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक कालेज में 1970-71 में कितने स्थान बढ़ाये जाने की सम्भावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) मुख्यतः ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में डाक्टरों और महिला-डाक्टरों की आम कमी है। उनकी संख्या का तत्काल अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

(ख) राज्य सरकारों ने, जो कि अधिकांश डाक्टरों को नियुक्त करती हैं, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा कार्य करने के लिये अनेक प्रोत्साहन दिये हैं और डाक्टरों को प्रोत्साहित करने के बारे में अन्य उपाय किये हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं :—

(1) डाक्टरों तथा विशेषज्ञों की सेवा-निवृत्ति की आयु में वृद्धि करना और/अथवा सेवा निवृत्ति के बाद उन्हें पुनः नियुक्त करना।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के लिये डाक्टरों को विशेष सुविधायें और भत्ते देना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा कार्य से बचने के लिये अनुत्साहित भी करना।

(3) जहां भी आवश्यक हो, अंश कालिक सेवा के आधार पर प्राइवेट चिकित्सकों की सेवाओं का उपयोग करना।

(ग) और (घ). वर्त्तमान 95 मैडिकल कालजों के अतिरिक्त, चौथी पंचवर्षीय योजना में देश में 10 नये मैडिकल कालेज खोलने की व्यवस्था है।

1970-71 के दौरान बढ़ाई जाने वाली सीटों की संभावित संख्या का निर्धारण राज्य सरकारों को अपने वित्तीय संसाधनों और अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए करना है। तथापि 1973-74 के अन्त तक प्रवेश-क्षमता वर्त्तमान 11,500 से बढ़कर 13,000 हो जाने की आशा है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण देने के नियम

3075. **श्री राम किशन गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा विभिन्न उद्योगों को और कृषि तथा अन्य प्रयोजनों के लिये ऋण देने की कोई योजना और नियम बनाये गये हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) राष्ट्रीयकृत बैंकों ने, लघु उद्योगों और खेती का वित्त प्रबन्ध करने की योजनाएं तैयार की है। उन्होंने खुदरा व्यापारियों, छोटे परिवहन चालकों, अपना काम स्वयं करने वाले व्यक्तियों, कारीगरों आदि जैसे अन्य क्षेत्रों को ऋण संबंधी सुविधाएं देने की भी योजनाएं तैयार की है।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें इन योजनाओं का ब्यौरा दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०—2876/70**]

बम्बई में सोने का पकड़ा जाना

3076. श्री नि० रं० लास्कर :
श्री दण्डपाणि :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री मयावन :
श्री सामिनाथन :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में नारदर्न बैंक आफ बस्सावन क्रैक से 28 लाख रुपये के मूल्य का सोना पकड़ा गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सोने की सिल्लियों पर अंग्रेजी तथा फ्रेंच के चिन्ह हैं ;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है ; और

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समहर्ता-कार्यालय, बम्बई के समुद्री तथा निवारक प्रभाग के अधिकारियों ने 21 जनवरी 1970 को बसीन खाडी के उत्तरी तट से सोना पकड़ा जिसका भारतीय बाजार दर पर मूल्य 28 लाख रुपये है।

(ख) सोने पर जानसन मैठे, लन्दन और कम्पेनी मैटाक्स प्रैश्युक्स, पेरिस के मार्के हैं।

(ग) तथा (घ). तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था और बाद में मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत पर छोड़ दिया गया। आगे जांच-पड़ताल जारी है ;

ब्रिटेन से ऋण

3077. श्री नि० रं० लास्कर :
श्री दंडपाणि :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री मयावन :
श्री सामिनाथन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 90 लाख पौण्ड और 10 लाख पौण्ड के ऋण प्राप्त करने के लिये ब्रिटेन के साथ दो करार किये गये है ;

(ख) यदि हां, तो इन करारों की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) इन ऋणों का किस प्रकार उपयोग करने का सरकार का विचार है ; और

(घ) इन करारों की अन्य शर्तें क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (घ). जी, हां। भारत सरकार और ब्रिटेन की सरकार के साथ 11 फरवरी, 1970 को, नयी दिल्ली में दो करारों पर हस्ताक्षर किये गये थे। पहला करार, प्राथमिकता-प्राप्त उद्योगों के लिए ब्रिटेन से आवश्यक वस्तुएं मंगाने के लिए 90 लाख पौंड (16.2 करोड़ रुपये) के ऋण के लिए था। ब्रिटेन से प्राप्त

होने वाले हाल के ऋणों की भांति इस ऋण पर ब्याज या कोई अन्य सेवा-प्रभार नहीं लगेगा, तथा यह ऋण 25 वर्षों की अवधि में चुकाया जायगा जिसमें 7 वर्षों की रियायती अवधि भी शामिल है। दूसरा करार, अन्तर्राष्ट्रीय अनाज व्यवस्था (इण्टर-नेशनल ग्रेन्स अरेजमेंट) से सम्बद्ध खाद्य सहायता अभिसमय (फूड एड कन्वेनशन) के अन्तर्गत, भारत द्वारा मुख्यत: अर्जेन्टीना से 12 लाख पौंड (2.16 करोड़ रुपये) तक के मूल्य का गेहूं खरीदेने के लिए आवश्यक वित्त प्रबन्ध किये जाने के उद्देश्य से ब्रिटेन से अनुदान प्राप्त करने के लिए था।

राष्ट्रीय कोयला निगम के अधीन सुराकचार कोयला खानों के कर्मचारियों के लिये पीने के जल की कमी

3079. **श्री भगवान दास :** **श्री गणेश घोष :**
श्री पी० राममूर्ति : **श्री मुहम्मद इस्माइल :**

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के अधीन सुराकचार कोयला खानों में काम करने वाले उन कर्मचारियों के लिये पीने के जल की कमी है, जो गैर-सरकारी मकानों में रहते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन कर्मचारियों के लिये पर्याप्त मात्रा में जल की व्यवस्था करने के लिये अधिकारियों ने कार्यवाही की है ;

(ग) क्या थोड़ी अवधि में सभी कर्मचारियों के लिये आवास की सुविधाओं की व्यवस्था करने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) ऐसी कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). क्योंकि कर्मचारियों की अधिकतर संख्या पड़ोसी गांवों की होती है या उन में रहती है इस कारण सभी कर्मचारियों को मकान देना प्रस्तावित नहीं। तथापि, वर्तमान आवश्यकताओं के समनुरूप राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा 478 मकानों का निर्माण पहिले ही किया जा चुका है।

भारतीय भू-तत्वीय सर्वेक्षण विभाग में मोल्डर का वेतन क्रम

3080. **श्री अ० कु० गोपालन :** **श्री नम्बियार :**
श्री गणेष घोष : **श्री क० अनिरूद्धन :**

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय भू-तत्वीय सर्वेक्षण विभाग में विभाग द्वारा मोल्डरों के लिए 110-200 रुपये का वेतन क्रम विज्ञापित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भर्ती के बाद उन्हें केवल 85-100 रुपये का वेतन-क्रम दिया जा रहा है ;

(ग) इस वेतन-मान को बदलने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार वर्तमान कर्मचारियों को 110-200 रुपये का वेतन-मान देने का विचार करेगी ; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) मोल्डरों के पद (जिन्हें अब तकनीकी परिचारों के रूप में पुनर्निर्मित किया गया है) का वेतन-मान 85-2-95-3-110 रुपये है ।

इन पदों के पदधारी इसी ग्रेड वेतन पा रहे हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) सरकार ने इस समय वेतन ढांचों के उर्ध्वगामी संशोधन पर प्रतिबन्ध लगा रखा है। इस प्रतिबन्ध के होते हुए कोई संशोधन संभव नहीं होगा ।

भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था के मस्टर रौल कर्मचारियों को अवकाश प्रदान करना

3081. **श्री अ० कु० गोपालन :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री पी० राममूर्ति :
श्री पी० पी० एस्थोस :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था के 'मस्टर रौल' कर्मचारियों को जो कि उस विभाग में लगातार कई वर्षों से सेवा कर रहे हैं, मंजूरी सहित कोई अवकाश प्रदान नहीं किया जाता ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार वर्ष में मंजूरी सहित कम से कम 15 दिन का अवकाश देने के बारे में विचार करेगी ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

चिकित्सा कालिजों में प्रवेश

3082. **श्री योगेन्द्र शर्मा : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद् के अध्यक्ष डा० शाह ने चिकित्सा कालिजों में विद्यार्थियों के प्रवेश की संख्या कम करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो किस आधार पर उन्होंने यह सुझाव दिया है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) उन्होंने बताया है कि भारतीय चिकित्सा परिषद् ने किसी विशेष स्थिति का सामना करने के लिए प्रवेश की संख्या बढ़ाना मान लिया है। चूंकि आपातकालीन स्थिति समाप्त हो चुकी है अतः चिकित्सा कालेजों में धीरे धीरे प्रवेश संख्या को यथा पूर्व स्थिति में लाया जाए।

(ग) सरकार ने भारतीय चिकित्सा परिषद् के अध्यक्ष के सुझावों पर अच्छी तरह विचार किया है। विभिन्न स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन कार्यक्रमों के संचालन के लिए प्रशिक्षण प्राप्त डाक्टरों की सतत कमी को पूरा करने एवं जनसंख्या के अनुसार डॉक्टरों के अनुपात में वृद्धि को ध्यान में रखते हुये मैडीकल कालेजों में प्रवेश-संख्या को कम करने का इस समय कोई प्रश्न ही नहीं है।

बम्बई हाई में तट-दूर छिद्रण परियोजन के लिए सहयोग-प्रस्ताव

3083. **श्री योगेन्द्र शर्मा** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई हाई में तट-दूर तेल छिद्रण परियोजना के लिए इस बीच सरकार को कितने सहयोग-प्रस्ताव प्राप्त हुए ;

(ख) इस सम्बन्ध में विभिन्न विदेशी कम्पनियों द्वारा प्रस्तावित शर्तों का मुख्य ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इन शर्तों की जांच कर ली है ; और

(घ) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) 12

(ख) से (घ). सारी पेशकशें विचाराधीन हैं। इस स्थिति में इन प्रस्तावों के ब्यौरों को बताना जन-हित में नहीं है।

श्रेष्ठिचत्वर (स्टाक एक्सचेंज) के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग का सुझाव

3084. **श्री योगेन्द्र शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने एक सुझाव दिया है कि श्रेष्ठिचत्वर (स्टाक एक्सचेंजस) को समवाय कार्य विभाग के श्रेत्राधिकार के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए ; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हाँ ।

(ख) प्रशासनिक सुधार आयोग ने "सरकारी तंत्र और उसकी कार्य प्रणालियां" सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की थी कि समवाय-कार्य विभाग वित्त मन्त्रालय के अन्तर्गत ले आया जाना चाहिए । इन दोनों सिफारिशों पर इकट्ठा विचार किया जाना है और यह मामला इस समय सरकार के विचाराधीन है ।

रामकृष्णपुरम (नई दिल्ली) में सैक्टर 8 में दुकानों का आवंटन

3085. **श्री बलराज मधोक** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रामकृष्णपुरम (नई दिल्ली) में सैक्टर 8 तथा अन्य नव विकसित सैक्टरों में बाजारों की दुकानें टेंडरों के आधार पर आवंटित की जा रही हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दुकानों का आवंटन के लिए टेंडर मांगे बिना ही कुछ दुकानें आवंटित कर दी गई हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि जिन शर्तों पर टेंडर मांगे गए थे, वे शर्तें सरकार द्वारा पूर्णतया पूरी नहीं की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो रामकृष्णपुरम के बाजारों की दुकानों के मामले में ऐसा भेदभाव बरतने के क्या कारण हैं और उन दुकानदारों की उचित शिकायतों को दूर करने के लिए जिन्होंने टेंडरों के माध्यम से ऊंचे किरायों पर दुकानें ली हैं, क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). रामकृष्णपुरम सैक्टर VIII में एक दुकान को छोड़कर, जो खादी ग्रामोद्योग भवन को आवंटित की गई है, सैक्टर VIII तथा अन्य नये विकसित किये गये सैक्टर XII की सभी दुकानें टेंडरों के आधार पर आवंटित की गई हैं, परन्तु अनुसूचित जातियों के समुदायों के लिये आवश्यक सुरक्षण किया गया है, जिनके मामलों में रियायती किराये पर पर्ची द्वारा आवंटन किये गए हैं।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) रामकृष्णपुरम मार्किटों में दुकानों के आवंटन के मामले में कोई भेदभाव नहीं है ।

रामकृष्णपुरम के दुकानदारों की, बिजली के कनेक्शनों, गुसलखानों, शौचालयों की व्यवस्था, कोर्ट-यार्ड, लान और बालकोनी की दिवारों के प्लास्टर के बारे में शिकायतों पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा ध्यान दिया जा रहा है ।

राज्यों द्वारा अतिरिक्त संसाधनों का उपयोग

3086. **श्री एन० शिवप्पा :**
श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अनेक राज्यों की इस मांग को मान लिया है और उनकी योजनाओं के आकार को बढ़ाने के लिए उनके द्वारा जुटाये गये समूचे अतिरिक्त संसाधनों का उपयोग वे ही करें और गैर-परियोजना घाटे को पूरा करने के लिए योजना का कोई अंश न निकाला जाये ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों को योजनाओं के अनुसार नियतन किया गया है ; और

(ग) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं में सरकारी क्षेत्र के लिये नियत परिव्यय का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्री और वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). सरकार ने सिद्धांतः, उन राज्यों को विशेष सहायता देना मान लिया है जिनके आयोजना-भिन्न खाते के साधनों में अपरिहार्य कमी हो गयी हो । इन कमियों का निर्धारण, पांचवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर और अनिवार्य आयोजना-भिन्न वचनबद्ध व्यय, आयोजना-भिन्न व्यय में किफायत की गुंजाइश और राजस्व तथा कर सम्बन्धी वसूलियों और बजट सम्बन्धी अन्य सामान्य साधनों को जुटाने के काम में सुधार करने के लिए किये गये प्रयत्नों के बारे में योजना आयोग द्वारा किये गये मूल्यांकन पर विचार करने के बाद किया जायगा । इससे इन राज्यों को, साधन जुटाने के लिए पहले की अपेक्षा अधिक प्रयत्न करने, और जितने साधन वे जुटा सकते हैं उन साधनों का मान्यता प्राप्त विकास आयोजना परिव्यय के लिए उपयोग करने में सहायता मिलेगी । अभी तक इस व्यवस्था के अन्तर्गत राज्यों के लिए कोई रकमें निर्धारित नहीं की गई हैं ।

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के सम्बन्ध में चौथी आयोजना में किए जाने वाले परिव्यय की राशि अन्तिम रूप से तय नहीं की गयी है ।

वित्त मन्त्रालय में एक नया बैंकिंग विभाग खोलना

3087. **श्री एन० शिवप्पा :**
श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यों की देखभाल करने के लिए वित्त मन्त्रालय में एक नया बैंकिंग विभाग खोला है ;

(ख) क्या इस योजना के कारण बैंकों की बांकिंग में नौकरशाही हस्तक्षेप नहीं होगा और उनकी स्वायत्तता पर आघात नहीं पहुंचेगा ; और

(ग) सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की जिम्मेदारी सौंपने तथा प्रशासनिक अर्थ-व्यवस्था बनाने की सरकारी घोषित नीति से यह कहां तक मेल खाता है ;

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां। वित्त मन्त्रालय का बैंक विभाग न केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों बल्कि अन्य सभी भारतीय बैंकों और भारत में काम करने वाले सभी विदेशी बैंकों से सम्बन्धित विषयों के बारे में, सहकारी बैंकिंग से सम्बन्धित कुछ विषयों के बारे में लम्बी अवधि के लिए वित्त प्रदान करने वाली सभी वित्तीय संस्थाओं (जीवन बीमा निगम और यूनिट ट्रस्ट को छोड़ कर) और चिट फंडों आदि के बारे में कार्रवाई करेगा।

(ख) और (ग). बैंकिंग समवाय (उपक्रमों का अभिग्रहण और अन्तरण) अध्यादेश, 1970 की धारा 7(2) और इस अध्यादेश के स्थान पर लागू होने वाले विधेयक के, जो हाल में लोक-सभा में पेश किया गया है, ऐसे ही उपबन्धों के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यों और कारबार के सामान्य अधीक्षण निदेशन और प्रबन्ध का अधिकार इन बैंकों के निदेशक मंडलों को प्राप्त होगा। लेकिन इसके साथ-साथ, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीयकृत बैंकों के मार्गदर्शन के लिए, लोक-हित से सम्बन्धित नीति-विषयक मामलों में, रिजर्व बैंक के गवर्नर के साथ परामर्श करके निदेश दे सकती है। इसलिए बैंकों के प्रबन्ध कार्य में हस्तक्षेप करने और उनकी स्वायत्तता पर आघात का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता।

गैर-सरकारी क्षेत्र में उर्वरक समवायों द्वारा दिया गया आय-कर

3088. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गैर-सरकारी क्षेत्र के उर्वरक समवायों द्वारा गत तीन वर्षों में उर्वरकों के विक्रय पर कितना आयकर दिया गया तथा उनमें से प्रत्येक समवाय पर आयकर की कितनी राशि बकाया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : अपेक्षित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। जो भी सूचना उपलब्ध हो सकेगी उसे इकट्ठी किया जा रहा है और उसे यथा सम्भव शीघ्र ही सदन की मेंज पर रख दिया जायगा।

विदेशी सहायता बंद करने की अंतिम तिथि

3090. **श्री कार्तिक उराँव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसी अन्तिम तिथि निर्धारित है जिसके अनुसार जिसके अन्तर्गत किसी भी प्रकार की सहायता को बिल्कुल बन्द किये जाने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). जैसा कि तीसरी पंचवर्षीय आयोजना में बताया गया है आर्थिक आयोजन का एक मुख्य उद्देश्य यह है कि विदेशी सहायता पर निर्भरता को धीरे-धीरे कम करके निर्भरता का लक्ष्य प्राप्त किया जाय। इस बात का अनुसरण करते हुए, चौथी आयोजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह रखा गया है कि इस बात के लिए आवश्यक प्रयत्न किया जाय कि ब्याज और ऋणों

की वापसी अदायगी की रकम को छोड़कर, तीसरी पंचवर्षीय आयोजना के लिए जितनी विदेशी सहायता ली गई थी उससे लगभग आधी विदेशी सहायता इस आयोजना के लिए ली जाय और इस प्रकार आत्म-निर्भरता की ओर अग्रसर हुआ जाय। चौथी आयोजना के मसौदे में 'दीर्घावधिक परिप्रेक्ष्य' (लांग टर्म पर्सपेक्टिव) नामक अध्याय में भी यह उल्लेख किया गया है कि 'इस अध्याय में लम्बी अवधि के विकास की जिस योजना की रूपरेखा बतायी गयी है, उसका उद्देश्य 1980-81 तक विदेशी सहायता पर निर्भरता को बिल्कुल समाप्त करना है।' जब हमारी अर्थ-व्यवस्था आत्म-निर्भर हो जायगी तब हम पर्याप्त विकास के लिए आवश्यक, प्रयोजनों के लिए, विदेशी सहायता पर निर्भर रहे बिना पूंजी लगाने में समर्थ हो सकेंगे यद्यपि वाणिज्यिक शर्तों पर विदेशी पूँजी के देश में बराबर आते रहने की सम्भावना बनी रह सकती है। जहां तक खाद्य-सहायता का सम्बन्ध है, सरकार को आशा है कि रियायती शर्तों पर अन्न का आयात 1970-71 के बाद बन्द हो जायेगा।

वित्त मंत्रालय के प्रथम श्रेणी अधिकारियों का आचरण

3091. **श्री चंद्रशेखर सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त मन्त्रालय में प्रथम श्रेणी के कितने अधिकारियों के बुरे आचरण के बारे में सरकार को ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि वे जाति पांति का भेदभाव करते हैं ;

(ख) उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध क्या आरोप लगाये गये है ;

(ग) क्या इस बारे में कोई जांच कराई गयी है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) जांच के परिणामस्वरूप सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है अथवा करने का विचार किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क), (ख), (ग) और (घ). सरकार ने वित्त मन्त्रालय (मूल) के प्रथम श्रेणी किसी अधिकारी को जाति-पांति सम्बन्धी भेदभाव करते हुए नहीं पाया है। प्रथम श्रेणी के एक अधिकारी के विरुद्ध लगाए गए जाति-पाति सम्बन्धी भेदभाव के आरोपों की जांच की जा रही है। जांच-कार्य के पूरा हो जाने के बाद ही, कोई कार्रवाई किये जाने का प्रश्न पैदा होगा।

रिजर्व बैंक के गवर्नर तथा स्टेट बैंक आफ इंडिया के अध्यक्ष आदि का वेतन, परिलब्धि तथा सुविधाएं

3092. **श्री मधु लिमये** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, स्टेट बैंक आफ इंडिया के अध्यक्ष तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अभिरक्षकों के वेतन, परिलब्धियां तथा सुविधाएं क्या-क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : अपेक्षित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०—2877/70**]

वर्ष 1969 के लाभ तथा हानि के लेखों के बारे से राष्ट्रीयकृत बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक का परिपत्र

3093. **श्री मधु लिमये** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रिजर्व बैंक अथवा बैंकिंग विभाग द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों को जारी किये गये इस परिपत्र का पता है कि उन्हें वर्ष 1969 का अपना लाभ तथा हानि का हिसाब-किताब वसूल न हो सकने वाले ऋणों, ह्रास आदि के लिये धन की सामान्य व्यवस्था के लिए बिना तैयार करना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो यह परिपत्र कब जारी किया गया था ;

(ग) ये निर्देश दिये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या लाभ अधिक दिखाने के लिए ऐसा किया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). रिजर्व बैंक ने कोई परिपत्र जारी नहीं किया है । किन्तु 16 फरवरी, 1970 को, रिजर्व बैंक ने, बैंकिंग विनियम अधिनियम की धारा 35 के अधीन प्राप्त अपने अधिकारों के अन्तर्गत, राष्ट्रीयकृत बैंकों को निर्देश जारी करके, उनके लिए कुछ प्रकार के लेन-देनों को कार्यान्वित करने से पूर्व उसकी अनुमति प्राप्त करना आवश्यक बना दिया है । इन लेनदेनों में अन्य बातों के साथ-साथ ये भी शामिल हैं—वर्ष 1969 के लाभ में से अशोध्य और सन्दिग्ध ऋणों, परिसम्पत्तियों के मूल्यह्रास, कर्मचारी-निधियों और निर्वतन (सुपर-एनुएशन) निधियों में अंशदान के लिए व्यवस्था करना, अथवा ऐसा कोई भी मामला जिसके लिए कानून के अन्तर्गत व्यवस्था करना आवश्यक है या जिसके लिए व्यवस्था सामान्यत: बैंकिंग कम्पनियों द्वारा की जाती है या अन्य कोई विनियोग ।

(क) और (घ). 14 बैंकों के पुनर्राष्ट्रीयकरण से सम्बन्धित अध्यादेश (1970 के 3 रे अध्यादेश) के जारी किये जाने के बाद अध्यादेश की धारा 7 (3) के अन्तर्गत, सरकार द्वारा प्रथम निदेशक मण्डलों की नियुक्ति किये जाने तक, अभिकक्षों को निर्बाध अधिकार प्राप्त हैं । अशोध्य ऋणों, मूल्यह्रास आदि के लिए व्यवस्था करने के मामले ऐसे मामले हैं जिनके बारे में केवल निदेशक मण्डल ही कोई निर्णय लेने में सक्षम हैं । निदेश जारी करने का उद्देश्य यह है कि जब तक निदेशक मण्डलों का गठन नहीं हो जाता तब तक अभिरक्षकों को उनके कार्य-सम्पादन में मार्ग दर्शन प्रदान किया जाय ।

बैंक राष्ट्रीयकरण की नीति के संबंध में संसद को आश्वासन

3094. **श्री मधु लिमये** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों का राष्ट्रीयकरण करते समय सरकार ने संसद को आश्वासन दिया था कि उसकी यह नीति बैंकिंग का व्यवसायी-करण करने की है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इन संस्थाओं में नौकरशाही व्यवसायी को प्रधानता देने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो राष्ट्रीयकृत बैंकों के सर्वोच्च पदों पर अनुभवी बैंकरों को नियुक्त करने के लिए उनका विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). जैसा कि बैंककारी समवाय (उपक्रमों का अभिग्रहण अन्तरण) अध्यादेश, 1970 (1970 का तीसरा) में व्यवस्था की गई है, अध्यादेश के लागू होने से तुरन्त पहले जो व्यक्ति "मौजूदा" बैंक का अध्यक्ष था, वह तदनुसार नये (रास्ट्रीयकृत) बैंक का अभिरक्षक बन गया। राष्ट्रीयकरण किये जाने की तुलना को "मौजूदा" बैंकों के जो अध्यक्ष थे, वे या तो व्यावसायिक बैंकर थे या ऐसे बैंक थे जिनका बैंक व्यवसाय से कई वर्षों से संबंध था और जिन्हें इस व्यवसाय के बारे आवश्यक अनुभव भी था। सरकार की इस नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है कि राष्ट्रीयकृत के प्रबन्ध के लिए आम तौर पर व्यावसायिक बैंकर ही किये जाने चाहिएं और इसलिए बैंकों में सरकारी अधिकारी भरने का सवाल पैदा ही नहीं होता।

नई दिल्ली में निर्माणों (स्ट्रक्चर्स) को नियमित करने के बारे में पंचकुइयां वासियों का अभ्यावेदन

3095. **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री शारदा नन्द :
श्री सूरज भान :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचकुइयाँ रोड नई दिल्ली में स्थित दूसरी मंजिल परिसरों में तथाकथित अनधिकृत निर्माणों को नियमित करने के बारे में पंचकुइयां रोड वासियों से सरकार को एक अभ्यावेदन मिला है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इन निर्माणों को नियमित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या यह सच है कि ऐसे मामले हनुमान रोड, नई दिल्ली में पहले नियमित किये गये हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि ये निर्माण 20-25 वर्ष पूर्व किये गये थे ;

(ङ) यदि हां, तो सरकार उन्हें नियमित घोषित क्यों नहीं करती ; और

(च) सरकार ने इन वासियों से अर्थ-दण्ड आदि के रूप में अब तक कुल कितना धन वसूल किया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) सबसे ऊपरी मंजिल पर "बरसाती" के अनधिकृत निर्माण और निचली मंजिल में खुले आंगन पर निर्माण के नियमितीकरण के संबंध में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। मामला विचाराधीन है।

(ग) जी हां।

(घ) मालूम नहीं।

(ङ) जैसा कि उपर्युक्त भाग (क) में कहा गया है, मामला विचाराधीन है।

(च) 30 मामलों में से 5 में लगभग 3,607.80 रुपये तक की वसूली की गई है। शेष मामलों में प्राप्त हुए अभ्यावेदन पर निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है।

आय-कर का भुगतान न करने पर अभियोग के मामले

3 96. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कर-दाताओं के नाम तथा पते क्या हैं जिन पर आय-कर विभाग द्वारा गत दो वर्षों में अभियोग चलाया गया है ;

(ख) उन पर अभियोग चलाये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) जिनको कैद की सजा दी गई है उनके नाम तथा पते क्या हैं ; और

(घ) उन करदाताओं के नाम तथा पते क्या हैं जिनको गत दो वर्षों में आय-कर का भुगतान न करने पर जेल भेज दिया गया था ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (घ). वर्ष 1968 तथा 1969 से सम्बन्धित सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

Rise in Prices of Foodgrains and Essential Commodities

3097. **Shri Kanwar Lal Gupta** : **Shri Bansh Narain Singh** :
Shri Ram Swarup Vidyarthi : **Shrimati Ila Palchoudhuri** :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that prices of foodgrains and other essential commodities have gone up during the last three months ;

(b) if so, the extent to which they have gone up and the reasons therefore ; and

(c) the steps being taken by Government to avert this price-rise ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) to (c). A statement showing the index numbers of wholesale prices of foodgrains and other selected essential commodities as on November 22, 1969 and February 21, 1970, and the percentage variations therein is enclosed.

The recent pressure on prices has resulted largely on account of the likely shortfalls in the production of raw cotton and oilseeds during 1969-70 as well as due to delay in the winter rains which affected rabi crops. The increase in bank credit during the current busy season has also been larger than in the corresponding period of the last year.

The Government keeps the price situation under constant watch and takes remedial measures in the light of the emerging situation. These measures include fiscal and credit regulations, building up buffer stock of foodgrains, arranging imports and taking recourse to price controls where necessary. More recently, the Reserve Bank has taken a number of measures to tighten credit controls on bank advances in general and against such commodities as are subjected to price pressure. Larger imports of raw cotton and staple

fibre, edible oils and mutton tallow are being arranged to relieve pressure on prices of these commodities. Increased quantities of foodgrains are also being released through the public distribution system [*Placed in Library. See* No. LT-2878/70].

खनन क्षेत्रों में खनिजों से लाभ उठाने तथा उनके संरक्षण और वहां के निवासियों की सुरक्षा के लिए समन्वय समिति

3098. **डा० सुशीला नैयर :** **श्रीमती सावित्री श्याम :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनन क्षेत्रों में खनिजों का लाभ उठाने तथा उनके संरक्षण और वहां के निवासियों की सुरक्षा के लिए एक समन्वय समिति का गठन करने के बारे में कुछ समय पूर्व कोई प्रस्ताव था ;

(ख) यदि हां, तो इसका गठन कब किया गया था और इसके सदस्य कौन कौन हैं ;

(ग) आरम्भ से लेकर अब तक इसकी कितनी बैठकें हो चुकी हैं और इसकी कार्य प्रणाली क्या है ; और

(घ) यदि समिति द्वारा कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया हो तो क्या उसे सभा पटल पर रखा जायेगा ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) खान सुरक्षा विषयक दूसरे सम्मेलन में इस प्रकार की समन्वय समिति के गठन का सुझाव था । श्रम तथा रोजगार विभाग तथा खान सुरक्षा के महा निदेशक के परामर्श के साथ इस सुझाव पर विचार किया गया और यह पाया गया कि समिति को गठित करना आवश्यक नहीं ।

(ख) से (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

Use of Hindi in L.I.C.

3099. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4589 on the 16th December, 1968 and state :

(a) the number of offices of the Life Insurance Corporation in Hindi-speaking areas, the number of such of the Officers working in them as do not know Hindi and the steps taken to teach them Hindi ;

(b) whether attention of the Corporation has been invited to the Ministry of Home Affairs Circular dated the 6th July, 1968 which contains instruction in regard to the use of Hindi ;

(c) the details of designations of such technical posts, terms and forms in the said Corporation which have not so far been translated into Hindi ;

(d) whether it is proposed to carry out entire work of all those offices of the said Corporation which are located in Hindi speaking areas and in Punjab, Gujarat and Maharashtra ; and

(e) if so, the time by which such arrangements are proposed to be made and, if not, the reasons therefor ?

The Minister of Supply and the Minister of State in the Ministry of Finance (Shri R. K. Khadilkar) : (a) to (e). The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as it is available.

Persons having working knowledge of Hindi in the Ministry of Finance

3100. **Shri Ram Swarup Vidyarthi** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the total number of sections and units in her Ministry ;

(b) the names of the sections and units in which 50 percent and 80 percent staff respectively have the working knowledge of Hindi ;

(c) the time by which it is proposed to start noting and drafting in Hindi in the sections and units in which the percentage of Hindi knowing staff is 50 to 80 ; and

(d) the measures proposed to be adopted to remove the difficulties being faced in this regard ?

The Ministry of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) 203.

(b) The information is given in the statement (Annexure). [*Placed in Library See* No. LT-2879/70].

(c) the starting of noting and drafting in Hindi depends not so much on the composition of the staff employed in the Sections of the Finance Ministry but on the kind of work they are engaged in. Thus, in technical sections or sections giving financial advice to other Ministries, this work depends on several factors like availability of Hindi versions of Acts, Rules and Regulations. ability of all the constitutents to participate in discussions on technical matters, transaction of work in other Ministries etc. Having regard to these considerations, noting and drafting in Hindi has already been started in some Sections of Ministry of Finance on a limited scale for certain kinds of work. Employees are, however, free to use Hindi to transact their work and there are no impediments in this regard.

(d) Apart from expediting the work of translation of the various Acts, Regulations etc. into Hindi, and acceleration of the progress of imparting Hindi training to non-Hindi knowing employees, it has recently been decided to set up an Official Languages Implementation Committee in each Department, which will, among other things, review the implementation of the instructions of Ministry of Home Affairs regarding use of Hindi and make appropriate suggestions for removing difficulties in their implementation.

Orders, Circulars and Notices etc. issued by the Ministry of Finance

3101. **Shri Ram Swarup Vidyarthi** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the total number of orders, circulars, notices, etc , concerning Class I, Class II, Class III and Class IV employees in her Ministry issued during the Second half of 1969 and the number out of them of those which were issued in Hindi ;

(b) the number of applications, petitions etc, received from the employees during the above period in Hindi and the number of cases in which decisions taken thereon were communicated to them in Hindi ;

(c) the total number of letters received in Hindi in her Ministry during the said period ;

(d) the number of them of those to which replies were sent in Hindi and also of those to which replies were sent in English ;

(e) whether the letters, applications etc , received in Hindi were not replied to in Hindi : and

(f) the time by which it is proposed to issue replies to Hindi letters in Hindi and also to issue all the office orders, etc., in Hindi ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) to (f). The information is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

दिल्ली/नई दिल्ली में सड़क के किनारे गंदी बस्तियों तथा मामूली झोपड़ियों के वासी

3102. **श्री अदिचन** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली/नई दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास और अन्य महानगरों में इस समय तथा पहली, दूसरी तथा तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं के अन्त में सड़कों के किनारे गंदी बस्तियों तथा मामूली झोपड़ियों में रहने वालों की संख्या के बारे में सरकार के पास कोई नवीनतम अनुमान उपलब्ध है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक उनकी संख्या में कितनी वृद्धि होने की संभावना है ; और

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उनके लिए समुचित मकानों की व्यवस्था करने की योजनाओं की मुख्य रूप रेखा क्या है और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता दी जायेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) कोई विशिष्ट अनुमान नहीं लगाया गया है ।

(घ) गन्दी बस्ती सफाई/सुधार योजना राज्य क्षेत्र में आती हैं तथा राज्य प्लानों की ऊपरी सीमा के अन्तर्गत योजना के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सहायता राज्यों को ब्लाक लोन्स (खण्ड ऋण) और ब्लाक ग्रान्ट्स (खण्ड अनुदान) के रूप में दी जाती हैं । ये ऋण और अनुदान विकास के किसी विशेष शीर्षक से प्रतिबंधित नहीं होते तथा राज्य सरकारें विकास के विभिन्न शीर्षकों के लिए दी गई प्राथिमिकता के आधार पर व्यय करने में स्वतंत्र होती हैं ।

गन्दी बस्ती सफाई योजना और स्व-वित्त-प्रबन्धित प्रकृति के पुनः आवास की राज्य परियोजनायें भी प्रस्तावित आवास और नगर विकास वित्त निगम के माध्यम से सहायता प्राप्त करने की पात्र हैं ।

Refusal of Licence to Ongc for Production of Crude Oil in Galeki Area in Assam

3103. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have refused to issue a licence to the Oil and Natural Gas Commission for the production of crude oil in Galeki area in Assam as a result of which the Commission has stopped its function in the said area ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the extent to which oil production is likely to increase in case oil production is started in the said area ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) and (b). The ONGC applied for Petroleum Exploration Licence in May, 1967. Although it was not formally granted, the exploratory drilling was started in January, 1968 after duly informing the State Government. The requisite fees for the Licence have been paid regularly to the State Government and accepted by them without objection. The first well having been found to be a producer, the Commission has now applied for a Minning Lease in December, 1969, and the Government has been requested for granting working permission for trial production in January, 1970. The requisite fees in this context have also been accepted by the State Government. The grant of lease or alternatively, working permission is being awaited.

(c) Cannot be estimated at this stage.

Relief to Families of Victims of Sterilization

3104. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether there is any scheme for providing relief to those families who have become the victims of sterilisation or have no issue, as is being done by Government by launching various Family Planning Programmes for making the families happy and prosperous by checking birth ; and

(b) whether the family planning authorities would consider a scheme for making sterilization ineffective as and when required for the welfare of the families referred to above ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) and (b). Adequate arrangements to recanalize persons who lose their children due to natural calmities, have been provided in 90 hospitals/institutions in the country. Cases taken up for recanalization receive free transport, diet and medicine during the treatment. Medical help to infertile couples is also available under the Family Planning Programme.

आय निर्धारण के प्रयोजन के लिए ह्रास दरों का पुनरीक्षण

3105. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आय निर्धारणार्थ मशीनरी के ह्रास दरों पर हाल में विचार किया है तथा उन्हें पुनरीक्षित किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां ; तथा

(ख) आयकर नियमावली, 1962 में हाल ही में संशोधन किया गया है, ताकि व्यापार अथवा व्यवसाय के लिए प्रयुक्त परिसम्पतियों के सम्बन्ध में मूल्य-ह्रास की दर-अनुसूची को सरल बनाया जा सके तथा इस प्रकार की परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में मूल्य-ह्रास की संगणना को युक्तियुक्त बनाया जा सके। संशोधनों को 29 दिसम्बर 1969 के भारत के गजट असाधारण में अधिसूचित किया गया था तथा 23 फरवरी 1970 को इस अधिसूचना की प्रतियां लोक सभा की मेज पर रखी गई थी।

वर्तमान संशोधन के जरिये लागू की गई सरलीकरण योजना में वस्तुतः मशीनरी तथा संयंत्र को, उपयोगी प्रयोग-अवधि के सात मुख्य वर्गों के अन्तर्गत वर्गीकृत किये जाने की व्यवस्था है, जिसमें मूल्य ह्रास की दरी को इससे पहले प्रवर्त्तमान 2.5 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत की सत्रह अलग-अलग दरों के स्थान पर, 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत, 20 प्रतिशत, 30 प्रतिशत, 40 प्रतिशत तथा 100 प्रतिशत कर दिया गया है।

नई योजना के अन्तर्गत, मशीनरी तथा संयंत्र के सम्बन्ध में, मूल्य-ह्रास की सामान्य तथा अवशिष्ठ दर 10 प्रतिशत होगी, तथा यह उन सभी मशीनरी तथा संयंत्रों की मदों पर लागू होगी, जो 5 प्रतिशत की निम्नतर विशिष्ट दर अथवा 15 प्रतिशत, 20 प्रतिशत, 30 प्रतिशत, 40 प्रतिशत अथवा 100 प्रतिशत की किसी भी उच्चतर विशिष्ट दरों के अन्तर्गत नहीं आतीं। एक अथवा दो वर्षों की उपयोगिता अवधि वाली मशीनरी तथा संयंत्रों की मदों को, जिनके लिए पूर्ववर्त्ती नियमों में मूल्य-ह्रास की कोई विशिष्ट दर निर्धारित नहीं की गई थी किन्तु केवल प्रतिस्थापन अथवा नवीकरण की लागत की घटौती करने की ही व्यवस्था की गई थी, अब 100 प्रतिशत के दर-वर्ग के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है। इसका अर्थ यह है कि इस प्रकार की मशीनरी तथा संयंत्र की वास्तविक लागत को उस वर्ष की मूल्य-ह्रास छूट के रूप में घटाया जा सकता हैं, जिसमें वह पहली बार प्रयुक्त की गई हो। यह आयकर अधिनियम में की गई उस व्यवस्था के अतिरिक्त है, जिसके अन्तर्गत 750 रुपये तक की लागत वाली किसी मशीनरी अथवा संयंत्र की सम्पूर्ण वास्तविक लागत को उस वर्ष के लिए मूल्य-ह्रास छूट के रूप में घटाया जा सकता है, जिसमें निर्धारिती द्वारा ऐसी मशीनरी अथवा संयंत्र, अपने व्यापार अथवा व्यवसाय के प्रयोजन के लिए पहली बार प्रयुक्त की गई हो। बाद का यह उपबन्ध उन मशीनरी तथा संयंत्रों के सम्बन्ध में भी लागू होता है, जिनके लिए, नियमों के अन्तर्गत मूल्य-ह्रास की दर 100 प्रतिशत से कम है।

उक्त संशोधन के जरिये लागू किया गया दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन यह है कि मूल्य-ह्रास की अनुमति उन परिसम्पतियों के सम्बन्ध में भी समूचे वर्ष के लिए दी जायेगी जो वर्ष के दौरान केवल थोड़ी अवधि के लिए इस्तेमाल की गई थी। संयंत्र तथा मशीनरी के बहु-पालियों में कार्य करने के लिए अतिरिक्त-पाली-छूट की संगणना के सम्बन्ध में भी संशोधन किया गया है। बहु-पाली कार्य चालन के दिनों की संख्या का "सामान्य कार्य चालन अवधि" के प्रति जो अनुपात है, उस अनुपात से, यह अतिरिक्त छूट मिलती रहेगी, तथा इसे दोहरी पाली कार्य चालन के लिए मिलने वाली सामान्य छूट के 50 प्रतिशत तक तथा तिहरी पाली कार्य चालन के लिए सामान्य छूट के बराबर तक सीमित रखा जायेगा। इस प्रयोजन के लिए "सामान्य कार्य चालन अवधि" को जितने

दिनों के लिए कारखाना वर्ष में कम से कम एक पाली चलाता है उतने दिनों के बराबर माना जायेगा, लेकिन पूर्ववर्ती नियमों के अन्तर्गत 300 दिनों के मानक आंकड़ों के स्थान पर, मौसमी कारखाने के मामले में यह अवधि कम से कम 180 दिन की तथा किसी अन्य कारखाने के मामले में 240 दिनों की होगी ।

पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अपेक्षित स्तर के होटलों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के निमित्त, किसी भारतीय कम्पनी द्वारा संचालित तथा किसी अनुमोदित होटल में प्रतिस्थापित मशीनरी तथा संयंत्र के संबंध में, सामान्य छूट के 50 प्रतिशत की रकम के बराबर, अतिरिक्त मूल्य-ह्रास छूट की मंजूरी देने की व्यवस्था भी इन नियमों में है ।

नई दरें तथा मूल्य ह्रास की छूट की संगणना विषयक पद्धति, कर-निर्धारण वर्ष 1970-71 से लागू होगी अर्थात् वित्तीय वर्ष 1969-70 अथवा इसके तदनुरूपी किसी अन्य लेखा-वर्ष की आय के सन्दर्भ में लागू होगी ।

महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों का देशव्यापी सर्वेक्षण

3106. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवीनतम अधिकारिक सर्वेक्षण के अनुसार देश के प्रत्येक भाग में महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों के ज्ञात निक्षेप कितने हैं ;

(ख) किस अभिकरण अथवा अभिकरणों ने ये सर्वेक्षण किये थे ;

(ग) यह सर्वेक्षण किस वर्ष में अथवा किन वर्षों में कराये गये थे ;

(घ) अब तक उनमें से प्रत्येक सम्भावित खनिज निक्षेप का कितना-कितना पता लगाया गया है ; और

(ङ) उन खनिजों की सूची क्या है जो पूर्णतया विदेशी मंडियों की आवश्यकता को पूरी करती है और उन देशों के नाम क्या है, जहां इनमें से प्रत्येक खनिज का निर्यात किया जाता है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) से (ङ). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

कंपनियों को हथियाने के लिये बैंकों से लिये जाने वाले ऋण का प्रयोग

3107. **ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक ने हाल में बैंकिंग कम्पनियों को इस खतरे से सावधान किया है कि वाह्य दर से उत्पादक प्रयोजनों के हेतु किये गये ऋणों का उपयोग कम्पनियों को हथियाने के लिए किया जा रहा है ;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से सम्वेदनाशील कहे जाने वाले सभी लेखों की सावधानी पूर्वक जांच करने को कहा है ;

(ग) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक के इस निर्देश का पाठ क्या है ; और

(घ) वर्ष 1967-68, 1968-69 तथा 1969-70 के बीच ऐसे उदाहरणों का ब्यौरा क्या है जहां वाह्य रूप से उत्पादक प्रयोजनों के लिए किये गये ऋणों का उपयोग कम्पनियों को हथियाने के लिये किया गया था ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने 8 नवम्बर, 1967 के परिपत्र क जरिये बैंकों को यह सलाह दी थी कि उन्हें ऋण देते समय इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करनी चाहिए कि ऋणकर्त्ता इन अग्रिमों का उपयोग कम्पनियों पर कब्जा करने के उद्देश्य से उनके शेयरों की खरीद करने और अन्य ऐसे ही अनुत्पादक कार्यों के लिये न कर सकें । बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35-क के अन्तर्गत जाकी किये गये एक निदेश के जरिये, रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के अभिरक्षकों से यह कहा है कि वे अन्य बातों के साथ-साथ, किसी एकल ऋणकर्त्ता को ज्वायंट स्टाक कम्पनियों के शेयरों और डिबेंचरों के आधार पर, 5 लाख रुपये से अधिक की रकम के ऋण और अग्रिम देने के लिये अथवा ऐसी ही जमानत के आधार पर, ऋणों अथवा अग्रिमों की सीमा की मंजूरी देने या उसका नवीकरण करने के लिए और किसी ऋणकर्त्ता को इतना ऋण, अग्रिम या ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति लें, जिसको मिलाकर ऋणकर्त्ता को पहले से प्रदान की गयी रकम 25 लाख रुपये से अधिक हा जाती हो ।

इसके अलावा, रिजर्व बैंक के गवर्नर ने अपने 18 फरवरी, 1970 के परिपत्र के जरिये बैंकों को सलाह दी है कि वे इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करने के उद्देश्य से कि ऋण का उपयोग जमाखोरी और सट्टेबाजी के लिए न हो, ऋण के अन्तिम उपयोग के मामले में और अधिक सतर्कता बरतें ।

(ग) प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित परिपत्रों के उद्धरण संलग्न हैं। [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी०—2880/70]

(घ) सूचना उपलब्ध नहीं है ।

अहमदाबाद बिजली सप्लाई, बम्बई उपनगरीय बिजली सप्लाई आदि का प्रबंधक

3108. **श्री जार्ज फरनेंडीज** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रबन्धक अभिकरण व्यवस्था के समाप्त होने के फलस्वरूप अहमदाबाद बिजली सप्लाई, बम्बई उपनगरीय बिजली सप्लाई, थाना बिजली सप्लाई सूरत, बिजली सप्लाई और कोहनूर मिल्स लिमिटेड, बम्बई के बारे में मैसर्स किलिक इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बम्बई और मैसर्स कपाडिया ब्रदर्स और जीवन बीमा निगम के बीच कोई बातचीत हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो करार की क्या शर्तें तय हुई हैं ?

पूर्ति मन्त्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). कम्पनियों के प्रबन्धकों तथा जीवन बीमा निगम के बीच कोई बातचीत अथवा समझौता नहीं हुआ था । प्रबन्ध एजेन्टों ने, कम्पनियों के एक मुख्य शेयरधारी होने के नाते, जीवन बीमा

निगम के साथ इस उद्देश्य से सम्पर्क किया था कि प्रबन्ध एजेन्सी प्रणाली की समाप्ति पर कम्पनी के भावी प्रबन्ध के सम्बन्ध में निगम के विचार पहले से ही जान लिये जायें और जीवन बीमा निगम ने उनको केवल अपना दृष्टिकोण ही बताया था।

पेंशन अधिनियम 1871 में संशोधन

3109. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लोक सभा की याचिका समिति की उस सिफारिश पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया है जिसमें सुझाव दिया गया है पेंशन भोक्ताओं की आवश्यकताएं पूरी करने के लिये पेंशन अधिनियम, 1871 में संशोधन करने के लिये एक व्यापक विधेयक पुरः स्थापित किया जाना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा विधान कब तक पुरःस्थापित करने का विचार है ;

(ग) उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्र० चं० सेठी) : (क) पेंशन अधिनियम, 1871 के संशोधन के बारे में याचिका समिति की सिफारिश पर, सरकार का निर्णय, समिति की 24-12-1969 को सदन में पेश की गई छठी रिपोर्ट की कण्डिका 8.2 (पृष्ठ 56) में (VI) में स्पष्ट किया गया है।

(ख) तथा (ग) ये सवाल नहीं उठते।

मध्य प्रदेश के लिये विश्व बैंक ऋण

3110. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने उस राज्य में भिण्ड मोरेना जिले में घाटी की सफाई के लिये विश्व बैंक से लगभग 43 करोड़ रुपये का ऋण के लिये बातचीत करने की केन्द्रीय सरकार से अनुमति देने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या किसी अन्य राज्य सरकार ने भी अपनी ऐसी ही अथवा अन्य योजनाओं के लिये धन की व्यवस्था करने के लिये विश्व बैंक के साथ ऋण के संबंध में बातचीत करने की अनुमति प्रदान करने की सरकार से प्रार्थना की है ;

(घ) यदि हां, तो किन राज्य सरकारों ने और क्या अनुरोध किया है ; और

(ङ) इस संबंध में सरकार का क्या रवैया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) और (ङ). यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

भारतीय खान ब्यूरो पुनर्गठन सम्बन्धी मुकर्जी समिति की सिफारिश के अनुसार खनन बोर्ड का गठन

3111. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मुकर्जी समिति नामक भारतीय खान ब्यूरो का पुनर्गठन सम्बन्धी समिति गठित की थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस समिति ने एक खनन बोर्ड गठित करने की सिफारिश की थी ;

(ग) क्या सरकार इस बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंची है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) भारतीय खान ब्यूरो के नेतृत्व में सुधार करने के लिये सरकार ने और क्या उपाय किये हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख). जी, हां ;

(ग) इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि खनिज सलाहकार बोर्ड तथा इसकी स्थायी समिति, जिस के अध्यक्ष मन्त्री हैं, जब भी आवश्यक हो तभी बैठक करती है तथा खनिजों एवं खनिज उद्योग के विकास से संबंधित सभी विषयों पर विचार करती है, खनन बोर्ड का गठन आवश्यक नहीं समझा गया ।

(घ) सरकार ने भारतीय खान ब्यूरो के ढांचे का पुनर्गठन किया है तथा परामर्शदाता संवाएँ प्रदान करना जैसे कुछ अतिरिक्त कार्य इसे सौपे हैं । अपने विभिन्न कार्यों को निबाहन तथा आवश्यक नेतृत्व प्रदान करने के लिये सरकार ने संस्था के अध्यक्ष के पद पर एक उपयुक्त अधिकारी को नियुक्त किया है ।

Restrictions on Insurance of Women

3112. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total number of insured persons in the country till the end of 1969 ;

(b) the number of women out of them ;

(c) whether it is a fact that certain restrictions are imposed on the women for getting themselves insured ;

(d) if so, the details thereof and the reasons therefor ;

(e) whether Government propose to remove completely the restrictions imposed on

the women for getting themselves insured keeping in view the popularity of insurance scheme ; and

(f) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Supply and the Minister of State in the Ministry of Finance (Shri R. K. Khadilkar) : (a) and (b). Information is not available.

(c) and (d). (i) No restrictions are imposed on women who have earned income of their own.

(ii) Women who have asesssable unearned incomes or who have personal properties likely to attract Estate Duty are treated on par with men and allowed insurance not exceeding husband's insurance in the first case and estimated Estate Duty payable, in the second case.

(iii) In the case of other women, an extra Rs. 3 per thousand sum assured is imposed and insurance is offered to them upto 3/4th of the husband's insurance.

(e) and (f). The L. I. C. liberalised the conditions only in January 1970 and do not propose to make any further liberalisation for the present. The category of women for whom and extra is still being charged was found to experience heavier mortality, and so it was decided not to remove the extra in their case.

कानपूर उर्वरक कारखाने में उत्पादन में प्रगति

3113. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर स्थिति उर्वरक कारखाने में उत्पादन के सम्बन्ध में और आगे कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में इस कारखाने में पूरक उत्पादन आरम्भ हो जायेगा ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). दिसम्बर, 1969 से कानपुर उर्वरक कारखाने ने उत्पादन शुरू कर दिया है । चालू वर्ष के दौरान, इस के पूरा उत्पादन करने की आशा है ।

स्वर्ण नियंत्रण आदेश को पूर्णतः वापस लेने की मांग

3114. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ तथा अन्य संगठनों ने स्वर्ण नियंत्रण आदेश को पूरी तरह वापस लेने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) वाराणसी में दिसम्बर 1969 में हुए अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ के अखिल भारतीय सम्मेलन में अपनाये गये संकल्पों में वर्तमान नियंत्रण के 'प्रकार' के विरुद्ध जोर दिया गया था और प्रमाणित स्वर्णकारों के लिए

विभिन्न सीमान्त सुविधाओ की मांग की गई थी। इन संकल्पों से मालूम होता है कि स्वर्ण नियंत्रण को पूर्णत: समाप्त करने की कोई मांग संघ की ओर से नहीं की गई थी।

(ख) स्वर्ण नियंत्रण सम्बन्धी प्रश्न के सभी पहलुओं की जांच की गई है और यह महसूस किया गया है कि स्वर्ण के आन्तरिक लेन-देन पर नियंत्रण जारी रहना चाहिए। प्रमाणित स्वर्णकारों को स्वर्ण-नियंत्रण की रूप रेखा के अन्तर्गत कुछ सुविधायें देने के लिए की गई मांगों पर सरकार इस समय विचार कर रही है।

विभिन्न आय वर्गों के व्यक्तियों के लिए दिल्ली में रिहायशी भूखण्डों का आवंटन

3115. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न आय वर्गों के व्यक्तियों को दिल्ली में रिहायशी भूखण्ड आवंटित करने के लिए आय की सीमा को बढ़ा दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) किन-किन श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए बिना लाटरी डाले भूखण्ड आरक्षित किये गये हैं तथा प्रत्येक श्रेणी में कितने प्रतिशत भूखण्ड हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क), जी हां।

(ख) और (ग). यद्यपि व्यक्तियों की वित्तीय आय गत कुछ वर्षों में बढ़ गई है किन्तु वास्तविक आय उसी प्रकार नहीं बढ़ी है। इस तथ्य का ध्यान रखते हुए दिल्ली में बड़े पैमाने पर भूमि के अर्जन और निपटान योजना के अन्तर्गत प्लाटों के आवंटन के लिए निम्न आय वर्ग व्यक्तियों की पात्रता की अधिकतम आय सीमा 6,000 रुपये से बढ़ाकर 7,200 रुपये और मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों की आय सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये तक कर दी गई है। निम्न तथा मध्यम आय वर्ग दोनों के लिए 50 प्रतिशत प्लाट वेतन-भोगी श्रेणियों को आवंटन के लिए सुरक्षित हैं, जो पर्ची द्वारा पूर्व निर्धारित दरों पर किया जाता है।

इण्डियन आयल कारपोरेशन के पैट्रोल बंकों को आवंटित करने की प्रक्रिया और बेरोजगार इंजीनियरों के आवेदन

3116. **श्री के० अनिरूद्धन :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महत्वपूर्ण नगरों में इण्डियन आयल कारपोरेशन को पैट्रोल बंक आवंटित करने के सिद्धान्त और शर्तें क्या हैं।

(ख) 1969-70 तथा 1970-71 में कितने-कितने अतिरिक्त 'पैट्रोल बंक' बनाये और चालू किये जायेंगे ; और

(ग) कुछ बेरोजगार इंजीनियरों ने इस प्रकार के पैट्रोल बंक चलाने के लिये आवेदन-पत्र भेजे हैं और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) नई नीति के अनुसार, भारतीय तेल निगम केवल उन योग्य बेरोजगार स्नातकों को, जिनकी आयु 30 वर्ष से कम है और जो कम आय वाले परिवारों से हैं, सारे नये फुटकर पंपों (पैट्रोल बंकों) के लिए एजैन्सियां देगा। उम्मीदवार उस सिविल जिले के होने चाहिए, जिसमें विक्रय/विवरण एजेन्सी चालू होनी हो या वे उन सिविल जिलों (उसी राज्य में) जिनकी सीमाएं उपर्युक्त जिले के साथ लगती है, होने चाहिए।

(ख) 1969-70 के दौनान लगभग 440 फुटकर पम्प चालू किये गये हैं और 1970-71 में लगभग 600 फुटकर पम्पों के चालू करने की आशा है।

(ग) जी, हां। बेरोजगार इन्जीनियरों और अन्य स्नातकों से कई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं। निगम इनकी जांच कर रहा है।

चुंगी का समाप्त किया जाना

3117. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राज्यों को इस बात पर विचार करने के लिए निदेश दिये हैं कि क्या वे अपने स्थानीय निकायों द्वारा लगाई जाने वाली चुंगी को समाप्त कर सकते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों ने कहा है कि वे राजस्व के किसी अन्य वैकल्पिक साधन की अनुपस्थिति में ऐसा नहीं कर सकते ;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) क्या सरकार समझती है कि चुंगी की यह प्रणाली पुरानी हो चुकी है और इससे संकीर्णता की भावना पैदा होती है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (घ). केन्द्रीय सरकार ने चुंगी समाप्त करने के लिये राज्यों को कोई निदेश जारी नहीं किया है, क्योंकि यह विशेष रूप से राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। अनेक विशेषज्ञ समितियों, अर्थात् कराधान जांच आयोग, नगरीय स्थानीय निकायों के वित्तीय संसाधनों के विस्तार सम्बन्धी मन्त्रियों की समिति, ग्रामीण नगरीय सम्बन्ध समिति आदि ने चुंगी को राजस्व-प्राप्ति का एक परेशान करने वाला और अप्रिय साधन माना है। ग्रामीण नगरीय सम्बन्ध समिति और नगरीय स्थानीय निकायों के वित्तीय संसाधनों के विस्तार सम्बन्धी मंत्रियों की समिति ने चुंगी के स्थान पर राजस्व के अन्य उपयुक्त साधनों की व्यवस्था करने का सुझाव दिया है और उनकी सिफारिशें राज्य सरकारों के विचाराधीन हैं। किन्तु चूंकि चुंगी जहां भी लगाई गई है, वह नगरीय स्थानीय निकायों के

राजस्व का एक महत्वपूर्ण साधन है, इसलिए इसे समाप्त करना सभी राज्य सरकारों के लिए सम्भव नहीं हो सका है।

मैसूर में ट्यूबेक्टामी आपरेशनों के लिए केंद्र

3118. **श्री जी० वाई कृष्णन : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में कितने ट्यूबेक्टमी आपरेशन केन्द्र हैं ;

(ख) कितने व्यक्तियों ने नसबन्दी आपरेशन करवाये हैं ;

(ग) क्या सरकार ने निरोध करने वालों (कान्सेप्टरों) को नसबन्दी की निर्धारित अवधि के बाद वीर्य परीक्षण के लिए आने की सलाह दी थी ; और

(घ) यदि हां, तो यह प्रक्रिया कितने मामलों में सफल नहीं हुई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपति चंद्रशेखर) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभापटल पर रख दी जायेगी।

नई दिल्ली में हृदय रोग चिकित्सालय और पुनर्वास केन्द्र की स्थापना

3119. **श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आल इण्डिया हार्ट फाउन्डेशन ने हृदय रोगों की निःशुल्क चिकित्सा करने के लिए नई दिल्ली में एक हृदय रोग चिकित्सालय और पुनर्वास केन्द्र स्थापित करने के लिए सरकार को लिखा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) हृदय रोगों का निदान और इलाज करने के लिए नई दिल्ली में एक हृदय रोग चिकित्सालय और पुनर्वास केन्द्र स्थापित करने का एक प्रस्ताव अखिल भारतीय हृदय रोग चिकित्सा संस्थान के विचाराधीन है। मुफ्त व्यावसायिक सेवा उपलब्ध करने और जांच-पड़ताल के लिये नाममात्र का शुल्क लेने का संस्थान का प्रस्ताव है। इस बारे में उक्त संस्थान से सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

संसद् सदस्यों के वेतनों से आयकर काटना

3120. **श्री शिव चन्द्र झा : क्या वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद् भवन में वेतन तथा लेखा कार्यालय में संसद् सदस्यों के

वेतनों से काटे जाने वाले आयकर के बारे में जिला आयकर अधिकारियों को समुचित सूचना दी जाती है ;

(ख) यहां हां, तो क्या बिहार में दरभंगा जिले के आयकर अधिकारी को इस बारे में समुचित सूचना दी गई है और यदि हां, तो कब और उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) संसद् भवन के वेतन तथा लेखा कार्यालय द्वारा संसद् सदस्यों के वेतनों से काटे जाने वाले आयकर के बारे में सम्बन्धित जिला आयकर अधिकारियों को नियमित सूचना न भेजने के क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (घ). पहले संसद् सदस्यों के वेतन का कर निर्धारण आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 15 के अधीन 'वेतन' के रूप में किया जाता था और एतद्नुसार उनसे स्रोत पर कर की कटौती की जाती थी । किन्तु प्राप्त कानूनी सलाह के आधार पर 1967-68 में यह निर्णय किया गया था कि संसद सदस्यों के वेतन का कर निर्धारण आय कर अधिनियम 1961 की धारा 56 के अधीन अन्य स्रोतों से आय के रूप में किया जाना उचित है और चूंकि स्रोत पर कर की कटौती से सम्बन्धित उपबन्ध इस प्रकार निर्धारित आय पर लागू नहीं होते इसलिए 1-4-1968 से इन वेतनों पर, स्रोत पर कर की कोई कटौती नहीं की गई है ।

इस प्रकार, प्रश्न में उठाये गये मुद्दे 1-4-1968 से चली आ रही स्थिति पर लागू नहीं होते । जहां तक उससे पहले की स्थिति का सम्बन्ध है, संसद का वेतन तथा लेखा अधिकारी, आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 206 के अनुसार निर्धारित वार्षिक विवरणी, आयकर अधिकारी, वेतन सर्किल नई दिल्ली को भेजता था और यह विवरणी, जिसमें, दिया गया वेतन तथा उस पर स्रोत पर काटा गया कर दिखाया जाता है, सभी भुगतान अधिकारियों द्वारा भेजी जानी होती है । लेकिन आय कर अधिकारी, वेतन सर्किल, नई दिल्ली ने अन्य स्थानों पर तैनात आय कर अधिकारियों को इस विवरण में से, उन संसद् सदस्यों से सम्बन्धित सम्बद्ध सूचना नहीं भेजी, जिनका कर निर्धारण उन स्थानों पर किया जाता था । यहां यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि इस मूल से कोई कठिनाई उत्पन्न होने की संभावना नहीं थी क्योंकि आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 203 के अनुसार भुगतान अधिकारी की हैसियत से संसद का वेतन तथा लेखा अधिकारी संसद सदस्यों को स्रोत पर कोटे गये कर के लिए प्रमाण पत्र भी जारी करता था । तथा इन प्रमाण पत्रों को उन विवरणियों के साथ संलग्न करना होता है जो संसद सदस्यों को अपने आय कर अधिकारियों के समक्ष पेश करनी होती हैं । इस प्रकार, आय कर अधिनियम की धारा 139 के अधीन दायर की गई संसद सदस्यों की आय की विवरणियों से संबन्धित आय कर अधिकारियों को स्रोत पर काटे गये कर से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध हो जानी चाहिये थी ।

दरभंगा जिले के संसद् सदस्यों द्वारा आय कर विवरणी फाइल करना

3121. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दरभंगा, बिहार के आयकर अधिकारी ने जिले के संसद् सदस्यों से कहा था कि वे 1967-68 तथा 1968-69 की अपनी आय कर विवरणियों को पेश करें ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है क्योंकि उसने 1969-70 के लिए यह कार्य आरंभ कर दिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). पहले, संसद् सदस्यों के वेतन का कर-निर्धारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा 15 के अन्तर्गत, "वेतन" शीर्ष के अन्तर्गत किया जाता है तथा एतदनुसार स्रोत पर कर की कटौती की जाती थी। किन्तु, कानूनी सलाह के आधार पर, 1967-68 में यह निर्णय किया गया कि संसद् सदस्यों के वेतन का कर-निर्धारण आय कर अधिनियम 1961 की धारा 56 के अधीन "अन्य स्रोतों से आय" के रूप में किया जाना उचित है और एतद्नुसार 1 अप्रैल 1968 से इस प्रकार के वेतनों पर, स्रोत पर आयकर की कटौती करने की पद्धति समाप्त कर दी गई। इस प्रकार कर-निर्धारण वर्ष 1969-70 से सम्बद्ध वित्तीय वर्ष 1968-69 के लिये, स्रोत पर कोई आय कर नहीं काटा गया। आयकर अधिकारियों ने कर की मांगों का निपटान करने के निमित्त संसद् सदस्यों को वर्ष 1969-70 की अपनी-अपनी आय कर-विवरणियां पेश करने के लिये नोटिस जारी किये है। इसके पहले के वर्षों के लिये भी किसी संसद् सदस्य की कुल आय निर्धारण योग्य होने की अवस्था में, उसके लिये आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 (1) के अन्तर्गत आय की स्वैच्छिक विवरणी पेश करना अनिवार्य था भले ही कर स्रोत पर काट लिया जाता हो ; आयकर अधिकारी भी, उक्त अधिनियम की धारा 148 के साथ पठित धारा 139 (2) के अन्तर्गत इस प्रकार की विवरणी पेश करने के लिए कह सकता है।

उत्तर बिहार में मिट्टी के तेल की चोर बाजारी

3122. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर बिहार में, विशेषकर खजौली, बाबनकराही, लदानिया, बेरनपसी और दरभंगा जिले के दूसरे खण्ड में मिट्टी के तेल की अत्यधिक कमी है और चोर बाजारी हो रही है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और इस स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्य-वाही की जा रही है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : दरभंगा जिले में मिट्टी के तेल के कम स्टाक के बारे में बिहार सरकार से एक शिकायत दिसम्बर, 1969 में प्राप्त हुई थी। तेल की चोर बाजारी की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।

(ख) कठिनाई टैंकवैगनों की अपर्याप्त उपलब्धि के कारण उत्पन्न हुई थी। सम्बन्धित अधिकारियों से तुरन्त बातचीत की गई और मिट्टी के तेल के समस्त प्रेषणों में अब काफी सुधार हो गया है।

Increase in Coal Prices

3123. **Shri Nathu Ram Ahirwar :**
Shri Lobo Prabhu :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Coal Companies have increased the price of coal many times during the last three year ;

(b) if so, the action proposed to be taken by Government in this regard ;

(c) whether Government propose to nationalise the said private Coal Companies in view of their arbitrary action ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Jagannath Rao) : (a) to (d). Since decontrol of coal prices from the 24th July, 1967, there had been three general increase in prices of coal supplied to Railways and two in case of Steel Plants. These price increases were mutually settled between the parties concerned *viz.* the producers and the consumers. Consequent on decontrol, the prices of coal are to be settled mutually by the buyers and sellers themselves and the Government have no role to pay in either the upward or downward revision of prices. Nationalisation of the Coal Industry as such in the above context is not contemplated.

कलेक्टर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, कानपुर के कार्यालय में सोने की तस्करी के मामले के बारे में जांच

3124. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1964 में कानपुर में सोने के एक मामले के अन्तर्गत दो अधिकारी एक उप-अधीक्षक तथा एक निरीक्षक केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कानपुर कलेक्टरेट 5.1/2 वर्ष से अधिक समय से निलम्बित हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट, एक वर्ष से अधिक समय हुआ, कलेक्टर, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कानपुर को दे दी थी ;

(ग) यदि हां, तो कलेक्टर ने इस मामले में अब तक निर्णय क्यों नहीं लिया ; और

(घ) कलेक्टर द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त किये जाने के एक महीने बाद से लेकर आज तक इन अधिकारियों को निलम्बन वेतन के रूप में कुल कितनी राशि मिली है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) तथा (ख). जी, हां ।

(ग) यह मामला बहुत पेचीदा है जिसमें अपराधी अधिकारियों द्वारा दिये गये बयानों सहित लम्बी जांच रिपोर्ट तथा लम्बे चौड़े रिकार्डों की छानबीन की जानी है । उन लोगों को दूसरी बार कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं तथा उन्हें रूबरू सुनवाई भी मंजूर की गई है आशा है कि अन्तिम आदेश शीघ्र ही दिये जायेंगे ।

(घ) फरवरी, 1970 के अन्त तक 17,211.80 रुपये ।

Seizure of Currency Notes in Phillaur

3125. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some persons had been arrested in Phillaur in February, 1970 as Indian Currency notes worth Rs. 4,50,000 had been recovered from them ; and

(b) if so, the action taken by Government against them ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) Yes, Sir. Four persons were arrested and Rs, 4,18,000 in Indian Currency were recovered from them.

(b) The case is under investigation by the Punjab Police.

महात्मा गांधी सम्बन्धी पुस्तक का जब्त किया जाना

3127. **श्री सीताराम केसरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता में सीमा शुल्क अधिकारियों ने रोबर्ट वाइन द्वारा लिखित "दि लाइफ एण्ड डैथ आफ महात्मा गांधी" नामक पुस्तक को जब्त कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) क्या इस पुस्तक को छोड़ने सम्बन्धी औपचारिकतायें इस बीच पूरी हो गई हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो विदेशों से आयात की गई । पुस्तकों की प्रतियों की जांच करने में सीमा शुल्क अधिकारियों को सामान्यतया कितना समय लगता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (घ) रावर्ट पेन द्वारा लिखित "दि लाइफ एंड डैथ आफ महात्मा गांधी" नामक पुस्तक की एक खेप आयात की गई थी । कलकत्ता सीमा शुल्क गृह के अधिकारियों ने इस पुस्तक से कुछ अंशों को आपत्तिजनक समझा । उन्होंने इस मामले को, आदेश के लिए भारत सरकार के पास भेजा । गृह मन्त्रालय ने पुस्तक छोड़ देने का अन्तिम रूप से निर्णय किया है और खेप को छोड़ दिया गया है ।

हल्दिया तेल शोधक कारखाने के लिये अशोधित तेल का आयात

3128. **श्री सीताराम केसरी : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हल्दिया तेल शोधक कारखाने के लिए अशोधित तेल आयात करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1969-70 में कितना अशोधित तेल आयात किया जायेगा ; और

(ग) अशोधित तेल किन-किन देशों से आयात किया जायेगा ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). शोधक कारखाना 1972 के उत्तरार्ध में शुरू हो जायेगा। अतः इस वर्ष तक आयात शुरू नहीं होगा। शोधक कारखाने में शोधित किये जाने वाले कच्चे तेल की मात्रा के कुछ अंश की सप्लाई के लिए भारतीय तेल निगम ने एक पार्टी से करार कर लिया है। इस करार में हल्के ईरानियन कच्चे तेल के आयात की व्यवस्था की गई है।

Rules to Ensure Quick Payment of Pensions

3129. **Shri Narayan Swaroop Sharma** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the existing pension rules have been amended with a view to making quick payment of pension to Government employees after their retirement.

(b) if so, whether a copy of the orders issued in this connection would be laid on the Table ; and

(c) if not the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) Yes, Sir.

(b) A copy each of this Ministry's Notification and Office Memorandum No. 6(2)-E. V/66 dated 2nd September, 1969, is laid on the Table. [*Placed in Library. See* No. LT—2881/70.

(c) Does not arise.

Setting up of Committee to Evolve a Scheme on Small Houses

3130. **Shri Narayan Swaroop Sharma** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that his Ministry proposes to constitute a Committee to evolve a scheme for constructing small houses within comparatively lesser time ;

(b) if so, the classes of people whose representatives would be included in the said Committee ; and

(c) the terms of reference of the said Committee ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (c). An expert Committee was set up in October, 1969, to study methods for achieving cost reduction in and accelerated construction of houses on a large scale in major cities. The following are the members of this Committeee :—

1. Dr. S. M. K. Chetty, Deputy Director, Central Buildings Research Institute, Roorkee.
2. Shri Z. George, Scientist, Structural Engineering Research Centre, Roorkee.
3. Shri P. C. Khanna, Chief, Urban Development, Planning Commission, New Delhi.
4. Shri K. G. Salvi, Works, Manager, Hindustan Housing Factory, New Delhi.
5. Shri G. C. Mathur, Joint Director, National Buildings Organisation, New Delhi—Convenor.

The Committee has been asked to work in close consultation with the concerned State Governments and enlist the co-operation of knowledgable individuals in each Centre in furtherance of its tasks.

The terms of reference of the Committee are as follows :—

(a) to study available building methods for achieving low-cost, large-scale housing construction in the six cities of Bombay, Calcutta, Delhi, Madras, Ahmedabad and Kanpur ;

(b) to suggest the methods, material and techniques that will enable the achievement of a quicker pace of mass construction and securing, at the same time, as far as possible, a reduction in building costs in these cities, consistently with local conditions, availability of materials, trained and skilled manpower and other related factors ;

(c) the work out the technical and financial details of the foregoing methods, materials and techniques as recommended for adoption in each case ;

(d) to indicate the requirements of training needed for the design and implementation of recommended building programmes ;

(e) to identify the problems of research and development in promoting new building materials and techniques suited for adoption in low-cost, mass construction programmes ; and

(f) to make recommendation on any other connected matters, including the measures that may be useful in other large cities in the country.

The Committee is expected to submit its Report to Government by the 31st March, 1970.

सैल्फ-जैनेरेटिंग हाउसिंग स्कीम

3131. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैल्फ-जैनेरेटिंग हाउसिंग स्कीमों का ब्यौरा तैयार करने के लिये राज्य गृह-निर्माण मन्त्रियों की हाल में कोई बैठक हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा बैठक में क्या निर्णय किये गये ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० एस० मूर्ति) : (क) आवास तथा नगर विकास के राज्य मन्त्रियों का एक सम्मेलन अन्य बातों के साथ-साथ, आवास और नगर विकास के लिए एक आवर्तन निधि की परिकल्पना के कार्यान्वयन, पर चर्चा करने के लिए जनवरी, 1970 में नई दिल्ली में बुलाया गया था ?

(ख) 1970-71 के वित्तीय वर्ष के आरम्भ में एक आवर्तन निधि के केन्द्रक को स्थापित करने के बारे में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करते हुये, सम्मेलन इस बात पर सहमत था कि परियोजना तभी सफल हो सकती है यदि सस्ते और तेज निर्माण द्वारा शीघ्र लाभ का आश्वासन हो सके, जो रिहायशी तथा व्यापारिक क्षेत्रों के एक साथ विकास द्वारा हो, ताकि वाणिज्यीकरण द्वारा प्राप्त होने वाले लाभ को पिछड़े वर्गों के हित में उपयोग में लाया जा सके ।

विदेशों में दूतावासों और उच्चायोगों के माध्यम से उचित मूल्य पर अपेक्षित किस्म के सामान की खरीद

3132. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी** : क्या पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में स्थित विभिन्न दूतावासों तथा उच्चायोगों के माध्यम से बहुत सारा सामान खरीदा जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो अपेक्षित किस्म तथा उचित मूल्यों पर सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

पूर्ति और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और उसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा ।

ऋण के लिए ब्याज की नई प्रणाली

3133. **श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंक ऋण देने के लिये ब्याज की कोई नई दर प्रणाली अपनाने के बारे में विचार कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या वह प्रणाली बैंकों द्वारा राष्ट्रीयकृत क्षेत्र के बाहर दिये जाने वाले ऋणों के सम्बन्ध में भी लागू होगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). परस्पर हितों के मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा स्थापित समन्वय समिति ने एक अध्ययन दल का गठन किया है । यह दल सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों की दरों के सवाल पर विचार करेगा । प्रारम्भ में दल इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि ऋणों की दरों के मामले में समन्वित मार्ग समान दरें अपनाये जाने की बजाय खास-खास वर्गों के लिए न्यूनतम दरें निर्धारित करके ही अपनाया जा सकता है । दल ने अपना विचार-विमर्श अभी पूरा नहीं किया है ।

औषध तथा औषध-निर्माण विकास परिषद् द्वारा औषधियों के मूल्यों के निर्धारण सम्बन्धी मानदण्ड

3135. **श्री शशि भूषण** : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औषध मूल्य (प्रदर्शन तथा नियन्त्रण) आदेश, 1966 में ऐसा कोई उपलब्ध नहीं है जिसके अधीन औषध तथा औषध-निर्माण विकास परिषद् औषधियों के मूल्य निर्धारित करने के लिये किसी मानदण्ड का सुझाव दे सकें ;

(ख) क्या यह भी सच है कि औषध तथा औषध-विकास परिषद् ने जिसके 50 प्रतिशत से अधिक सदस्यों का औषध-उद्योग में निहित स्वार्थ है, औषधियों के मूल्यों के निर्धारण हेतु कुछ मानदण्डों का सुझाव दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो परिषद् जिसमें निहित स्वार्थ का बहुमत है, द्वारा औषधियों के मूल्यों के निर्धारण के लिए सुझाये गये मानदण्डो को उनके मन्त्रालय द्वारा स्वीकार किये जाने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (ग). औषध मूल्य (प्रदर्शन तथा नियन्त्रण) आदेश में कीमतें निर्धारण करने के लिये मानदण्ड निर्धारण करने से सम्बन्धित कोई उपलब्ध नहीं है । उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 की धारा 6 के अन्तर्गत औषधियों के लिये विकास परिषद् स्थापित की गई है ; जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि परिषद् उन सदस्यों से गठित होनी चाहिए, जोकि भारत सरकार की राय में निम्न प्रकार हैं :

(1) वे व्यक्ति, जोकि औद्योगिक उपक्रमों के मालिकों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं ;

(2) वे व्यक्ति, जोकि तकनीकी या उद्योग के दूसरे पहलुओं से सम्बन्धित मामलों की विशेष जानकारी रखते हैं ।

(3) वे व्यक्ति, जोकि उद्योग में लगे हुये व्यक्तियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखते हैं ।

(4) वे व्यक्ति, जो उपभोक्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं । प्रति दो वर्ष बाद परिषद् का पुनर्गठन किया जाता है ।

परिषद् ने, जोकि निर्दिष्ट कार्याकलापों (विषयों) के अन्तर्गत उद्योग के विकास से संबंधित है, कीमतों के निर्धारण के लिये कुछ मानदण्डों का सुझाव दिया, जोकि (मानदण्ड) सरकार द्वारा न तो स्वीकार किये गये हैं और न ही अपनाये गये हैं । वे सामान्य मार्गदर्शन के रूप में इस्तेमाल किये जाते हैं । लेकिन मूल्य निर्धारण का प्रत्येक मामले का निर्णय उसके गुणावगुण के आधार पर किया जाता है ।

औषध मूल्य (प्रदर्शन तथा नियन्त्रण) आदेश 1966 के अधीन आवेदन-पत्रों की जांच

3136. **श्री शशि भूषण : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औषध निर्माण विकास परिषद् द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार औषधियों के मूल्य बढ़ाने और/अथवा निर्धारित करने के लिये प्राप्त आवेदन-पत्रों की जांच की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा औषध मूल्य (प्रदर्शन तथा नियन्त्रण) आदेश, 1966 की किस धारा के अधीन किया जा रहा है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) जी नहीं। औषध तथा फार्मास्यूटिकल्स की विकास परिषद् द्वारा निर्धारित सिद्धान्त एक मार्गदर्शक का काम देते हैं और प्रत्येक केस का निर्णय गुणावगुणों के आधार पर किया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत में औषधि निर्माताओं द्वारा अपने उत्पादनों अधिक मूल्य लेना

3137. **श्री शशि भूषण** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में औषधि निर्माता औषधियों के कारखानादार मूल्य से 5 से 10 गुना अधिक मूल्य ले रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार औषधि निर्माताओं के विरुद्ध उसी तरह अभियोग चलायेगी जैसे अमरीकी सरकार ने मैसर्सफाइजर तथा मैसर्स लीडरली आदि के विरुद्ध चलाया था ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार इन औषधि निर्माताओं को भारत में निर्धन तथा रुग्ण लोगों का कब तक खून चूसने देगी ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) इस प्रकार का सामान्य विवरण देना उचित (सही) नहीं होगा। परन्तु यह एक व्यापक भावना है, जिस से सरकार भी सहमत है कि देश में निर्मित औषधियों के विक्रय मूल्य और कारखाना द्वारा मूल्य के बीच सीमान्त को कम करने के लिये अधिकांश मामलों में काफी गुंजाइश है। इस सम्बन्ध में आवश्वक कार्यवाही सक्रिय रूप से विचाराधीन है और सरकार का निर्णय शीघ्र ही घोषित किया जायेगा।

(ख) जी नहीं। उपलब्ध सूचना के अनुसार एण्टी-ट्रैस्ट ला (कानून) के कई उपबन्धों के उल्लंघन के लिए, गत समय में कई प्रतिजीवाणु औषधियों के मूल्यों को बढ़ाने के लिये, अमरीका में प्रवृत्त (लागू) कानूनों के अन्तर्गत निर्दिष्ट अभियोग चलाया गया था। केस (मामले) के तथ्यों, अमरीकी कानूनों के विशेष लक्षणों और उचित समय में इस देश में लागू कानूनों को ध्यान में रखते हुये, भारत सरकार द्वारा उसी प्रकार की कार्यवाही करना सम्भव नहीं था।

भारत में विदेशी औषध कम्पनियों द्वारा कच्चे माल का आयात

3138. **श्री शशि भूषण** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत सी विदेशी कम्पनियां जिनका भारत में औषध उद्योग पर

एकाधिकार है अमरीका, पश्चिम जर्मनी तथा ब्रिटेन में अपने मुख्यालयों से कच्चे माल का आयात करती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह जानने का प्रयत्न किया है कि वे बीजकों में अधिक राशि तो नहीं दिखाती हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं । सप्लाई के सब से सस्ते साधन, विभिन्न साधनों से विदेशी मुद्रा की उपलब्धि तथा विदेशों के साथ विपक्षीय करारों के अन्तर्गत दायित्वों आदि विभिन्न विचारों का ध्यान रखते हुए कच्चे माल के आयात की अनुमति दी जाती है ।

(ख) भाग (क) के उत्तर को दृष्टि में रखते हुय प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए नागपुर में भूमि का विकास

3139. **श्री ना० रा० देवघरे** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर में कुछ भूमि का विकास करने और उसे नागपुर में केन्द्रीय सरकार के निम्न आय कर्मचारियों के मकान बनाने के लिए बेचने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है, विशेषतया जब दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को ऐसा लाभ दिया जा रहा है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) भारत सरकार सामान्य पूल वास के एक भाग के रूप में अपने कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनाती है जिन्हें वह किराये के आधार पर आवंटित करती है । वह दिल्ली या कहीं और मकान निर्माण के लिए अपने कर्मचारियों को भूमि बेचने के लिए उसका विकास नहीं करती । दिल्ली में निम्न और मध्यम आय वर्गों की जनता को भूमि के बड़े पैमाने पर विकास और बिक्री का कार्य दिल्ली विकास प्राधिकरण ने लिया हुआ है । तथापि दिल्ली में कार्य कर रहे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को ही केवल बिक्री करने के लिए विकासित प्लाट एक मात्र सुरक्षित नहीं किए जाते ।

विभिन्न मन्त्रालयों के लिये परामर्शदात्री समितियां

3140. **श्री हेम राज** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न मन्त्रालयों में सरकारी कर्मचारियों और गैर-सरकारी सदस्यों की परामर्शदात्री समितियों की मंत्रालयवार संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या हैं ;

(ख) वर्ष 1967-68, 1968-69 तथा 1969 में उन पर मन्त्रालयवार कितना धन खर्च किया गया ; और

(ग) कितनी बैठकें हुई तथा कितने समय तक चली ।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना सभी मन्त्रालयों/विभागों से इकट्ठी की जा रही है और यथा संभव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

Survey of Mineral Deposits in Sagar and Damoh Districts of Madhya Pradesh

3141. **Shri Ram Singh Ayarwal** : Will the Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals be pleased to state :

(a) whether it it a fact that a large deposit of coal, iron and other minerals is hidden in Sagar and Damoh districts of Madhya Pradesh ;

(b) if so, whether any action is being taken to conduct a survey in this regard as also to extract the minerals ; and

(c) if not, the time by which such action is likely to be taken ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Jaganath Rao) : (a) It is reported by the Geological Survey of India that no such deposits have been located in this area.

(b) and (c). Do not arise.

डी० डी० टी० तथा उर्वरकों को मिलाकर नये मिश्रित उत्पाद का प्रायोगिक उत्पादन

3142. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम डी० डी० टी० तथा उर्वरकों को मिलाकर एक मिश्रित उत्पाद का उत्पादन करने का प्रयास कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो यह प्रयोग किस अवस्था में है ; और

(ग) परिणाम के कब तक घोषित किये जाने की सम्भावना है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (ग). हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाइड्ज लि० डी० डी० टी० तथा उर्वरकों को मिलाकर एक मिश्रित उत्पाद का उत्पादन करने का प्रयास कर रहा है । जिस समय तक इसके परिणाम प्राप्त हो सकेंगे, उस समय का ठीक तौर पर बताना सम्भव नहीं है क्योंकि प्रयोग, प्रयोगशाला अवस्था में हैं ।

राजस्थान में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम

*3143. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारियों तथा औषधियों की कमी के कारण राजस्थान में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को धक्का पहुँचा है ; और

(ख) यदि हां, तो इन कमियों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) राजस्थान में वर्ष 1964 तक मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम संतोषजनक चलता रहा परन्तु तत्पश्चात् उसे धक्का पहुँचा था। कुछ युनिटों को, जो कि गहन अवस्था को पहुँच चुके थे, 1966-67 में दवाइयों के छिड़काव में कमी के कारण अभियान आरम्भ होने की स्थिति में आना पड़ा। यह सच है कि पदों पर नियुक्त पर प्रतिबन्ध होने से रिक्त पदों की बहुत बड़ी संख्या में लम्बे समय तक भर्ती नहीं की जा सकी। किन्तु उस राज्य में दवा को कोई कमी नहीं थी।

(ख) राजस्थान राज्य में उक्त कार्यक्रमों में जो कमियां आ गई उन्हें दूर करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं :—

(1) सन् 1968 में उस राज्य में उक्त कार्यक्रम को सुचारु रूप से चलाने तथा वास्तविकता के आधार पर कार्यक्रम के चरणों का पुनर्निधारण करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय विशेषज्ञों के दल भेजे गये थे।

(2) अंतर्राष्ट्रीय तथा विशेषज्ञों के दल ने वास्तविक आधार पर पुनर्निधारित चरणों के सम्बन्ध में जो सुझाव दिये थे उनपर राज्य में उक्त कार्यक्रम की क्रियान्विति में सुधार करने के बारे में राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ विस्तार पूर्वक विचार विमर्श किया गया था।

(3) वर्ष 1968 तथा 1969 में राज्य को औषधियों कीटनाशी दवाइयों तथा परिवहन आवश्यकता के नियतन लिए प्राथमिकता दी गई थी।

(4) न केवल उक्त कार्यक्रम की कमियों को राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों के ध्यान में लाया गया था वरन राज्य के मुख्य मन्त्री पर कार्यक्रम गति में सुधारने की आवश्यकता के बारे में भी बल दिया गया था।

(5) आपात कालीन स्थिति की अवधि में नई भरती पर लगाये गए प्रतिबन्ध को, निगरानी कर्मचारियों एवं निगरानी निरीक्षकों के पदों को भरने के लिए हटाने का राज्य से अनुरोध किया गया था। राज्य से राज्य मलेरिया ज्ञाता के लगभग डेढ़ वर्ष से अधिक अवधि से रिक्त पड़े पद पर किसी को पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त करने का भी राज्य से निवेदन किया गया था।

(6) सन् 1968-69 तथा 1969-70 में राज्य को पांच नए तथा सात मरम्मत किये गए वाहन भी दिये गए थे इसके अतिरिक्त गत वर्ष 60,000 रुपये के पुर्जे वाहनों की मरम्मत करने के लिए दिये गए।

विदेशी सहायता का इस्तेमाल न किया जाना

3144. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में प्राप्त हुई विदेशी सहायता की राशि का पूर्णतया इस्तेमाल नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका इस्तेमाल न किये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). तीसरी आयोजना की अवधि की समाप्ति तक ऋण देने वाले देशों/संस्थाओं द्वारा स्वीकृत (किये गए ऋण-करारों के अनुसार) 6032 करोड़ रुपये (अवमूल्यन के बाद की विनिमय-दरों के अनुसार) की कुल रकम में से 458 करोड़ रुपये के बराबर की रकम (अवमूल्यन के बाद की विनियम-दरों के अनुसार) 1 नवम्बर, 1969 को ली जानी बाकी थी, जो ऋण की कुल राशि का 7.6 प्रतिशत थी।

458 करोड़ रुपये की इस रकम में से, 360 करोड़ रुपये की रकम, विभिन्न चालू प्रायोजनाओं और कार्यक्रमों की आयात सम्बन्धी आवश्यकताओं की वित्त-व्यवस्था करने के लिए है और यह रकम सम्बद्ध प्रायोजनाओं के निर्माण-कार्यक्रमों के अनुसार ले ली जायेगी। सोवियत समाजवादी जनतंत्र और पौलेंड द्वारा तीसरी आयोजना की अवधि के अन्त तक दिये गये ऋणों की 98 करोड़ रुपये की रकम, विभिन्न प्रायोजनाओं के बारे में निर्धारित किये जाने के लिए अभी भी उपलब्ध है और इसलिये वह अभी निकाली नहीं गयी है।

नई दिल्ली में लक्ष्मी बाई नगर के एच ब्लाक में अनधिकृत कब्जे में क्वार्टर

3146. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 15 दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3966 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लक्ष्मी बाई नगर, नई दिल्ली के एच० ब्लाक में उसी एक क्वार्टर के अतिरिक्त जिसे आवंटी की पत्नी के नाम में नियमित करने के बारे में जांच की जा रही है, अनधिकृत कब्जे वाले अन्य क्वार्टर के मामले का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्वार्टर कितने समय से अनधिकृत कब्जे में है ; और

(ग) क्वार्टर को खाली कराने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). आवंटी के दिल्ली से बाहर स्थानान्तरण होने पर, लक्ष्मीबाई नगर के 'एच' ब्लाक के क्वार्टर का आवंटन नियम के अन्तर्गत दी गई रिआयती अवधि के देने के बाद, 26 सितम्बर, 1969 से रद्द कर दिया है। आवंटी अभी भी क्वार्टर को अपने पास बनाये हुए है तथा बेदखली की कार्यवाही पहले ही आरम्भ की जा चुकी है और मुकदमें की अगली तारीख 21-3-1970 निश्चित हुई है। इसी बीच में आवंटी ने अभ्यावेदन किया है कि उसका लड़का उच्चतर माध्यमिक कक्षा में पढ़ रहा है और उसे अप्रैल, 1970 के अन्त तक क्वार्टर को उसके पास बनाये रखने की अनुमति दे दी जाये। मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अभ्यावेदन पर विचार किया गया तथा निर्णय किया गया कि अप्रैल, 1970 के अन्त तक मकान को उसके पास रखने की अनुमति दे दी जाए।

वर्तमान नियमों के अनुसार 27-9-1969 से 26 मार्च, 1970 तक उसे एफ० आर० 45-ए के अन्तर्गत मानक किराये का दुगना अथवा एफ० आर० 45-ए के अन्तर्गत पूलित मानक

किराये का दुगना, इनमें जो भी अधिक हो, अदा करना पड़ेगा और 27 मार्च, 1970 से अप्रैल, 1970 के अन्त तक की अवधि के लिए उससे बाजार दर किराया वसूल किया जायेगा।

आर्थिक तथा अनुसंधान प्रतिष्ठान द्वारा किया गया अध्ययन

3147. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :**

श्री वंश नारायण सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आर्थिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान प्रतिष्ठान द्वारा किये गये "एण्ड माइल्स टू गो" अध्ययन के अनुसार भारत, जापान, इंगलैण्ड और अमरीका से क्रमशः 44, 45 और 53 वर्ष पीछे है और भारत तथा जापान के बीच अन्तर बढ़ता जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रतिष्ठान के निष्कर्षों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेगी और ऐसे मुख्य कारण क्या हैं जिस से जापान अपनी आर्थिक प्रगति को तेजी से बढ़ा सका है ; और

(ग) इस देश में पूंजी विनियोजन तथा उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) जापान में अधिक तेजी से आर्थिक विकास होने का कारण, पूंजी-निवेश की ऊंची दर, सस्ते मूल्यों के कारण निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि और उद्योगों के मूल क्षेत्रों में उत्पादकता का अधिक होना और उनका आधुनिकीकरण है।

(ग) आर्थिक विकास के कार्यक्रमों की रूपरेखा चौथी पंचवर्षीय आयोजना के प्रारूप में दी गयी है, जिसमें पूंजी-निवेश में, तीसरी आयोजना की तुलना में, काफी वृद्धि होने की परिकल्पना की गयी है। आयोजना के प्रारूप पर विचार किया जा रहा है और देश में निवेश और उत्पादन को और बढ़ावा देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आयोजना के परिव्यय में संशोधन करने का विचार है।

1970-71 के केन्द्रीय बजट में, केन्द्र, राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों के लिए कुछ मिलाकर 2637 करोड़ रुपये के आयोजन-परिव्यय की व्यवस्था की गई है जबकि 1969-70 में में 2239 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी। बजट में बचतों और पूंजी-निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए भी कई उपाय किये गए हैं जैसे ग्रामीण ऋण-पत्रों की योजना, मीयादी जमा की नयी श्रृंखला आदि, और निवेश से होने वाली आमदनी के सम्बन्ध में कर-छूट की सीमा को 3000 रुपये तक बढ़ाया जाना।

गंगा नदी जल दूषण जांच आयोग का प्रतिवेदन

3148. **श्री मृत्युंजय प्रसाद : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा नदी जल दूषण जांच आयोग के प्रतिवेदन के अध्याय 11 में बताया गया

है कि बरौनी तेल शोधक कारखाने के कुछ अधिकारियों ने सम्भवतः किसी के प्रभाव में आकर अपने उत्तर तोड़-मरोड़ कर तथा टाल मटोल वाले दिये हैं और उनमें से एक अधिकारी ने एक संचालक को धमकी भी दी है और कहा है कि वह कार्य दैनिकी में वह बात न लिखे जो उसने देखी हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार तेल शोधक कारखाने के अधिकारियों को दोषी अधिकारियों के विरुद्ध समुचित अनुशासनात्मक कार्यवाही करने और निष्ठावान अधीनस्थ कर्मचारियों को उत्पीड़न से बचाने के लिए समुचित संरक्षण देने का है ; और

(ग) क्या तेल शोधन कारखाने के लापरवाह तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (ग). आयोग ने भारतीय तेल निगम के उन कुछ अफसरों, जो आयोग के समक्ष गवाहों के रूप में पेश हुये थे, के व्यवहार को ठीक नहीं समझा है और आयोग ने प्रबन्धकों से उन अफसरों के आचरण की जांच कराये जाने और यथावश्यक कार्यवाही करने की आशा व्यक्त की है ताकि ऐसी घटनाएं दोहराई न जायें और इससे अन्य व्यक्ति पाठ सीख सकें। सरकार ने आयोग की यह सिफारिश मान ली है और इस बारे में कार्यवाही शुरू कर दी है।

प्रतिकर भत्ते की सीमा का हटाया जाना

3149. **श्री बाल्मीकि चौधरी :**
श्री अदिचन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें कुछ संसद् सदस्यों से पत्र प्राप्त हुआ है जिस में अनुरोध किया गया है कि महंगाई भत्ते के वेतन में मिलाये जाने से चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के प्रतिकर भत्ते पर जो सीमा लगाई गई है उसे हटाया जाये, क्योंकि उनको आवंटित मकान के किराये के रूप में, उनकी उपब्धियों से काटी गई अतिरिक्त राशि पर कोई सीमा नहीं लगाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) तथा (ख). केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को देय प्रतिपूर्ति (नगर निवास) भत्ते की दरें, उनके पद की श्रेणी के अनुसार नहीं बल्कि उनके द्वारा लिये जाने वाले वेतन (मंहगाई वेतन सहित) के अनुसार होती है। 'ए' श्रेणी के नगर में 150 रुपये प्रतिमाह से कम वेतन (मंहगाई वेतन सहित) प्राप्त करने वाले कर्मचारी, वेतन के 10 प्रतिशत की दर से, प्रतिपूर्ति (नगर निवास) भत्ता पाने के हकदार होते हैं जो कि कम से कम 7 रुपये 50 पैसे और अधिक से अधिक 12 रुपया 50 पैसे होगा। यह दर, दूसरे वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर रखी गई है। इस सीमा को समाप्त करने से संबंधित प्रार्थना पर, सरकार द्वारा ध्यानपूर्वक विचार किया गया था लेकिन विद्यमान व्यवस्था में फेरबदल

करना संभव नहीं हो सका है क्योंकि ऐसा करने से, अतिरिक्त व्यय के अलावा अप्रत्यक्ष प्रभाव भी पड़ेंगे।

संसद्-सदस्यों से मकान किराया भत्ते के बारे में प्राप्त अनुरोध

3150. **श्री बाल्मीकि चौधरी :**

श्री अदिचन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों पर हाल ही में महंगाई भत्ता वेतन के साथ मिलाये जाने के कारण रसीद दिखाये बिना मकान किराया भत्ता और नगर प्रतिकर भत्ता के मामले में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, उनके बारे में यथापूर्व स्थिति कायम रखी जाने के बारे में संसद्-सदस्यों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या अनुरोध किया गया और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) तथा (ख). किराये की रसीद पेश किये बिना ही मकान किराया भत्ता लेने के संबंध में 500 रुपये की वर्तमान उच्चतम वेतन-सीमा को बढ़ाने के बारे में कुछ संसद् सदस्यों से आवेदन प्राप्त हुए हैं। लेकिन इस आवेदन को स्वीकार करना संभव नहीं हो सका है क्योंकि हालांकि मंहगाई भत्ते को केन्द्रीय सरकार-के कर्मचारियों के मूल वेतन में मिलाये जाने के कारण किराये के वास्तविक भुगतान की रसीदों को पेश किये बिना ही मकान किराया भत्ता लेने का हकदार होनें के संबंध में उच्चतम वेतन-सीमा 500 रुपये मूल वेतन से कम होकर 390 रुपये मूल वेतन हो गई है जिसमें मंहगाई वेतन शामिल नहीं है, फिर भी इससे इस वेतन श्रेणी के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता लेने की हकदारी कम नहीं हुई है। वे, अपेक्षाकृत उच्चतर वेतन श्रेणियों के कर्मचारियों की भांति, किराया-रसीदें पेश करने पर, पहले जैसी ही दरों पर भत्ता पाने के हकदार हैं। चूंकि मकान-किराया भत्ता राज सहायता के रूप में होता है, इसलिये इसे अदा किये गये वास्तविक किराये से सम्बद्ध करने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती है।

जहां तक प्रतिपूर्ति (नगर निवास) भत्ते का संबंध है, बी-2 श्रेणी के नगरों के लिये किराया-हकदारी सीमा को 620 रुपये प्रति मास तक बढ़ा कर पहले ही यथापूर्व स्थिति कायम कर दी गयी है।

उत्पादन शुल्क निरीक्षकों का तबादला

3151. **श्री जयसिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियंत्रक, कानपुर ने 72 निरीक्षकों के तबादले का आदेश दिया, जिनमें से अधिकांश साधारण तबादले थे, और तबादले जुलाई, 1969 से लागू होने थे ;

(ख) क्या केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अराजपत्रित अधिकारी एसोसिएशन, कानपुर ने इस आधार पर इन तबादलों के विरुद्ध सरकार को अभ्यावेदन दिया कि इन तबादलों के कारण उन अधिकारियों को परेशानी और कठिनाई होगी, क्योंकि शिक्षा वर्ष आरम्भ हो चुका था और शिक्षा संस्थाओं में दाखिले, समाप्त हो चुके थे ;

(ग) क्या वे तबादले सरकार द्वारा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अराजपत्रित अधिकारी एसोसिएशन को दिये गये इन आश्वासनों के विरुद्ध थे कि तबादले ठीक समय पर ही किये जायेंगे ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इन अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता, कानपुर ने अपने 30 जून, 1969 के आदेशों के अनुसार 72 निरीक्षकों के तबादलों का आदेश दिया। इनमें से कोई भी तबादले सामान्य तबादले नहीं थे।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार द्वारा एसोसिएशन को इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया गया था।

(घ) एसोसिएशन ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि शिक्षा सत्र आरम्भ हो गया था और स्कूलों में दाखिले शुरू हो गये थे, इसलिये इन तबादलों के कारण स्थानान्तरित होने वाले कर्मचारियों को कठिनाई उठानी पड़ेगी। यह तर्क इसलिये सही नहीं था कि स्थानान्तरण आदेश 30 जून 1969 को जारी किया था और स्कूलों का शिक्षा सत्र लगभग 10 जुलाई से आरम्भ होता है जबकि कालेजों में शिक्षा सत्र आरम्भ होने का समय जुलाई के अन्त तक तथा अगस्त तक भी बढ़ा दिया जाता है। इस प्रकार, ये तबादले शिक्षा-सत्र के अन्दर ही थे। वास्तव में, अपने तबादलों के खिलाफ दरख्वास्त भेजने वाले अधिकारियों में से किसी ने भी तबादले संबंधी आदेश देरी से जारी किये जाने के कारण अपने वार्ड के अध्ययन में व्यवधान पड़ने तथा दाखिला लेने में कठिनाई होने के कारण दरख्वास्तें नहीं भेजी थीं। इन परिस्थितियों में जैसा, कि एसोसिएशन ने मांग की है, संबंधित अधिकारियों को उनके बच्चों के दाखिले के संबंध में हुई परेशानी के आधार पर तबादले के आदेशों को स्थगित रखना सरकार ने आवश्यक नहीं समझा।

मैसर्स नरूला फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के विरुद्ध जांच

3152. **श्री अदिचन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नरूला फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के विरुद्ध लगाये गये कर अपवंचन आदि के आरोपों की जांच कर रही थी और यदि हां, तो क्या जांच इस बीच पूरी हो गई है ;

(ख) कम्पनी के विरुद्ध वस्तुतः क्या क्या आरोप लगाते गये हैं तथा जांच कब तक पूरी हो जायेगी ;

(ग) कम्पनी के पिछले निदेशकों की ओर उनके व्यक्तिगत आयकर की बकाया राशि का ब्यौरा क्या है तथा इसे वसूल करने में हुये विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार ने कोई सुरक्षात्मक कार्य किये हैं ताकि निदेशक जांच पूरी होने तक अपनी आस्तियों इत्यादि को बेचें/अन्य व्यक्तियों के नाम में न कर सकें ; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं तथा गत तीन वर्षों में पिछले निदेशकों की आस्तियों में क्या-क्या परिवर्तन हुए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) तथा (ख). मैसर्स नरुला फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किये गये कर अपवंचन के आरोपों के संबंध में, आयकर विभाग द्वारा की जा रही जांच पड़ताल जारी है । जांच-पड़ताल का कार्य यथासंभव शीघ्र पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है । जब तक जांच पड़ताल पूरी न हो जाय तब तक आरोपों का विवरण देना संभव नहीं है ।

(ग) कम्पनी के निर्देशकों में से केवल एक निर्देशक के मामले में ही 568 रुपये की मांग बकाया है । इस मांग की वसूली के लिये कार्यवाही की जा चुकी है ।

(घ) कम्पनी की तरफ बकाया मांग की वसूली के बारे में निर्देशकों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न केवल तभी उठेगा जबकि कम्पनी के विरुद्ध मांग-पत्र जारी कर दिया जायगा और वह कम्पनी से वसूल न की जा सके ।

(ङ) कम्पनी के निर्देशकों से, कर निर्धारण वर्ष 1966-67 तथा उसके बाद के वर्षों के लिए शुद्ध धन संबंधी अपनी विवरणियां दायर करने के लिए कहा जा रहा है । लेकिन कम्पनी की तरफ बकाया मांग के संबंध में निर्देशकों की परिसम्पतियों के विरुद्ध कार्यवाही केवल उसी स्थिति में संभव है जबकि कम्पनी समाप्त हो जाय और कम्पनी द्वारा देय करों की वसूली न होने का कारण, निर्देशकों की ओर से बरती गई घोर असावधानी, अधिकारों का दुरुपयोग अथवा कर्त्तव्य-अपेक्षा हो ।

Advance Warning of Flu in the Country

3153. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Uurban Development** be pleased to state :

(a) whether it has been made possible to know in advance on the basis of some Scientific achievement that there is danger of out-break of flu and warning to this effect issued to the masses ; and

(b) if so, the details of the said achievement ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) No. The World Health Organisation has, however, set up a network of International Surveillance for influenza which disseminates information as and when there is an epidemic of influenza anywhere in the world, thereby alerting the Public Health authorities in all the countries to meet the situation.

On receipt of information regarding such out-break of epidemic in the neighbouring countries, the State Governments are advised about the steps to be taken for the prevention of the spread of the epidemic and treatment.

(b) Does not arise.

Opening of Branches of Nationalised Banks in District Champaran Bihar

3154. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government have adopted the policy of opening the branches of the nationalised banks in those villages whose population is 10,000 ;

(b) if so, the number af those villages in District Champaran of Bihar where branches of the nationalised banks are likely to be opened during the current year ;

(c) whether Government propose to open a branch of any nationalised bank in Mehasi town which is a very important town from the industrial and commercial point of view and whose population is more than 10,000 ; and

(d) if so, by when ; and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) In December, 1969 the Reserve Bank drew up a comprehensive programme of branch expansion for major scheduled banks for the year 1970. Under the programme, all unbanked 'towns' as defined in the last census report (i.e. having a population of 5,000 and population density of not less than 1000 per square mile and possessing other specified characteristics of an urban rea) and unbanked treasury/sub-treasury centres in the country will be covered by the net-acork of commercial banks before the end of 1970. Besides, it will be open to the banks to wome up with proposal for opening branches at such centres as may be identified by them as having banking potentialities. There is, however, no proposal at present to open branches in all villages with population of 10,000 and above.

(b) Branches of nationalised banks are likely to be opened during the current year at four rural centres (population less than 10,000) in District Champaran of Bihar during the year 1970. These centres are Luthana, Dhaka Ghorasahan and Majhaulia.

(c) and (d). No nationalised bank has so far applied for permission to open a branch at Mehasi in District Champaran. This centre has not been listed as a 'town' in the 1961 census report. Under the 'Lead Bank' Scheme for intensive survey of banking potential and credit needs, Champaran District has been allotted to the Central Bank of India and if on survey Mehasi is found to be of commercial and industrial importance, the Lead Bank may take steps to provide banking facilities there.

तेल शोधक कारखानों के कर्मचारियों में क्षय रोग

3155. **श्री निहाल सिंह :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य की जांच की है कि तेल शोधक कारखानों में काम करने वाले कर्मचारी प्रायः क्षय रोग के शिकार हो जाते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि गोहाटी तेल शोधक कारखाने के कर्मचारियों ने उक्त कथन के सर्मथन में उनके समक्ष उदाहरण पेश किये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है ।

(ख) गोहाटी शोधनशाला के कर्मचारियों की यूनियन ने अपनी कई बैठकों में सामान्य

रूप में शोधनशाला में टी०वी० केसों (मामलों) के बारे में जिकर किया था। परन्तु यूनियन ने प्रबन्धकों को कोई विशिष्ट केस (मामला) प्रस्तुत नहीं किया।

(ग) कर्मचारीगण, जिन्हें उनकी कमजोर सेहत के कारण क्षय रोग हुआ था, शोधनशाला के डाक्टरों द्वारा उचित औषध-उपचार प्राप्त करने के बाद स्वस्थ्य हो गये थे।

Collection of Income-Tax and Excise Duty from Sagar District in Madhya Pradesh

3156. **Shri Ram Singh Ayarwal :** Will the Minister of Finance be pleased to state the break-up of the amount of Income-tax and Excise duty being realised from Sagar District annually ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : The amounts of Central Excise duty realised from assesses in Sagar District during the three financial year mentioned below, are :—

Year	Amounts in Lakhs
	Rs.
1967-68	2.00
1968-69	1.97
1969-70 (upto February '70)	2.27

The information in respect of Income-tax realised from assessees in District Sagar during the three financial years viz. 1967-68, 1968-69 and 1969-70 (upto Feb. '70) is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

एन्टीबायोटिक्स फैक्टरी, पिम्परी (पूना) के गोदामों में पड़ी कृषी संबंधी प्रतिजीवाणु औषधियाँ खराब होना

3157. **श्री जगन्नाथ राव जोशी** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि संबंधी प्रतिजीवाणु औषधियां जैसे एयरोफंगिन और स्ट्रेप्टोसाइक्लीन, एन्टीबायोटिक्स फैक्टरी, पिम्परी (पूना) के गोदामों में खराब हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). 11 मार्च, 1970 को हिन्दुस्तान, एण्टीबायोटिक्स लि०, पिम्परी के गोदाम में स्ट्रेप्टोसाइक्लीन और एयरोफ्यूंजिन का स्टाक क्रमश: 1625 किलोग्राम और 650 किलोग्राम था। इस संग्रह का कारण यह है कि पूर्वानुमानित मात्रा के अनुसार मांग विकसित नहीं हुई है। पौधों के कई रोगों, विशेषकर उत्तम किस्मों सहित चावल खेती से सम्बन्धित रोगों

पर नियन्त्रण करने के लिए ये कृषि-सम्बन्धी प्रतिजीवाणु औषधियां हैं। इन स्टाकों को खत्म करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

वाणिज्य, निर्माण तथा विविध महालेखापाल के कार्यालय को भेजे गए विभिन्न मन्त्रालयों के कर्मचारियों के बिल

3158. **श्री निहाल सिंह :**
श्री अदिचन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली स्थित वाणिज्य, निर्माण तथा विविध महालेखापाल के कार्यालय के काउन्टर पर दिये गये भारत सरकार के विभन्न मंत्रालयों/विभागों के कर्मचारियों के बिलों (अनुपूरक आदि) को परित करने में अत्यधिक विलम्ब किया जाता है।

(ख) यदि हां, तो इस बिलम्ब के क्या कारण हैं और ऐसे विलम्ब को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) वाणिज्य, निर्माण तथा विविध महालेखापाल के कार्यालय में जो बिल निम्नलिखित अवधियों में निपटाये नहीं गये हैं उसका ब्यौरा क्या है :—

(एक) 15 दिन से अधिक

(दो) 1 महीने से अधिक

(तीन) 2 महीनों से अधिक

(चार) 3 महीनों से अधिक ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल नहीं उठता।

(ग) कुछ नहीं।

ऐसे कोई बिल नहीं हैं, जिन पर कार्यवाही होनी बाकी हो।

भारत सरकार के प्रपत्र भंडार, कलकत्ता में दफ्तरी

3159. **श्री निहाल सिंह :**
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण-आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के प्रपत्र भंडार, कलकत्ता के 80 सिलैक्शन ग्रेड दफ्तरी गत कई वर्षों से निम्न श्रेणी के लिपिकों के रूप में कार्य कर रहे हैं परन्तु उनको निम्न श्रेणी के लिपिकों का 110 रुपये से 180 रुपये का वेतनमान नहीं मिल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). जी, नहीं ।

(ग) भारत सरकार फार्म स्टोर, कलकत्ता के प्रबन्धक को ये अनुदेश दे दिए गए हैं कि सिलैक्शन ग्रेड के दफ्तरियों को लिपिक-विषयक ड्यूटी से, जो वे कर रहें हों, से वंचित कर दिया जाए ।

ग्राम बीमा के राष्ट्रीयकरण के बारे में समाचारपत्रों में विज्ञापन

3160. **श्री हिम्मत सिंहका** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में हाल ही में विभिन्न पत्रों में प्रकाशित हुए उन विज्ञापनों की ओर दिलाया गया है जिसमें विभिन्न ग्राम बीमा के राष्ट्रीयकरण का विभिन्न आधारों पर विरोध किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार के किन-किन मुख्य बातों को अपने ध्यान में रखा है जिनके आधार पर आम बीमा का प्रयोग करने वाले व्यक्ति आम बीमा के राष्ट्रीयकरण का विरोध कर रहे हैं ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पूर्ति मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) से (ग). सरकार का ध्यान, इन विज्ञापनों की ओर तथा उन विज्ञापनों की ओर भी दिलाया गया है जो विविध बीमा कराने वालों द्वारा जारी किये गये दिखलाये गये हैं । इन विज्ञापनों में दावा किया गया है कि राष्ट्रीयकरण से पालिसीधारियों को मिलने वाली सेवा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । इस मामले में सरकार का क्या करने का विचार है, यह बताने की न परम्परा है, न वांछनीयता ।

उड़ीसा में पोलिएस्टर कारखाने की स्थापना के लिए लाइसेंस देने से इन्कार

3162. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार की लाइसेंस समिति ने उड़ीसा में पोलिएस्टर धागा बनाने का कारखाना स्थापित करने क लिए प्रस्तुत उड़ीसा सरकार के आवेदनपत्र को अस्वीकार कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार चौथी पंचवर्षीय योजना में कारखाना स्थापित करने के लिए लाइसेंस देने का विचार करेगी ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) देश के विभिन्न क्षेत्रों में पोलिएस्टर स्टैपल फाइबर की बाजार और मांग पर विचार करने तथा पहले से स्वीकृत परियोजना को ध्यान में रखने के बाद, यह विदित हुआ कि इस समय अधिकतम अपूरित मांग उत्तरी क्षेत्र से थी ; जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान राज्य शामिल थे। अतः यह निर्णय किया गया कि इस क्षेत्र में लाइसेंस दिये जाने वाले अगले यूनिट को स्थापित किया जाए। उड़ीसा में एक कारखाने के प्रार्थना-पत्र को, अन्य क्षेत्रों से प्राप्त हुए उसी प्रकार के प्रार्थना-पत्र के साथ अस्वीकार किया गया था।

(ग) जब सरकार और क्षमता का लाइसेंस देने के लिए निर्णय करेगी, तब नये सिरे से प्रार्थना-पत्र आमन्त्रित किये जायेंगे और गुणावगुण आधार पर मामले पर विचार किया जायेगा।

उड़ीसा में लौह/अलौह तथा अन्य धातुओं का पता लगाने के प्रयास

3163. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा राज्य में गत तीन वर्षों में लौह/अलौह धातुओं का तथा देश की अर्थ व्यवस्था के लिये महत्वपूर्ण अन्य खनिजों का पता लगाने के कोई प्रयास किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा सुन्दरगढ़ जिले में सरगीपल्ली सीसा निक्षेपों ; कटक जिले के सुकिन्दा क्षेत्र में सरूआबिल सुखेरांगी के निकल निक्षेपों ; सम्बलपुर जिले में ग्रेफाइट तथा बयोंभर तथा सुन्दरगढ़ जिलों में मलंगटोली लोह अयस्क निक्षेपों के लिये व्यधन सहित विस्तृत अन्वेषण किये गये थे। आधार धातुओं, ऐस्बेस्टास, क्रोमाइट, बाक्साइट, चीनी-मिट्टी, गेरू, सोना, हीरे, टाल्क यथा मैंगनीज के लिये भी अन्वेषण किये गये थे। कुछ निक्षेपों की अनुमानित उपलब्ध राशियां इस प्रकार से हैं—मलंगटोली लोह अयस्क लगभग 6000 लाख मैट्रिक टन ; कोरापुट जिले में उमरकोट लोह अयस्क निक्षेप 15 लाख मैट्रिक टन ; सरूआबिल सुखेरांगी निकल निक्षेप लगभग 1 प्रतिशत निकल के साथ 230 मैट्रिक टन।

भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा निकल, सीसे, सोने तथा हीरों के लिये अन्वेषण जारी हैं।

संसद सदस्यों को मकान बनाने के लिए भूमि का आवंटन

3164. **श्री हेमराज** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 23 फरवरी, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 5 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन संसद सदस्यों की संख्या तथा नाम क्या हैं जिन्होंने दिल्ली में भूमि के आवंटन के लिये आवेदन-पत्र दिये हैं ;

(ख) उनके आवेदन पत्र कब प्राप्त हुये थे और क्या संसद सदस्यों को यह बताने के लिये कोई पत्र जारी किया गया था कि भूमि का आवंटन वैयक्तिक आधार पर किया जायेगा ;

(ग) क्या ऐसे अन्य संसद सदस्यों को दिल्ली में भूमि के आवंटन के लिये आवेदन पत्र देने का अवसर दिया जायेगा जिनको उस समय सूचित किया गया था ;

(घ) क्या उन संसद सदस्यों के नाम पर, जो तारा सहकारी समिति के सदस्य हैं, अन्य संसद सदस्यों के नामों के साथ विचार किया जायेगा जिनके आवेदन पत्र वैयक्तिक आधार पर प्राप्त हुए थे ; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). आज तक, प्लाटों के आवंटन के लिए 56 संसद सदस्यों ने, जैसे कि संलग्न सूचि में हैं, आवेदन द्वारा लिखा है। अभी तक आवंटन की सूचना के कोई पत्र जारी नहीं किये गए हैं, क्योंकि पत्र का प्रारूप और आवंटन की शर्तों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०—2882/70]

(ग) संसद् के सभी वर्तमान सदस्य तथा कुछ अन्य वर्गों के आवेदक उनके लिए सुरक्षित कोटे में से प्लाटों के आवंटन के लिए आवेदन कर सकते हैं बशर्ते कि वे निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों।

(घ) और (ङ). लागू नियमों के अनुसार, किसी व्यक्ति को दो प्लाट नहीं दिये जा सकते और एक संसद सदस्य, जो संसद सदस्य होने के नाते आवंटन चाहता है, तारा कोआप्रेटिव सोसाइटी के सदस्य के रूप में, अन्य प्लाट के लिए, उस पर विचार नहीं किया जा सकता। तारा कोआप्रेटिव सोसाइटी को भूमि के आवंटन के प्रश्न पर दिल्ली प्रशासन द्वारा इस विषय पर आदेशों के अनुसार विचार किया जायेगा।

जनांकिकीय प्रशिक्षण तथा अनुसंधान केन्द्र, बम्बई के कर्मचारियों को परेशान करने के कथित मामलों के बारे में शिकायतें

3165. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई स्थित जनांकिकीय प्रशिक्षण तथा अनुसंधान केन्द्र के कर्मचारियों को केन्द्र के निदेशक द्वारा परेशान किए जाने की अनेक शिकायतें सरकार को मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो शिकायतों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) जनविद्या प्रशिक्षण तथा अनुसंधान केन्द्र, बम्बई की कार्यकारी परिषद के प्रधान को शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) ये शिकायतें किस प्रकार की हैं, यह प्रकट करना इस अवस्था में सम्भव नहीं है।

(ग) इस केन्द्र की कार्यकारी परिषद के प्रधान द्वारा इन शिकायतों की जांच की जा रही है।

महाराजा दरभंगा की सम्पत्ति पर मृत्यु शुल्क लगना

3166. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में दरभंगा के महाराजाधिराज की सम्पत्ति आदि पर मृत्यु शुल्क लगाने तथा उसे वसूल करने का मामला तय हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) लगाया गया सम्पदा शुल्क 24,10,14,097 रुपये

घटाइये

सम्पदा शुल्क अधिनियम की धारा 30 के अधीन दी गई दोहरे कराधान से राहत	11,98,671 रुपये
	1,98,15,426 रुपये
पहले ही वसूल कर लिया गया शुल्क	1,94,65,426 रुपये
शेष	3,50,000 रुपये

3,50,000 रुपये की मांग, प्रोबेट शुल्क के बारे में धारा 50 के अधीन देय राहत का निश्चय हो जाने तक, स्थगित रखी गई है।

(ग) यह सवाल नहीं उठता।

जीवन बीमा निगम का पुनर्गठन

3167. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री 17 नवम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 109 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम का पुनर्गठन करने की विभिन्न सिफारिशों की जांच पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) मामला अभी भी विचाराधीन है।

(ख) यह सवाल नहीं उठता।

दिल्ली में रोगी वाहन सेवा

*3168. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 27 फरवरी, 1970 के दैनिक समाचारपत्र "दि स्टेट्समैन" में प्रकाशित हुए इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि एक रोगी वाहन को आसफअली रोड, दिल्ली में एक बच्चे के पास आने में 30 घन्टों से अधिक समय लगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह समाचार सही हैं ; और

(ग) क्या उन्होंने इस मामले में जांच का आदेश दिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। पेट्रोल पम्प के सामने 22-ए, आसफअली रोड से एक रोगी को लाने के लिये रोगी वाहन (एम्बुलेंस) भेजने के लिए सूचना इरविन अस्पताल में 26 फरवरी, 1970 को 4 बजे शाम को मिली। रोगी वाहन तत्काल भेजा गया और उसी दिन 4.15 बजे शाम को रोगी को अस्पताल लाया गया।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

खेतड़ी तांबा परियोजना में आयातित उपकरणों को उपयोग में न लाया जाना

3169. **श्री स० कुन्दु** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शैफ्ट सिंकिंग उपकरणों का आयात करने में लगभग 20 लाख की विदेशी मुद्रा व्यय हुई थी और आयात किये गये उपकरणों में से केवल 25 प्रतिशत उपकरणों का ही प्रयोग खेतड़ी परियोजना में किया गया है ;

(ख) क्या खनन विकास कार्य के लिये बड़ी संख्या में ड्रिल जुम्बों और लोडरों का आयात किया गया है, परन्तु उनका बहुत ही कम प्रयोग किया गया है ;

(ग) क्या इन उपकरणों का निर्माण देश में ही किया जा सकता है ; और

(घ) क्या इस तरह के आयातित उपकरण का प्रति महीने प्रयोग करने के समय के बारे में अध्ययन किया गया है यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) खेतड़ी तांबा प्रायोजना में कूपक खुदाई के लिए उपकरणों के आयात पर लगभग 23 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा का खर्च था। आयात किये गए 26 उपकरणों में से 24 उपकरण पूरी तरह प्रयोग में हैं। कूपकों में अनुपयुक्त भूमि परिस्थितियों के कारण उपकरणों की केवल दो मदों का इस समय उपयोग नहीं किया जा रहा है।

(ख) खेतड़ी प्रायोजना में खान विकास के कार्य के लिए 4 'ड्रिफ्ट जुम्बों' तथा 6 'लोडर' आयात किये गये थे। जब कि 'लोडर्स' का पूरा उपयोग हो रहा है, 'ड्रिफ्ट जुम्बों' को प्रयोग से वापस लिया जा रहा है, क्योंकि पार्श्वों की दूरी हस्त चालन क्षमता से अधिक बढ़ गई थी। तथापि, ज्योहि प्रायोजना के पास उपयुक्त लोकोमोटिव इंजन उपलब्ध हो जायेंगे त्योहि 'ड्रिफ्ट जुम्बों' का पूरा उपयोग किया जायेगा। इस समय इन का उपयोग प्रचालकों को परिचालन तथा सम्भरण में प्रशिक्षण देने के लिए किया जा रहा है।

(ग) इन उपकरणों के लिए आदेश दिये जाने के समय (1965-66) केवल एक मद, जिस का नाम सिन्किंग हाइस्ट (दो नम्बर) है, के अतिरिक्त अन्य किसी उपकरण का विदेशी निर्माण हो रहा था। एक सिन्किंग हाइस्ट के लिए खनन तथा सम्बन्ध मशीनरी निगम को आदेश दिया गया और दूसरी हाइस्ट को क्योंकि जल्द स्थापित किया जाना था और खनन तथा सम्बद्ध मशीनरी निगम द्वारा इसके प्रदान के लिए बहुत लम्बा समय लिया जाना था अतः इसे आयात किया गया।

(घ) विभिन्न उपकरणों/मशीनरी के उपयोग का लेखा रखने के लिये 'लांग-बुक, रखी गई है। इस प्रकार का कोई अध्ययन नहीं किया गया कि इन आयातित उपकरणों को एक महीने की अवधि में कितने घन्टे उपयोग किया गया।

दिल्ली में सहकारी गृह निर्माण समितियों का वर्गीकरण

3170. **श्री अ० सि० सहगल** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सहकारी गृह निर्माण समितियों का वर्गीकरण श्रेणी 1,2,3 और 4 में किस सिद्धान्त के अन्तर्गत किया गया है ;

(ख) क्या समितियों के प्रत्येक श्रेणी के लिये दिल्ली में विशेष क्षेत्र नियम किये गये हैं ;

(ग) प्रत्येक श्रेणी में ऐसी समितियों के नाम क्या हैं ;

(घ) इन समितियों को जिस भूमि की पेशकश की गई है उसका क्षेत्र तथा क्षेत्रफल कितना है तथा वे क्षेत्र कहां हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ङ). एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—2883/70]

सहकारी गृह निर्माण समितियों को दिल्ली के शाहदरा क्षेत्र में भूमि का आवंटन

3171. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय शाहदरा क्षेत्र में सरकार के पास कितने एकड़ भूमि है जो सहकारी समितियों को देने के लिए तैयार है और अप्रैल 1970 तक कितने एकड़ और भूमि सरकार के पास होने की आशा है ;

(ख) क्या दिल्ली भूमि तथा आवास विभाग इस क्षेत्र में उन समितियों को भूमि देने के बजाय जिनको जुलाई, 1966 में भूमि की लागत जमा कराने को कहा गया था, और समितियों को भूमि की पेशकश कर रहा है और अन्य समितियों को अन्य क्षेत्रों से हटा कर इस क्षेत्र में ला रहा है, यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) ऐसी समितियों की संख्या कितनी है जिन्हें बाद में इस क्षेत्र में भूमि की पेशकश की गई है और उन समितियों के नाम क्या हैं और किन-किन तिथियों में ऐसा किया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) 600 एकड़ भूमि का अर्जन कर लिया गया है। लगभग 130 एकड़ और भूमि के अर्जन की कार्यवाही के मार्च, 1970 तक पूरे हो जाने की सम्भावना है।

(ख) और (ग). केवल 2 समितियों ने, जिन्होंने नफजगढ़ में भूमि आवंटित करने के लिए विचार किया जा रहा था, बाद में शाहदरा क्षेत्र में भूमि के आवंटन किए जाने का वैकल्प दिया। इससे समितियों की स्थिति में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिन्होंने शाहदरा क्षेत्र में, उनको प्रस्तावित की गयी भूमि का, प्रीमीयम पहले ही दे दिया है।

दो समितियाँ ये हैं :—

1. सेंट्रल एक्साइज़ कोपरेटिव हाउज़ बिल्डिंग सोसाइटी।
2. डिफेंस हैड क्वार्टर्स कोपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी।

प्रीतनगर तथा सरकारी अध्यापक सहकारी गृह निर्माण समितियां, दिल्ली

3172. **श्री प० ला० बारूपाल :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रीतनगर गृह निर्माण समिति तथा सरकारी अध्यापक सहकारी गृह निर्माण समिति, दिल्ली ने 1959 से पहले निगमित समिति के रूप में भूमि खरीदी थी ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक समिति के नाम में कितनी भूमि खरीदी गई और रजिस्ट्री करायी गयी तथा किन तिथियों को ;

(ग) इन समितियों को किन आधारों पर श्रेणी 2 की समितियों में रखा गया है ;

(घ) क्या 1959 के भूमि अधिग्रहण आदेश से पहले भूमि खरीदने वाली समितियों को श्रेणी 2 में शामिल किया जा सकता है ; और

(ङ) क्या इन समितियों ने शाहदरा क्षेत्र में भूमि मांगी थी और उन्होंने पेशकश स्वीकार कर ली थी, यदि हां, तो इन समितियों को इस क्षेत्र में कब भूमि की पेशकश की थी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) तथा (ख). प्रीतनगर सहकारी भवन निर्माण नामक समिति ने अपने नाम से कोई भूमि नहीं खरीदी है । तथापि, प्रीतनगर, सत्यवती पार्क, जनता पार्क, और शाहदरा क्षेत्र की निर्माण वाटिका के प्लाटधारियों ने जनवरी, 1957 में इस समिति को बनाया था जिन्होंने 13 नवम्बर, 1959 से पहले कुल क्षेत्रफल की लगभग 105 एकड़ भूमि को खरीदा था । किन्तु दिल्ली स्कूल टीचर्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी, जो मार्च, 1961 में पंजीकृत हुई थी, ने शाहदरा क्षेत्र के कारकाडूमा गांव की लगभग 139 (एकड़) अधिसूचित भूमि 13 नवम्बर, 1959 के पश्चात खरीदी थी ।

(ग) क्योंकि प्रीतनगर कोपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी के सदस्यों ने भूमि को 13 नवम्बर, 1959 से पूर्व खरीदा था, इस समिति को ग्रुप II सोसाइटी वर्गीकृत कर दिया गया है । किन्तु दिल्ली टीचर्स ओपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी ग्रुप IV की सोसाइटी है।

(घ) नीति के अनुसार, जिन समितियों ने अपने नाम भूमि 13 नवम्बर, 1959 से पहले खरीद ली थी या जिन व्यक्तियों ने 13 नवम्बर, 1959 से पहले भूमि खरीदी थी, उन्होंने आपस में सहकारी समितियां बना ली थी उनके साथ ग्रुप II सोसाइटियों के समान बर्ताव किया जाता है ।

(ङ) जी, हां । प्रीतनगर कोपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी को सितम्बर, 1959 में भूमि पेश की गई थी और दिल्ली स्कूल टीचर्स कोपरेटिव हाउस बिल्डिंग को नवम्बर 1965 में ।

Taking Over of Bank of Bihar Ltd.

3173. **Shri Mrityunjay Prasad** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the complete details about the circumstances in which the Bank of Bihar Ltd., Patna was taken over and merged with the State Bank of India ;

(b) the amount paid by Government to the Shareholders of the said Bank or the assurance given to them in this respect and the basis on which the value of the shares was worked out ;

(c) whether it is a fact that the employees of the said bank were superseded by the employees of the State Bank and the basis on which the seniority would be decided ; and

(d) the period upto which the Reserve Bank has prepared the balance sheet in respect of the assets and liabilities of this bank and whether assets are available to make full payment to the share-holders and depositors ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) The circumstances in which it became necessary to place the Bank of Behar under moratorium and later merge it with the State Bank of India were explained by me in a statement made in the Rajya Sabha on the 14th August 1969 in response to a Calling Attention motion. A copy of the statement is attached. [*Placad in Library. See* No. LT—2884/70].

(b) In terms of the scheme of amalgamation sanctioned by the Central Government, payment to the share-holders of the erstwhile Bank of Behar Ltd., will be made by the State Bank of India when sufficient amount of surplus accrues in the collection account of the former bank.

(c) Provisions exists in the scheme of amalgamation under which the State Bank is required, within three years from the 5th November, 1969 to pay or grant to the employees of the Bank of Behar absorbed in the former's service, the same remuneration and the same terms and conditions of service as are applicable to the employees of corresponding rank or status of the transferee bank (i.e. the State Bank of India) subject to the qualifications and experience of the said employees of the transferor bank (i.e. the Bank of Behar) being the same as or equivalent to those of such other employees of the transferee bank. The basis on which the seniority of the transferor bank's employees would be decided would also be considered at the time of the fixation of the concerned employees in the scales of pay etc. of the transferee bank.

(d) The Bank of Behar Ltd. was last inspected by the Reserve Bank under Section 35 of the Banking Regulation Act, 1949 with reference to its position as on the 21st February, 1969. The payment to be made to the share-holders will be determined as indicated in reply to part (b).

साराभाई मेरक्स लिमिटेड, बड़ोदा

3174. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि साराभाई और मेरक्स के बीच विमान सहयोग करार जिन्होंने साराभाई मेरक्स लिमिटेड, बड़ौदा के नाम तथा रूप में कार्य किया था, समाप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह करार किन परिस्थितियों में समाप्त हुआ है ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि साराभाई की फर्म अब साराभाई एम० केमिकल्स लिमिटेड के नाम तथा रूप में वही कार्य कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो इस नाम में 'एम' शब्द से क्या अभिप्रेत है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) क्योंकि विदेशी सहयोगी यह महसूस करते थे कि यह उन्हें लाभदायक नहीं था, करार आपसी सहमति से समाप्त कर दिया गया ।

(ग) वे अब साराभाई एम० केमीकल्स लिमिटेड में नाम से कारोबार कर रहे हैं ।

(घ) करार के समाप्त होने से पहले, मैसर्स साराभाई मर्क लिमिटेड बड़ौदा ने, दस वर्ष की अवधि के लिए, 'एस एम' (S. M.) को अपनी मद्रुर और ट्रेड मार्क के रूप में अपना लिया

और करार के समाप्त होने के बाद भी अपने उत्पादनों को अपनाये गये 'एस एम' ट्रैड मार्क और महुर से बेचना जारी रख सकने की दृष्टि से, कम्पनी ने अपना नाम मैसर्स साराभाई एम० केमीकल्स लिमिटेड के बदल लिया। उन्होंने यह बताया था कि पश्चिम जर्मनी के मैसर्स ई० मर्क इस प्रबन्ध से सहमत थे।

भारत में विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा भारत और बैल्जियम की फर्म 'पेट्रोफिना' के बीच कच्चे तेल का आयात करने के लिए हुए करार को विफल करने का कथित प्रयास

3175. **श्री योगेन्द्र शर्मा :** क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की विदेशी तेल कम्पनियां अपने मूल संगठनों द्वारा उस करार को विफल करने के प्रयास में सफल हो गयी है, जो भारत सरकार और बैल्जियम की फर्म 'पेट्रोफिना' के बीच 1.28 डालर प्रति बैरल से भी कम मूल्य पर कच्चे तेल का निर्यात करने के लिये होने वाला था ; और

(ख) यदि हां, तो हमारे राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध कार्य करने के कारण सरकार का इन कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). मैसर्स कोचीन रिफाइनरीज को अपने एजेन्ट मैसर्स फिलिप्स पैट्रोलियम कम्पनी की मार्फत बैल्जियम की फर्म 'पैट्रोफिना' से जून, 1969 तथा जुलाई, 1969 के दौरान $1.28 प्रति बैरल की दर से आगाजारी कच्चे तेल की सप्लाई करने की पेशकश मिली थी। लेकिन करार पर हस्ताक्षर होने से पहले ही अपनी सप्लाई प्राप्त करने में असफल रहने के कारण मैसर्स पैट्रोफिना' ने अपनी वचन-बद्धता पूरी करने में असमर्थता प्रकट करी। भारत स्थित विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा इस मामले में किये गये किसी रौल का पता नहीं है। तथापि, इन कम्पनियों को आगाजारी कच्चे तेल की कीमत घटा कर $1.28 प्रति बैरल करने के लिये राजी किया गया है। कोचीन रिफाइनरी को सप्लाई किये गये कच्चे तेल की कीमत को भी तदनुसार इस स्तर तक घटा दिया गया है।

Development to Narayana Residential Scheme, Delhi

3176. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) whether it is a fact that entire responsibility for the development of Narayana Residential Scheme rests on the Delhi Development Authority ;

(b) whether it is also a fact that facilities of buses, post-office, market, parks, etc., have not been provided for the residents there ;

(c) whether it is also a fact that hundreds of the residential units there could not be allotted so far due to lack of water and electricity arrangements ; and

(d) the effective steps proposed to be taken by Government to allot all residential

units constructed and for the speedy development of that colony and the time by which the aforesaid facilities are likely to be provided there ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b). While developing any area, the Delhi Development Authority earmark in the lay-out plan, land for various facilities, which are to be provided by the concerned municipal and other authorities. In the lay-out plan for Narayana Residential Scheme, the Authority has provided a 7 acre site for one community centre, which will accommodate a post office, shopping and other facilities for the residents, besides a site for local shopping. About 27 acres of land has been earmarked for neighbour-hood parks, small parks, playgrounds and tot-lots, according to the standards prescribed in the Master Plan for Delhi.

(c) and (d). No, Sir. All the completed residential units, with full facilities of water and electricity, have already been allotted by the Delhi Development Authority. The remaining dwelling units will be allotted after they are Complete.

हिमाचल प्रदेश और पंजाब में विभिन्न बैंकों द्वारा छोटे व्यापारियों तथा किसानों को दिया गया ऋण

3177. **श्री विक्रम चंद महाजन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टेट बैंक आफ इंडिया (डलहौजी, हिमाचल प्रदेश), स्टेट बैंक आफ इंडिया (चम्बा, हिमाचल प्रदेश), स्टेट बैंक आफ़ इंडिया (पठानकोट, पंजाब) और पंजाब नैशनल बैंक (पठानकोट, पंजाब) ने छोटे व्यापारियों तथा किसानों को इस आधार पर ऋण देने से इन्कार कर दिया है कि उनको इस बारे में कोई अनुदेश अथवा नीतियां प्राप्त नहीं हुई हैं और वे केवल सामान को गिरवी रख कर तथा प्रतिभूतियों पर ही ऋण दे सकते है और वे अचल सम्पत्ति पर भी ऋण नहीं दे सकते ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस बारे में क्या अनुदेश जारी करने का है और ऐसा कब किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) प्रश्न के भाग (क) में जो बातें बतायी गयी है उनके आधार पर न तो डलहौजी, चम्बा और पठानकोट स्थित स्टेट बैंक की शाखाओं ने, और न ही पठानकोट स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा ने छोटे व्यापारियों और किसानों के ऋण सम्बन्धी किसी प्रस्ताव को नामंजूर किया है ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नियुक्तियां

3178. **श्री लोबो प्रभु** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के औसत मासिक वेतन भारतीय उर्वरक निगम, नई दिल्ली में 599 रुपये से लेकर हिन्दुस्तान मशीन टूल्स हैदराबाद में 212 रुपये तक है और वर्ष का श्रम व्यय इंडियन रेयर अर्थ्स में 1461 रुपये से लेकर हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, पिंजोर में 276 रुपये तक का अन्तर है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे विशेषकर उन कर्मचारियों में असंतोष फैल रहा है जिनके पास वही अर्हताएं हैं परन्तु वे भिन्न वेतन पर नियुक्त किये गये हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार समान श्रेणियों के लिए एक जैसा वेतन-मान निश्चित करने का है ; और

(घ) बहुत से सरकारी उपक्रमों में फालतू श्रमिकों तथा नियुक्तियों के मामले में पक्षपात की शिकायतों को दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र की सभी नियुक्तियों के लिए अलग लोक सेवा आयोग नियुक्त करने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) माननीय सदस्य द्वारा दिए गए आंकड़े किस आधार पर दिए गए हैं यह तो मालूम नहीं है परन्तु सम्बद्ध उपक्रमों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, आंकड़े इस प्रकार हैं :—

कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन :

	रुपये
फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया	494
हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, हैदराबाद	307

वार्षिक श्रम व्यय :

इण्डियन रेयर अर्थ्स	4,290
हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, पिंजौर	981

(ख) उपर्युक्त किसी भी उपक्रम ने यह सूचित नहीं किया है कि उनके कर्मचारियों में इस प्रकार का कोई असंतोष नहीं है ।

(ग) सरकार ने यह मान लिया है कि सभी सरकारी उपक्रमों के लिए वेतनमानों आदि का समान ढांचा बनाना तो व्यवहार्य नहीं होगा परन्तु जहां तक इन्हें युक्तिसंगत बनाया जाना सम्भव हो, वहां तक ऐसा किया जाना चाहिए । गैर-सरकारी क्षेत्र में भी वेतनों में इस प्रकार का अन्तर होता है । इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि विभिन्न वेतन बोर्डों ने विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए बिल्कुल अलग-अलग वेतन-ढांचे तैयार किए हैं ।

(घ) सरकारी उपक्रमों के लिए अलग से एक लोक सेवा आयोग की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । वास्तव में, प्राशासनिक सुधार आयोग अपने अध्ययन दल की इस बात से सहमत था कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए कर्मचारी आयोग की स्थापना से न केवल सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की स्वायत्तता में कमी हो जाएगी बल्कि उपक्रमों में पदों पर नियुक्तियां करने में भी देरी होगी । फिर भी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को कहा गया है कि सरकार ने इस सम्बन्ध में जो व्यापक मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित कर रखे हैं, वे उनके अनुरूप अपने भर्ती संबधी नियम बनाये । सरकार ने सरकारी उपक्रमों को यह भी कहा है कि जहां फालतू कर्मचारियों की समस्या हो, उसे सुलझाने के लिए, वे विभिन्न उपाय करें ।

जीवन बीमा निगम की गैर-सरकारी क्षेत्र में लगी पूंजी से लाभ

3179. **श्री लोबो प्रभु** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 196 -69 में जीवन बीमा निगम के गैर-सरकारी क्षेत्र में लगी पूंजी से कितना लाभ हुआ और इसी अवधि में उक्त लाभ अखिल भारतीय स्तर पर औद्योगिक शेयरों पर हुए लाभ की तुलना में कितना है ;

(ख) क्या यह अन्तर गए इक्वीटी शेयरों में लगाए गए धन के कारण है और इन इक्वीटी शेयरों पर कितना लाभ हुआ ; और

(ग) बीमाधारियों के हितों को दृष्टि में रखते हुए यह कहां तक ठीक है कि धन बीमाधारियों के हितों को ध्यान में रखकर नहीं लगाया जाता अपितु औद्योगिक विकास के हितों को ध्यान में रखकर लगाया जाता है ?

पूर्ति मन्त्री, और वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) जीवन बीमा निगम द्वारा वर्ष 1968-69 में किए गए निवेशों पर लाभ इस प्रकार रहा :

निवेश का स्वरूप	जीवन बीमा निगम को हुआ लाभ
	प्रतिशत
ऋण	8
ऋण-पत्र	(7.76 (चालू) ((7.77 (प्रतिदान)
तरजीही शेयर	7.94
सामान्य शेयर	10.19

इन लाभों का हिसाब, निम्नलिखित आधार पर क्रय-मूल्य के सन्दर्भ में बनाया गया है :—

(i) वर्ष में पहले किए गए निवेशों के मामले में, पिछले वर्ष के लाभांश के आधार पर ।

(ii) वर्ष के बाद के भाग में किए गए निवेशों के मामले में, उसी वर्ष के लिए घोषित लाभांश के आधार पर ।

भारत के रिजर्व बैंक की बुलेटिन में औद्योगिक प्रतिभूतियों पर दिखाए गए लाभ का हिसाब खरीद के वर्ष में घोषित लाभांश के आधार पर और उस वर्ष में शेयरों के औसत मूल्य के आधार पर लगाया जाता है । इसलिए, जीवन बीमा निगम द्वारा दिखाया गया लाभ और भारत के रिजर्व बैंक की बुलेटिन में दिखाया गया लाभ वस्तुतः तुलना करने योग्य नहीं है । वर्ष

1968-69 में औद्योगिक शेयरों पर अखिल भारतीय लाभ नीचे दिये अनुसार था :—

निवेश का स्वरूप	अखिल भारतीय लाभ
	प्रतिशत
ऋण पत्र	7.16 (चालू) 7.96 (प्रतिदान)
तरजीही शेयर	9.95
सामान्य शेयर	6.81

यह प्रतीत होगा कि जीवन बीमा निगम के निवेशों पर हुए लाभ, तरजीही शेयरों के मामले को छोड़कर, अखिल भारतीय दरों से अधिक हैं। तरजीही शेयरों पर जीवन बीमा निगम को हुए लाभ में अन्तर नये तरजीही शेयरों पर कोई लाभ नहीं होने के कारण हैं।

(ख) वर्तमान कम्पनियों के तरजीही शेयरों पर जीवन बीमा निगम को लाभ 9.45 प्रतिशत रहा परन्तु नयी कम्पनियों के तरजीही शेयरों में निवेशों पर लाभ कुछ नहीं होने के कारण समग्र लाभ घट कर 7.94 प्रतिशत हो गया था। उसी प्रकार वर्तमान कम्पनियों के सामान्य शेयरों पर लाभ 11.11 प्रतिशत था परन्तु कई कम्पनियों के सामान्य शेयरों में निवेशों पर लाभ कुछ नहीं होने के कारण वह घट कर 10.19 प्रतिशत हो गया था।

(ग) नई कम्पनियों में जीवन बीमा निगम का निवेश औद्योगिक विकास के हितों की पूर्ति के लिये नहीं होता है हालांकि यह उसका परिणाम हो सकता है। यह उन औद्योगिक कम्पनियों में अपेक्षाकृत कम कीमतों पर निवेश प्राप्त करने की दृष्टि से प्रधानतया किया जाता है जिनकी यथासमय लाभप्रद उद्यम बनने की सम्भावना हो।

न्यूनतम नकदी अनुपात का बढ़ाया जाना

3180. **श्री लोबो प्रभु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक का विचार निवेश जमा अनुपात की 25 प्रतिशत से 26 प्रतिशत करके न्यूनतम नकदी अनुपात को 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 29 प्रतिशत करने का है ;

(ख) यदि इसका कारण रिजर्व बैंक द्वारा 31 जनवरी को समाप्त होने वाले तीन महीनों में 125 करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण दिया जाना है, तो क्या रिजर्व बैंक के पास ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे वह कृषि जन्य वस्तुओं के लिए पेशगियां देने पर निगरानी रख सके तथा रोक लगा सके ;

(ग) बैंक द्वारा दिये जाने वाले ऋण पर ब्याज की वर्तमान दरें क्या हैं तथा ये दरें श्री लंका, पाकिस्तान, ब्रिटेन और जापान की दरों की तुलना में कैसी हैं ;

(घ) क्या सरकार का विचार जमा दरों में समान वृद्धि करने का है और यदि नहीं, तो

जमा तथा पेशगी दरों के बीच अन्तर को बढ़ाने और इसके परिणाम स्वरूप बैंकों के मुनाफे में वृद्धि करने का औचित्य क्या है ; और

(ङ) चूंकि ब्याज की दर उत्पादन लागत में शामिल हो जाती है तो लघु उद्योगों की दरों के समान ही सब प्रकार के उत्पादनों के लिए ब्याज की दर समान न होने के क्या कारण हैं, चाहे व्यापार की दर जिससे जमाखोरी को बढ़ावा मिलता है, कुछ भी हो ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) रिजर्व बैंक ने बैंकों से यह कहा है कि वे बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 24 में निहित व्यवस्था के अनुसार अपनी परिसम्पत्ति की मात्रा 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 36 प्रतिशत कर दें। यह वृद्धि, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक के पास, उनकी सांविधिक जमा रकमों के 3 प्रतिशत के अनुपात के अतिरिक्त है।

(ख) अनुपात में वृद्धि, सामान्यतः ऋणों पर नियन्त्रण रखने के एक उपाय के तौर पर तथा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सरकारी और अर्ध-सरकारी निकायों के बाण्डों में अधिक मात्रा में रुपया लगाकर समर्थन प्रदान करने के प्रयास को तेज करने के एक उपाय के अंग के रूप में की गई है। जहां तक कृषि-जन्य वस्तुओं के आधार पर दिये जाने वाले अग्रिमों पर नियन्त्रण रखने का सम्बन्ध है, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अन्न, तेलहन, बनस्पति तेलों और कपास जैसी जिन्सों के आधार पर दिये जाने वाले ऋणों के सम्बन्ध में, मार्जिन, समग्र ऋण-सीमा, ब्याज की न्यूनतम दर आदि जैसे प्रतिबन्ध लगाकर उपर्युक्त ऋणों पर नियंत्रण रखने के विषय में 31 जनवरी, 1970 को आवश्यक कार्रवाई की गई थी ताकि व्यापारी और उद्योगपति बैंकों से रुपया लेकर अपने पास जरूरत से ज्यादा स्टाक न रखने पायें। रिजर्व बैंक ने इस प्रकार के उपाय किये हैं जिनसे वाणिज्यिक बैंक उनके द्वारा दिये जाने वाले ऋणों के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक द्वारा दी जाने वाली पुनर्वित्त-सुविधाओं का अधिक उपयोग न करने पायें।

(ग) आवश्यक सूचना इस प्रकार है :—

बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों के सम्बन्ध में (जनवरी 1970 में) लिये गये ब्याज की दर

प्रतिशत वार्षिक

बैंक ऋण	भारत	श्रीलंका	पाकिस्तान	ब्रिटेन	जापान
1. अल्पावधिक	7.0 और उससे अधिक	7.5-11.0	उपलब्ध नहीं	8.5-10.0	8.25
2. व्यापारिक हुण्डिया	9.5	5.5- 9.0	,,	10.5	6.25
3. निर्यात हुण्डिया	6.0	उपलब्ध नहीं	,,	5.5-8.0	5.0

उपर्युक्त आंकड़ों से यह पता चलता है कि भारत के बैंकों द्वारा, ऋणों और हुण्डियों पर

लिये जाने वाले ब्याज की दरें, श्रीलंका और ब्रिटेन के बैंकों द्वारा लिये जाने वाले ब्याज की दरों से मिलती जुलती है।

(घ) रिजर्व बैंक, बैंकों में जमा की जाने वाली रकमों तथा बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों के ब्याज के प्रश्न पर लगातार अध्ययन करता रहता है। राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा शाखाओं का विस्तार किये जाने के कार्यक्रमों तथा उनके द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए ऋण दिये जाने के कारण उनका संचालन व्यय बढ़ जायेगा।

(ङ) यद्यपि यह बात सही है कि ब्याज की दर उत्पादन लागत में जुड़ जाती है फिर भी, इसका मतलब यह नहीं है कि सभी क्षेत्रों को दिये जाने वाले ऋणों के सम्बन्ध में ब्याज की दर एक समान हो। विभिन्न वर्गों के ऋण-कर्ताओं को दिये जाने वाले ऋणों के ब्याज की दर निर्धारित करते समय कई बातों अर्थात् ऋण की अवधि, ऋण की जोखिम, ऋण-कर्ता द्वारा तैयार किये जाने वाले माल की बिक्री, कार्य के आकार आदि का विचार करना पड़ता है। जहां तक लघु उद्योगों का सम्बन्ध है, बहुत से बैंक, इन एककों के विशेष महत्व को देखते हुए, अपने बड़े ऋण कर्ताओं से ली जाने वाली ब्याज की सामान्य दर से कम दर पर ब्याज लेते हैं।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा के लिए भर्ती

3181. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 22 दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4770 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभागीय अधिकारियों को जो ऊंची अर्हताएं प्राप्त करते हैं, कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता जबकि इसके लिए उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों की आवश्यकता होती है जैसाकि कहा जाता है कि उन्हें पदोन्नति का पात्र बनाने के लिए निर्धारित वर्षों की सेवा की शर्त में छूट दी जाती है किन्तु वास्तव में उन अधिकारियों को पदोन्नति नहीं दी जाती क्योंकि इसके लिए कथित कोटा निर्धारित है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसे प्रस्तावों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है जिसके अनुसार सीधे भर्ती किये गये लोगों की सेवा दस वर्ष की सेवा के बाद समाप्त की जायेगी या उनकी पदावनति की जायेगी और उनके स्थान पर उन लोगों को भर्ती किया जायेगा, जिन्होंने आधुनिक उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त की होगी क्योंकि तब तक ने लोग पुराने हो जायेंगे और अधिक कार्य नहीं कर सकेंगे और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष संघ लोक सेवा आयोग ने प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की भर्ती के लिए कितने कितने प्रतिशत अंक निर्धारित किये थे ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं। उच्चतर योग्यता प्राप्त करने के लिए विभागीय अधिकारियों को प्रोत्साहन की निश्चय ही व्यवस्था है, यहां तक कि जो सैक्शन आफीसर, ए० एम०आई०ई० परीक्षा पास कर लेते हैं, तथा सनातक होने की तारीख से वे सैक्शन अफसर ग्रेड

में 5 वर्ष के सेवा काल पूरा करने के बाद, या डिप्लोमाधारी के लिए 10 वर्ष के कुल सेवा काल के विपरीत, ग्रेड में 6 वर्ष की सेवा कर लेता है, उसे सहायक इंजीनियर के ग्रेड में पदोन्नति के लिए पात्र समझा जाता है ।

(ख) जी नहीं । यह उचित या वांछनीय नहीं होगा कि 10 वर्ष के सेवा-काल के सीधी भर्ती वालों की सेवायें समाप्त कर दी जांय ।

(ग) सरकार के पास सूचना उपलब्ध नहीं है, और उसे दिया नहीं जा सकता ।

रामाकृष्णपुरम में क्वार्टरों को आगे किराये पर देने के बारे में शिकायतें

3182. **श्री बलराज मधोक** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) रामाकृष्णपुरम (नई दिल्ली) में सैक्टर 2 के उन क्वार्टरों के नम्बर क्या हैं जिनके विरुद्ध 1969 में आगे किराये पर देने की शिकायतें की गई थीं और उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध ये शिकायतें हैं ;

(ख) शिकायतों के पत्रों में दिये गये प्रत्येक शिकायतकर्ता का नाम, घर तथा कार्यालय का पता क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1969 सम्पदा निदेशालय के कुछ अधिकारियों ने रामाकृष्णपुरम में उक्त सैक्टर 2 के 18 क्वार्टरों के विरुद्ध जांच की थी और यदि हां, तो जांच करने वाले अधिकारियों के नाम तथा पदनाम क्या हैं ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि उस बस्ती के किसी भी निवासी ने इन क्वार्टरों के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं की थी यदि हां, तो जांच कराने के क्या कारण थे और यदि नहीं, तो शिकायत करने वालों के नाम तथा पते क्या हैं और शिकायत का ब्यौरा क्या था और इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास और नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). शिकायत करने वालों के, जिन के विरुद्ध रामाकृष्णपुरम, नई दिल्ली के सैक्टर II में सामान्य पूल के क्वार्टरों के बारे में शिकायत की गई उनके क्वार्टरों के नम्बर, तथा नाम आदि का एक विवरण संलग्न है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—2885/70]**

(ग) और (घ). 29 दिसम्बर, 1969 को रामाकृष्णपुरम के सैक्टर II के 16 क्वार्टरों का एक सामान्य सर्वेक्षण किया गया । जब कभी आवश्यक समझा गया, उप-किरायेदारी की बुरी आदत को रोकने के लिए, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछ-ताछ के अधिकारियों द्वारा अचानक जांच/पूछ-ताछ की गई । 16 मामलों में से, 7 मामलों में उप-किरायेदारी नहीं पाई गई परन्तु 9 मामलों में उप-किरायेदारी का सन्देह है और इन मामलों में जांच के लिए आगे कार्यवाही की जा रही है ।

नई दिल्ली, रामकृष्णपुरम के पार्क के विकास सम्बन्धी कार्य को दिल्ली नगर निगम को सौंपना

3183. **श्री बलराज मधोक** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रामकृष्णपुरम में सैक्टर दो में सार्वजनिक पार्कों तथा इस सैक्टर तक जाने वाली तथा अन्य सड़कों को उनके मंत्रालय ने अभी तक दिल्ली नगर निगम को क्यों नहीं सौंपा है ;

(ख) यदि हां, तो ये पार्क तथा सड़कें कहां-कहां हैं और ये अभी तक निगम को क्यों नहीं सौंपे गये ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन पार्कों तथा सडकों के समुचित रखरखाव तथा मरम्मत के लिए इस सैक्टर के निवासी मंत्रालय से मांग करते रहे हैं और यदि हां, तो उनकी मांगों को अब तक पूरा न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) ये सड़कें तथा पार्क समुचित देखभाल तथा सजाने के लिए कब तक निगम को सौंप दिये जायेंगे ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) पार्क :

रामकृष्णपुरम सैक्टर II में केवल एक पब्लिक पार्क है, जिसको केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने विकसित किया है । इसे अभी दिल्ली नगर निगम को हस्तान्तरित नहीं किया गया है ।

सड़कें :

सम्पर्क मार्गों सहित सड़कें, दिल्ली नगर निगम को हस्तान्तरित की जा चुकी हैं ।

(ख) पार्क :

पार्क रामकृष्णपुरम सैक्टर II में सामुदायिक केन्द्र के निकट प्लाट नं० 5 पर स्थित है । फिलहाल यह निर्णय किया गया है कि सरकार पार्क की देख-रेख करेगी, जिसे विकसित किया जा चुका है , क्योंकि दिल्ली नगर निगम को इसके हस्तान्तरण की शर्तें अभी तय की जानी हैं ।

सडकें :

प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) पार्क :

जी हां । स्थिति उसी प्रकार है जैसी भाग (ख) के उत्तर में बताई गई है ।

सड़कें :

भाग (क) के उत्तर में बताई गई सड़कें, दिल्ली नगर निगम को हस्तान्तरित कर हैं, जो उनकी देख-रेख कर रही है ।

(घ) पार्क :

हस्तान्तरण की शर्तों को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद, पार्क को दिल्ली नगर निगम को देख-रेख के लिए हवाले कर दिया जायेगा ।

सड़कें :

भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

Complaints against Unwanted Sterilisations

3184. **Shri Bansh Narain Singh :** **Shri Ram Gopal Shalwale :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government propose to take stern action against those Surgeons and employees against whom the complaints of sterilization of the unwiling, unmarried and old persons are received ; and

(b) whether it is also proposed to make arrangements in the Family Planning Centres to obviate the sale of contraceptives and other articles stealthily in the market ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) Necessary enquiries are made on receipt of complaints and suitable action is taken against surgeons and others who are found guilty.

(b) Proper account of contraceptives supplied to Family Planning Centres for free distribution, is maintained. Government have received no reports of unauthorised sale of such contraceptives in the market.

दिल्ली में भवन निर्माण सामग्री की चोर-बाजारी

3185. **श्री अदिचन** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नागरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली तथा नई दिल्ली में भवन निर्माण सामग्री विशेष कर ईंटें, इस्पात आदि केवल चोर-बाजारी में ही मिलते हैं ; और यदि हां, तो ये वस्तुएं उचित दामों पर क्यों उपलब्ध नहीं की जाती ;

(ख) दिल्ली में भवन निर्माण सामग्री की भिन्न-भिन्न वस्तुओं के उचित दामों तथा चोर बाजारी के दामों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) क्या इन वस्तुओं के लिये कोई उचित मूल्य वाली दुकानें खोली गई हैं ; और यदि हां, तो कितनी, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) दिल्ली और नई दिल्ली में ईंट सीमेंट निर्धारित कीमत पर उपलब्ध हैं । जहां तक स्टील का सम्बन्ध है, स्टील की कीमत पर कोई वैधानिक नियन्त्रण नहीं है और स्थानीय मार्केट में बढ़ती हुई मांग के कारण स्टील की कीमत बढ़ गई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं हैं । ईंट और सीमेंट निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध है । जहां तक स्टील का सम्बन्ध है सरकार तंगी को कम करने और घरेलू मार्केट के लिए अधिक मात्रा में स्टील देने के उपाय कर रही है ।

Family Planning Work in Rural Areas

3186. **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 768 on the 16th December, 1968 and state ;

(a) whether Government propose to open health Centres also in the rural areas like family Planning centres ;

(b) if so, the broad outlines thereof and if not, the reasons for discriminating the rural and urban people in regard to the provision of medical facilities ;

(c) whether Government propose to take stern action against those surgeons and employees against whom the complaints of sterilizing the unwilling, unmarried and old persons are received ; and

(d) whether it is also proposed to make arrangements in Family Planning Centres to obviate the sale of contraceptives and other articles stealthily in the market.

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) and (b). According to the present set up for health and family planning services there is a Primary Health Centre and a Rural Family Welfare Planning Centre as its annexe for each Development Block, which provide integrated medical, public health, family planning and Maternity and Child Health services. There is a also sub-centre for every 10,000 population for providing integrated Maternity and Child Health and Family Planning services. So far, 4,930 Primary Health Centres, with 4,907 Rural Family Welfare Planning centres, and 24,762 Sub-centres have been opened.

(c) On receipt of complaints necessary enquiry is conducted and suitable disciplinary action is taken against the delinquent doctors etc.

(d) The Central Government supplies conventional contraceptives at the district level in the States. Thereafter the State Government is responsible for distribution to the receipient through the Family Planning centres and to keep proper account thereof. Government have no information regarding surreptitious sale of contraceptives in the market.

भारतीय तथा विदेशी स्वामित्व तथा नियन्त्रण वाले बैंक

3187. **श्री निहाल सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय स्वामित्व और नियन्त्रण वाले बैंकों की कुल पूंजी कितनी है ;

(ख) विदेशी स्वामित्व तथा नियन्त्रण वाले बैंकों की कुल पूंजी कितनी है ; और

(ग) पी० एल० 480 निधियों में से कितनी राशि अमरीकी बैंकों को दी गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) भारतीयों की मिलकियत के

और उनके द्वारा नियंत्रित वाणिज्य बैंकों की कुल चुकता पूंजी 31 दिसम्बर, 1968 को 46.62 करोड़ रुपया थी ।

(ख) चूंकि भारत में काम करने वाले विदेशी बैंक, विदेशों में निगमित बैंकों की केवल शाखाएं हैं इसलिए उनके भारतीय कारबार के सम्बन्ध में, उनकी कोई चुकता पूंजी नहीं है । फिर भी बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11 (2) के उपबन्धों के अनुसार, विदेशी बैंकों के लिए यह जरूरी है कि वे चुकता पूंजी के बदले, रिजर्व बैंक में नकदी अथवा भार रहित अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में कुछ रकम जमा रखें । भारत में काम करने वाले 13 विदेशी बैंकों द्वारा इस प्रकार जमा करायी गयी कुल रकम 13 जून 1970 को 6.13 करोड़ रुपया थी ।

(ग) भारत में काम कर रहे अलरीकी बैंकों को पी० एल० 480 से सीधे कोई रकम नहीं दी गयी है । लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूतावास को, भारत में जमा अपनी रुपया-राशियों में से, कुछ शर्तों के अधीन, अमरीकी बैंकों में मीयादी जमा के रूप में रकमें रखने की अनुमति दी गयी है । इस प्रकार की जमा रकमें, 26 दिसम्बर, 1969 को 63.12 करोड़ रुपया थी ।

Uniforms to Firemen Working in Parliament House

3188. **Shri P. C Adichan** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Firemen working in Parliament House have been provided neither summer nor winter uniforms, whereas in the rules it is laid down that uniforms be provided to them in time ;

(b) whether it is also a fact that the uniforms have already been distributed in Rashtrapati Bhawan, Central Secretariat, Publication Division but the uniforms have not been distributed in Parliament House so far despite the fact that they are all part of the same circle ; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) No, Sir. The Firemen working in Parliament House have been provided with summer as well as winter uniforms.

(b) No, Sir. Uniforms have already been supplied to the Fire Staff of C. P. W. D.

(c) Does not arise.

मनीपुर सरकार के अधीन कार्य करने वाले चिकित्सा स्नातकों को सुविधाएं

3189. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन डाक्टरों को आगे अध्ययन करने की सुविधाएं देती है जिन्हें चिकित्सा स्नातक होने के नाते मनीपुर सरकार के अधीन नियुक्त किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो वे क्या सुविधाएं हैं ;

(ग) यदि उक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार के अधीन डाक्टरों को ऐसी कोई सुविधाएं नहीं दी जाती हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास और नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां ।

(ख) मनीपुर सरकार के अधीन नियुक्त चिकित्सा स्नातकों को प्रतिनियुक्ति आधार पर अथवा छुट्टी लेकर स्नातकोत्तर अध्ययन करने की अनुमति दी जाती है ।

(ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

मनीपुर में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं

3190. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर में तथा इसके दूरस्थ कस्बों में स्टेट बैंक आफ इंडिया अथवा राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलने के लिये कार्यवाही की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी योजना क्या है ; और

(ख) यदि उपरोक्त (क) भाग का उत्तर "नहीं" हो तो इस कार्य में क्या कठिनाइयां हैं और उन्हें दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). युनाइटेड बैंक आफ इंडिया को संघीय राज्य क्षेत्र मणिपुर में चुरचन्दपुर, जीरीबाम, उखरूल और तमेनगढ़ में अपनी शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस दे दिये गये हैं और आशा है कि 1970 के अंत से पहले ही ये शाखाएं खुल जाएंगी । "बैंक नेतृत्व" (लीड बैंक) योजना के अन्तर्गत बैंककारी क्षमताओं और ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं का जोरदार सर्वेक्षण करने के लिए, संघीय राज्य क्षेत्र मणिपुर युनाइटेड बैंक आफ इंडिया को सौंपा गया है । नेता बैंक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उस क्षेत्र में बैंकों के संघ का नेतृत्व करेगा और शाखाएं खोलने के स्थानों का पता लगाकर, संघीय राज्य क्षेत्र में काम करने वाले अन्य बैंक के सहयोग से उन स्थानों पर शाखाएं खोलेगा ।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न तथा मध्यम आय के वर्ग के लिए विकसित भूमि का नियतन

3191. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकार निम्न तथा मध्यम आय वाले लोगों को मकान बनाने हेतु विकसित भूमि देने के लिए 22 क्षेत्रों का विकास कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कि 22 स्थानों पर भूमि का विकास किया जा रहा है ;

(ग) क्या इन सभी स्थानों पर आयवर्ग की उक्त दोनों श्रेणियों को भूमि दी जायेगी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) विकास प्राधिकार द्वारा विकास पर प्रति एकड़ कितनी लागत आती है अथवा आयेगी और प्रयोक्ताओं को इतनी अधिक दर पर भूमि बेचने के क्या कारण हैं जबकि भूमि का क्रय मूल्य नाम मात्र है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) तथा (ख). 22 क्षेत्रों में से दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 16 रिहायशी कालोनियां पहले ही विकसित कर ली हैं और अन्य 6 रिहायशी कालोनियों का विकास निम्नकथित रूप से किया जा रहा है।

(i) पहले विकसित हो चुकी हैं।

1. नजफगढ़ रोड
2. सफदरजंग
3. नारायना
4. ईस्ट आफ कैलाश—प्रथम चरण
5. ईस्ट आफ कैलाश—दूसरा चरण
6. झिलमिल—प्रथम चरण
7. झिलमिल—दूसरा चरण
8. फ्रेंडज कालोनी—प्रथम चरण
9. फ्रेंडज कालोनी—दूसरा चरण
10. मसजिद मोठ
11. वजीरपुर—प्रथम चरण
12. वजीरपुर—दूसरा चरण
13. वजीरपुर—तीसरा चरण
14. रोहतकरोड (पश्चिम पुरी)
15. पंखा रोड
16. मालवीय नगर

(ii) विकसित की जानी प्रस्तावित हैं

17. शालीमार बाग
18. पीतम पुरा
19. बुधेला गांव
20. दिलशाद गार्डन, शाहदरा
21. गोंडा गांव
22. हरि नगर, घंटा घर के पास का क्षेत्र, जो जोन जी-8 में पड़ता है।

(ग) भाग (क) (i) में उल्लिखित योजनाओं में या तो आवंटित कर दिये गए हैं या निम्न तथा मध्यम आय वर्ग के लोगों को पूर्व निर्धारित दर पर आँवटित किये जाएंगे, सिवाये ईस्ट आफ कैलाश के उन मामलों में जहां सभी प्लाट वैकल्पिक आवंटनों के लिये हैं और फ्रेंडस कालोनी के जहां सभी प्लाट नीलाम किये जाने हैं।

(घ) अर्जित की गई भूमि अविकसित होती हैं। इसके विकास पर खर्च किया जाता है, जो प्रत्येक स्कीम में पृथक-पृथक होता है। कुल क्षेत्र का लगभग 55 से 60 तक ऐसे उपयोगों में लाया जाता है, जिससे धन प्राप्त नहीं होता, जैसे कि सड़कें, खुले स्थान, सामुदायिक सुविधाओं आदि। इस प्रकार कुल भूमि का केवल 40 से 45 बेचने के लिए उपलब्ध होता है। अर्जन, विकास आदि की सारी लागत को इस कम हुए क्षेत्र पर फैलाना आवश्यक हो जाता है ; इसलिए विकसित भूमि की लागत और इसके विक्रय मूल्य में अन्तर है।

निषिद्ध वस्तुओं की देश में ढुलाई को रोकने के उपाय

3192. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) निषिद्ध वस्तुओं की देश में ढुलाई को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ख) वर्ष 1969 में इस दिशा में कितनी सफलता मिली है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) निषिद्ध माल को देश से होकर लाने ले जाने वाले (मार्गस्थ) जलयानों अथवा वायुयानों पर सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा निगरानी रखी जाती है जिससे कोई भी माल अनधिकृत तौर पर नहीं उतारा जाय। जिस मामले में ऐसा माल एक जहाज से दूसरे जहाज पर ले जाना होता है, उसमें माल को सीमाशुल्क अधिकारियों के पास मुनासिब तौर पर दज करना होता है और पैकेजों के वास्तविक मिलान के बाद सीमाशुल्क अधिकारियों की निगरानी में यानान्तरण की अनुमति दी जाती है।

जब देश से होकर माल ले जाते समय अनधिकृत रूप से माल के हटाने अथवा तस्कर व्यापार की कोशिशों के सम्बन्ध में सूचना अधिकारियों के पास होती है तो वे संबन्धित जलयान अथवा वायुयान की तलाशी भी लेते हैं जिससे निषिद्ध माल का पता चल जाय और माल तथा सम्बन्धित व्यक्तियों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जाय।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

लंका द्वीप और भारत के पूर्वी तट के आस-पास तेल की खोज के लिए सर्वेक्षण करने के लिए 'इकाफे' द्वारा सिफारिशें

3193. **श्री दे० अमात :**
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशिया एवं सुदूर पूर्व सम्बन्धी आर्थिक आयोग ने हाल ही में यह सिफारिश

की है कि लंकाद्वीप और भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी तट, विशेषकर उड़ीसा तथा अन्दमान द्वीप समूह के आस पास के चट्टानी क्षेत्रों की खोज लगातार भूकम्पीय प्रोफाइलिंग विधि से, पर्याप्त शक्तिशाली शक्ति स्रोत के साथ की जानी चाहिए, जिससे तेल की खोज के लिए तलछटी क्षेत्र में गहराई में पता लगाया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो इस सिफारिश को ध्यान में रखते हुए पूर्वी तट के चट्टानी क्षेत्र में तेल मिलने की संभावना का पता लगाने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वा० रा० चव्हाण) : (क) सरकार को ऐसी सिफारिश की जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय चलचित्रों का चोरी छिपे दक्षिण अफ्रीका में ले जाये जाना

3194. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय चलचित्रों का दक्षिण अफ्रीका को अवैध रूप से निर्यात करके विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, प्रशुल्क अधिनियम तथा निर्यात नियंत्रण अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने के कारण हांग कांग की यू० एस० एक्सपोर्ट कारपोरेशन के मालिक उत्तमचन्द एस० निहालनी को 2 फरवरी, 1969 को बम्बई में गिरफ्तार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो किन भारतीय चलचित्रों का निर्यात किया गया तथा उनके निर्माताओं के नाम क्या हैं और इन चलचित्रों से सरकारी राजस्व की तथा निर्माताओं को कितनी हानि हुई है ;

(ग) उनका कार्य करने का तरीका क्या है और इस जानकारी में कौन-कौन से चलचित्र निर्माता अन्तर्ग्रस्त हैं, उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या उत्तमचन्द निहलानी के पारपत्र को निलम्बित कर दिया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) 11 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2922 के उत्तर में भारतीय चलचित्रों को चोरी छिपे दक्षिण अफ्रीका ले जाये जाने के बारे में सरकार द्वारा साफ इंकार कर दिये जाने का क्या कारण था ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम के प्रथम दृष्ट्या उल्लंघन के आरोप में मैसर्स यू०एस० एक्सपोर्ट कारपोरेशन हांगकांग के मालिक श्री यू० एस० निहालनी को प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों द्वारा 2 फरवरी 1970 को गिरफ्तार किया गया था क्योंकि इस कम्पनी ने, हांगकांग और कुछ अन्य स्वीकृत क्षेत्रों में प्रदर्शन के लिए भारत से कुछ हिन्दी और तामिल चत्रचित्रों का आयात किया था, और जिनके बारे में यह विश्वास है कि उन्हें बाद में दक्षिण अफ्रीका में प्रदर्शन के लिए भेज दिया गया । इस

मामले में आगे जांच-पड़ताल जारी है। ऐसी स्थिति में और ब्यौरे बताना जांच-पड़ताल के हित में नहीं होगा। यदि किसी अन्य कानून का कोई भी उल्लंघन हुआ हो तो वह चल रही जांच-पड़ताल के पूरी होने पर ही स्पष्ट हो सकेगा। भारत से निर्यात किये जाने वाले चलचित्रों पर कोई सीमाशुल्क नहीं लगता है इसलिए सरकार को राजस्व की हानि का प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) श्री यू० एस० निहालनी को ब्रिटेन का पारपत्र मिला हुआ है अतः उसे भारत सरकार द्वारा 'निलम्बित' नहीं किया जा सकता।

(ङ) प्रश्न संख्या 2922 का उत्तर लोक सभा में 11 अगस्त 1969 को दिया गया था और तब तक इस प्रश्न के भाग (ग) में उल्लिखित श्री यू० एस० निहालनी का मामला पकड़ा नहीं गया था।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में (प्रश्न)

RE. CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री की प्रधान मंत्री तथा गृह-कार्य मंत्री के साथ अनौपचारिक भेंट को ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का विषय बनाया जा सकता है? क्या अब इसके दायरे को बढ़ाया जा रहा है?

श्री नाथ पाई (राजापुर) : केन्द्रीय सरकार तथा राज्य मंत्रियों के बीच होने वाले विचार-विमर्श पर आधारित ध्यान आकर्षण प्रस्तावों की पहले कभी अनुमति नहीं दी गई है। इसीलिए प्रश्न उठता है कि क्या ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के दायरे को अब बड़ा किया जा रहा है? यह तो एक नई परम्परा है जिसे कायम किया जा रहा है। अपदी गद्दी को बनाये रखने के लिए कुछ मुख्य मंत्रियों की दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के किसी न किसी मंत्री से प्रायः भेंट होती ही रहती है, तो इन परिस्थितियों में क्या भविष्य में होने वाले अनौपचारिक विचार-विमर्श को लेकर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किये जा सकेंगे?

श्री हेम बरुआ : मैं इस ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का विरोध नहीं करना चाहता हूँ किन्तु यह जानना चाहता हूँ कि क्या मुख्य मंत्रियों तथा प्रधान मंत्री के बीच होने वाली भेटों को ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के दायरे में लाने के लिए इसका दायरा अब बढ़ाया जा रहा है? अब जम्मू तथा काश्मीर के मुख्य मंत्री यहां आये हुए हैं, क्या इस विषय पर भी चर्चा करने की अनुमति दी जायेगी?

अध्यक्ष महोदय : आप ने जो प्रश्न उठाया है वह बहुत ही सराहनीय है। मैं भी यही महसूस करता हूं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो संसदीय वाद-विवाद से बच सकता हो। पहले हरियाणा के मामले को सभा में उठाये जाने के बारे में काफी विचार-विमर्श हुआ था। अब काश्मीर के मामले को भी इस सभा में उठाये जाने की अनुमति देने के लिए कहा जा रहा है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Atleast I have never objected to or opposed any. matter being discussed in this House. Each and evey thing shoule be discussed here.

अध्यक्ष महोदय : इस संबंध में कुछ विशिष्ट सुझाव देने के लिए नियम समिति की एक बैठक 18 मार्च को बुलाई गई है। नियम तो तो बने हुए हैं परन्तु उनका पालन नहीं हो रहा है। कुछ सदस्य नियमों की अवहेलना करना आरम्भ कर देते हैं जिससे हम सबको बड़ी परेशानी होती है। तथापि वर्तमान ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा की जा सकती है।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : I do not agree to what Shri Nath Pai has stated. The speaker is fully competent to allow or disallow any discussion. There is no rule about such matter. It depends on the importance of any meeting. This House should be entitled to discuss this matter.

श्री पीलु मोडी (गोधरा) : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के दायरे को बढ़ाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है।

श्री हेम बरुआ : आपकी सक्षमता को चुनौती देने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है।

श्री नाथ पाई : आप की सक्षमता को कोई चुनौती नहीं दी गई है। मैं तो केवल यह पूछ रहा था कि इस सम्बन्ध में पहले क्या प्रक्रिया अपनायी जाती रही है। यहां 17 मुख्य मंत्री हैं और इनमें से कोई न कोई मुख्य मंत्री दिल्ली में आया ही रहता है।

श्री कंवर लाल गुप्त : यह तो परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

बंगला कांग्रेस के नेताओं की प्रधानमन्त्री तथा गृह-कार्य मन्त्री के साथ भेंट

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : श्रीमान मैं प्रधान मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें।

> "बंगला कांग्रेस के नेताओं की प्रधान मंत्री तथा गृह-कार्य मन्त्री के साथ हाल में हुई भेंट तथा पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री का त्यागपत्र देने का कथित निश्चय"

हमें आशा थी कि इस प्रधान मंत्री से इस विषय पर एक लिखित विवरण प्राप्त होगा परन्तु खेद है कि ऐसा नहीं किया गया है।

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवंत राव चव्हाण) : बंगला कांग्रेस के एक अन्य नेता सहित पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने.....

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने प्रधान मंत्री से वक्तव्य देने की प्रार्थना की है। गृह-कार्य मंत्री बीच में कैसे आ गये हैं ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिर गांधी) : इसे मैं ही पढ़ देती हूं। इसमें कोई लम्बी चौड़ी बात ही नहीं है।

बंगला कांग्रेस के अन्य नेताओं सहित पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री की मेरे तथा गृह-कार्य मंत्री के साथ 12 मार्च को भेंट हुई थी। मुख्य मंत्री ने हमें पश्चिम बंगाल में स्थिति से आगाह किया था और इसके साथ-साथ बंगला कांग्रेस के इस निर्णय की भी सूचना दी थी कि अब मुख्य मंत्री को त्यागपत्र दे देना चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : समाचार-पत्रों से मालूम हुआ है कि पश्चिम बंगाल के राज्य पाल किसी दल की बहुसंख्या का प्रमाण चाहते हैं। परन्तु 1962 में जब मद्रास विधान सभा में संयुक्त लोकतंत्रात्मक मोर्चे के सदस्यों की संख्या 172 थी और कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 152 थी, तो उस समय राज्यपाल ने बहुसंख्या का कोई भी प्रमाण लिये बिना ही एकल बहुसंख्यक कांग्रेस दल को ही सरकार बनाने का आमंत्रण दिया था और उनकी बहुसंख्या का परीक्षण विधान सभा में कोई 1½ महीने बाद हुआ। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल में एक बहुसंख्यक दल के नेता श्री ज्योति बसु को ही आमंत्रित किया जाना चाहिए क्योंकि उसने तो विधान सभा में अपनी बहुसंख्या का परीक्षण दो ही दिन में कराने का प्रस्ताव किया है। इस सम्बन्ध में अब कोई नई प्रथा नहीं कायम की जानी चाहिए।

श्री कंवर लाल गुप्ता (दिल्ली सदर) : अभी तो मुख्य मंत्री ने त्यागपत्र दिया ही नहीं है। अतः सरकार बनाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को आमंत्रित करने का अभी प्रश्न ही नहीं उठता है। ये सभी काल्पनिक प्रश्न हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : प्रधान मंत्री ने श्री ज्योति बसु को जो यह कहा है कि वहां पर 1972 से पहले चुनाव नहीं हो सकते चाहे विधान सभा को भंग ही क्यों न कर दिया जाये, यह किस प्राधिकार के अन्तर्गत कहा गया है ? दूसरी बात यह है कि पश्चिम बंगाल के गृह-कार्य मन्त्री की जानकारी के बिना वहां पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा सेना तैनात की जा रही है। यह सब श्री यशवंत राव चव्हाण तथा श्री अजय मुकर्जी मिलकर कर रहे हैं। क्या वह इसकी पुष्टि अथवा इसका खण्डन करेंगी ?

Shri Om Prakash Tyagi (Moradabad) : In a point of order, Sir. This has nothing to do with the calling Attention Motion...*(Interruptions)*

Shri Kanwar Lal Gupta : The question is that the chief-Minister has not get resigned. There is no question of inviting anybody. These are all hypothetical questions.

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर) : जब मुख्य मन्त्री ने अभी त्यागपत्र ही नहीं दिया है, तो ये सब प्रश्न क्यों उठाये जा रहे हैं ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा है उसका मेरे विवरण से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : प्रधान मन्त्री ने श्री ज्योति बसु से कहा है कि 1972 से पहले

चुनाव नहीं कराये जायेंगे चाहे विधान सभा को भंग ही क्यों न कर दिया जाये । यह उन्होंने किस प्राधिकार के अन्तर्गत कहा है ?

अध्यक्ष महोदय : जब प्रधान मन्त्री ने यह कह दिया है कि इन प्रश्नों का उनके विवरण के साथ कोई सम्बन्ध नहीं, है तो माननीय सदस्य इन प्रश्नों के बारे में इतना आग्रह क्यों कर रहे हैं ।

Shri Sitaram Kesari (Katihar) : Did the Chief-Minister of west Bangal apprise the Prime Minister of the situation prevailing there. in which workers of one party are killing the workers of the other parties and people are being terrorised so much so that they have to remain indoors after the sum-set and democracy has been murdered. If so, what action the Government propose to take to remedy the situation of lawlessness let loose by the anti-democratic forces ?

श्री ई० के० नायनार (पालघाट) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । अगले दिन जब केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के मामले को लेकर केरल में हुई घटनाओं पर चर्चा करने की अनुमति इसलिए नहीं दी गयी थी कि यह उस राज्य का आन्तरिक मामला है, तो अब पश्चिम बंगाल की आन्तरिक समस्याओं पर चर्चा करने की आप अनुमति क्यों दे रहे हैं ? इस सम्बन्ध में भिन्न प्रक्रिया अपनाने के क्या कारण हैं ?

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया (जालौर) पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री ने अभी त्यागपत्र ही नहीं दिया हैं, अत: सदस्य को पश्चिम बंगाल में उत्पन्न हुई स्थिति की चर्चा करने का पूरा अधिकार है ।

श्री प० गोपालन (तेल्लीचेरी) : यदि सभा में कोई प्रस्ताव लाया जाए और पश्चिम बंगाल अथवा केरल में विधि तथा व्यवस्था की समस्या पर विचार किया जाए, तो हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है । परन्तु पश्चिम बंगाल में विधि तथा व्यवस्था की स्थिति को लेकर इस समस्या विशेष पर कैसे चर्चा की जा सकती है ?

अध्यक्ष महोदय : परन्तु प्रधान मन्त्री द्वारा दिये गये उत्तर में से उठाई गई बातों को नहीं रोका जा सकता है ।

Shri Sitaram Kesari : Sir the Home Minister has not yet given any reply to any question about the prevailing situation in west Bangal about which he has been apprised of by the Chief-Minister. Is our apprehention about the situation correct ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मुख्य मंत्री ने हमें वही बताया है जो उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था और कोई कार्यवाही करने का अभी हमें कोई अवसर ही नहीं मिला है ।

श्री ई० के० नायनार : प्रधान मन्त्री द्वारा पश्चिम बंगाल के बारे में एक बयान कोचीन में क्यों जारी किया गया था ? यह 'इण्डियन एक्सप्रैस' में प्रकाशित हुआ है ।

श्री स० कुन्डू (बालासौर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । यदि कोई विशिष्ट प्रश्न पूछा जाता है, तो उसका उत्तर भी विशिष्ट ही होना चाहिए । गृह-कार्य मन्त्री ने अभी बताया है कि

मुख्य मन्त्री से उन्हें वही कुछ बताया था जो उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था। क्या इसका हमें पता होना जरूरी है कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से क्या कहा था। यह उत्तर नियमों के अनुसार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री बेदब्रत बरुआ (कलियाबोर) : यह एक अच्छी बात है कि प्रधान मन्त्री ने पश्चिम बंगाल में बिगड़ी हुई स्थिति का निवारण करने के लिए पहल की है क्योंकि इस सभा तथा सरकार का कर्त्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करे कि वहाँ एक अच्छी सरकार बने। इसी संदर्भ में प्रधान मन्त्री ने श्री अजय मुकर्जी से जब मिलने का अनुरोध किया था, तो उस समय उनके मन में क्या था।

क्या सरकार वहां पर अशान्ति को दूर कर एक अच्छी सरकार बनाने के उद्देश्य से वहां के सभी नेताओं की एक बैठक बुला कर इसमें उन का सहयोग प्राप्त करने पर विचार कर रही है ?

श्रीमती इन्दिरा गाँधी : मेरे मन में कोई दुर्भावना नहीं थी। पश्चिम बंगाल के नेताओं के साथ भेंट का उद्देश्य केवल इस बात का पता लगाना था कि पश्चिम बंगाल की स्थिति के बारे में वे क्या सोचते हैं।

श्री ई० के० नायनार : आपने कोचीन में एक बयान दिया था...

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैंने कोई बयान नहीं दिया था। हां यह हो सकता है कि मैंने हवाई अड्डे पर अथवा किसी अन्य स्थान पर मेरे से पूछे गये प्रश्नों का उत्तर दिया हो।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या प्रधान मन्त्री अथवा गृह-कार्य मन्त्री यह कह कर कि वहां पर सब ठीक है, इस सभा को गुमराह कर सकते हैं। कल को वहां पर कोई गम्भीर घटना हो जाये जिसमें कई जानें चली जाय, तो प्रधान मन्त्री और गृह-कार्य मन्त्री का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वे इस सभा को तथा देश को वहां की वास्तविक स्थिति से आग्राह करें।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया (जालौर) : पश्चिम बंगाल की समस्या विधि तथा व्यवस्था की एक साधारण समस्या है। वहाँ पर सत्ताधारी दलों तथा उस राज्य के गृह-विभाग ने संविधान को समाप्त करने का एक षडयन्त्र रचा हुआ है जिस में विदेशों का भी हाथ है। क्या पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री तथा गृह-कार्य मंत्री से विचार-विमर्श करते समय इस बात की पुष्टि की थी कि वह वहां पर विधि तथा व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रण में नहीं रख सकते हैं ? क्या यह भी सच है कि पिछले 11 महीनों में वहां पर 800 हत्या तथा 900 डकैतियों के मामले हुए हैं और यदि ऐसा हुआ है तो केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में अभी तक क्यों कोई कार्यवाही नहीं की है ? इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस मामले में रूस और चीन का हाथ है, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय पर कार्यवाही करने में विलम्ब करने के क्या कारण हैं ? क्या केन्द्रीय सहकार ने दोनों साम्यवादी दलों के बीच समझौता कराने का यत्न किया है ? क्या चूंकि सरकार

को वहां पर सत्ताधारी साम्यवादी दल से खतरा है इसलिए अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ? क्या सरकार यह आश्वासन देने के लिए तैयार है कि वहाँ पर राष्ट्रपति का शासन लागू किये जाने पर सरकार मध्यावधि चुनाव कराने में जल्दी न करके वहां पर स्थिति को सामान्य होने देगी ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मुख्य मंत्री के साथ विधि तथा व्यवस्था के बारे में ब्यौरे-वार तो कोई बातचीत नहीं हुई थी ।

यह भी सच नहीं है कि मैंने दोनों साम्यवादी दलों के बीच कोई समझौता कराने का कोई यत्न किया है ।

यदि राष्ट्रपति का शासन लागू किया गया, तो मुझे विश्वास है कि वहां पर विधि तथा व्यवस्था को बनाये रखने के लिए पूरी कार्यवाही की जायेगी ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : गृह-कार्य मन्त्री तथा केन्द्रीय सरकार किस लिए है, यदि वे ऐसी स्थिति में भी कोई कार्यवाही करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर वे कब कोई कार्यवाही करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जायें ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया (जालौर) : यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, वह विभाजन रेखा का है जिस पर केन्द्रीय सरकार को कार्य करना चाहिए ।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : प्रधान मन्त्री इस का उत्तर देने के लिये तैयार हैं । पश्चिम बंगाल की स्थिति दूसरे विएतनाम का रूप धारण कर रही है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हमने बार बार कहा है कि निसंदेह पश्चिम बंगाल की स्थिति से हम सब चिन्तित हैं और यह गम्भीर है, परन्तु केन्द्रीय सरकार से ऐसी आशा नहीं की सकती है कि वह तुरन्त ऐसे मामले को अपने हाथ में ले । वहां लोकतंत्र द्वारा निर्मित विधान कार्य कर रहा है । सरकार के समक्ष किसी विशेष स्थिति से निबटने के लिए कोई मापदण्ड या गणितीय सूत्र विद्यमान नहीं हो सकता है । यह तो स्थिति का राजनीतिक मूल्यांकन करने का प्रश्न है आप मुझसे असहमत हो सकते हैं परन्तु यह वास्तविक स्थिति है ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I want to ask from the Prime Minister whether it is a fact that she encouraged Shri Ajoy Mukerjee to fight against Marxist Communists but with drew her support when Shri Ajoy Mukerjee's Government had fallen in trouble.

Secondly in her speech at Bangalore or Cochin she accused the Organisation Congress for supporting their Marxists in Kerala and West Bengal as reported in the newspaper. May I know whether it means that she thinks herself enemy of the Marxists. Thirdly, whether the Prime Minister had united Shri Jyoti Basu for talks in Delhi and Shri Jyoti Basu declined to do so. I want a answer of these questions.

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैंने पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री के कार्य में हस्तक्षेप नहीं किया है । वे वहां के मुख्य मन्त्री हैं और यह उन पर निर्भर करता है कि वे संयुक्त मोर्चा के घटकों के साथ स्थिति का सामना करें ।

दूसरे जो यह कहा गया है कि मैंने यह आरोप लगाया था कि संगठन कांग्रेस मार्क्सवादियों का साथ दे रही है, यह बात मैंने पश्चिम बंगाल और केरल में सुनी थी और ऐसा ही मैंने कहा था ।

प्रश्न के तीसरे भाग के बारे में मुझे यह कहना है कि मैंने श्री ज्योति बसु से दूरभास (टेलीफोन) पर बात की थी क्योंकि उनके बारे में विभिन्न अटकलें लगायी जा रही थी और मैं इसका स्पष्टीकरण चाहती थी । उन्होंने कहा था कि चूंकि इसमें बहुत से दल मिले जुले हैं अतएव सभी को दिल्ली बुलाया जाये तो मैंने कहा कि यह असंभव है । इस पर उन्होंने कहा कि फिर आप ही यहां क्यों नहीं आ जाते ।

Shri Madhu Limaye : My question has not been replied. I asked about the basis on which she had made allegations. (*Interruption*)

श्री बलराज मधोक : संसद् के एक महत्वपूर्ण दल के विरुद्ध यह एक गम्भीर आरोप है और उन्हें बताना चाहिए कि किस आधार पर उन्होंने ऐसा कहा है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : प्रधान मन्त्री ने कोचीन में एक स्पष्ट वक्तव्य दिया था परन्तु अब उनका कहना है कि किसी ने उन्हें यह बताया था । प्रधान मन्त्री द्वारा इस प्रकार के आरोप को पुष्ट न करना देश के लिए अनुचित है वे इस प्रकार आधारहीन आरोप लगाकर बच नहीं सकती ।

Shri Madhu Limaye : I want my reply regarding the basis of that allegation and whether she thinks herself an enemy of Marxists. (*Interruption*)

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : समाचार पत्र के आधार पर जनरल करिअप्पा का वक्तव्य का मामला यहां उठाया गया था । आप समझते हैं कि प्रधान मन्त्री इस प्रकार के आरोप लगाकर बच सकती हैं ।

Shri Madhu Limaye : Under rule 41, I have a point of orders. I have asked a question under that rule. I have asked that on what basis this allegations was made and it must be replied to.

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैंने कोई आरोप नहीं लगाया । मैंने यह कहा था कि ऐसी बात मैंने सुनी थी, जहां तक मेरा किसी दल के साथ दुश्मनी का प्रश्न है । मैं यह कहना चाहती हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है, यह नीतियों का प्रश्न है । मैं कभी-कभी अन्य दलों की भी आलोचना करती हूं । जब मैं देखती हूं कि कोई दल कोई विशेष कार्य गलत कर रहा है तो मैं उस कार्य की आलोचना करती हूँ ।

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : प्रधान मन्त्री राज्य के खर्चे पर कोचीन जाती हैं और इसी प्रकार खाद्य मन्त्री भी गुजरात जाते हैं और वहां की सरकारों को गिराने के बारे में बातचीत करते हैं । यह बहुत आपत्तिजनक बात है । कांग्रेस (इंडीकेट) के कारण ही पश्चिम बंगाल में यह सब अव्यवस्था फैली है ।

———

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति ।

(एक) (क) हिन्दुस्तान आर्गनिक कैमिकल्स लिमिटेड, रासायनी, के वर्ष 1968-69 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ख) हिन्दुस्तान आर्गनिक कैमिकल्स लिमिटेड, रासानी, का वर्ष 1968-69 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(दो) (क) इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेश्यूटिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1968-69 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ख) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मेश्यूटिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 1968-69 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम, 1951, की धारा 7 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत, भेषज तथा औषध-निर्माण की विकास परिषद् के वर्ष 1968-69 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947, की धारा 27 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, गैर-निवासी (वैदेशिक) लेखे नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 21 फरवरी, 1970, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० में प्रकाशित हुए थे ।

(2) अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951, की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत, सिविल सेवा (दूसरा संशोधन) विनियम, 1970, की एक प्रति, जो दिनांक 7 फरवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 399 में प्रकाशित हुए थे ।

(3) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944, की धारा 38 के अन्तर्गत, केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (चौथा संशोधन) नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 31 जनवरी, 1970 (अंग्रेजी संस्करण) और

28 फरवरी, 1970 (हिन्दी संस्करण) के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 183 में प्रकाशित हुए थे ।

(4) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 261, 262 और 264 की एक-एक प्रति, जो दिनांक 20 फरवरी, 1970 (अंग्रेजी संस्करण) और 7 मार्च 1970 (हिन्दी संस्करण) के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1969-70
SUPPLEMENTARY DEMAND FOR GRANTS (GENERAL) 1969-70

(विवरण प्रस्तुत किये गये)

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं वर्ष 1969-70 के बजट (सामान्य) संबंधी अनुपूरक अनुदानों की मांगों का एक विवरण प्रस्तुत करता हूँ ।

सदस्य द्वारा त्याग पत्र
RESIGNATION OF MEMBER

(श्री बी० भगवती)

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचना देनी है कि लोक सभा के लिये असम के तेजपुर चुनाव क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री भगवती ने लोक सभा में अपने स्थान से दिनांक 15 मार्च, 1970 को त्यागपत्र दे दिया है ।

नियम 377 के अन्तर्गत मामला
MATTER UNDER RULE 377

सभा में सदस्यों के बैठने की व्यवस्था

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : नियम 377 के अधीन मैं आपसे कांग्रेस (संगठन) के नेता डा० राम सुभग सिंह तथा उनके दल के एक सदस्य श्री शिव नारायण द्वारा यहां सभा में दिनांक 13-3-70 को कही गई बात 'कि अमुक स्थान पर उपाध्यक्ष महोदय का बैठना उचित नहीं है तथा यह स्थान विपक्षी सदस्यों के लिए है उपाध्यक्ष महोदय के लिए नहीं ? आपका निर्णय चाहता हूँ । मैं उनके नेतृत्व के दीवालिए पन पर चकित हूँ जो कि यहां सभा में केवल गद्देदार कुर्सी पर बैठने के विषय पर ही बोलने आये हैं । प्रक्रिया के अनुसार उपाध्यक्ष महोदय को अध्यक्ष महोदय की कुर्सी के बायें ओर सामने वाली पंक्ति में प्रथम कुर्सी दी जाती है तथा इसके बाद वाली कुर्सी विपक्ष के नेता को । मैं उन सदस्यों की बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए इस सम्बन्ध में आपके निर्णय का अनुरोध करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : उपाध्यक्ष महोदय तथा अन्य कई माननीय सदस्यों ने भी मुझे इस बारे में लिखा है। आप यह बात मुझ पर छोड़िये। स्थानों का आवंटन मेरे स्वविवेक से होता है। इससे पूर्व भी यह प्रश्न उठाया गया था और मैंने सारी स्थिति स्पष्ट की थी। मैंने डा० राम सुभग सिंह को भी बताया था। यह पहले से चली आ रही प्रक्रिया है और बाईं ओर पहली कुर्सी पर उपाध्यक्ष महोदय ही बैठेंगे। यही प्रक्रिया अन्य सब जगहों पर चलती है।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : इससे पूर्व कि आप इस विषय पर कोई निर्णय कर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह प्रक्रिया वहां की संसद अथवा विधान सभाओं में अपनाई जाती है जहां विपक्ष का कोई मान्यता प्राप्त नेता नहीं है। हमारे यहाँ भी विपक्ष के नेता पहले नहीं था। सर्वप्रथम आपने ही इस लोकतांत्रिक संसद के विपक्ष के नेता को मान्यता दी है। इस स्थिति में क्या यह उचित होगा कि उपाध्यक्ष को वह स्थान दिया जाये जो हर विचार से विपक्ष के उपयोग के लिये होता है।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : मैं श्री द्विवेदी के विचारों से सहमत हूं। मैं आपको इस बारे में पत्र भी लिख चुका हूं कि आप उपाध्यक्ष महोदय को विपक्ष की ओर स्थान देने की प्रक्रिया को बदल दें और वहाँ विपक्ष के नेता को स्थान दें। अब आप स्वयं इस पर विचार करके अपने निर्णय में तथा शीघ्रातिशीघ्र इस व्यवस्था में परिवर्तन करें।

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : आपने कहा है कि यह प्रक्रिया रही है कि उपाध्यक्ष महोदय को विपक्ष की ओर की पहली कुर्सी दी जाती है। उस समय विपक्ष का कोई नेता नहीं होता था अब जब विपक्ष का नेता बन गया है तो वह स्थान अब आप उसे ही दें। अतः मैं यह स्थान उपाध्यक्ष महोदय को दिये जाने पर आपत्ति करता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने निर्णय पर पुनः विचार करें।

अध्यक्ष महोदय : इसमें निर्णय देने की कोई बात नहीं की हैं। मैंने ही यह स्थान नियत किया है।

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : श्रीमन्, कम्बोडिया जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करने के लिए तो आपके पास समय नहीं है परन्तु कुर्सियों की व्यवस्था करने जैसे विषय पर आप आधा घन्टा लगा देते हैं। भारत अन्तर्राष्ट्रीय नियत्रण आयोग का अध्यक्ष है। यह एक गम्भीर बात है···(व्यवधान)···। भारत को एक बड़ा देश जाना जाता है और इसी से हमें अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में रूचि रखनी होती है। परन्तु विदेश मंत्री भी इस समय कम्बोडिया के विषय पर विचार विमर्श करने के लिए यहां नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : If I draw your attention towards the provisions in the constitution in this regard, it would help you in arriving at a decision. The provision is that if the Constitution is not clear in regard to certain matter, the practice prevalent in the U. K may be followed. Our constitution does not specify anything regarding the Deputy Speakers seat in this House. The convention in U. K. is that the

recognised leader of the opposition is treated second to the Prime Minister, and he is given the first seat on the opposition side. Why should we not adopt that practice here also.

श्री स० मो० बनर्जी : आप अन्य सबको तो बोलने की अनुमति देते हैं परन्तु मुझे नहीं। यह क्या बात है ?

मेरा निवेदन यह है कि उपाध्यक्ष महोदय डाक्टर स्वैल विपक्ष के सदस्य हैं अतः उन्हें विपक्ष की ओर स्थान दीजिए। वर्ष 1952 में सरकार हुकम सिंह जब अकाली दल के सदस्य और विपक्ष के सदस्य तथा उपाध्यक्ष थे तब उसी स्थान पर बैठा करते थे। डाक्टर स्वैल भी कुछ एक को छोड़कर समस्त विपक्ष द्वारा चुने गये हैं अतः वह विपक्ष के सदस्य हैं। हम उन्हें विपक्ष के रूप में मान देना चाहते है।

अध्यक्ष महोदय : श्री मधोक आपका क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री बलराज मधोक : मैं चिल्लाना तो नहीं चाहता परन्तु आपका तथा आपके माध्यम से इस सभा का ध्यान मैं काश्मीर में पैदा होती जा रही भंयकर स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं। पहले मुझे अपने पहले निर्णय का निश्चय करने दो। जहां तक उपाध्यक्ष महोदय के स्थान का सम्बन्ध है मुझे नियम को पढ़ना तथा तथ्यों का पता लगाना होगा। मैं केवल हाउस आफ कामन्स के पथप्रदर्शन को ग्रहण करूंगा। हमें अपनी ही परम्पराओं की ओर देखना है। उनके विपक्ष के नेता होने की बात एक अलग चीज है। इस स्थान पर हमेशा उपाध्यक्ष ही बैठता रहा है।

सामान्य आय-व्ययक, 1970-71—सामान्य चर्चा

GENREAL BUDGET, 1970-71—GENERAL DISCUSSION

अध्यक्ष महोदय : सभा में अब आय व्ययक पर सामान्य चर्चा होगी। श्री शिवरजन शास्त्री अपना भाषण जारी रखे।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the Clock

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा दो बजकर चार मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha reassembled after Lunch at four minutes past Fourteen of the Clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker *in the Chair.*]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सेठी।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, on a point of order.

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री सेठी को बुलाया है। आप अपना व्यवस्था का प्रश्न इसके पश्चात् उठा सकते हैं।

मणिपुर आय-व्ययक, 1970-71—पुरस्थापित

MANIPUR BUDGET—PRESENTED

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं वर्ष 1970-71 के लिए मणिपुर संघ राज्य क्षेत्र मणिपुर की अनुमानित आय और व्यय का एक विवरण प्रस्तुत करता हूँ। मणिपुर विधान सभा को भंग करने के सम्बन्ध में 16 अक्तूबर, 1969 को जारी किए गए राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार उस संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा के अधिकार अब संसद को प्राप्त है। अत: संघ राज्य क्षेत्र मणिपुर का बजट संसद के सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस वर्ष उस क्षेत्र में 1.89 करोड़ रुपये के राजस्व की प्राप्ति हुई जो बजट के अनुमानों के अनुसार है। 13.44 करोड़ रुपये का राजस्व से व्यय हुआ जबकि बजट में 12.47 करोड़ रुपये कम का अनुमान किया गया था। पर्वतीय क्षेत्रों में कर्मचारियों को दिये गये भत्ते, आदिम जातीय विकास खण्डों के लिए की गई अधिकतर व्यवस्था औषध एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण ही इस व्यय में 97 लाख रुपये की वृद्धि हुई। बजट के अनुमानों में की गई 10.58 करोड़ रुपये की व्यवस्था की तुलना में राजस्व खाते की कमी को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार से 11.55 करोड़ रुपये का अनुदान मिलेगा।

इस क्षेत्र में आगामी वर्ष में 2.22 करोड़ रुपये की प्राप्तियों, तथा राजस्व से 14.52 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान लगाया है। राजस्व खाते में होने वाले व्यय में 1.08 करोड़ रुपये की वृद्धि मुख्यत: कृषि विकास, शिक्षा चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिये अधिक धन की व्यवस्था करने के कारण हुई है। राजस्व खाते में 12.30 करोड़ रुपये की कमी को केन्द्रीय सरकार के अनुदानों से पूरा किया जायेगा।

इस वर्ष के पूंजीगत खाते में व्यय का अनुमान 3.92 करोड़ रुपये है जबकि बजट अनुमान 3.78 करोड़ रुपये का था। यह वृद्धि खण्ड और जिला मुख्यालयों में भवनों की व्यवस्था करने और अतिरिक्त परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए बसें खरीदने के कारण हुई। पूँजीगत खाते में आगामी वर्ष के लिए 3.99 करोड़ रुपये के खर्च की व्यवस्था है। विभिन्न योजना कार्यों से सम्बन्धित सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रमों और खण्डसारी तथा सीमेंट कारखाने जैसे नये औद्योगिक एककों की स्थापना के लिए और अधिक धन की व्यवस्था की गई है।

चालू वर्ष और आगामी वर्ष के पूंजीगत खातों में कमी को केन्द्रीय सरकार से ऋण लेकर पूरा किया जायेगा।

आगामी वर्ष के बजट में इस संघ राज्य क्षेत्र की योजना के लिए 5.19 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जब कि इस वर्ष 4.72 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। 77 लाख रुपये कृषि तथा अन्य सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए ; 94 लाख रुपये सिंचाई तथा बिजली के लिए ; 37 लाख

रुपये उद्योग के लिए; 1.83 करोड़ रुपये परिवहन तथा संचार व्यवस्था के लिए तथा 1.16 करोड़ रुपये समाज सेवा कार्यों के लिए रखे गये हैं। इसके अतिरिक्त आदिम जातियों के विकास, तथा परिवार नियोजन एवं मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रमों जैसी केन्द्र द्वारा आयोजित योजनाओं के लिए 36 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। इस बजट में लोकटक पनबिजली योजना के लिए भी 1.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। और इस योजना को केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत लाया जा रहा है।

Shri Madhu Limaye : In my opinion the hon. Minister has no moral, legal or statutory powers to present budget for the union territory of Manipur.

श्री प्र० चं० सेठी : मैं स्थिति स्पष्ट किये देता हूं। मैं गलती से पांचवां मद पढ़ने लगा था, परन्तु बाद में मैंने "मणिपुर संघ राज्य क्षेत्र मणिपुर की अनुमानित आय और व्यय का विवरण" कहा।

Shri Madhu Limaye : But the powers of Manipur Legislative Assembly have been divested and the Presidents rule has been promulgated there after having dissolved the State Legislative Assembly, and for that they say that there are Presidential orders.

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने तो अभी केवल बजट प्रस्तुत किया है। इन सब बातों पर तो चर्चा के दौरान विचार किया जा सकता है।

Shri Madhu Limaye : But I am against all this and that is why I oppose this.

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो सच है, परन्तु वह बजट प्रस्तुत कर चुके हैं। अतः अब इसका प्रश्न नहीं उठता।

जम्मू तथा काश्मीर विधान मंडल के सत्रावसान के बारे में

RE : PROROGATION OF JAMMU AND KASHMIR LEGISLATURE

Shri Madhu Limaye : No Sir, Not yet sir, he was just clarifying the postion. Despite the fact that there was absolute majority of the opposition legislators, who could form non-Congress Government in Manipur. They have imposed, Presidents rule there But when we have given adjournment motion on the Kashmir issue.

उपाध्यक्ष महोदय : काश्मीर का मामला बिल्कुल अलग है।

Shri Madhu Limaye : Kashmir issue is not a separate issue. I have a point of order under rules 355 and 356 of the constitution in this regard.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य एक वरिष्ठ संसद् सदस्य हैं और वह इन बातों को हमसे अधिक अच्छी तरह जानते हैं। मणिपुर और काश्मीर के दोनों मामले बिलकुल अलग-अलग है। परन्तु इस मामले को केवल तभी लिया जा सकता है जब कि सदन में इस के लिए नियमित रूप में प्रस्ताव हो।

Shri Madhu Limaye : They have promulgated Presidents' rule in Manipur, but the

reasons why they are not going to have presidents rule in Kashmir when the Sadiq Government had already lost its majority and also the reasons why Kashmir Legislature was prorogated have not been given ? In the press note only they had stated that it was because of the agitation for rationing on Wheat. I want your ruling in this regard.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य पीठाधिकारी की अनुमति के बिना काश्मीर पर चर्चा करने लगे हैं। काश्मीर के बारे में माननीय सदस्य न बोलें।

Shri Madhu Limaye : Inspite of the marjority in Manipur the Presidents rule was imposed there but in the matter of Kashmir this was not done when the majority was lost.

Therefore I want either the statement given by the hon. Minister should be expunged or the adjournment motion or the motion given by us under rule 184 should be accepted for discussion in the House. They prorogated the Legislative Assembly in the name of agitation when they themselves have clarified the fact that they were unable to run the Government according to the constitution, and the there was law and order problem. In such a position the Sadiq Government should be dissolved and opposition should be given an opportunity to form Government. In case even the opposition also was not in a position to form Government, the Presidents rule should be imposed and Kashmir Budget should be presented here.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अपना निर्णय दूंगा।

श्री कंवर लाल गुप्त : यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। कृपया हमें अपने विचार प्रकट करने की अनुमति दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये ने निर्णय देने की मांग की है। वह यह चाहते हैं कि मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये मणिपुर के बजट प्रस्तावों को सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाय। कार्यवाही से विलोपन नियम 380 के अन्तर्गत आता है और उस नियम से यह सम्बन्धित ही नहीं है।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में, जैसा कि श्री मधु लिमये को मालूम ही है, नोटिस दिये जाने पर अध्यक्ष महोदय विचार करते हैं।

Shri Madhu Limaye : I have given three notices--calling Attention, 184 and Adjournment Motion.

अध्यक्ष महोदय : मुझे कार्यालय में पता चला है कि काश्मीर पर स्थगन प्रस्ताव को अध्यक्ष महोदय ने अस्वीकार कर दिया है...

श्री सोनावने (पेंढरपुर) : शुक्रवार को मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था और विपक्ष के नेता डा० राम सुभग सिंह तथा उपाध्यक्ष का स्थान निर्धारण करने के बारे में निर्णय देने के लिए अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया था। अध्यक्ष महोदय ने निर्णय नहीं दिया और केवल यह कहा कि वह स्थान नियत करने के लिए तैयार हैं। उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में कोई भी व्यक्ति उस स्थान पर बैठ सकता है। विपक्ष के नेता को अध्यक्ष के पद की मर्यादा के विरुद्ध कुछ कहने की बजाय, अध्यक्ष महोदय से उनके कक्ष में मिलना चाहिये था। यह सदन की परम्परा रही है और जबसे मैं संसद में आया हूं, तब से बराबर देख रहा हूँ कि उपाध्यक्ष के लिए वही स्थान निर्धारित है। अतः मैं आपसे निर्णय देने के लिए अनुरोध करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस बारे में, मैं माननीय सदस्य का ध्यान नियम 4 की ओर आकर्षित करूंगा, जिसमें कहा गया है कि सदस्यों के बैठने के स्थान का निर्धारिण अध्यक्ष महोदय करेंगे। यह मामला व्यक्तिगत रूप से सम्बद्ध है, अतः मेरे लिए यह निर्णय देना उचित न होगा। मैं श्री सोनावने से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर, अध्यक्ष से उनके कक्ष में चर्चा कर लें।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Let me have my say for two minutes on Kashmir.

उपाध्यक्ष महोदय : जैसा कि मैंने कहा है कि काश्मीर पर चर्चा करने के लिये नियमित प्रस्ताव लाना होगा। सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं प्रत्येक सदस्य को बोलने के लिए दो मिनट देता हूँ।

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Deputy Speaker. The sitituation there is very serious. Whatever happened in Kashmir was unprecedented in the history of parliamentry democracy. Chief minister has lost the majority there and in order to save his office he said that there is agitation in the steel act on this pretex he was able to see the session of the legislative assembly prorogued.

The Statement given by home-minister was incomplete and useless. According to the article 356 and 357 of the constitution, it is the duty of the central government to follow the Articles of the constitution in that matters. But the central government is giving time to Mr. Sadiq to win the favour of M.L.A's and make his position secure. The Central government should be warned than if in real sense it want to have democracy in the country, it should not allow those persons to hold the office who do not enjoy the majority of the people.

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा (जम्मू) : उपाध्यक्ष महोदय शुक्रवार को जब हमने इस विषय से सम्बन्धित प्रश्नों को उठाया था तब आपने कहा था कि इस पर नियमित प्रस्ताव लिया जाएगा और सदस्यों को विषय से सम्बन्धित सभी पहलूओं पर चर्चा करने का अवसर दिया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने अवसर दिये जाने की बात नहीं कही मैंने केवल नियमित प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा था।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा चुका है।

श्री कंवर लाल गुप्त : हमने स्थगन तथा ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचना दे दी थी किन्तु उन्हें अस्वीकृत कर दिया गया है। यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है अतः इस पर थोड़ी बहुत चर्चा करने की अनुमति दी जानी चाहिये।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : कश्मीर राज्य में स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। मुझे ज्ञात हुआ है कि वहां की विधान सभा के 32-34 सदस्य राजधानी में पहुँच गए हैं और पिछले दो तीन दिन से पुलिस उन्हें परेशान कर रही है। वे जहां भी जाते हैं उनका पीछा किया जाता है। वहां कि विकृत राजनैतिक स्थिति को देखते हुए मेरी प्रधान मंत्री तथा गृह-मन्त्री से

प्रार्थना है कि वे इस मामले की जांच पड़ताल करें और शीघ्र ही उचित कार्यवाही करने के आदेश दें।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : समाचारों के अनुसार, राज्यपाल ने कहा है कि काश्मीर के प्रशासन में संविधान के विभिन्न अनुच्छेद लागू होते हैं इसलिए मुख्य मन्त्री के परामर्श के अनुसार सभा का सत्रावसान करने के अतिरिक्त मेरे सामने कोई अन्य विकल्प नहीं था। उन्होंने इसका लाभ उठाया कि कश्मीर पर सविधान का अनुच्छेद 370 लागू होता है। जबकि आम राज्यों के कामों को संसद में उठाया जा सकता है तथा चर्चा हो सकती है परन्तु कश्मीर राज्य के बारे में ऐसा नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैं सभझता हूं कि इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिये तथा मामले को स्पष्ट किया जाना चाहिए।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : There is no doubt that whatever is happening in Kashmir is a serious matter. Kashmir has gained importance not only in the country but in international sphere also. Therefore it becomes necessary that what ever we should dol there that should be according to our democratic way. When I have asked there how ale this happened I was told that the power to adjourn the house in Haryana is vested in the house itself but in Kashmir these powers are given to the governor. I think that thn power to call or adjourn the house should be vested in the Hous itself. This questiof that who has the majority in the house should also decided on the floor of the House itsel. According to the report received here it is clear that the situation there is not good and the image of democracy is being furnished.

I want to request the government through you immediate action should be taken there to improve the condition and in order to know that who has the majority in the house, the Home should be summened as early as possible.

Shri Sheo Narayan : Mr. Deputy speaker, Sir Kashmir is not a simple state, It is on the border of India and Pakistan and therefor there is more danger to be attacked by the enemics at any time. It is the duty of the Central Government to intervene in this matter. The way the legistation assembly had been prorogued is unconstitutional. I request the law minister to abolish the applicability of the article 370 there.

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय पर प्राप्त स्थगन प्रस्तावों को अध्यक्ष महोदय ने अस्वीकार कर दिया है किन्तु सदस्य अध्यक्ष महोदय से मिल कर इस विषय में बात कर सकते हैं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : हमें आप पर भी उतना ही भरोसा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि मुझे इस विषय पर निर्णय देना होगा तो मैं भी कक्ष में इस पर सावधानी से विचार करूंगा। अतः यदि सदस्य चाहें तो अध्यक्ष से मिलकर उन्हें इस पर दुबारा विचार करने के लिए कह सकते हैं।

श्री शिव नारायण : हम सरकार को चुनौती देते हैं। सदन की सत्ता सर्वोच्च है।

श्री गजराज सिंह राव (महेन्द्रगढ़) : सत्रावसान की चर्चा यहां नहीं की जा सकती। इस की चर्चा नियम 193 के अन्तर्गत होती है।

उपाध्यक्ष महोदय : कश्मीर से सम्बन्धित इस मामले के बारे में जो कुछ करना है उसके बारे में मैं बता चुका हूँ अतः अब इस विषय पर चर्चा नहीं की जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे श्री धीरेश्वर कलिता से एक पत्र प्राप्त हुआ है। वह नियम आपके अन्तर्गत कुछ मामला उठाना चाहते हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि वह इस बारे में सचिव को लिखितरूप में सूचना दें।

श्री ए० श्रीधरन (बडागरा) : आपने कई बार नियमों के क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर माननीय सदस्यों को अपने मामले को सभा में उठाने की अनुमति दी है, आपको सदस्यों के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिये।

श्री धीरेश्वर कलिता (गोहाटी) : यदि मैं अपने मामले को व्यवस्था के प्रश्न के रूप में उठाता तो आप इसकी अनुमति दे देते। परन्तु अब आप मुझे इसकी अनुमति नहीं दे रहे हैं यद्यपि मैंने उचित प्रक्रिया का अनुसरण किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उनसे यह अनुरोध कर रहा हूं कि वह नियम में दी गई प्रक्रिया का पालन करें। अतः वह लिखित रूप में सचिव को सूचना दें।

Shri George Feranandes (Bombay South) : I would like to know whether he would constitute a Parliamentary Committee to look into the * *

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य प्रातः प्रश्न काल में घटी घटनाओं का उल्लेख कर रहे हैं।

Shri George Fernandes : General allegations were levelled against him in the morning. I want to know whether a Parliamentary Committee acid to constituted to look into those allegations * *

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उसका उत्तर नहीं दे सकता।

Shri Madhu Limaye (Munghyr) : Who will answer it ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप सब लोग नियमों को अच्छी तरह जानते हैं। आप स्वयं देखिये कि इस मामले को किस प्रकार उठाना है।

सामान्य बजट—सामान्य चर्चा—जारी

GENERAL BUDGET—GENERAL DISCUSSION—*Contd.*

Shri Sheopujan Shastri (Bikramganj) : The hon. Prime Minister in the budget and tax proposals has drawn the attention of the House to four aspects viz (1) basic elements of Government policy, (2) economic situation of the country, (3) Revision of tax rates and (4) new phasis of progress. In this connection, I may say that the leaving standard of the people has gone from bad to werse. The people are not getting even two square meals a day. Even the prisoners are getting better food. The purchasing panes of the people have gave down.

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

** Expunged as ordered by the chair.

Although it has been stated in the economic review of 1969-70 that per capita income in India is little more than one rupee yet I have my own doubts about it. Crores of people in India are not having even so much income as would be sufficint for their daily meals. Wealth is not equally distributed in the country. The per-capita income of about five to six percent people runs into thousands of rupee if not in lakhs.

It has been stated that there has been find production to the time of 9 crores 40 lakhs metric tonnes in the country. But the question is as to how much has been producrd in each and every village. I have had an opportunity to visit my our distirct. I have seen that per bigha production of paddy is only about one or two maunds but the District Magistrate in a Prees Conference had given exaggerated figures. I would, therefore, say that correct and actual figures about food production have not been collected. In this connection I would suggest that these figures should be collected from village panchayats. In this way we will be able to collect correct figures about food production and we will be able to find out ways for eradication of poverty.

The present system of land tenancy is out dated. About 47 per cent peasants hold only about one acre of land and 22 percent farmers re holding no land at all. As such the condition of the 69 percent villages is extermely bad. General typs of taxes have been imposed even on these poor peasants We should have brought reforms in this system of land tenancy. The taxation system should have been rationalised and tax should have been imposed on income.

श्री देविन्दर सिंह (लुधियाना) : मैं बजट के सिद्धान्त के बारे में ही बोलूंगा परन्तु इससे पूर्व मैं यह कहना चाहता हूँ कि गत वर्ष कृषि आय पर जो धन कर लगाया गया था वह अर्थहीन है क्योंकि इससे यदि सरकार को 4.5 करोड़ रुपये प्राप्त होंगें तो वकीलों, आयकर निरीक्षकों आदि को 12.5 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे । कर की वसूली की प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिये परन्तु इससे भी किसानों को लाभ नही होगा क्योंकि वे लोग अनपढ़ तथा मासूम हैं । अतः इस कर को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और किसानों से लिये जाने वाले लगान के रूप में कराधान की उत्तरोत्तर खंड दरों में वृद्धि की जानी चाहिए । अभी कल ही पंजाब के मुख्य मंत्री ने कहा है कि धनकर की वसूली में राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार का साथ नहीं देगी । अतः राज्य सरकारों के सहयोग के बिना धनकर वसूल करना कठिन होगा । दूसरे यदि 1954 को आधार वर्ष मानकर नगरीय तथा उप-नगरीय पूंजी लाभों पर कर लगाया जाता है तो इससे भी नगरों से दूर रहने वाले किसानों के साथ भेदभाव लेता है । इसका अर्थ यह है कि यदि मेरी भूमि नगर से केवल 30 किलो-मीटर दूर है तो मुझे पूँजीगत लभों पर कर नहीं देना पड़ेगा । परन्तु उप-नगर में रहने वाले किसान को पूँजीगत लाभ पर कर देना पड़ेगा । प्रतिवर्ष उपनगरीय तथा नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले हजारों किसानों को अपनी भूमि, तथा सामाजिक जीवन से हाथ धोना पड़ता है क्योंकि राज्य सरकारें स्थानीय निकाय तथा केन्द्रीय विभागों द्वारा उनकी भूमि को अर्जित कर लिया जाता है । भूमि अर्जन अधिनियम में भूमि के लागत से यद्यपि पन्द्रह प्रतिशत अधिक मुआवजा देने को कहा गया है तथापि इससे उनको लाभ न हो करके हानि ही होती है क्योंकि वे नगरों में अध्यक्ष मजदूरों का सा जीवन ही व्यतीत करते हैं । परन्तु 1954 को आधार वर्ष मानने का अर्थ है कि हम किसानों को भूमि का 1970 का मूल्य न देकर 1954 का मूल्य दे रहे हैं । अतः मेरा निवेदन है कि पूंजीगत लाभ कर वापस लिया जाना चाहिए ।

श्री देसाई ने बजट प्रस्तावों पर आलोचना करते हुए कहा था कि इससे कालेधन में वृद्धि

होगी और इससे वस्तुओं के मूल्य भी बढ़गे। परन्तु इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि मैंने जो बजट पेश किये वे यह उनसे पृथक नहीं है और मैं इससे अलग बजट पेश कर सकता था। यह अच्छा ही हुआ है कि उनको ऐसा करने का अवसर नही मिला है।

श्री मसानी ने स्वीडन का उल्लेख किया है और कहा है कि उनका जीवनस्तर विश्व में सबसे ऊंचा है। परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वहां पर विश्व की अपेक्षा सब से अधिक लोग आत्म-हत्या करते हैं। शायद यह वहां पर चल रहे समाजवाद का ही परिणाम है। अतः मेरा निवेदन यह है कि पिछले बजटों तथा इस बजट में अन्तर यह है कि आर्थिक विकास तथा सामाजिक कल्याण में बहुत अन्तर रहा है। प्रत्येक वित्त मंत्री ने सामाजिक विकास की तुलना में आर्थिक विकास को अधिक महत्व दिया है। परन्तु इस बजट में दोनों पहलुओं पर ध्यान दिया गया है। यह एक अच्छी बात है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : बजट पर बोलने के लिए आपने जो मुझे अवसर प्रदान किया है उसके लिए मैं आप का धन्यवाद करती हूँ। प्रधान मंत्री के दल के एक सदस्य ने कहा कि इस बजट से एक नई रोशनी उत्पन्न हुई है। इस नई रोशनी को समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले समाचारों में देखा जा सकता है। सार्वजनिक सभाओं में लोग भाले, बरछे आदि लेकर आ रहे हैं। टैक्सी चलाने वालों को शिकायत है कि उनकी सुरक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है। सिनेमा घरों को नष्ट किया जा रहा है। यह नई रोशनी है जिसको सभी लोग देख सकते हैं परन्तु कुछ लोग आंखें खुली रखकर भी नहीं देखना चाहते। मुझे कोई आपत्ति नहीं है यदि श्री विश्वनाथम इस नई रोशनी का क्षेत्र जिससे देश में लोकतंत्रात्मक परम्पराएं तथा लोकतंत्र समाप्त हो जायेगा प्रधान मंत्री को दें।

मैं जानती हूं कि कुछ लोग निजी बातचीत में कुछ और बाते करते हैं परन्तु प्रधान मंत्री की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए उनके सामने उनकी प्रशंसा करते हैं। मैं इन सभी बातों का उल्लेख इस कारण कर रही हूं क्योंकि देश के एक-एक पैसे को इसे बधाई करने पर लगाया जा रहा है। जब श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधान मंत्री बनी थी तो हमें यह आशा नहीं थी कि वह देश को एक प्लेट में रखकर रूस को सौंप देंगी। परन्तु हम अपनी क्षमता के अनुसार लोकतंत्रात्मक परम्पराओं को बनाये रखने के लिए लड़ते रहेंगे। यह बड़े दुःख की बात है कि प्रधान मंत्री का समर्थन कुछ गिने चुने सदस्यों अर्थात नये मित्रों द्वारा ही किया जा रहा है। उनके साथी जो स्वयं को कांग्रेस के सदस्य कहते हैं उनके समर्थन में नहीं बोल रहे हैं।

प्रधान मंत्री अपने भाषणों में यह कह रही हैं कि लोगों का मनोवृत्ति में परिवर्तन तथा सरकारी नीति को नया मोड़ देकर ही समाजवाद को नई दशा दी जा सकती है। योजना आयोग को इस प्रकार योजना बनाने को कहा गया जिससे देश में समाजवादी समाज की स्थापना हो। प्रधान मंत्री ने यह भी कहा है कि कांग्रेस ने सदा पिछड़े वर्गों आप संख्यकों का साथ दिया है। अनुत्पादी व्यय के बारे में बजट में एक शब्द भी नहीं कहा गया है। न ही कारपोरेट निकायों के बारे में बजट में कुछ कहा गया है। अतः मेरा निवेदन है कि सभी लोगों को सदा के लिए बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता परन्तु कुछ लोगों को सदा के लिए भी बेवकूफ बनाया जा सकता है।

प्रधान मन्त्री ने अपने एक भाषण में यह भी कहा है कि बढ़ती हुई उपज को देखते हुए कृषि मजदूरों का मजदूरी का पुनरीक्षण भी किया जाना चाहिए। लगभग दस लाख एकड़ भूमि को राजकीय प्रयोजनों अथवा नगर बसाने अथवा औद्योगीकरण अथवा अन्य अनेक प्रयोजनों हेतु अर्जित किया जा रहा है। उदाहरण के रूप में बोकारो परियोजना के लिए 5000 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। इससे अनेक लोग भूमिहीन हो गये हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि इन लोगों के लिए क्या किया जा रहा है। इन लोगों के लिए बजट में कोई व्यवस्था नही की गई है। अतः प्रधान मन्त्री द्वारा अपने भाषणों में जो भाव प्रकट किये जा रहे हैं। वे बजट में दिखाई नहीं दे रहे हैं।

जहां तक आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर 5000 रुपये करने का सम्बन्ध है, इससे इस आय वर्ग के अन्तर्गत आने वाले लोगों को 11 रुपये की राहत जरूर मिली है लेकिन इसके साथ ही आश्रित माता-पिता-भत्ता वापस ले लिया गया है। परिणामस्वरूप प्रधान मन्त्री ने 11 रुपये की राहत देकर 9 रुपये छीन लिये हैं। अतः इस राहत का कोई लाभ नहीं है।

कई कल-पुर्जों पर 10 प्रतिशत उत्पादन शुल्क लगाये जाने के कारण प्रत्येक उपभोक्ता वस्तु का मूल्य बढ़ गया है। किन्तु यह करारोपण इस ढंग से किया गया है कि उपभोक्ता महसूस भी नहीं कर पाता, लेकिन आज नहीं, तो कल अवश्य महसूस करेगा। जब मूल्य स्तर अस्थिरता के चिह्न प्रदर्शित कर रहा है, तो घाटे की वित्त व्यवस्था है। राज्यों के बजटों में कुल मिलाकर लगभग 300 करोड़ रुपये का घाटा होने का अनुमान है और केन्द्रीय बजट में 225 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है जिससे मुद्रा स्फीति बढ़ेगी रिजर्व बैंक ऋणों का प्रसार न करने की आवश्यकता पर जोर दे रहा है। इसके अलावा बचत 8 प्रतिशत से घट कर 5 अथवा 5.5 प्रतिशत आ गई हैं जो प्रतिकूल स्थिति है।

बेरोजगारी की एक जटिल समस्या है, देश में बेरोजगारी के आंकड़े, जैसा कि हमारे राष्ट्रपति श्री गिरी का अनुमान हैं, 1 से 5 करोड़ के बीच में कहीं है। किन्तु सरकार उसे हल करने के लिए कुछ भी नहीं कर रही है और न ही वह इस सम्बन्ध में कोई जिम्मेदारी तथा दायित्व की भावना महसूस करती है। मैं नहीं देखती कि इस समस्या को हल करने के लिए बजट में कोई व्यवस्था की गई है।

इसके अलावा अपूर्ण रोजगार की भी एक कठिन समस्या है। राष्ट्रपति जी द्वारा दिये गये आंकड़ों के अनुसार यह संख्या 10 से 15 करोड़ तक है। किन्तु बजट इस समस्या के प्रति भी कोई जागरुकता नहीं दिखाई गई है।

औषधियों के मूल्य अत्यधिक बढ़ गये हैं। इस बारे में डा० त्रिगुण सेन के प्रयास भी सफल नहीं हुए हैं। इस देश के साथ मुसीबत यह है कि उसे अमरीका अथवा रूस के इशारे पर चलना पड़ता है। अमरीकी कांग्रेस ने भारत में काम कर रहे नकली औषधि गिरोह के बारे में अध्ययन किया, लेकिन भारत सरकार चुप बैठी है। उपरोक्त कांग्रेस ने बताया है कि भारत में हकदार कम्पनियों ने 8 करोड़ रुपये की कुछ प्रति जीवाणु औषधियों का आयात किया और उन्हें 80 करोड़ रुपये में बेचा क्योंकि सरकार तब अमरीका तथा अमरीकी निहित स्वार्थों को

खुश करने में लगी थी। अमरीका के कहने पर सरकार ने जहां-तहां सांस्कृतिक केन्द्र खोलने की अनुमति दे दी और जब देश ने उसका विरोध किया तो उन्हें बन्द करने के आदेश जारी कर दिये। मुसीबत यह है कि सरकार कभी अमरीका के इशारे पर चलती है और कभी रूस के इशारे पर। इस देश के लोगों के विश्वास को प्राप्त करने की कोशिश इसने कभी नहीं की।

इसलिए प्रधान मन्त्री को इस औषधि गिरोह के बारे में कुछ चिन्ता अवश्य प्रदर्शित करनी चाहिए थी। मेरा सुझाव है कि औषधियों के मूल्यों के समूचे प्रश्न पर विचार करने के लिए, एक संसदीय समिति नियुक्त की जानी चाहिए जो उनके उचित मूल्य तय करे।

जहां तक राज्यों को बजट में नियत धन राशि (175 करोड़ रुपये) के वितरण का सम्बन्ध है, हम चाहते हैं कि देश में वित्त आयोग को एक स्थायी आयोग में बदला जाये ताकि सभी राज्यों को उसके समक्ष अपने मामले रखने का उचित अवसर प्राप्त हो और वे महसूस करें कि उनके साथ औचित्य और न्याय का व्यवहार हो रहा है और उन्हें प्रधान मन्त्री की कृपा पर निर्भर नहीं रहना है। इस आयोग के सदस्य ऐसे होने चाहिए जो सदस्य तथा वास्तविक दृष्टि-कोण वाले हों ताकि प्रत्येक राज्य के प्रति न्याय बरता जाये। प्रशासनिक सुधार आयोग की अन्तर्राज्य समिति ने भी यही सिफारिश की है। राज्यों को केन्द्रीय सहायता तथा अनुदानों के लिए एक स्थायी वित्त आयोग होना चाहिए।

[श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए
Shri K. N. Tiwary *in the Chair*]

Shri Mudrika Singh (Aurangabad) : I was really surprised to hear my predecessor hon. lady Member Shrimati Tarkeshwari Sinha when she said that she considered it an immoral budget because of the nature of proposals embodied in it and that she did not *find* in it anything worth commending. But she always agreed to the budget proposals made by the former Deputy Prime Minister Shri Morarji Desai even if they taxed people heavily and affected adversely the economic conditions of the common man in general, and the poor in particular. However, we should take a realistic view in regard to these proposals.

I agree that it is not a socialistic budget in all respects However, for the first time an effort has been made by our Prime Minister to lead the country towards socialism and we can achieve our goal of socialistic pattern of society if we raise our resources and continue to move in this direction with this approach. To bring socialism is not an easy job. The most important factors to achieve it are removal of poverty, raising of resources and increase in production in the country. The budget presented by our hon Prime Minister is a production-oriented budget, hence deserves commendations from all sections of the people.

I have a suggestion to make for the consideration of the hon. Prime Minister that the indirect taxes levied on kerosene oil, sugar and aluminium should be withdrawn so that the incidence thereof could not fall on the poor, and loss thus suffered by the Government can be compensated if the tax on corporate sector which has been left untouched is raised even by one percent.

An indication has been given in the budget that some measures will be taken for the uplift of the poor sections of society. While making allocations, due attention has not been paid to remove regional inbalances. Some measures should have been planned to bring the backward areas and states at par with industrially developed states. The pace of development in the case of certain states including Bihar is very slow. Steps have not been taken so far to set up factories in Bihar which is very rich in mines, metals and minerals.

Similarly it has not adequate irrigational facilities despite the fact that it has a number of rivers small and big and very fertile lands, still the per capita income of the state is the lowest in the country.

Steps should be taken to exploit natural resources available in Bihar and to set up small scale industries to solve unemployment and under employment problems in the state as also to bring in industrial, agricultural, social and economic development of this backward state.

With these words I support the budget proposals.

श्री नन्द कुमार सोमानी (नागपुर) : सही आर्थिक वातावरण होने पर आर्थिक प्रगति और सामाजिक प्रगति साथ-साथ चलती है और उन में कोई पारस्परिक संघर्ष नहीं होता। इनमें यह संघर्ष तभी होता है जब देश की अर्थव्यवस्था गलत रास्ते पर ले जायी जाती है जैसा कि हमारे देश में कई वर्षों तक होता रहा है। यदि देश में अधिक से अधिक लोगों के रहन-सहन का स्तर यथा शीघ्र उठाने के उद्देश्य को गलत रूप देकर समाजवाद बताया जाता है, तो उस स्थिति में, जहां तक आर्थिक प्रगति का सम्बन्ध है, किसी भी सरकार को कुछ अनिवार्य कदम उठाने होंगे। फिर बजट को राजकोषीय तथा आर्थिक सुधारों, औद्योगिक लाइसेंसिंग नीतियों, शीघ्र औद्योगीकरण तथा ऋण नीतियों के सम्बन्ध में सामान्य वातावरण के लिये माध्यम के रूप में उनके अनुकूल बनाना पड़ेगा और सामंजस्य पैदा करना पड़ेगा ताकि आर्थिक प्रगति शीघ्र हासिल की जा सके। ये सभी प्रयत्न रहन-सहन के स्तर का निर्माण करने तथा उसे लाने की दिशा में किये जाने आवश्यक हैं, जिसकी जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार पर आती है।

समाजवाद की व्याख्या करते समय आपको यह बात ध्यान में रखनी होगी कि उसके नियम आदि बड़े कठोर होते हैं, किसी भी विचार धारा को सहन करने के लिए उनमें कोई स्थान नहीं है। प्रो० पार्किसन के कथनानुसार भारत समाजवाद नहीं चाहता, वह चाहता है अच्छे मकान, अच्छा भोजन और अच्छी मजूरी, और यह सब मिलना यहां सम्भव है बशर्ते कि देश में उचित नीतियां अपनाई जायें ; परन्तु ऐसा लगता है कि आर्थिक अवनति और कष्टप्रद अवमूल्यन की वास्तविकता को इस सरकार ने अनुभव ही नहीं किया है।

खेद की बात है कि अभी भी इस सरकार में कोई सुधार नहीं हुआ है। वह अभी अपने सब अनैतिक कार्यों को जहां तक वे उनके हित में हैं पवित्र और उचित मानती है। इस देश में अब गरीब की पूछ कहां है ?

पिछले 18 सालों में 30,000 करोड़ का परिव्यय होने पर भी इस देश के 18 करोड़ लोग अभी भी दयनीय गरीबी की स्थिति में रह रहे हैं। तथा उनका मासिक व्यय नगरों में 24 रुपये और गांवों में 15 रुपये मात्र है। ये मेरे अपने आंकड़े नहीं हैं बल्कि रिजर्व बैंक के जनवरी के बुलेटिन के आंकड़े हैं। एक अन्य प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रो० शिनाय के अनुसार 1968 में खाद्यान्नों की उपलब्धि में 1965 की अपेक्षा 3.7 प्रतिशत की कमी हुई है तथा सूती कपड़े, खाद्य, तेल और चीनी के सम्बन्ध में यह कमी क्रमशः 11, 14 और 17 प्रतिशत तक हुई जबकि समाजवादी ढांचे की अर्थव्यवस्थायें दूसरी ओर मोटरकार के उत्पादन में 27 प्रतिशत, वातानुकूलकों में 44 प्रतिशत, मिठाई और चोकोलेट आदि में 52 प्रतिशत, रेफरीजरेटरों में 292 प्रतिशत तथा कलात्मक रेशमी कपड़ों के उत्पादन में 51 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अगर इसे ही आप समाजवाद कहते हैं तो इसे तुरन्त समाप्त कर देना चाहिए।

अपनी बेरोजगारी की समस्या पर हम एक नजर और डालें। हमारे देश में संगठित क्षेत्रों में 160 लाख लाग रोजगार में लगे हैं पर अभी भी 150 लाख लोग बे-रोजगार हैं, जिनमें से 80 लाख गांवों में और 60 लाख शहरों में हैं। यदि वर्तमान अर्थव्यस्था में सुधार नहीं किया गया तो यह संख्या और बढ़ सकती है तथा 1975 तक यह बढ़कर 270 लाख तक पहुँच जायेगी। इसपर भी अगर हमारी आंखें नहीं खुली तो पता नहीं इसके आगे क्या हो। अतः इस स्थिति से बचने के लिये मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया और विनियोग नीतियों को, जो अब तक अपनाई जाती रही हैं, नया रूप देने की आवश्यकता है, समस्त संसार में यह बात महसूस की जा रही है और प्रधान मन्त्री ने भी इसका बार-बार उल्लेख किया है कि उद्यमों और सक्षम प्रबन्धकों तथा पहल करने वाली क्षमता की आजकल अत्यन्त कमी है। आजकल साहसी उद्यामियों का गला घोटा जा रहा है जिसके फलस्वरूप आगे की आर्थिक और औद्योगिक उन्नति बिल्कुल ठप्प पड़ जायेगी। अतः मैं चाहता हूँ कि हमारी मुद्रा नीति में परिवर्तन होना चाहिए। हमारा औसत औद्योगिक उत्पादन तथा हमारे कल-कारखानों की तकनीक कम से कम जापान के स्तर की होनी चाहिए। अब यह देखना कि उनके मन्त्रालय की निर्यात क्षमता कम नहीं हो रही, वैदेशिक व्यापार मन्त्री का काम है।

इसलिए सरकार को चाहिए कि वह एक ओर तकनीकी शिक्षा प्राप्त बे-रोजगारों को ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के लिए प्रोत्साहित करे तथा दूसरी ओर केवल उपभोक्ता के हित में ही नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगिता का सामना करने के लिए आर्थिक विकास को संतुलित करे। बजट, वित्त, मुद्रा, वैदेशिक व्यापार और औद्योगिक नीतियों को एक में चलाना होगा।

आर्थिक, नियम और कानून बहुत निर्दय होते हैं वे किसी प्रकार के सिद्धान्त की परवाह नहीं करते। पर हम अन्य पड़ौसी और विकसित देशों को देखकर भी शिक्षा नहीं ले रहे हैं।

आज से 23 वर्ष पूर्व जब भारत गणतन्त्र घोषित हुआ था तो सामान्य राष्ट्रीय उत्पादन के सम्बन्ध में विश्व में हमारे देश का स्थान पांचवां था पर अब सरकार की समाजवादी नीतियों के कारण उसका स्थान घट कर नौवां रह गया है।

पूंजी और उत्पादन पर सरकारी नजर डालने से हमें पता चलता है कि हम पूंजी लगाने में ही असफल नहीं हुए हैं वरन् हमारी प्रबन्ध तकनीक में भी दोष दिखाई देगा, जिससे भारी अपव्यय, अदक्षता और भ्रष्टाचार फैल गया है और यह सब हमारे सरकारी क्षेत्र की देन है।

समाजवाद का मुख्य उद्देश्य जीवन के अधिक अच्छे साधन प्रदान करना है पर यह विकास गलत योजना के कारण रुक गया। हमें उससे बचाना है।

अब मैं निगमित क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ जोकि बहुत ही खराब हालत में है। यदि देश में निगमित क्षेत्र में और औद्योगिकी सम्बन्धी विकास करना है तो क्यों नहीं बचत में विनियोजित किये गये पैसे से ऐसी नीति अपनाई जाये कि कर से छूट मिले।

विभिन्न क्षेत्रों के संतुलित विकास के बारे में क्या किया गया है? मैंने स्टेट्स का 7 मार्च का अंक पढ़ा जिसने पांडे समिति तथा वांचू समिति के प्रतिवेदनों का विश्लेषण करने के साथ-साथ इस बारे में राष्ट्रीय विकास परिषद् के विचारों का भी विश्लेषण किया है। परन्तु क्या सरकार को इस बात की परवाह है? क्या उसने इस आय-व्ययक में कोई एक भी ऐसी बात रखी है जिसके अनुसार पिछड़े-क्षेत्रों में सामयिक और पर्याप्त विनियोजन को प्रोत्साहन दिया जायेगा अथवा उत्पादन शुल्क से छूट मिलेगी? क्या उसने कोई व्यावहारिक कार्यक्रम आरम्भ किये हैं जिनके अनुसार राजस्थान, आसाम अथवा बिहार और जम्मू तथा काश्मीर और गुजरात के कुछ भागों के लोगों को कोई लाभ होगा जहां प्रति व्यक्ति आय देश की प्रति व्यक्ति औसत आय से कम है? दुर्भाग्य की बात है कि उस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया है।

यदि यह समाजवाद है तो इसे खत्म किया जाये।

अब हम कुल निगमित क्षेत्र के प्रमुख अंग बचत पर आते हैं जिसे आपको समूचे राष्ट्र के रूप में लेना है जो राष्ट्र के समग्र उत्पादन का 8 प्रतिशत है परन्तु जापान की वार्षिक बचत 40 बिलियन अमरीकी डालर है जो हमारे राष्ट्र के समग्र उत्पादन से अधिक है।

यदि हमें अपने देशवासियों की कामना के अनुसार आर्थिक-वृद्धि करनी है तो सरकार और औद्योगिक क्षेत्रों के मध्य व्याप्त भय और घृणा के वातावरण को दूर करना होगा। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने भी इस बात पर जोर दिया था। हमारे मन्त्रियों द्वारा मिथ्या-प्रचार किया जाता है जोकि एक ओर तो व्यापारी वर्ग के लिए है तथा दूसरी ओर वे हैं जो राज्य सरकारों का औचित्य निर्धारण कर रहे हैं।

दूसरी आवश्यक बात यह है कि यदि लघु-उद्योग धन्धों का विकास करना है तो निगमित-कर दर को कम करना होगा तथा मध्यम श्रेणी के और बड़े उद्योग-धन्धों को जितने भी लाइसेंस, कोटा एवं परमिट दिये जाते हैं, उतने ही यदि लघु-उद्योग धन्धों को पनपाने के लिये समान रूप से नहीं दिये जायेंगे तो किसी प्रकार के न्याय की आशा नहीं की जा सकती। यह आय-व्ययक तो विकास छूट में 35 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक की कमी बताता है जिसका प्रभाव निगमित क्षेत्र के विकास पर पड़ेगा। उन औद्योगिक एककों को जो कर साख-प्रमाण-पत्र दिये जाते थे और जो एक निर्धारित आधार वर्ष से उत्पादन में वृद्धि करने जा रहे थे, अचानक ही पहली अप्रैल से यह सब लाभ और प्रोत्साहन समाप्त कर दिये गये हैं।

अब मैं चर्चा के अन्य भाग को छोड़ कर दो प्रमुख पहलुओं पर ध्यान आकर्षित करूंगा। प्रथम बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण तथा द्वितीय गांवों से नगरों तक सड़कों का निर्माण। इस पर 100 करोड़ रुपयों के विनियोजन मात्र से प्रति वर्ष 20 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।

यदि सड़क निर्माण कार्यक्रम पर 250 करोड़ रुपये का वार्षिक व्यय किया जाए तो 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रतिरक्षा पर व्यय वर्ष प्रति वर्ष बढ़ता जा रहा है और यह 47 करोड़ रुपये तक बढ़ गया है। यह विभाग व्यय में वृद्धि करता जा रहा है। 1969 में भारत ब्राजील की अपेक्षा रहन-सहन के स्तर में 20 वर्ष पीछे था परन्तु अब वह अन्तर 44 वर्ष हो गया है। इस समाजवादी नीति में सुधार लाने की आवश्यकता है।

जहां तक नगरों के भवनों का सम्बन्ध है—भवनों पर 12 प्रतिशत कर लगता है जिसके बदले में उन्हें कुछ भी लाभ नहीं दिया जाता है। इसे अच्छे राजस्व का साधन नहीं कहा जा सकता है।

सरकार ने केवल राजनीति में बने रहने के लिए जो त्रुटियां की हैं उनसे आर्थिक ढांचे को खतरा हो गया है। उसे तो हटाया जाना चाहिए तथा रोजगारी और बचत को बढ़ाने के लिए अधिकतम पैसा लगाया जाना चाहिए। सरकार को इस बात की सही जानकारी के लिए सूचना केन्द्र और राष्ट्रीय संगणक स्थापित करने चाहिए जिससे सही आंकड़े मालूम किये जा सके कि विनियोजित एक हजार करोड़ अथवा बारह सौ करोड़ रुपयों के आशाजनक परिणाम निकल रहे है अथवा नहीं। भविष्य में सरकार आधुनिक आर्थिक औद्योगिकी अंगीकार करेगी।

श्री गजराज सिंह राव (महेन्द्रगढ़) : ग्रामीण भारत भी राष्ट्र का भाग है। मेरे अर्थशास्त्री मित्रों ने कई आंकड़े आदि बताये हैं परन्तु मैं तो इतना ही कहूंगा कि समाजवाद के लिए धन तो उपलब्ध किया ही जाना चाहिये।

दूसरी बात भ्रष्टाचार रोकने की है। यह सामान्य बात है कि दिल्ली से किसी देहाती को 1 रुपया देने के लिए व्यवस्था की जाय तो उस तक पहुंचते-पहुंचते वह एक आना रह जाता है। इसे यदि हटाया नहीं गया तो राजकोष पर अधिक खर्च पड़ेगा।

एक बात यह भी है कि भारत के ग्रामीण को घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। इसे यदि नहीं हटाया गया तो किसी समाजवाद को नहीं लाया जा सकता है। मैंने देहाती लोगों में अन्य मित्रों की अपेक्षा अधिक काम किया है।

भारत क्या है ? भारत की 80 प्रतिशत जनता ग्राम निवासी है। यदि समाजवाद लाना है तो हमें इन 80 प्रतिशत लोगों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करना होगा—हमने यहाँ पर बहुत से वादों के बारे में सुना है परन्तु असली वाद की उपेक्षा की जा रही है। मैं इसे बढ़ा चढ़ा कर नहीं कह रहा हूँ परन्तु यह वास्तविकता है।

जवान, श्रमिक और किसान क्या कर रहे है ? वे सब पूँजीपतियों के हाथों में हैं!

भारत के गांवों में अन्न पैदा होता है ; यही गांव प्रतिरक्षा के लिए जवान प्रदान करता है परन्तु बदले में गांव निवासियों को क्या मिलता है ? काला बाजारी, धोखाधड़ी और लूट-खसोट उनके साथ की जाती है यहां तक कि उनकी जमीन जिसे वे जोतते रहे हैं वह भी छीन ली जाती है। किसी भी देहाती को बुरे नामों से पुकारा जाता है—सर छोटू राम को छोटू खां कहा जाने लगा।

मैं ब्लोक डेवलपमेंट और जिला परिषद् के बारे में कहना चाहूंगा कि ये जुल्म परिषद् हैं। मैं यह इसलिए कहता हूं कि देहाती लोगों से इन्होंने रहे-सहे अधिकार भी छीन लिए हैं। नगर-पालिकाओं और शहरों के लोगों ने नागरिक अधिकार प्राप्त किये हैं परन्तु देहाती लोगों के अधिकार समाप्त कर दिये गये हैं। यदि जिला बोर्डों को वास्तविक अधिकार प्रदान कर दिए जाते तो हम कोई भिखारी नहीं बन जाते बल्कि विकास कार्यों से राष्ट्र को करोड़ों रुपयों का योग मिलता।

बिजली प्रति इकाई 3 पैसे में उत्पन्न की जाती है, जबकि 18 पैसे से 25 पैसे तक प्रति इकाई गांवों में प्रदान की जाती है। दिल्ली स्थित विलास सामग्री बनाने वाले बड़े उद्योग-धन्धों को

प्रति इकाई 3 पैसे में प्रदान की जाती है जब इस अन्तर का प्रश्न उठता है तो उत्तर मिलता है कि गांव वाले ऊंची दर पर पैसा दे सकते हैं। मैं माननीय सदस्यों के चरणों में अपनी पगड़ी रख दूंगा यदि धनवान व्यक्ति ज्यादा पैसा चुकाने के सिद्धान्त को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जायें। परन्तु ग्रामीण लोगों को सम्पन्न कैसे बताया जा सकता है ?

1857 के आन्दोलन के कई महेन्द्रगढ़ जिले में पवित्र स्थानों को पं० जवाहरलाल नेहरू ने दौरा करके देखा था तथा कहा था कि उन क्षेत्रों को विकसित किया जाना चाहिए तथा राजनीतिक पीड़ितों को, जिनके साथ अन्याय हुआ है, सहायता प्रदान की जानी चाहिए। परन्तु 10 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति महीने की सहायता दी जाती है। केन्द्र तथा पंजाब सरकारों ने यह स्वीकार भी किया है।

At last I would request that the people of my constituency have been suffering for the last 12 years. Money-landers charge interest at the rate of 12 percent. These people also must be taken into socialitic order

श्री राममूर्ति (मदुरै) : मैंने माननीय सदस्यों के भाषणों को बड़े ध्यान से सुना है। सबने अपने दृष्टिकोण से इस बजट पर अपने विचार व्यक्त किये हैं। मेरे विचार में यह बजट एक समाजवादी बजट नहीं है और हमारा समाज भी समाजवादी समाज नहीं है।

श्री डांगे ने कहा है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस देश में एकाधिकार को समाप्त करना चाहती है और संगठन कांग्रेस एकाधिकार का प्रतिनिधित्व करती हैं। हमें विचार करना है कि क्या वास्तव में यह बात ठीक भी है। हमें देखना है कि क्या इससे समाज के निम्न वर्ग पर बोझ कम होगा अथवा बढ़ेगा। क्या एकाधिपतियों के हितों को संरक्षण मिलेगा अथवा देश में सामाजिक न्याय के लिए आगे कदम उठाये जायेंगे ?

इन कसौटियों को ध्यान में रखते हुए यह बजट श्रीमती गांधी के दावों का भंडा-फोड़ करता है। इससे श्री डांगे की यह बात असत्य सिद्ध होती है कि सतारूढ़ कांग्रेस एकाधिकार का खात्मा करना चाहती है।

श्री जि० मो० बिस्वास : श्री डांगे ने ऐसी कोई बात नहीं कही है।

श्री पी० राममूर्ति : आपके दल के आंध्र में प्रकाशित होने वाले समाचारपत्रों में यह समाचार छपा है। अब हमें यह देखना है कि क्या इस बजट में पहले के बजटों की अपेक्षा नये उपाय करके प्रगतिवादी कार्यवाही की जा रही है अथवा नहीं ? मेरे विचार में इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं है। पुरानी प्रणाली के अनुसार कार्य हो रहा है। और यह बजट उसी का एक नमूना है। हां नाममात्र के लिये सरकारी कर्मचारियों और मजदूरों के लिए पेंशन की व्यवस्था की गई है।

अब मैं करों के प्रश्न को लूंगा। यहां पर दावा किया गया है कि धनी वर्ग तथा अधिक आय वालों पर अधिक कर लगाये जायेंगे। परन्तु हमें पहले का अनुभव यह बताता है कि यह वसूल नहीं हो पाता है। ये धनी तथा बड़े-बड़े लोग अपनी आय छिपाते हैं और सरकार को धोखा देते हैं। अतः ऐसा कहना कि हम ने आयकर अथवा अन्य करों में वृद्धि कर दी है और अब एका-

धिकार समाप्त हो जायेगा, बहुत भ्रामक है। हमारे सभी भूतपूर्व वित्त मंत्रियों ने निगमित क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के नाम पर रियायतें दी हैं। उन्हें अनेक प्रकार की छूट मिलती रही है। यह ठीक है कि अब की बार ऐसा नहीं किया गया है।

देश में बड़ी-बड़ी कम्पनियों के लाभ में प्रति वर्ष वृद्धि होती जा रही है। इस बारे में मैं डनलप कम्पनी, ऐसको और बर्मशैल के उदाहरण देना चाहता हूँ। ये बातें सभी विदेशी कम्पनियों के बारे में सच है। इसी प्रकार बड़ी-बड़ी भारतीय कम्पनियों जैसे टाटा स्टील, टेलको, सिंदिया, इम्पीरियल टोबेको आदि के लाभ में भी वृद्धि हुई है। इससे यह पता चलता है कि हमारे देश में कोई मन्दी नहीं है। सरकार की नीति से देश के बड़े-बड़े व्यापारियों तथा उद्योगपतियों को लाभ हुआ है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एकाधिकार वालों पर किसी प्रकार भी बोझ नहीं बढ़ा है।

संसाधन जुटाने के मामले में देहातों में बचत आदि के लिए प्रोत्साहन दिये जाने की बात कही गई है। अप्रत्यक्ष करों का भी समाज के निम्न वर्ग पर प्रभाव पड़ेगा। कुछ ऐसी आवश्यक वस्तुएं हैं जिन पर पहले ही बहुत अधिक कर लगा हुआ है। श्री मोरारजी देसाई के समय में उपभोक्ता वस्तुओं पर बहुत कर लगा दिये गये थे। अब तो जनसाधारण को कुछ राहत दी जानी चाहिए थी। ऐसा न होने के कारण ही मैं इस बजट को पहले के बजटों के समान ही मानता हूँ।

इस समय इसमें 225 करोड़ रुपये का घाटा है। मैं समझता हूं कि वास्तव में यह कहीं अधिक होगा। हमें गत 20 वर्षों के अनुभव से यही पता चलता है। राजस्व की वसूली में 5 प्रतिशत से अधिक की वसूली कभी नहीं हुई है। यह आशा करना कि इस बार यह 7½ प्रतिशत बढ़ जायेगी, बहुत मुश्किल जान पड़ता है।

फिर यह कहा गया है कि इस बार की बहुत अच्छी फसल को ध्यान में रखते हुए 225 करोड़ रुपये का घाटा अधिक नहीं है। श्री मोरारजी देसाई ने भी यही विचार व्यक्त किया था। परन्तु परिणाम हमारे समक्ष हैं। हम यह भी पाते है कि मूल्यों में भी उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। गत छः महीनों में 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सरकार यह गारंटी देने को तैयार नहीं है कि मूल्यों की वृद्धि को रोका जायेगा। हम देख रहे हैं कि 'डालडा' जैसी आवश्यक वस्तुएं बाजार में उपलब्ध नहीं हैं। तमिलनाडु में वस्तुओं के मूल्य बढ़ रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार मूल्यों में वृद्धि को रोकने की दिशा में क्या कार्यवाही करने जा रही है सरकार वितरण व्यवस्था पर अपना नियन्त्रण रखना चाहिए।

सरकार के व्यय में वृद्धि होती जा रही है। मैं केन्द्रीय पुलिस पर व्यय की वृद्धि का उदाहरण देना चाहता हूं। गत पाँच वर्षों में इसमें पांच गुना वृद्धि हुई है। बजट का 40 प्रतिशत से अधिक भाग प्रतिरक्षा पर व्यय होता है। इसमें वृद्धि की जा रही है। 75 प्रतिशत से अधिक राशि गैर-विकास प्रधान कार्यों पर व्यय की जाती है। इस प्रकार विकास सम्बन्धी कार्यों पर बहुत कम व्यय किया जा रहा है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सरकार मूल्यों को स्थिर रखने में असफल रही है। इसी कारण गैर-विकास कार्यों पर व्यय बढ़ गया है। संगठन कांग्रेस को इस बजट की आलोचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह उनकी नीति के अनुसार ही बनाया गया है। इन दोनों गुटों को फिर से मिल जाना चाहिये।

सरकार को डाकघर बचत खातों पर अधिक ब्याज देना चाहिए। खूब बड़े-बड़े धनी लोग ग्रामीण क्षेत्रों में बेचारे खेतिहर मजदूरों को 24 प्रतिशत तक की ब्याज पर ऋण देते है। सरकार को देश के छोटे वर्गों की सहायता के लिए योजनाएं बनानी चाहिये। धनी वर्ग सरकार के विकास कार्यों में धन नहीं लगाना चाहता क्योंकि वह गरीब जनता को धन देकर बहुत अधिक धन कमाता है।

इस बजट से शेयर मार्कीट में शेयरों की कीमतें चढ़ गई बताते हैं। क्या इससे उत्पादन बढ़ा है ? सट्टेबाजी बढ़ती जा रही है। जब तक इस पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता, तब तक हमारा देश प्रगति नहीं कर सकेगा। हमें देश में पूंजीवाद के एकाधिकार को समाप्त करना होगा।

सरकार के आर्थिक-स्थिति-सर्वेक्षण में कहा गया है कि 1968-69 में हमारे निर्यात में बहुत वृद्धि हुई है। चौथी योजना के प्रथम वर्ष में केवल 1.2 प्रतिशत वृद्धि हुई। मैं नहीं जानता कि योजना अवधि में 7 प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जायेगा ?

औद्योगिक उत्पादन के वर्तमान स्तर को बनाये रखने के लिए हमें बहुत अधिक मशीनें आदि आयात करनी पड़ेंगी। इसके लिए हमें विदेशों से सहायता मांगनी पड़ेगी। अतः बुनियादी बात यह कि हमें विदेशों पर निर्भर करने की प्रवृत्ति छोड़नी होगी। हमें विदेशों से ऋण लेना बन्द करने होंगे। हमें अपने पांवों पर खड़ा होना होगा। हमारी उत्पादन लागत बहुत अधिक है। हमें आयात कम करके विलास सामग्री के उत्पादन को कम करना होगा। यदि हम वातानुकूलन उद्योग को बन्द करके अन्य आवश्यक उद्योग चालू करें तो बहुत लाभदायक हो सकता है। हमें विदेशों पर अधिक निर्भर न होकर, देश के भीतर उत्पादित होने वाली वस्तुओं का प्रयोग अधिक करना चाहिए।

मेरे मित्र श्री सोमानी ने विनियोजन के लिए अधिक अवसरों की मांग की है। बैंक राष्ट्रीयकरण के बाद बडी कम्पनियों के 43 प्रतिशत शेयर बैंकों के नियन्त्रण में आ गये हैं। अब सरकार को चाहिये कि इन कम्पनियों को अपने नियन्त्रण में ले लें। जब तक देश में सरकारी क्षेत्र के साथ-साथ बड़े व्यापार गृह और एकाधिकार वाली फर्में बनी रहेंगी सरकारी क्षेत्र उन्नति नहीं कर पाएगा। हमें दोनों में से एक को छोड़ना होगा। वस्तुतः देखना यह है कि उद्योगों में एकाधिकार की स्थितियों पर नियन्त्रण पाने के लिए क्या आप बैंक राष्ट्रीयकरण से प्राप्त अर्थ-व्यवस्था पर अपने नियन्त्रण का प्रयोग इस कार्य के लिये करेंगे अथवा थोड़ा बहुत फेर बदल करके ही सन्तुष्ट हो जायेंगे।

जहां तक सहकारी आन्दोलन का सम्बन्ध है वह तो ग्रामीण क्षेत्रों में परिहास का विषय बन गया है। इस पर बनी वर्ग का ही अधिक प्रमुख है और इन विकासशील क्रियाओं के फलस्वरूप उनके पास पर्याप्त धन आ गया है और ऐसे आन्दोलन का भविष्य अन्धकारमय है।

ग्रामीण क्षेत्र में एक नई योजना द्वारा 'सहकारी भारतीय कृषक उर्वरक समिति' चलाने का प्रस्ताव रखा गया है और लगभग 90 करोड़ रुपये की पूंजी इसमें लगेगी। इस वर्ष के बजट में इसके लिए 16.75 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई, विश्व बैंक भी इसमें कुछ अनुदान देगा।

लेकिन इसका लाभ केवल धनी वर्ग को होगा यह उनके हाथ मजबूत करेगा। ये लोग धन को अनुत्पादक कार्यों में जैसे सूद पर राशि देने आदि में लगाते हैं। अतः यह धारणा कि यह समिति खाद का विवरण निर्धन वर्ग के हित में करेगी भ्रामक है। देश को अनेक सहकारी समितियाँ जैसे महाराष्ट्र की सहकारी खांड समिति आदि इसका ज्वलंत उदाहरण है।

साथ ही देश में ट्रेक्टरों के अधिक प्रयोग पर बल दिया जा रहा है। देश में निर्मित ट्रैक्टरों की संख्या को अपर्याप्त मानते हुए उनके आयात पर अधिक बल दिया जा रहा है लेकिन ट्रैक्टर उत्पादन बढ़ाने में, गहरी खेती से अधिक अच्छे नहीं हैं। संयुक्त-राष्ट्र संघ द्वारा जापान में किए गए सर्वेक्षण से यह सिद्ध हो गया है कि थोड़ी मात्रा में की गई गहरी खेती यन्त्रों द्वारा की गई खेती से अधिक उत्पादक है अतः ट्रैक्ट्रीकरण पर बल देना ग्रामीण क्षेत्र में बेकारी को बढ़ावा देना तथा विदेशी मुद्रा का अपव्यय करना है। ट्रैक्टरों का प्रयोग अवश्य किया जाएगा लेकिन इसके लिए अनुकूल परिस्थितियां वांछनीय है।

मुख्य प्रश्न तो थोड़ी भूमि वाले किसानों का है। भूमि हीन श्रमिकों को घर के लिए जगह देने का आश्वासन दिया गया था परन्तु 20 वर्षों तक सम्भव न हुआ क्या सरकार हजारों लाखों की संख्या में स्थान देने की व्यवस्था कर सकती है। ऐसा कहा गया है कि श्रमिकों को भूमि की बाजार कीमत का केवल चौथाई भाग देना पड़ेगा और उसमें भी $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत सरकार देगी। इस प्रकार उन्हें केवल $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत ही देना होगा। किन्तु मात्र सद्भावना रखने से क्या होगा। जब तक नीति क्रियान्वित न की जाएगी, सामाजिक असन्तोष राजनीतिक अव्यवस्था बढ़ती ही जाएगी। एकदम समाजवाद लाना संभव नहीं हैं, किन्तु हमें एकाधिकारियों के चंगुल से निकलना ही होगा और यदि परिणाम सन्तोषजनक न हुए तो इसका दायित्व एक मात्र आप पर होगा।

Shri Lakshmikanthamma (Khemmam): God has unusual remidies for solving problems of the world. In normal situation he entrusts the leadership of mankind to men and in extraordinary situation he puts the mentle of leadership on the shoulders of woman. I believe this is what exactly happened in India. I take it as my first and foremost duty to support the new leadership.

I congratulate the Prime Minister on the budget she has presented. It is a comprehensive self-contained and progressive budget. This is not a formal budget and has not been prepared by visionaries. It is not easy to prepare budget in present circumstances of economic crisis, when the social justice and the progress are in conflict with each other. It is difficult to strike balance and make adjustments. Budget is not only realistic but socialistic in character also. It is good for all the citizens.

Different people have reacted differently to it but no solid argument has been advanced against it. The Chief Minister has presented a fine-specimen of self-contradictory statements. Mr. Patil has called it reckless and has said that it will add to the hardships of the common man. Mr. Patil has only the rich in view and if he objects it it is not unnatural.

Whereas income-tax is concerned the rich will have to pay more taxes. The middle-class has been relieved. The taxes are imposed only on those persons who can bear them.

No doubt the rate of economic growth has been retarded during the past few years but and as a result unemployment is increasing. People are dissatisfied with it. If the pattern of economy goes against the wishes they will not allow such a system to stay. The government has tried to provide resources for mobilising the projects.

Excise duty on kerosene oil has been increased and it is not in favour of the poor class. The duty should be removed.

Change in income-tax will help in removing the economic inequality. The steps should be taken against those persons who do not want to pay the tax. Change in income-tax will relieve at least five lakh persons

The steps taken for social justice are really appreciable. By making provisions for pension for industrial labourers and exempting baby foods from taxes the Prime Minister has manifested the socialistic role of the Government.

Imposition of taxes on sugar and petrol has been criticised but while paving the way for economic progress everybody has to make some sacrifice and this is not much. The amount kept for Andhra Pradesh in the Fourth Five Year Plan is not sufficient. The state cannot implement its plans with only 410 crore rupees. Even the Telengana will not get benefit from Bhargava Committee. The Central Government has got to be liberal with Telengana.

Suggestion for opinion pole in Telengana is very dangerous. According to the Constitution States can only be classified by Parliament and not by anybody else. It is not only the question of one state but of Constitutional responsibilities.

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : There is a mystery behind this budget, which is matter of seriou concern for every citizens of this nation. The problem of foreigo debt has been referred at our place in the budget. By giving that details I would like to give a warning to the Members of this House through you. Till the end of 1969 foreign debt, according to official data, was Rs. 6140 crores and 40 lakhs. But according to the Prime Minister herself, the amount goes to Rs. 6659 crores and 37 lakhs by the end of 1970. And by the end of 1970 we have to pay an amount of Rs. 166 crores and 39 lakhs as interest. Seeing these figures I would like to say that each individual, from a child to an aged persons, owes Rs. 127 to foreign countries.

Apart from this, the figures given by the Public Accounts Committee are also thrilling. The Committee in its report has mentioned that as the time goes on the tendency of the Government to borrow is also speeding up to the extent of 21.6 per cent. The committee further adds that by the end of Fourth Five Year Plan, the amount we will have to pay will be about Rs. 1552 crores as interest excluding the principal amount of debt i e. 12,030 crores rupees. Every year the budget comes with great expectation. But the whole country is plunged into the trap of foreign debt. This is a major problem facing the economists of the country.

The second point which I would like to mention is that the Public Accounts Committee in its report has stated that the Government expect to earn foreign exchange to the extent of Rs. 300 crores which is based on a calculation that due to the increase in export trade, a seven percent compound interest will be added every year. But it is a baseless expectation. If I am not wrong, at the end of 1966 the Governor of Reserve Bank, in his annual statement, had stated that in order to pay the interest of debt India would have to borrow money from some other countries.

In these circumstance when the Government introduced the budget they must put forward all the problems and suggest remedies thereof. England has decided to impose 15 percent tax on the import of cloth in 1972. A lion's share of the cloth exported from India goes to England. What will be the condition of import of clothes after that.

We have so many items of goods, such as, sugur, iron, cement, etc. that we can export to other countries very easily. But here the situation is such that once we entered into an agreement with Combodia for the export of cement to that country. The Government informed that they were sending to thousand bags of cement and the cargo would reach there within three months. But even after seven months, not a single bag of cement reached Combodia and therefore they cancelled that order. In this manner, how can we develop

our import trade ? It is the opinion of the traders of foreign countries that we show goods of one quality and supply some other quality. For this drawback my suggestion is that the Government of India should follow the same methods that are being adopted by Japan. Japan has three agencies - the agency which supplies goods, the Government and the third is in between them. When an order is booked three copies of it will be prepared and each of them will go to the Government, the middle agency and the concerned supplying agency. For deretection on the side of either of the party, the other party will give compensation. But our Government have no information regarding the activities of our traders, whether they maintain the quality or not. If our export trade declines the situation in respect of foreign debt and interest will be very crucial.

The other serious problem is that of the production in Government owned factories. According to the report of the Public Accounts Committe, fifty percent of the capacity of these factories is not utilised. Regarding the Heavy Engineering Corporation also it is said that only three percent of its capacity is utilised. Hence what I want to say that when we think of the economic position of the country, we must bear in mind these facts and figures.

I have one more suggestion regarding the foreign debt. The Government should introduce a dollar bond just like the gold bond. The conditions must be that after twenty years dollar will be matured and the payment of interest thereof will be made in Indian currency.

By introducing this system more and more traders will be attracted towards this and they will deposit dollar in large amount so that the Government will not have to borrow from other countries. Another suggestion regarding the stopping the smuggling of gold into this country, is that by introducing dollar bonds, the Government can take up the responsibility of importing gold into the country. Our traders outside India will co-operate with the Government. But here the Government not yet thought of such a policy.

I want to say one thing about black money. According to the official data, so far 411 crore rupees unaccounted money have come out. According to the calculation of former Finance Minister Shri T. T. Krishnamachari, in 1964 it was about 1000 crore rupees. I request the Minister that something should be done so that the black money also should come out in the market.

One thing I want to say about the Cigarettes industry. In almost all big cigarettes factories, such as Imperial Tobacco Company, Vazir Sultan Factory, Golden Tobacco Company, etc., foreign shares play a dominant part and as a result of which a big amount of money goes out from the country. The Imperial Tobacco Company has 94 per cent foreign shares. The Vazir Sultan Compay has 67 per cent and the Golden Tobacco Company has 93 per cent foreign shares. If the Government of India rise this industry, hundred of crores of rupees that flow out, can be saved.

Finally I propose one thing that until the Government reduce their expenditure, this budget cannot be a socialistic one. I had seen so many letters which are being sent from Government Offices in cover, each of which bears a stamp of 20 paise, and mostly one or two lines are written in these letters.

Can't these lines be written on post card ? The Government can save crores of rupees in this way. Some 8 years ago the Comptroller and Auditor General had sent a paragraph to Public Accounts Committee in which he had communicated that ever though the salary of Ministers was Rs. two thousand or two thousand five hundred rupees, an amount of ten thousand to tvelve thousand rupees is spent for a Minister. I do not have any objection, but I would take to the limit should be fixed and the Minister should meet all expenses from within this fund only. Hence my suggestion is that for introducing an ideal budget, and to step forward towards socialism the Government should reduce their expenditure and then only they should advise the people to save money.

डा० अ० ग० सोनार (रामटेक) : इस वर्ष का बजट अन्य वर्षों के बजटों से भिन्न है । मैं विरोधी सदस्यों की इस बात से सहमत नहीं हूं कि ऐसा बजट कोई भी वित्त मंत्री प्रस्तुत कर सकते थे । इस वर्ष के बजट में, विशिष्ट ग्रामीण योजनाओं के लिए, 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । गन्दी बस्तियों की सफाई की व्यवस्था की गई है और पीने के पानी की सप्लाई की व्यवस्था के लिए धन राशि निर्धारित की गई है । इस वर्ष के बजट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हमने विदेशों से अन्न के आयात में कमी की है क्योंकि हमें आशा है कि हम निकट भविष्य में इस मामले में आत्म निर्भर हो जायंग । इसके लिए यह आवश्यक है कि हम किसानों को प्रोत्साहन दें किसानों के लिए उचित वातावरण पैदा करें ।

सरकार ने किसानों की उपज की कीमतें निर्धारित नहीं की हैं । यदि वे अधिक उत्पादन करते हैं तो उनकी उपज का मूल्य घट जाता है । यदि उत्पादन कम होता है तो उसका मूल्य बढ़ जाता है । सरकार को उनके उत्पादों का लाभप्रद मूल्य निर्धारित करना चाहिए।

उर्वरकों पर लगाये गये शुल्क में कमी की जानी चाहिए । जब तक हम किसानों को उचित प्रोत्साहन नहीं देंगे वे पर्याप्त अन्न का उत्पादन नहीं करेंगे । सरकार को उनके उत्पादों के उचित मूल्य निर्धारित करने चाहिए ।

जब तक शहरी सम्पत्ति की सीमा निर्धारित नहीं की जायेगी ग्रामीण क्षेत्रों में संतोष नहीं हो सकता ।

व्यक्तिगत आयकर की सीमा में वृद्धि करने का मैं स्वागत करता हूं । सरकार को चाय, चीनी और मिट्टी के तेल पर उत्पादन शुल्क में वृद्धि नहीं करनी चाहिए थी । इसके परिणाम स्वरूप गरीब वर्गों पर पड़ने वाले भार में वृद्धि होगी ।

विदेशों को भेजे गये नमूने के अनुसार माल न भेजने से राष्ट्र के सम्मान को ठेस पहुँचती है । इस बारे में सब राजनीतिक दलों को सहयोग देना चाहिए ।

यदि देश के भविष्य को उज्ज्वल बनाना है तो सब दलों को देश कल्याण के लिए अपने दायित्व को निभाना चाहिये ।

देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम प्रतिरक्षा व्यय में कमी नहीं कर सकते ।

प्रत्येक दल को देश को समृद्ध बनाने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए । केवल नारों से काम नहीं चलेगा ।

सरकार को सामान्य व्यक्तियों द्वारा प्रतिदिन प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं पर शुल्क लगाने के बारे में पुनः विचार करना चाहिए ।

श्री ए० श्रीधरन (बडागरा) : प्रधान मंत्री ने, जो वित्त मंत्री भी हैं, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के समय उपस्थित न होकर सभा का अपमान किया है ।

प्रधान मंत्री का यह कहना कि हम समाजवाद के द्वार पर खड़े हैं और पूंजीवाद का अंधे-

यारा समाप्त हो चुका है लोगों की आंखों में धूल झोंकने के समान है। यह बजट समाजवाद-प्रधान नहीं है। यह कहना निर्मूल है कि इस बजट द्वारा समाजवाद लाया जा सकता है।

ऐसे बहुत से देश हैं जहां विलास सामग्री की वस्तुओं पर बहुत अधिक कर लगाये गये हैं। सरकार ऐसी ही कार्यवाही करने की बजाय सामान्य व्यक्ति की आवश्यकताओं की वस्तुओं जैसे चीनी, मिट्टी का तेल, चाय इत्यादि पर शुल्क लगा रही है। यह उचित नहीं है।

हम सब कहते हैं कि हमारे देश को संकट का सामना करना पड़ रहा है। यदि हम चौथी योजना के दौरान अपनी राष्ट्रीय आय में 6 प्रतिशत वृद्धि करना चाहते हैं तो कृषि क्षेत्र में हमारी आय में 5 से 6 प्रतिशत वृद्धि होनी चाहिए और औद्योगिक क्षेत्र में यह वृद्धि 8 से 9 प्रतिशत होनी चाहिए। यदि आज देश में कृषि क्रान्ति आई है तो वह मुख्यतः अनुकूल मौसम के कारण है। देश में कृषि का विकास तब तक नहीं होगा जब तक उसके विकास के लिए मनोवैज्ञानिक वातावरण नहीं बनाया जाता।

देश में भूमि सुधार करने की बहुत आवश्यकता है। जापान और फारमोसा जैसे अन्य पूंजी पति देशों में भूमि सुधार लागू किया गया है। जापान में प्रति व्यक्ति के पास 10 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है। फारमोसा में भूमि की सीमा 7 एकड़ है। कृषि में विस्तार और विकास के लिए भूमि सुधार अत्यन्त आवश्यक है।

औद्योगिक और कृषि क्षेत्र के विकास के साथ सहकारी क्षेत्र का भी विस्तार किया जाना चाहिए।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में फिजूल खर्ची को रोका जाना चाहिए फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स (त्रावनकोर) लिमिटेड के विरुद्ध सरकारी उपक्रम समिति ने 42 आक्षेप लगाये हैं। उक्त फर्म सार्वजनिक धन का अपनी सम्पत्ति के रूप में प्रयोग कर रही है। सरकार ने सरकारी उपक्रमों के उन निदेशकों और अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है जो उन सरकारी उपक्रमों का अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति के रूप में प्रयोग कर रहे हैं? यदि सरकारी उपक्रमों का विकास किया जाना है तो उन सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा समाजवादी दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। सरकार ने खर्च और मनोरंजन पर कर लगाये हैं लेकिन सरकारी उपक्रमों के मैनेजरों और प्रबन्ध निदेशकों की उपलब्धियों का क्या बना?

देश में स्थिरता का वातावरण तब तक पैदा नहीं हो सकता जब तक देश में प्रादेशिक असंतुलन विद्यमान है। केरल में कोचीन पोत-प्रांगण की छः बार आधारशिला रखी जा चुकी है लेकिन अब उसमें कुछ भी कार्य नहीं हो रहा है।

हमारे देश में साधनों की कमी नहीं है लेकिन हम उनका पूरा प्रयोग नहीं कर रहे हैं। कालीकट में लोह-अयस्क के भंडार विद्यमान हैं लेकिन इस बारे में वहां सर्वेक्षण नहीं किया गया है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय सरकार ने जनता को बहुत से आश्वासन दिये थे लेकिन स्वतन्त्रता के 22 वर्ष बाद सरकार विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों को पूरा करने में असमर्थ रही है। इन मामलों में चीन हमारे देश से आगे निकल गया है। ऐसा सरकार द्वारा गलत नीतियां अपनाने के कारण हुआ है।

यदि सरकार देश को समृद्ध बनाना चाहती है तो उसे वास्तव में समाजवादी बजट प्रस्तुत करना चाहिए था। यह बजट समाजवादी बजट नहीं है ?

Dr. Sankata Prasad (Misrikhi) : The Budget presented by the Prime Minister is a genuinely socialist Budget and the people of the Country have welcomed this budget. Taxes have been imposed on luxury goods. The goods used by common man have generally been exempted. The common man and the middle class people will hardly be effected by this Budget. This Budget is a step towards Socialism. The Prime Minister has taken great care for Children in this Budget. She has made provision of 20 lakhs of rupees for providing nutritius food for Children.

The Prime Minister has taken a courageous step by imposing duty on Urban Property. Now the people in the villages are feeling that Government cares not only for the welfare of the people living in the country but for those living in the villages also.

Government should take steps to see that the big capitalists are not able to evade income tax.

Green Revolution in the country cannot be brought about unless we provide electricity, water and other facilities to the farmers.

Government should provide employment to the people living in villages.

This Budget in the interest of the Country and it will be helpful in bringing socialism in the country.

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर) : प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया बजट उत्पादन-सहायक बजट न होकर उत्पादन अवरोधक है। उन्होंने आयकर की सीमा निर्धारित की है। 40,000 रुपये की आय तक कर में कोई वृद्धि नहीं की गई है, लेकिन उससे ऊपर की आय पर कर में अत्यधिक वृद्धि की गई है। इसका कारण यह है कि मन्त्री और नौकरशाहों का वेतन 40,000 रु० से अधिक नहीं होता और उन्हें कर लगाने से बचाया गया है। यह विडम्बना ही है कि ये स्वयं को और अपने बजट को समाजवादी कहने का ढोंग करते हैं।

इन मन्त्रियों को 2,500 रु० या 3,000 रु० के साथ-साथ मुफ्त रिहायश, मुफ्त बिजली और पानी तथा दर्जनों नौकर और मुफ्त सरकारी कार की सुविधा मिली हुई है। अगर इन सब सुविधाओं का हिसाब लगाया जाय, तो यह करीब 10,000 रुपये प्रति माह अतिरिक्त होता है। अगर ये मन्त्री वास्तव में समाजवादी है, तो उन्हें इन सुविधाओं और रियायतों पर भी कर अदा करना चाहिए।

शहरी भूमि के स्वामित्व पर कर लगता है। यह कर यदि नियमित क्षेत्र पर लगे तो समझा जा सकता है। परन्तु यदि किसी व्यक्ति के पास चीनी कारखाने के नाम पर, या निगमित क्षेत्र की अन्य किसी बात के नाम पर एक, दो या तीन हजार एकड़ जमीन हो, तो भी वह इस कर से मुक्त होगी। लेकिन निर्धन कृषकों पर कर तो लगाया ही जाता है, भूमि सीमा का प्रतिबन्ध भी लगाया जाता है। उनके मामले में बिजली की दरों को बढ़ा दिया गया है, तथा पानी की दरों को और अन्य करों को दुगुना कर दिया गया है। यही नहीं, उन्हें सम्पत्ति कर भी अदा करना पड़ता है।

ग्रामों में जहां भूमि की उर्वरा-शक्ति अधिक है और जहां सिंचाई और पानी आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जमीन की कीमत 10,000 रु० से 20,000 रु० एकड़ तक हो सकती है

और सिंचाई आदि की सुविधाएं जिस जमीन को उपलब्ध नहीं हैं, उसकी कीमत 1,000 रु० प्रति एकड़ भी हो सकती है। अब आयकर अधिकारी सारी जमीन की कीमत 20,000 रु० प्रति एकड़ के हिसाब से निर्धारित करेंगे। इससे और अधिक भ्रष्टाचार फैलेगा और गरीब किसानों को सताया जायेगा। इस सबके बावजूद, 4 करोड़ रुपये की मामूली रकम वसूल होगी।

गांवों में रहने वाली 85% जनता के कल्याण और विकास के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। बजट में गन्दी बस्तियों की सफाई और औद्योगिक मजदूरों आवास प्रदान करने के लिए तो व्यवस्था की गई है, परन्तु निर्धन हरिजनों और खेतिहर मजदूरों के लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं की गई। गावों में रहने वाली 85% जनता इस सरकार के विरुद्ध है।

यह सरकार शहरी लोगों के लिए सिर्फ शहरों में ही मकानों का निर्माण करती है। गांवों और छोटे कस्बों में लोग सुरक्षा के लिए छोटे-छोटे मकानों का निर्माण करते हैं। एक विधवा जो अपने स्वर्गीय पति के भविष्य-निधि खाते में जमा रकम से एक छोटा सा मकान बना लेती है और अपनी गुजर करने के लिए अगर वह मकान को किराये पर उठा देती है, तो यह सरकार उस विधवा पर भी कर लगायेगी। ग्रामीण लोगों को इस प्रकार धोखा दिया जा रहा है।

जब बजट पेश किया गया, तो किसानों ने नहीं, बल्कि बड़े-बड़े व्यापारियों ने प्रधान मंत्री की सराहना की ; क्योंकि निगमित क्षेत्र में पूंजी निवेश से होने वाली 3,000 रु० तक की आय को कर से छूट दी गई है। इस प्रकार की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अन्तर है। यह सरकार समाजवाद की समर्थक और एकाधिकार के विरुद्ध है, बिड़ला बन्धुओं को लाखों रुपये की लागत का उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिए लाइसेन्स देने से नहीं हिचकती।

सरकार को चाहिए कि वह निगमित क्षेत्र से संबन्धित भूमि की सीमा निश्चित करने के लिए कानून बनाये। निगमित-क्षेत्र पर धन-कर भी लगाया जाना चाहिए। यदि कोई किसान दूसरे किसान को अपनी खेतिहर भूमि बेचता है, तो उसे सरकार को कर अदा करना होता है, परन्तु निगमित-क्षेत्र के बड़े व्यापारी को भूमि बेचने पर कोई कर नहीं देना पड़ता। यह भेदभाव दूर होना चाहिए।

अभी हाल में, सरकार ने चीनी की कीमत पर विचार करने के लिए तटकर आयोग (टैरिफ कमीशन) नियुक्त किया था। जब उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है तो टैरिफ कमीशन नई कीमतें निर्धारित करता है। जब कि प्रत्येक वस्तु की उत्पादन-लागत के साथ-साथ चीनी की उत्पादन लागत में भी वृद्धि हो रही है, फिर भी इस टैरिफ कमीशन ने महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश में क्रमश: 7 रु० और 15 रु० प्रति क्विन्टल के हिसाब से चीनी की कीमतों में कमी कर दी। पहले आंध्र प्रदेश में चीनी के दो क्षेत्र थे जहां अलग-अलग मूल्य थे। अब कीमतों में संशोधन हो जाने के बाद चित्तूर में चीनी के 20 रु० कम मिलते हैं जब कि उसी चीनी के मद्रास में 15 रु० ज्यादा मिलते हैं। क्या सरकार किसानों के प्रति इस प्रकार का व्यवहार उचित है ?

Shri N. R. Deoghare (Nagpur) : I support the Budget introduced by the hon. Prime Minister. This Budget is a step in the direction of helping the poorer sections of society. Maximum land is proposed to be brought under irrigation, employment opportunities have been provided to the jobless. Efforts has been made to encourage the setting up of small scale industries. The Government have tried to prevent concentration of economic power in a few hands through nationalisation of banks, implementation of the recommendation of the Licensing Committee and passing of Monopoiy Act. Supply of drinking water in the rural areas has also been attached to rural areas.

It is because of the revolutionary changes which we find in the Budget that parties the Jana Sangh and Congress Party (O) had lost their balance.

It apeared that the Prime Minister has forgotten the hand loom weavers. There are 25 lakhs of them in our country who earn their livelihood from handlooms. I expected that the Budget would give some relief to the weavers but the Government have provided no solace for them. I want that the excise duty on thread of count No. 40 should be withdrawn so that these 25 lakh workers whose average income is only Rs. 75 per month would get some relief. The workers employed in other industries had the benefit of family Pension and medical-assistance, but these workers can not even imagine of such kind of facilities.

The Government have prepared a scheme for loans to these looms through the Reserve Bank. But the amount lent so far is only Rs 5 crores. If the amount of Rs. 500/- is advanced to one loom, only 1 lakh looms would be able to take advantage of this loan and remaining 24 lakhs would not get this assistance.

I also want to draw the attention of the Government to wards Khadi Udyog. According to the data given here. One lakh people work as weavers in Khadi industry and 15 to 16 lakhs of persons do part time job. For them, a sum of Rs. 7 crores 65 lakhs has been allocated ; but in Handloom industry where 25 lakhs persons work and who had to feed 2 crores of their dependents, only a sum of Rs. 7 lakhs has been allocated as grant in aid. Is it the policy of the Government to give attention only to those who had the backing of important people but to ignore the poor ?

The handloom industry is backward and yet it has to compete with big mills and the power looms. The Asoka Mehta Committee set up by the Government has recommended that in order to encourage the Hand-loom industry, power-looms should not be allowed to manufacture coloured Sarees. Inspite of that, the Powerlooms and mills continued to manufacture coloured sarees. I request that the rules made to give relief to this industry must be got implemented.

I also want to draw attention of the Government the loans given to the co-operative societies. I refute the allegation made by Shri Ramamurti that big land-lords are share-holders in the Suger-co-operative Societies in Maharashtra. The farmers possessing from 1 to 5 acres of land constitute 50 per cent share holder of these societies. Can these farmers be termed as landlords ? There is no security and no market guarantee for handloom products. The Maharashtra Government has decided to abolish the rebate that 5 given to this industry, In order that this interests was not ignored, I suggest that on the lines of the Khadi-Board, a Statuatory Body should also be set up for this industry.

In the end, I would like to say something about Nagpur. Shri Sethi went there and a deputation of Central Government employees met him and requested him that Nagpur should be categorised as B—I city instead of B—2 as at present. This demand should be accepted.

डा० मैत्रेयी बसु (दार्जिलिंग) : इस बजट के सम्बन्ध में इस बात की बहुत चर्चा हुई है कि यह समाजवादी बजट है या नहीं ।

निस्संदेह हमें इसके समाजवादी होने की आशा थी पर उस कसौटी पर यह खरा नहीं

उतरा । उस दिशा में मामूली भाप प्रयत्न मात्र है । एक ओर तो सत्तारूढ़ कांग्रेस दल समाजवाद की बात करता है और दूसरी ओर उसके अध्यक्ष का कहना है कि वह स्वतन्त्र पार्टी के साथ गुजरात में सरकार बनायेंगे । पर साथ ही वह उड़ीसा की स्वतन्त्र दल समर्पित सरकार को गिराना भी चाहते हैं । इन सबसे उनके दल की नियत के अच्छा होने पर सन्देह होता है ।

कल्याणकारी राज्य की दिशा में कुछ प्रयत्न इसमें अवश्य है । पर जिसने जनसंघ समाजवाद का तनिक भी अध्ययन किया है वह इन प्रयत्नों को समाजवादी नहीं कह सकता । वास्तव में समाजवाद क्या है इस पर इस देश में कभी गम्भीरता से चर्चा नहीं की गई । श्री डांगे ने समाजवाद की सरल व्याख्या करने का प्रयत्न किया, पर मार्क्सवाद पर आधारित समाजवाद से, हममें से अधिकतर लोग परिचित हैं और वह तानाशाही के अलावा कुछ नहीं है ।

देश में भयंकर बेरोजगारी है पर उसके सम्बन्ध में बजट में कुछ नहीं कहा गया है । बेरोजगारों के लिए अतिरिक्त रोजगार का प्रबन्ध करने के बजाय सरकार स्वचालित मशीनों का प्रयोग करने का विचार कर रही है । इसका असर देश की बढ़ती हुई जनसंख्या पर पड़ेगा । इसलिए सरकार को स्वचालित मशीनों का प्रयोग करने से पहले इन पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए और उसे अपने इन निर्णय को बदलना चाहिए ।

मुद्रा अवमूल्यन से देश को कोई लाभ नहीं हुआ है । अवमूल्यन से पहले कलकत्ता बन्दरगाह के लिए विश्व बैंक से 25 करोड़ रुपए का ऋण लिया गया था पर अवमूल्यन के बाद उसमें 11 करोड़ की और वृद्धि हो गई है तथा इतने दिन बराबर किश्तों में ऋण की अदायगी करने पर भी उस पर अभी भी 29.6 करोड़ रुपये का ऋण बकाया है ।

सीमावर्ती प्रदेशों की सुरक्षा का प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है । इन प्रदेशों की सुरक्षा का समुचित प्रबन्ध किया जाना चाहिए । इस सम्बन्ध में मैंने प्रधान मन्त्री को बताया कि हमारी भूमि सेवा का एक बहुत बड़ा भाग नेपाली बोलने वालों का है तथा उप-हिमालय प्रदेश की आम भाषा भी नेपाली है । इसलिए नेपाली को भी संविधान की आठवीं अनुसूची में क्यों न जोड़ दिया जाये ? इससे सीमा प्रदेशों की सुरक्षा में बड़ी मदद मिलेगी ।

Shri G. C. Dixit (Khandwa) : It was the first time when a really welfare budget had been presented by the Government. All credit for this goes to the Prime Minister. This budget shows that the Central Government are very much willing to act according to their declared policies. This budget has touched every field of activity, whether it is agricultural, industrial or social.

I would specifically like to mention Madhya Pradesh It had been the most neglected state before independence and even after independence. Out the total area of 176 thousand square miles, 66 thousand square miles are very rich in forest wealth. An agricultural expert of U N. had observed that Madhya Pradesh could produce 92 million cubic metre of industrial wood At present, we are producing only 9 million cubic metre wood. The Government should look into it.

So far as the means of communications are concerned there also the position is not very happy. The sum allotted to the state for this purpose is very insufficient and must be increased.

Similarly, the handloom industry of the state had been much neglected. Whereas in the case of Maharashtra the amount of loan came to Rs. 2250 per power loom, in

Madhya Pradesh it was only Rs. 750. Thus sort of disparity should not continue any more

The money allotted to the state for the Fourth Five Year Plan is also very insufficient. If Government is really interested in the upliftment of the backward area of Madhya Pradesh it should not give her this step motherly treatment. This remove the economic in balance, the Government should allot more funds to Madhya Pradesh.

कीनिया में भारतीय व्यापार की समाप्ति*

श्री रा० की० अमीन (ढ़ंढका) : सरकार द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या 65 के 25 फरवरी, 1970 को दिये गये उत्तर में मुझे कई त्रुटियां दृष्टिगोचर हुई हैं जो या तो जानबूझकर की गई हैं अथवा भूल से हो गई है।

मन्त्री महोदय ने प्रश्न के भाग (ग) तथा (घ) के उत्तर में कहा कि अभी तक उन व्यक्तियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त नहीं हुई है जिन पर कीनिया में की गई कार्यवाही पर प्रभाव पड़ेगा। बड़े आश्चर्य की बात है कि गत तीन चार वर्षों से यह चीज लोगों के दिमागों को परेशान कर रही है और मन्त्री जी इस प्रकार का उत्तर देते हैं। ज्योंही कीनिया स्वतन्त्र हुआ, अफ्रीकीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई तथा इस प्रकार इन लोगों (भारतीय व्यापारियों) की स्थिति बिगड़ती चली गई। उस समय क्या सरकार का यह कर्त्तव्य नहीं था कि वह कीनिया सरकार से इस बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करती ? क्या सरकार ने सूचना प्राप्त कर सदन के समक्ष रखने का कभी प्रयत्न किया ?

उसी उत्तर में सरकार यह कहती है कि कीनिया स्थित हमारा दूतावास हमारे देशवासियों से सम्पर्क बनाये हुए है तथा जितना भी सम्भव होगा उनके हितों की रक्षा की जायेगी। यह एक अस्पष्ट उत्तर है—समझ में नहीं आता कि "हमारे देशवासियों" से सरकार का तात्पर्य भारत के मूल निवासियों से है अथवा जिनके पास भारतीय पार-पत्र उनसे है ? उन्होंने कहा कि भारत के मूल निवासियों को पूर्वी अफ्रीका और कीनिया में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पर सरकार ने यह नहीं बताया कि वे क्या कठिनाइयां है।

श्री रा० की० अमीन (ढ़ंढका) : मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि केनया में केवल भारतीय मूलक नागरिकों के साथ कोई विशेष भेदभाव नहीं किया जाता बल्कि वहां पर सभी विदेशियों के साथ वैसा व्यवहार किया जाता है। मुझे यह समझ नहीं आता कि हमारी सरकार उनकी भेद-मूलक नीति को अभेद-मूलक बनाने की चेष्टा क्यों कर रही हैं। क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि वहां की नागरिकता प्राप्त भारतीयों का कई व्यापारों एवं क्षेत्रों में प्रदेश तक वर्जित है। केनया दक्षिण अफ्रीका वाली नीति में अपना रहा है। इससे मानव अधिकारों का अतिक्रमण होता है। वह बात तो मानी जा सकती है कि सरकार इस विषय पर कुछ कर नहीं सकती। इसलिए वह विषय पर चर्चा नहीं चाहती। यह ठीक है कि इस बात के लिए वह लड़ाई मोल नहीं ले सकती, परन्तु भेद-भाव की भावना स्पष्ट दिखने पर भी उसे अभेदमूलक क्यों कहा जा रहा है ? इससे अपने चोट पहुँचती है और साथ ही हमारी सरकार इस नीति के कारण

*आधे घंटे की चर्चा
Half an hour Discussion

केनया सरकार से इस भेद-भाव के विरुद्ध विरोध भी प्रकट नहीं कर सकती। वहां की सरकार कह सकती है आपका देश इस नीति को भेदमूलक नहीं मानता आप इसे किस आधार पर समाप्त करना चाहते हैं ?

मन्त्री महोदय ने उत्तर में यह भी कहा है कि यहां के अधिकांश भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की नागरिकता ग्रहण कर ली है अतः उनका दायित्व ब्रिटिश सरकार पर है। यदि उन्हें कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है तो इसका अर्थ यह है कि ब्रिटिश सरकार अपना कर्तव्य नहीं निभा रही। क्या हमारा उन लोगों से कोई सम्बन्ध नहीं है ? क्या हमारी सरकार उन लोगों के लिए कुछ नहीं करेगी ? ये लोग हमारे अपने हैं, इनके पूर्वजों ने इसी धरती पर जन्म लिया है।

मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में यह भी कहा कि भारतीय प्रतिनिधि मंडल से कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। किन्तु क्या आज तक माननीय मन्त्री ने इस सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा है ? क्या उन्होंने प्रतिनिधि मंडल के किसी सदस्य से इस विषय में बात करने की आवश्यकता समझी है ? सदस्यों ने स्वयं उनसे मिलने की इच्छा प्रकट की थी और मुसीबत में पड़े भारत के केनयाई नागरिकों की सहायता करने के लिये कदम उठाने को कहा था। सरकार इस विषय में सर्वथा उदासीन रही हैं और अब भी उनकी दुर्दशा से अवगत होने के पश्चात् क्या सरकार का यही रवैया रहेगा ?

इस सम्बन्ध में पूछे गये कुछ प्रश्नों को सरकार हमेशा से चलती आ रही है। एक माननीय सदस्य के पूछने पर भी, कि भारत सरकार केनया सरकार को भारत में दूतावास रखने के लिये क्यों नहीं कहती, उत्तर नहीं दिया गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस विषय पर कभी केनया सरकार से बात की है। मन्त्री महोदय ने कहा है कि हम ऐसी धारणा नहीं उत्पन्न करना चाहते जिससे यह प्रतीत हो कि केनयाई नागरिक सुरक्षा के लिए भारत की ओर आस लगाए बैठे हैं। यदि केनया में बरते जाने वाले भेद-भाव को अमानुषिक बताया जाता है तो इसका यह अर्थ नहीं कि वे सुरक्षा के लिए भारत की ओर आस लगाए बैठे हैं।

वहां के भारतीयों को चार भागों में बांटा जा सकता है। एक तो वे जिन्होंने केनया की नागरिकता ग्रहण कर ली हैं, दूसरे वे जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, तीसरे वे जिनके पास भारतीय पासपोर्ट है और चौथे वे जिनके पास कोई पासपोर्ट नहीं है।

मैं यह जानना चाहता हूँ कि सरकार भारत मे जन्मे केनयाई नागरिकों के साथ बरते जाने वाली इस भेद-मूलक नीति को समाप्त कराने के लिए क्या कोई प्रयास करेगी। दूसरे, जिन लोगों के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है वे दुहरी नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें ब्रिटिश पासपोर्ट त्याग कर फिर भारतीय नागरिकता पाने की सुविधा बनी रहे और बाद में यदि वे पुनः इंगलैंड लौटना चाहें तो उन्हें अपनी पहले वाली ब्रिटिश नागरिकता फिर से मिल जाए। किन्तु भारतीय सरकार ऐसा करने पर सहमत नहीं है।

सदस्यों ने इस सुविधा को प्रदान करने के विषय में भी प्रश्न किया था किन्तु कोई उत्तर नहीं दिया गया। हमें इस बात का ज्ञान कीनिया के भूतपूर्व उच्चायुक्त श्री अप्पापन्त के 'टाइम्ज आफ इंडिया' में प्रकाशित एक वक्तव्य से हुआ है। उनका कहना है कि वहां के भारतीय अपना

ब्रिटिश पासपोर्ट त्याग सकते हैं और बाद में यदि वे उसे फिर से लेना चाहें तो ले भी सकते हैं। ऐसी ही दुहरी नागरिकता की माँग ये लोग कर रहे हैं और ब्रिटिश सरकार ने उन्हें ऐसी सुविधा प्रदान कर दी है। क्या श्री अप्पापन्त ने जो कुछ कहा है वह भारत सरकार की नीति नहीं है? यदि सरकार की यह नीति है तो हम जानना चाहते है कि ब्रिटिश पासपोर्ट वाले भारतीयों को सरकार किस प्रकार यह सुविधा प्रदान कर रही है।

जब सरकार से वहां के भारतीयों की दुर्दशा सुधारने के लिए कहा जाता है हमेशा उत्तर यही मिलता है कि हम प्रयास कर रहे हैं। पर वस्तुतः कोई प्रयास नहीं किया जाता। मन्त्री महोदय के वहां जाने तथा इस विषय पर चर्चा करने के सम्बन्ध में भी प्रश्न किया गया था पर उत्तर में कहा गया कि अभी तक ऐसा कोई विचार नहीं है। दारेसलाम में होने वाले तटस्थ देशों के सम्मेलन में इस विषय पर विचार किया जाएगा, इसकी सूचना भी हमें मन्त्री महोदय से न मिलकर श्री अप्पा पन्त द्वारा प्राप्त हुई है।

ब्रिटिश पासपोर्ट रखने वाले भारतीय मूल के लोग जब यहां आते हैं उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। वे किस उद्योग में पैसा लगा सकते हैं, कहाँ बस सकते हैं इस विषय में कोई सूचना नहीं दी जाती। आपने कांडला बन्दरगाह बनाया है और उद्योगपतियों को किसी प्रोत्साहन के अभाव में गत कई वर्षों से वहां विकास नहीं हो रहा है। आप इन लोगों को कांडला बन्दरगाह पर उद्योग खोलने की आज्ञा दे सकते है इस प्रकार एक ओर तो वे अपना उद्योग चलाने में समर्थ होंगे और दूसरी ओर वह क्षेत्र भी फूलेगा-फलेगा। किन्तु सरकार का ध्यान इस ओर गया ही नहीं है।

इनमें से अधिकांश लोगों ने अपनी पूंजी इंगलैंड के बैंकों में जमा करा रखी है जिस पर 10 या 12% सूद दिया जाता है। भारत सरकार इन लोगों को रिजर्व बैंक में पैसा जमा कराने की सुविधा प्रदान क्यों नहीं करती? आजकल सरकार अधिकाधिक निर्यात द्वारा विदेशी विनिमय को प्रोत्साहित कर रही है फिर इन लोगों के पैसे का विनियोजन अपने देश में क्यों नहीं प्रोत्साहित करती? इससे देश को तो फायदा होगा ही साथ ही उन लोगों को भी मदद मिलेगी। अन्यथा एक दिन वे भी पूर्व और पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थियों की तरह बोरी बिस्तर उठाकर आ जाएंगे और सरकार को उसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा।

कीनिया में इन-लोगों के पास पर्याप्त पूंजी है किन्तु जब ये लोग यहां आते हैं तो उन्हें 50,000 रुपये से ज्यादा लाने की आज्ञा नहीं दी जाती। आप पूर्वी अफ्रीकी देशों के साथ मिलकर कोई एक ऐसा ट्रस्ट क्यों नहीं बनाते जिसमें ये लोग अपना धन जमा कर सकें, और जब ये वह देश छोड़ें तो लगभग पूंजी का 70 या 75% भाग तो नगद रूपये के रूप में दे दिया जाए और बाकी सम्पत्ति तथा रुपये का निपटान सरकार समय और आवश्यकता के अनुसार कर ले। ब्रिटिश सरकार ने भी ऐसा किया है। भारत सरकार भी ऐसा कर सकती है।

वहाँ की व्यापारिक और शिक्षण संस्थाए भी अधिक अच्छी नहीं हैं। वहां के लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए यहां भेजना चाहते हैं उन्हें यह सुविधा प्राप्त होनी चाहिए, साथ ही वहां के भारतीय दूतावास में बहुत योग्य राजदूत भेजा जाए जो इन लोगों की कठिनाईयों को जाने, समझे और उन्हें दूर करने के लिए सब प्रकार की सुविधाएं प्रदान करें।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : कीनिया में बसने वाले भारतीय या तो भारत के नागरिक हैं या ब्रिटेन के नागरिक है। कहा जाता है कि जब भारत पर चीन तथा पाकिस्तान के हमले हुए थे तो कीनिया के भारतीयों ने सुरक्षा कोष के लिए चन्दा एकत्रित कर भारतीय सरकार को भेजा था। क्या यह बात ठीक है ?

जब कीनिया स्वतंत्र हुआ था तब ब्रिटिश सरकार ने वहां के बसने वाले भारतीयों को अपनी मित्रता का आश्वासन दिया था। क्या सरकार ने इन लोगों की कठिनाईयों की ओर ब्रिटिश सरकार का ध्यान आकर्षित किया है ? यदि नहीं, तो क्या सिंगापुर में होने वाले राष्ट्रमण्डलीय प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन में इस विषय को रखने का विचार है।

Shri Rabi Ray (Puri) : The issue of people of Indian origin in kenya has been discussed on the floor of the house on a numberd occasions. We remember the cold reception extended to Shri Bhagat's Visit and the humiliation suffered by India. I would like to know whether Indian High Commissioner has latter any initiative to ascertain the type of discreminatory move of the Kenya Government against the people of Indian origin in the fields of Commerce, education etc. Has any enquiry been made into the matter and if so, what are the details thereof ?

People of Indian origin in kenya fall under two categories. Firstly, there are those who have taken Kenyan citizanship and secondly, those who are holding British Passport. Would the representatives of India, kenya Britain take steps to solve out the problem in the next common wealth conference which is going to be held at Singapore ?

Thirdly, Sir Bedabrata Barua had recently been to Kenya as a leader of Indian delegation. He has told us that the people of Indian origin in Kenya have turned greedy and self centred and that is why, Africans detest them. On the basis of such a report, has the Indian High Commission in Kenya been asked to direct the people of Indian origin to identify themselves completely with the aspiratives and desires of the local people ?

Shri Molahu Prashed : The Africanizations of trade and services by various East African countries has caused under hardships to the people of Asian origin-residing there. Many a people of Indian origin had to quit kenya in December 1967. What are details of the views expressed by various representatives in the Prime Ministers Common Wealth conference ? What are the conclusions drawn by the committee appointed by common wealth secretariat and how far remedial steps for eradication or such a problems have been implemented.

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : अध्यक्ष महोदय, अफ्रीका में भारतीय मूल के लोगों को समस्याओं के विषय में सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है। समस्या की उत्पत्ति आदि के विषय में कई बार सदन को विवरण प्रस्तुत किया जा चुका है। अब मैं सदन का अधिक समय न लेते हुए संक्षेप में निम्न बातें कहना चाहता हूं।

स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात लगभग सभी पूर्वी अफ्रीका देशों ने अफ्रीकीकरण की नीति अपनाई जिसका तात्पर्य यह था कि सभी व्यापार तथा सेवायें उनके हाथों में रहें। यह एक उत्तम नीति थी अतः इसके विरुद्ध हमने कोई विरोध प्रकट नहीं किया। जब इस विषय पर पूर्वी अफ्रीकी देशों की सरकारों से हमारी चर्चा हुई हमने उनसे यही कहा कि हमें उनकी नीति से कोई विरोध नहीं है। यह उनके अपने देश के हित में है, परन्तु इस नीति को वे इस प्रकार क्रियान्वित करें कि उन लोगों को जो वहां के मूल निवासी नहीं है तथा सदियों से वहां रहते चले आ रहे है तथा

जिन्होंने इन देशों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया है कोई कठिनाई न हो। इन सरकारों ने हमें इस प्रकार के आश्वासन भी दिये हैं।

इस समस्या के दो पहलू हैं, प्रथम वैधिक है और द्वितीय नैतिक। हमने बीच का मार्ग अपनाया है। अगर हम वैधिक या नैतिक मार्ग अपनाएं तो न केवल हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा बल्कि अफ्रीका देशों को भी कठिनाइयाँ आयेंगी। हम उनकी उपेक्षा यह कहकर नहीं कर सकते कि उन लोगों की राष्ट्रीयता अलग है और हमारा उनसे कोई सम्बन्ध नहीं। इससे तो हमें प्रताड़ना मिलेगी। दूसरी तरफ अगर हम उनके लिए स्थानीय सरकारों को बार-बार परेशान करेंगे तो हमें उत्तर मिलेगा कि हम व्यर्थ में टांग अड़ाते हैं और उनके आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। अतः अच्छा यही होगा कि हम मध्यम मार्ग अपनाएं ताकि हम भारतीय मूल के निवासियों की सहायता कर सकें और उनकी समस्याओं को सुलझा सकें।

केन्या में बस रहे भारतीय मूल के निवासियों को हम चार वर्गों में बांट सकते हैं। पहला वर्ग तो उन लोगों का है जो भारतीय नागरिक हैं। उनकी संख्या लगभग 4,000 है। दूसरा वर्ग उन लोगों का है जो केनया के नागरिक हो चुके हैं। उनकी संख्या लगभग 49,000 है। तीसरा वर्ग उन लोगों का है जो ब्रिटिश पारपत्र या नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं। उनकी संख्या लगभग 82,000 है। चौथा वर्ग उन लोगों का है जिनकी राष्ट्रीयता का निर्णय नहीं हुआ है और उनके प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं।

प्रथम वर्ग में आने वाले नागरिकों की जिम्मेदारी भारत सरकार पर है और जब यह चाहें भारत आ सकते हैं। जो लोग वहां की नागरिकता ग्रहण कर चुके हैं। उनके सम्बन्ध में यह विचारणीय है कि क्या उनके साथ कोई भेदभाव किया जाता है। जब भी हमें इस सम्बन्ध में शिकायतें मिलीं हमने इस प्रश्न को उठाया। हमें आश्वासन मिला है कि ऐसे लोगों के साथ जाति या रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है और उनको केनया के नागरिक के रूप में माना जाता है। चाहे उनकी नीति कुछ भी रही हो, फिर भी भेदभाव की सम्भावना हो सकती है।

अब मैं उस वर्ग के बारे में बताऊंगा जो राज्य विहीन हैं या जिनकी राष्ट्रीयता का निर्णय नहीं हुआ है। इन 8000 व्यक्तियों में से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बहुत पहले, बच्चों के रूप में, अभिभावकों के पारपत्र पर वहां गए हैं और कुछ ऐसे हैं जो बिना प्रलेख के वहां गए हैं और उन्होंने कभी भी राष्ट्रीयता के लिए प्रार्थना-पत्र नहीं दिया। कुछ लोग सन् 1964 में जजींवार में हुई क्रान्ति से डरकर तनजानिया चले गये। ब्रिटिश सरकार ने ऐसे लोगों से पारपत्र इस तर्क पर वापिस ले लिए कि क्रान्तिकारी परिषद् ने उन्हें जजींवार नागरिक घोषित कर दिया है। ये लोग केनया में बसे हुए हैं और इन्होंने वहां की नागरिकता के लिए प्रार्थना-पत्र दिए हुये हैं परन्तु उनके प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं। हमने केनया सरकार को इस सम्बन्ध में लिखा है और उसने कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है।

अन्तिम वर्ग उन लोगों का है जिनके पास ब्रिटिश पार-पत्र हैं। यह लोग भारत मूल वासी हैं। अधिवास की दृष्टि से ये अफ्रीकी हैं और राष्ट्रीयता की दृष्टि से ब्रिटिश। उच्चायुक्त ने उनसे

कहा था कि वे ब्रिटिश की नागरिकता ग्रहण कर लें। इसी बात पर भ्रान्ति उत्पन्न हो गई। उस समय केन्या ब्रिटिश के आधीन था। अतः उन्हें ब्रिटिश की ही नागरिकता प्राप्त हो सकती थी। हमने उनसे ब्रिटिश-पारपत्र लेने को नहीं कहा था। हमने तो केवल यही कहा था कि उनके लिए अच्छा होगा कि वे केन्या में बस जायें और वहां के लोगों के साथ मिल जुल कर रहें और केन्या के स्थानीय नागरिक बन जायें।

यह बात उच्चायुक्त ने केन्या के स्वतन्त्र होने से पूर्व कही थी और आज जबकि केन्या स्वतन्त्र है, हम यह नहीं कह सकते हैं कि हमें उनकी सहायता नहीं करनी चाहिये जबकि वे कठिनाई में हैं।

केन्या में एक विधान बनाया गया है जिसके फलस्वरूप उन लोगों का केन्या में रहना कठिन हो गया है। सन् 1968 में ब्रिटेन में कामनवेल्थ अधिवास अधिनियिम पास किया गया है जिससे ऐसे लोगों का ब्रिटेन में जाना कठिन हो गया है। हमने ब्रिटिश सरकार को लिखा है कि ऐसे लोगों का सुरक्षण उनका नैतिक एवं वैध उत्तरदायित्व हैं और ऐसे लोगों को ब्रिटेन जाने में कोई कठिनाई न हो। उनका कहना है कि अगर अधिक मात्रा में व्यक्ति जायेंगे तो उनके लिए सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो जायेंगी। अतः ऐसे लोग प्रवासी के रूप में न जाकर थोड़ी मात्रा में जायें।

जनवरी, 1970 में एक प्रश्न उठाया गया कि प्रति वर्ष 1500 परिवार मुखिया का कोटा अपर्याप्त है और इससे परमिटों के नवीकरण में कठिनाई उपस्थित होगी। हमने उनसे कोटा बढ़ाने के लिए कहा है। यह हमारा पहला सुझाव है।

दूसरा सुझाव हमने यह दिया कि कम से कम 'परिवार' की परिभाषा में ढील दी जाय जिससे कि निकट सम्बन्धी भी ब्रिटेन जाने का अवसर प्राप्त कर सकें। ब्रिटेन ने हमारे दोनों सुझाव नहीं माने। हमारा तीसरा प्रस्ताव यह था कि गैर-अफ्रीकी कामनवेल्थ नागरिकों को दिए जाने वाले जो प्रवेश वाउचर काम में नहीं लाये जाते हैं उन्हें केन्या को दे दिया जाये ताकि अधिक से अधिक लोग ब्रिटेन जा सकें। हाल ही में श्री कालाघन ने 12 मार्च को हाउस आफ कामन्स में वक्तव्य दिया है कि न तो ऐसे प्रवेश वाउचर ही दिए जायेगें और न ही कोटा बढ़ाया जायेगा। वे कामनवेल्थ आप्रवासी व्यवस्था के अन्तर्गत अप्रवासियों की संख्या लगभग 36,000 थी। वे नहीं चाहते कि यह संख्या और बढ़े। केवल 50 प्रतिशत वाउचर प्रयोग में लाये जाते है और जो 50 प्रतिशत वाउचर रह जाते हैं उन्हें केन्या को नहीं दिया जाता। जो लोग भारत में आना चाहते हैं उन्हें काफी रियायतें एवं सुविधाएँ प्राप्त है। उन्हें सीमा-शुल्क रियायत भी दी जाती है। हमें कोई शिकायत नहीं मिली है जिसमें कहा गया हो कि उन्हें तंग किया जाता है।

जहां तक रुपये भेजने का सम्बन्ध हैं उन्हें किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। अब बैंकिंग माध्यम से रुपया भेजने में न तो कोई कठिनाई है और न ही कोई प्रतिबन्ध। अगर वे नकद रुपया लाना चाहें तो 50,000 रुपये तक की धनराशि ला सकते है। अगले 50,000 रुपये पर उन्हें साक्ष्य प्रस्तुत करना पड़ता है। कि यह रुपया उनका अपना है और उसके बाद की धन-

राशि के लिए बैंक के प्रमाण-पत्र की आवश्यकता पड़ती है। जहां तक पूंजी लगाने का सम्बन्ध हैं; वित मंत्रालय में इस आशय की एक दो योजनाएं विचाराधीन हैं कि किस प्रकार इन लोगों को अधिक पूंजी लगाने क लिए उत्साहित किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 11 बजे तक के लिये स्थागित की जाती है।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, 17 मार्च, 1970/26 फाल्गुन, 1891 (शक) के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गई।

The Lok Sabha then adjourned till 11 A. M. on Tuesday, the 17th March, 1970/ Phalguna 26, 1891 (S. E.)

Printed at Akashdeep Printers, 20 Daryaganj, Delhi-6.